1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 3] पंचम विधान सभा के तृतीय-सत्र का 29वां दिवस [संख्या 21

शुक्रवार,
दिनांक 16 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, राजस्व, सहकारिता, खनिज, यातायात, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत्, आर्थिक एवं सांख्यिकी, विधि, आयुर्वेद, सिंचाई, परिवार नियोजन, विकास एवं पंचायत विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न !

श्री रामनारायण चौधरी !

डूंडलोद रेल्वे स्टेशन से मण्डावा बस सर्विस

564. श्री **रामनारायण चौधरी** (मण्डावा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंडलोद रेल्वे स्टेशन (जिला झुन्झुनूं) से मण्डावा कस्बे को रात्रि 10.00 बजे एवं प्रातःकाल 4.00 बजे बस सेवा चालू करने का परमिट कब, किसको, किन-किन शर्तों पर दिया गया था तथा इस रूट पर कितनी बसें किस-किस समय पर चलती हैं ?

(2) यह रात्रि बस सेवा कितने समय तक चालू रही और कब से बस इस रूट पर नहीं चल रही है तथा बस सेवा बन्द होने के क्या कारण हैं ?

(3) बस सेवा बन्द कर देने पर परमिट होल्डर के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और शर्तों के अनुसार क्या कार्यवाही की जानी थी ?

(4) क्या बस सेवा बन्द होने पर मामला प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की बैठक में भी रखा गया था ? यदि हां, तो उसके द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि इस बारे में कोई रिजोल्यूशन पास किया गया हो तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या एक ही परमिट होल्डर को भिन्न-भिन्न समय पर बस चलाने के परमिट मिले हुए हैं ?

(6) अब कब तक रात्रि बस सेवा चालू कर दी जायेगी ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 2

(2)

(यातायात मंत्री)

(2) रात्रि बस सेवा बन्द होने की शिकायत परिवहन निरीक्षक, झुन्झुनू ने प्रथम बार दिनांक 2-6-71 को आर.टी.ओ. को भेजी।

(3) परमिट होल्डरों के विरुद्ध धारा 60 मोटर व्हीकल्स एक्ट के अन्तर्गत नोटिस दिये गये जो परमिट की शर्तों को तोड़ने पर दिये जाते हैं।

(4) जी हां। दिनांक 24-9-71 की बैठक में रखा गया। दिनांक 24-9-71 को प्राधिकार द्वारा श्री श्यामसुन्दर का परमिट कैन्सिल किया गया। दिनांक 29-10-71 को प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने श्री ऋद्धदेव एवं श्री बनवारीलाल के विरुद्ध शिकायत के मामले में 200-200 रुपये बतौर जुर्माने पर सन्धान (कम्पाउण्ड) करने तथा 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त रकम की अदायगी न होने पर परमिट स्वतः रद्द होने का निर्णय दिया गया। श्री ऋद्धदेव द्वारा निश्चित समय पर सन्धान शुल्क जमा न कराने पर उसका अनुज्ञा-पत्र स्वतः ही रद्द हो गया। श्री बनवारीलाल द्वारा संधान शुल्क दिनांक 12-11-71 को अदा कर दिया गया। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, जयपुर के प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 24-9-71 एवं प्रस्ताव संख्या 52 दिनांक 29-10-71 की प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(5) जी नहीं।

(6) रात्रि बस सेवा नहीं चलने की अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, रात्रि बस सेवा नहीं चलने की शिकायत तो है, श्री सावरमल मोर, एम. एल. ए. ने स्थगन प्रस्ताव भी रखा था 26-4-72 को। दूसरा प्रस्ताव मैंने भी रखा था कि रात्रि सेवा बन्द है और आज तक बन्द है। आप किस आधार पर कहते हैं कि रात्रि सेवा बन्द नहीं है? यदि बन्द हो तो क्या आप उसको चालू कर देंगे, और कब तक?

श्री हरिदेव जोशी : पूरी कोशिश करेंगे। अगर बस ऑपरेटर नहीं चलाना चाहता है तो हम मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन उसका परमिट कैन्सिल कर सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : तो सरकार उसको कैन्सिल करके दूसरे जो इच्छुक ऑपरेटर हों, उनको देगी?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी!

सीलिंग कानून के अन्तर्गत आने वाली भूमि

565. **श्री पी. के. चौधरी** (फुलेरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

राजस्थान इम्पोजीशन ऑफ सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग्स ऑर्डिनेन्स, 1973 के अनुसार जिला गंगानगर में कितनी भूमि सैक्शन 4 (ए) के अन्तर्गत आती है तथा कितनी भूमि सैक्शन 4 (बी) तथा सैक्शन 4 (सी) के अन्तर्गत आती है? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): सूचना एकत्रित की जा रही है। सुनिश्चित रूप से यह सूचना अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय उपलब्ध हो दी जा सकेगी।

श्री पी. के. चौधरी: तीन माह तो हो गए आर्डिनेन्स इश्यू हुए।

श्री रामचन्द्र चौधरी: अब 120 दिन कर दिये हैं। 120 दिन के अन्दर काश्तकार अपना रिटर्न सबमिट करेंगे और उसके बाद मौका देख कर ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रताप सिंह !

रूपनगढ़-पर्वतसर सड़क का अपूर्ण कार्य

566. श्री **प्रतापसिंह** (किशनगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रूपनगढ़ से पर्वतसर जाने वाली सड़क पर रूपनगढ़ के पास पश्चिम की ओर जो सी. डी. कार्य है वर्षों से अपूर्ण पड़ा है।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य किसी ठेकेदार से विवाद होने के कारण अपूर्ण पड़ा है? यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) जी हां।

(2) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण अपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामेश्वरलाल चौधरी!

मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी कुचामन सिटी की बकाया

567. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कुचामन सिटी मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हनुमानसिंह चौधरी में कितनी राशि बकाया है तथा आज तक वसूली न होने के क्या कारण हैं और अब बकाया की वसूली कब तक हो जायेगी?

सहकारिता मंत्री (श्री नारायणसिंह): कुचामन को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि०, के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री हनुमानसिंह चौधरी के विरुद्ध 945 असल व 872 ब्याज के कुल 1817 रुपये बकाया हैं। अवसायक द्वारा वसूली की कार्यवाही की जा रही है तथा 30-4-73 तक वसूली सम्भावित है।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी: यह 1800 रुपये ही नहीं हैं। कुल 25 हजार रुपये की राशि बकाया है। ऑडिटर्स ने जो ऑडिट किया है उसके अनुसार 25 हजार बकाया है और वह 15 साल से बकाया है।

श्री नारायणसिंह: 25 हजार तो नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार कुल रकम 3,277 बकाया पड़ती है और उसके लिये सैक्शन 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है और अवसायक ने अपने हिसाबों से निकालकर इसकी वसूली के लिये धारा 117 की कार्यवाही भी कर दी।

एक माननीय सदस्य: क्या यह सही है कि इस सोसायटी का ऑडिट हुआ है और

(एक माननीय सदस्य)
ऑडिट के अन्दर 25 हजार की बकाया बताई गई है ?

श्री नारायणसिंह : ऑडिट हुआ है, पर मेरी जानकारी के अनुसार 25,000 नहीं हैं। मैं फिर सूचना इकट्ठी करूंगा।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : अगर 25 हजार बकाया है तो वह कब तक वसूल किया जायेगा ?

श्री नारायणसिंह : को-ऑपरेटिव एक्ट के अनुसार उसको वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री रामेश्वरलाल चौधरी : 15 साल तक तो वसूल नहीं हुआ।

श्री नारायणसिंह : मैंने तो कह दिया कि जो रकम अवसायक ने निकाली है वह तो 30-4-73 तक वसूल हो जायेगी।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : यह रकम किस बात की बकाया है ?

श्री नारायणसिंह : ये सारे ऑडिट रिपोर्ट के अन्दर हैं। 1970-71 में इनके विरुद्ध 948 रुपये पाये गये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : किस बात के हैं ये रुपये ?

श्री नारायणसिंह : यह समिति से अग्रिम लिया और वापस नहीं किया। समिति का पैसा मौखिक ऑर्डर से भुगतान बताया जयपुर मोटर कम्पनी को, लेकिन भुगतान कम दिया। कम्पनी से नये टायर के बदले पुराने टायर बदलाये गये....

श्री अध्यक्ष : इत्यादि, इत्यादि।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य (मावली) : यह जो आपने बताया, यह तो फालसीफीकेशन ऑफ अकाउन्ट है, फार्जरी है, चीटिंग है। ये तो जुर्म बनते हैं। आपने आफेन्सेज के मुतल्लिक क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणसिंह : एक कार्यवाही तो धारा 74 के अन्तर्गत हो रही है।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : मैं तो पेनल आफेन्सेज के लिये कह रहा हूं। आपने जो अभी पढ़कर बताया, उससे तो यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने चीटिंग भी किया है, फार्जरी भी किया है, उन पर आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? पैसा वसूल करना तो सेकेन्ड्री बात है।

श्री नारायणसिंह : इसमें डिप्टी रजिस्ट्रार जांच कर रहे हैं। अगर ये आफेन्स बनते हैं तो उसके अनुसार भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : आपने जो स्टेटमेंट दिया, उसके अनुसार तो आफेन्स बनते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : मंत्री महोदय, जब प्राइमाफेसी चार्ज प्रूव हो गया उसके बाद आफेन्स दर्ज करने में क्या गुन्जाइश रह गई ?

श्री नारायणसिंह : मैं देखूंगा, इसके अन्दर आफेन्सेज बनाये जायें, जो कार्यवाही होनी चाहिए वह की जाय।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : उनमें तो आफेन्सेज बनवाते जिनमें लफड़ा है।

Page No 5

(5)

श्री नारायणसिंह : मैं मानता हूं, इसमें देरी हुई है। यह गलत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : क्रिमिनल केस की तरह प्रासीड करके बाकायदा एफ.आई. आर. दर्ज करा कर कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसके साथ पुलिस को क्यों नहीं देते मामला ?

श्री नारायणसिंह : इससे मैं सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

जयपुर-चूरू बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण

568. श्री **मोहरसिंह** (चूरू) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार जयपुर से चूरू बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी हां।

निगम द्वारा जयपुर—रतनगढ़ वाया सीकर मार्ग व बीकानेर—चूरू वाया रतनगढ़ मार्ग के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी विज्ञप्तियां मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 68/सी. के तहत राजस्थान राज-पत्र में क्रमश:5-10-72 व 5-2-73 को प्रकाशित की जा चुकी हैं। इन मार्गों के निजी मोटर मालिकों के आपत्ति-पत्रों की सुनवाई उप-विधि परा-मर्शी व संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा की जा रही है। इनकी सुनवाई पूर्ण हो जाने पर ही और फैसला निगम के पक्ष में होने पर ही इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो सकेगा।

प्रश्न संख्या 569

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 570

श्री भीमराज !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री ज्ञानसिंह : 570।

श्री अध्यक्ष : कहां हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यहीं हैं। होली पर नहीं गये हैं।

श्री अध्यक्ष : Do not try to do that in future.

टेब्यूलेशन के लिये किराये पर ली गई मशीनें

571. श्री **निरंजन नाथ आचार्य**(मावली) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में टेब्यूलेशन के लिये कितनी मशीनें किराये पर ली गई हैं और कब से ?

(2) किराए पर ली गई मशीनों में प्रत्येक का प्रतिदिन किराया क्या है और आज तक उक्त मशीनों का कितना किराया दिया जा चुका है ?

(3) उक्त मशीनों से प्रतिदिन कितने घण्टे काम किया जाता रहा है और क्या उनके कार्य करने का इन्द्राज किसी रजिस्टर में रखा गया ?

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

(4) यदि हां, तो प्रत्येक मशीन द्वारा वर्ष 1970-71 व 1971-72 में कितने घण्टे कार्य किया गया ?

(5) उक्त मशीनों द्वारा टेब्युलेट किए गये आंकड़ों से विभाग में कौन कौन से प्रकाशन निकाले हैं ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

आर्थिक एवं सांख्यिक मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) टेब्यूलेशन के कार्य के लिये आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में कुल 11 मशीनें किराये पर ली गई हैं जिनमें से 7 दिनांक 4-8-71 से, 3 दिनांक 9-9-71 से तथा 1 दि० 12-11-71 से किराये पर ली गई हैं।

(2) किराए पर ली गई मशीनों में चार पंच, तीन वेरीफायर, एक ऑटोमेटिक शार्टर, एक रिप्रोड्यूसिंग पंच, एक केलकुलेटिंग पंच तथा एक एल्फा अकाउंटिंग मशीनें हैं। इनके किराये की दरें निम्न प्रकार हैं:—

1. एक एल्फा कार्ड पंच: 325 रु. प्र. मा.
2. तीन न्यूमेरिकल पंच: 286 रु. प्र. मा.
3. एक अल्फा वेरीफायर: 402 रु. प्र. मा.
4. दो न्यूमेरिकल वेरीफायर: 364 रु.प्र.मा.
5. एक ऑटोमेटिक शार्टर: 425 रु.प्र.मा.
6. एक रिप्रोड्यूसिंग पंच: 542 रु. प्र. मा.
7. एक केल्कुलेटिंग पंच: 1895 रु. प्र. मा.
8. एक एल्फा अंकाउंटिंग मशीन: 3327रु. प्रति मास।

इन मशीनों का किराए से ली गई तारीख से जनवरी, 1973 तक कुल 1 49,630 रु. किराया दिया जा चुका है।

(3) चारों पंच, तीनों वेरीफायर तथा एल्फा अकाउंटिंग मशीन पर प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक पूरे कार्यालय समय में काम लिया जाता रहा है। ऑटोमेटिक शार्टर, केल्कुलेटिंग पंच एवं रिप्रोड्यूसिंग पंच सहायक मशीनें हैं अतः इनसे आवश्यकतानुसार कार्य लिया जाता है। मशीनों के कार्य करने का इन्द्राज रजिस्टर में रखा गया है।

(4) चूंकि वर्ष 71-72 में ही किराये पर ली गई हैं अतः 70-71 के सम्बन्ध में सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता। वर्ष 1971 72 की सूचना निम्न प्रकार है :—

मशीन	संख्या	घण्टे
1. पंच	4	2951
2. वेरीफायर	3	2410
3. एल्फा अकाउंटिंग मशीन	1	834
4. शोर्टर	1	505
5. रिप्रोड्यूसिंग पंच	1	353
6. केल्कुलेटिंग पंच	1	260

(5) अब तक इन मशीनों द्वारा 1771 सारणियों का निर्माण किया जा चुका है जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री निरंजननाथ आचार्य : चूंकि हुण्डा साहब मुझसे बात कर रहे थे, पूरक प्रश्न समाप्त हो गये। कोई पूरक प्रश्न नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दुबारा पढ़ दूं

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं पूछना चाहता हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पहले आप पूछ लें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ये मशीनें खरीदी गईं, ये किस फर्म से किराये पर ली गई ? इनकी टोटल खरीदने की कीमत क्या है ?

श्री रामनारायण चौधरी : खरीदी कहां हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : किराये पर भी हैं, इनकी मूल कीमत क्या है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : ये मशीनें दो कम्पनियें इंडिया में प्रोड्यूस करती हैं, फोरिन मेक हैं, आई बी. ए. अमेरिकन कम्पनी, आई.सी. एल, ब्रिटिश कम्पनी है, इन मशीनों की लाइफ सात साल की होती है। सात साल में इनका जितना किराया बनता है, उनकी कीमत उससे बहुत ज्यादा पड़ती थी, इसलिए अपन ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में इन मशीनों को किराये पर लेते हैं। यह कम्पनी देख भाल करके चालू हालत में रखती है। भारत सरकार है वह भी इन मशीनों को किराये पर लेकर काम चला रही है। जब किराये पर भारत सरकार भी लेती है ऐसा नहीं है कि किसी गड़बड़ी के कारण किराये पर ली गई हो या और कोई बात हो। वह ज्यादा महंगी पड़ती हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : महंगी पड़ने का अन्दाज इससे हो सकता है कि इसकी कीमत कितनी है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो सूची रखी है उसमें कई आंकड़े खोटे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : दूसरा प्रश्न यह है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : जो सूची रखी है उसमें आंकड़े खोटे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो आंकड़े दिये हैं वह खोटे नहीं हैं। टेक्निकली मशीन का सवाल है, माननीय सदस्य चाहें तो खुद जाकर वर्किंग देख सकते हैं। मैं डाइरेक्टर को साथ कर दूंगा। आप सेटिस्फाई कर लें आने आपको, फिर गलत हो तो बतायें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इन मशीनों की गल्ती की बात नहीं कर रहा हूं। जो आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं वे खोटे हैं। जो सूची रखी है उसमें आंकड़े दिये हैं वे खोटे हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो सूची दी है, वह आपके सामने है, मेरे सामने है। इसमें गलत है तो मैं एक्शन लूंगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : रूरल एम्प्लॉयमेंट के आंकड़ों के लिए वित मंत्री ने सदन में कहा था कि आंकड़े इकट्ठे किये गये हैं। इसी सदन में पिछले वित्त मंत्री ने कहा था आंकड़ों के लिए, जो यह निकालते हैं, ऐसा क्यों होता है जब कि मशीनें हैं, स्टाफ है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग स्टेटिस्टिक्स की बात आप कहते हैं। इसमें मशीनों के आंकड़े दिये हैं, वह गलत हो तो बतायें।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कीमत और किराया दोनों बता दीजिये, मशीनों की क्या कीमत है और क्या किराया देना पड़ता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : किराया हर एक का बता दिया है घण्टेवार, कीमत मेरे पास नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : फिर कैसे अन्दाज लगाया जा सकता है किराये का ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : भारत सरकार खुद किराये पर ले रही है, सब ले रहे हैं, इतना नहीं हो सकता अगर कीमत देने में आसानी पड़ती हो, फिर तो कीमत देकर काम में लेंगे। किराया सस्ता पड़ता है, टेक्निकल मशीनें हैं, इनमें चेंजेज होती रहती हैं, चेंजेज होने के बाद पुरानी मशीनें काम नहीं देंगी। इनमें चेंजेज होते रहते हैं। इसलिए किराये पर सस्ती पड़ती हैं, इसलिए सारे हिन्दुस्तान में कार्यवाही ऐसी हो रही है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : सस्ती का अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब कि कीमत मालूम हो।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : आपने जो वर्किंग आवर बताये, इनमें यह पाया गया कि एक मशीन ने साल में 260 घण्टे वर्क किया है, एवरेज के रूप में एक घण्टे एक मशीन ने पर डे वर्क किया। फिर साल भर के लिए न लेकर कम समय के लिए लें तो किराया कम किया जा सकता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जितना जरूरी है, उतना लिया गया है। ये मशीनें एक-दूसरी से ताल्लुक रखती हैं, इसलिए अलग अलग नहीं ले सकते, एक यूनिट लेना पड़ता है। कुछ मशीनें थोड़ी देर काम करती हैं, कुछ काफी देर करती हैं, जितना मशीनों ने काम किया, उसका ब्योरा है।

श्री रामनारायण चौधरी : एक प्रश्न....

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल आर्य !

सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, सिरोही

572. **श्री जेठमल आर्य** (रेवदर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के संचालक मंडल की भयंकर अनियमितताओं के कारण गत तीन वर्षों से रिजर्व बैंक कर्जा नहीं दे रही है ?

(2) क्या यह सही है कि जब से श्री गुलाब सिंह शेखावत को बैंक में ऑडिटर नियुक्त किया है तभी से बैंक के संचालक मण्डल ने अनियमितताएं करना शुरू कर दिया और बैंक जीर्ण अवस्था में पहुँच चुकी है ? यदि हां, तो श्री गुलाबसिंह शेखावत को कब तक सिरोही जिले से हटा दिया जायगा ?

(3) क्या यह सही है कि गत 3 वर्षों से सिरोही सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का

(श्री जैठमल आर्य)
पतन होता जा रहा है ? यदि हां, तो जिले के काश्तकारों को राहत देने के लिये राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि गत वर्षों में संचालक मण्डल ने स्वीकृत बजट से जीप गाड़ी पर बहुत अधिक खर्चा किया है ? यदि हां, तो क्यों ? सिरोही सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के गत वर्ष के आय-व्यय के विवरण के साथ गत तीन वर्षों के संतुलन चित्र सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मन्त्री (श्री नारायणसिंह) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं ! उन्हें हटाने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं। परन्तु लगातार क्षेत्र अकालग्रस्त होने के कारण अवधि पार ऋण की मात्रा बढ़ी है।

(4) जी नहीं। गत वर्ष के आय-व्यय एवं गत तीन वर्ष के सन्तुलन चित्र सदन की मेज पर रख दिये गये हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जेठमल आर्य : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे ? सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के 9 सदस्यों में से 5 सदस्य डिफाल्टर हैं और उन्हें राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत क्यों नहीं हटाया गया है ?

श्री नारायणसिंह : इस समय जो डिफाल्टर थे उनको हटाने का विचार किया गया लेकिन बीच में को-ऑपरेटर्स का एक डेपूटेशन आया। उन्होंने कहा कि इस समय वसूलियां अकाल की परिस्थिति के कारण नहीं हो सकी हैं इसलिए इस मियाद को आगे बढ़ा दिया जाय जून तक। जून तक नहीं हटाने का कारण यह दिया गया कि डिफाल्टर होंगे तो उनको हटा देंगे।

श्री जेठमल आर्य : क्या सरकार की मन्शा है कि डिफाल्टर मेम्बर बैंकों में रहें और बैंक बरबाद होते रहें और सोसायटी को कर्जा न मिले क्योंकि डिफाल्टर प्रतिनिधि बैंक में रहेंगे तो वे अपने आप को बचायेंगे और सोसायटी को बचायेंगे तो वे किस तरह कार्य कर सकेंगी ?

श्री नारायणसिंह : सरकार इस बारे में पूरी जागरूक है। डिफाल्टर व्यक्तियों को सुव्यवस्थित किया जाय, लेकिन इस समय अकाल के कारण से उनकी थोड़ी मियाद बढ़ा दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मुझे आथोरिटी दे रखी है।

श्री मोहर सिंह (चूरू) : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न अकालग्रस्त सहकारी बैंक का है, उनकी हालत को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री नारायण सिंह : यह प्रश्न अलग है, रिहेबिलिटेट करने का प्रोग्राम है, सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक का।

श्री मोहर सिंह : यह अलग से प्रश्न नहीं है, कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं ? हालत खराब है आधी से ज्यादा बैंकों की।

(श्री मोहर सिंह)
जिन बैंकों की हालत खराब है उनको सुधारने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री जेठमल आर्य : एक प्रश्न और....

श्री अध्यक्ष : अनादर वर्वस्चन ले लिया है। श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

लाी के लिये जमा कराई गई सिक्योरिटी

573. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) [श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) की अनुपस्थिति में] : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मोहनलाल पुत्र दूलाराम मीणा, महादेवप्रसाद पुत्र रेवडराम मीणा, बक्सीराम पुत्र मूलचन्द मीणा, रामकृपाल पुत्र नन्दराम मीणा निवासी ग्राम यूगोर एवं गोपालसिंह पुत्र सादूलसिंह राजपूत, निवासी ग्राम मदनपुरी तहसील व जिला अलवर ने सन् 1969 में कुए में पम्पिंग सेट लगाने के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये सिक्यूरिटीज जमा कराई थी ? यदि हां, तो किसने किस तारीख को कितने-कितने रुपये जमा कराये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त किसानों को कनेक्शन अभी तक नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो कनेक्शन न देने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि इन काश्तकारों ने एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, विद्युत्, अलवर और चीफ इन्जीनियर विद्युत्, राजस्थान के पास कई दरख्वास्तें कनेक्शन देने के लिये दी थीं ? यदि हां, तो कब-कब दरख्वास्तें दी गईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही है कि रामनारायण पुत्र ग्यारस्या मीणा, नरथा पुत्र नेन्हा मीणा तथा रघुवरदयाल पुत्र रामप्रसाद शर्मा ग्राम यूगोर ने भी कनेक्शन लेने के लिये अपना नाम रजिस्टर कराया हुआ है और पांच-पांच रुपये जमा कराये हुए हैं ? यदि हां, तो इनके रुपये कब से जमा हैं ?

(5) क्या यह सही है कि ये लोग सिक्यूरिटी भी जमा कराने के लिये तैयार हैं लेकिन उन्हें अभी तक डिमांड नोटिस नहीं दिया गया है ?

(6) क्या यह सही है कि प्रश्न संख्या 1 में दिये नाम के लोगों ने फिटिंग भी करा ली है ?

(7) क्या सरकार बता सकती है कि कौनसी निश्चित अवधि के अन्दर-अन्दर उनको कनेक्शन मिल जायेगा ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :
(1) जी हां, सूचना संलग्न है।

(2) जी हां, इनके एस्टीमेट 9 व्यक्तियों के ग्रुप स्कीम के थे और उनमें से पहले प्रश्न में वर्णित 4 व्यक्तियों व दूसरे एक व्यक्ति ने ही पैसे जमा कराये और यह ग्रुप स्कीम अलाभप्रद हो गई, इस कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके।

(श्री विद्युत् मन्त्री)

(3) अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय रिकार्ड के अनुसार काश्तकारों के अलग से पत्र प्राप्त नहीं हुए।

(4) जी हां, सूचना संलग्न है।

(5) जी हां, प्रश्न 4 में वर्णित प्रतियों के आवेदन-पत्रों की सूची एल. टी. लाइनों पर वोल्टेज की कमी के कारण कनेक्शन देने के उपयुक्त नहीं समझा गया, इस कारण डिमांड नोटिस नहीं दिये जा सके।

(6) इसकी जानकारी विद्युत् विभाग को नहीं है कि प्रश्न (1) में वर्णित आवेदकों ने विद्युत् की फिटिंग करा ली है।

(7) एक बार पुन: दोनों के केसेज की जांच किसी उच्च अधिकारी से करवा कर निर्णय लिया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)।

प्रश्न संख्या 574

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री नारायण सिंह !

ग्राम भेई में औषधालय

575. **श्री नारायणसिंह** (दांता रामगढ़) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भेई, तहसील दांता रामगढ़ में चिकित्सा सुविधा के लिये 1971 में अस्थाई औषधालय खोला गया था ? यदि हां, तो बन्द करने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति के आश्वासन पर वहां के एक नागरिक ने पचास हजार रुपये का भवन बना दिया है लेकिन तीन साल से भवन बेकार पड़ा है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त ग्राम तथा आसपास के ग्रामों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिये उक्त औषधालय को फिर से चालू करेगी ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) ग्राम भेई में अतिसार व ज्वर फैलने से एक शिविर औषधालय लगाया गया था जिसे आवश्यकता नहीं रहने पर बन्द कर दिया गया।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं, नवीन औषधालय खोलने का वर्ष 1972-73 व 1973-74 में प्रावधान नहीं है।

श्री नारायणसिंह : क्या इस साल कोई टेम्परेरी औषधालय खोलने की मन्शा रखते हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : नहीं, इस साल तो नहीं है।

श्री नारायणसिंह : गांव वालों ने लिख कर दिया है कि आसपास में कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र सैनिक।

बून्दी जिले के ग्रामों का विद्युतिकरण

576. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) [श्री रमेशचन्द्र (हिन्डोली) की अनुपस्थिति में] : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री नन्दलाल बैरवा)

(1) बूंदी जिले में चालू वर्ष के अन्तर्गत विद्युतिकरण के लिये कितने और किस ग्राम को स्वीकृत किया है तथा इसके लिए कितने रुपये स्वीकृत किये गये हैं? तहसीलवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) बूंदी जिले की जिला उत्पादन समिति द्वारा किन-किन ग्रामों की सूची चालू और गत वर्ष में भेजी गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा सुझाये गये ग्रामों के अनुसार क्रमिक प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

विद्युत मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) बून्दी जिले में चालू वर्ष के अन्तर्गत 9 ग्रामों को विद्युतिकरण के लिये स्वीकृत किया गया है तथा इनके लिये 5,87,940 रुपये स्वीकृत किये गये। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जिला कृषि उत्पादन समिति की सिफारिशों पर अवश्य विचार किया जाता है। तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य स्कीमों की स्वीकृति उपलब्ध धनराशि व जिले की विद्युतिकरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री नन्दलाल बैरवा: तहसीलवार जो गांव दिये हैं, उनमें केवल 9 गांवों में विद्युत दी गई है, जब कि तालेरा के 8 गांव, केशोराय पाटन के 10 गांव और बूंदी के 6 गांवों को बिजली जानी चाहिये थी। क्या आने वाले वर्ष में विद्युतिकरण करेंगे?

श्री हरिदेव जोशी: आने वाले वर्ष का प्रोग्राम अभी नहीं बन रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल छंगाणी।

निदेशक के विरुद्ध जांच

577. श्री **मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग के विरुद्ध केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार की जांच की जा रही है?

(2) यदि हां, तो यह अनियमितता आदि सर्वप्रथम कब राज्य सरकार के ध्यान में आई, इसका विवरण सदन की पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उनके प्रति आरोप गम्भीर होने के उपरान्त भी उनको राज्य सरकार द्वारा निलम्बित नहीं किया गया? ऐसा न करने का औचित्य स्पष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त भ्रष्टाचार के आरोपों के अतिरिक्त भी राज्य सरकार को निदेशक महोदय के विरुद्ध आरोप-पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कितने व कब-कब और उन पर क्या कार्यवाही की गई?

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

(5) क्या यह सही है कि खनिजों का खनन जैसे रॉक फास्फेट आदि का कार्य निदेशक की लापरवाही या बीकानेर जिप्सम लिमिटेड के प्रबन्ध संचालक के साथ सांठ-गांठ होने के कारण शिथिल रहा है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) [खनिज राज्य मन्त्री के स्थान पर] :

(1) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गई थी, जिसके फलस्वरूप श्री सेठी के विरुद्ध विभागीय जांच जारी है ।

(2) सर्वप्रथम जून, 1966 में मामला राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया। सम्बन्धित विवरण संलग्न है ।

(3) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विभागीय जांच हेतु सिफारिश की थी ।

(4) उक्त मामले के अलावा अन्य कोई भी मामला इस विभाग में विचाराधीन नहीं है ।

(5) जी नहीं, ऐसी बात नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहनलाल छंगाणी : केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इनके विरुद्ध जांच कब शुरू की ?

श्री हरिदेव जोशी : 1664 के अन्दर ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सरकार को जांच की सूचना कब दी ?

श्री हरिदेव जोशी : 1966 में ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजा खेड़ा) : छः साल में आपकी डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी पूरी नहीं हुई ? फिर रिटायर हो जायेंगे और आपकी एन्क्वायरी फाइल हो जायेगी । सरकार यह स्पेसिफिकली बता दे कि यह डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री हरिदेव जोशी : श्री सेठी को चार्जशीट दे दी गई है और उनका जवाब भी आ गया है और अब केस फाइनल स्टेज पर है ।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : चार्ज शीट कब दी गई ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : सन् 1966 में डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी होनी चाहिये थी । माइन्स डिपार्टमेन्ट ने इतना डिले क्यों किया ? चार्ज शीट के आने पर वे फायलों का इन्सपेक्शन करना चाहेंगे, फिर एवीडेन्स आयेगा, और फिर वे रिटायर हो जायेंगे । और आप कहते हैं कि डिले नहीं होगी । इसमें तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसा ही किया जायेगा ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : राज्य सरकार को सब से पहले केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मूलचन्द नेमीचन्द का मामला बताया, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, फिर जब जांच ब्यूरो ने इन्टरवेन किया तो स्टेट गवर्नमेन्ट ने एक्शन लिया ।

श्री हरिदेव जोशी : ऐसी बात नहीं है, स्टेट गवर्नमेन्ट ने स्वयं ने सी. बी. आई. को एन्क्वायरी के लिये दिया था ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : बन्सीलाल चौधरी का मामला आपके पास कब आया ? ऐसे मामले जहां लाखों रुपयों का गबन हो और घोटाला हो उनकी जांच में देरी नहीं होनी चाहिये ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य से निवेदन कर दूं कि केस फाइनल स्टेज पर है और मैं अपेक्षा करके चलता हूं कि बहुत ही कम समय में डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी का फैसला हो जायेगा ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : इनको कम से कम सस्पेंड तो किया जाये । इतनी बड़ी और भयंकर चार्जेज होते हुए भी, लाखों रुपयों के गबन के चार्जेज हैं और फिर भी सस्पेंड नहीं कर रहे हैं । कम से कम उनको सस्पेंड तो कर दें ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सन् 1966 के अन्दर सी. बी. आई. ने लिखा कि डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी की जाये और चार्ज-शीट दी जाये । फिर चार्ज शीट देने में डिले क्यों हुआ ?

श्री हरिदेव जोशी : चार्जेज फ्रेम करने में समय तो लगता ही है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक चार्ज के लिये छः वर्ष ? इसका मतलब हुआ कि अगर तीन चार्जेज हों तो 18 साल लगें ?

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि उनके घर पर केन्द्रीय पुलिस ने छापा मारा था और 49 हजार रुपये अनअकाउन्टेड मनी बरामद हुई थी ?

श्री हरिदेव जोशी : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : चार्ज-शीट का अर्थ है प्राइमाफेसी एवीडेन्स, जिसका अर्थ है इस्तीमान हो गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है । फिर इनको सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : यह तो नियुक्ति विभाग ही कर सकता है । माइन्स डिपार्टमेन्ट ने तो सभी शिकायतें गवर्नमेन्ट को दे दी और अब नियुक्ति विभाग के फैसले की बात है ।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : उनका ध्यान आप आकर्षित कर सकते हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : यह सारा केस उनके पास ही है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप माइन्स डिपार्टमेन्ट की तरफ से जवाब दे रहे हैं, अपाइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट की तरफ से नहीं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप माइन्स मिनिस्टर हैं, आपको जब जानकारी दी गई कि प्राइमाफेसी केस से एवीडेन्स है तो इन दो इन्टरेस्ट ऑफ दी डिपार्टमेन्ट आपने इस बात की ओर अपाइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट का ध्यान आकर्षित नहीं किया यह तो आपको करना चाहिये था ।

श्री हरिदेव जोशी : हैड आफ डिपार्टमेन्ट के केसेज और डिसीप्लीनरी एक्शन अपाइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट और पर्सोनेल डिपार्टमेन्ट ही करता है । मैं उनको इसका सारा संदर्भ बता दूंगा ।

श्री मोहनराज (बाली) : क्या निदेशक को सस्पेन्ड करने की बात की डिपार्टमेन्ट ने सिफारिश की है ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे जानकारी नहीं है :

श्री श्रीराम गोटेवाला : बहुतसी जानकारी मंत्री महोदय को नहीं है, इसलिये इसको स्थगित किया जाये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारी सारी माइन्स की पालिसी इससे जुड़ी हुई है।

(शोर-गुल)

श्री अध्यक्ष : सभी इस तरह बोलेंगे तो नतीजा नहीं निकलेगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब आप भी पूछ लीजिये।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी सूचना है जिससे यह मालूम होता है कि राज्य सरकार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इन्क्वायरी के करीब डेढ़ साल पहले यह पता चल चुका था कि मिस्टर सेठी इस मामले में हैण्ड इन ग्लोव हैं। और इस मामले से राज्य सरकार को लाखों रुपये का नुकसान हो सकता है। इसमें पहले ही पता चल गया था कि इसमें लाखों का घोटाला है फिर भी राज्य सरकार ने उनके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है, आप अगर क्वश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, आज खनिज विभाग के मन्त्री महोदय नहीं हैं। शायद इनको पूरी जानकारी नहीं है आप स्थगित कर दें। यह पूरी तफसील दे नहीं सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : पूरी तफसील दी गई है, जवाब में सब है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आपने उनको चार्ज शीट दी है क्या ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि सी० बी० आई० ने राज्य सरकार को कहा था कि इनको चार्ज-शीट दी जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : यह बात आपको जो सूची दी है उसमें क्या लिखा है ? कौनसी लाइन है ? कौनसे पैराग्राफ में लिखा है ?

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह तो मैं कह रहा हूं।

श्री हरिदेव जोशी : यह आपके पास जानकारी होगी। मेरे पास तो जो रिकार्ड के आधार पर जानकारी है वह दे रहा हूं। रिकार्ड के बाहर की जानकारी मैं कैसे दे सकता हूं।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या इस मामले में राज्य के और बड़े अधिकारी

(श्री केशरीमल)
भी शामिल थे ? क्या इसमें राज्य के बड़े नेताओं का भी इसमें हाथ है क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आज उदयपुर में जो बीकानेर जिप्सम्स ने मलबा डाल रखा है वह ऐसी जगह डाल रखा है जिससे उत्पादन होना बन्द हो गया है। इसमें डइरेक्टर की मिली भगत से यह हो रहा है। ऐसी जगह मलबा डाला गया है कि वहां पर खान का उत्पादन बन्द हो गया है जिससे राज्य सरकार को लाखों रुपयों की हानि हो रही है।

श्री हरिदेव जोशी : यह आपकी ओपीनियन हो सकती है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इसमें मेरी ओपीनियन की क्या बात है, वह कहां डाला गया है आपके माथे पर डाला है क्या ? किस पर पड़ा है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : वह विभाग के ऊपर पड़ा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार को आज इतना घाटा हो रहा है। इसमें डाइरेक्टर मिला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : Now finish.

प्रश्न संख्या 578

श्री विट्ठलभाई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 579

श्री मूलचन्द !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 580

श्री यशवन्तसिंह नाहर !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री अजीतसिंह !

टोंक जिले के बांध

581. **श्री अजीतसिंह** (टोंक) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक जिले में कितने ऐसे लघु बान्ध टूटे पड़े हैं जिनसे पिलाई होती थी और सरकार को राजस्व वसूल होता था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि टोंक जिले में नये तालाब मोरला बाबक्त रिजम्प्शन ठिकाना डिग्गी, तहसील मालपुरा, सिंचाई विभाग के चार्ज में दिया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि नये तालाब मोरला से जब यह सिंचाई विभाग में था कजलंदार, टोरडी, दुवास, ग्राम मारन्ला डोरिया, कचोलिया आदि में करीब 400 बीघा की पिलाई होती थी ?

(4) क्या विभाग इस तालाब को अपने चार्ज में लेने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मूलचन्द्र (राज्य मन्त्री, सिंचाई) : (1) टौंक जिले में सिचाई विभाग का कोई लघु बान्ध टूटा हुआ नहीं पड़ा है।

(2) यह तालाब 1957 तक सिंचाई विभाग के अधीन था।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं, क्योंकि इसकी सिंचाई 50 एकड़ से कम है।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह मेरे समझ में नहीं आता है। करीब 40 बान्ध हैं जो टूटे हुए पड़े हैं और आपका सिंचाई विभाग उन्हें ठीक कराकर काम लेने को तैयार नहीं हो रहा है इससे आपको लाभ हो सकता है और आप इस तरह के जवाब दे रहे हैं। यह आपके लिये फायदे का है दूसरे उस एरिया के लोगों को फायदा देगी। सिंचाई के लिये महत्वपूर्ण बात है, आपकी रेवेन्यू बढ़ायेगी। लेकिन राज्य सरकार इसको टालना क्यों चाहती है यह हमारे समझ में नहीं आता है। यह आपकी टालने वाली बात तो....

श्री अध्यक्ष : जंची नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मन्त्री महोदय को जंचनी चाहिये।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चोधरी) : अध्यक्ष महोदय, जितने भी छोटे बान्ध थे उनको सन् 57 में सिंचाई विभाग ने इन बांधों को पंचायत समितियों को सौंप दिये थे। ये सिंचाई विभाग के अन्तर्गत आते ही नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : ये आपके बान्ध हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ये आपके9 बन्धे हैं।

श्री अध्यक्ष : यों कहिये कि यह आपकी इनायत है।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां अकाल राहत कार्य चल रहे हैं तूतड़ा, बामनी, बनवाड़ा आदि कई जगह हैं। मेरे पास टौंक जिले के चालीस बान्ध ऐसे हैं जिसकी लिस्ट मेरे पास है उनमें करीब 20 बान्ध ऐसे हैं जिन्हें आप सिंचाई विभाग के अन्तर्गत ले सकते हैं। सरकार को बार-बार निवेदन किया जाता है लेकिन सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है। यह आप "जी नहीं" वाली बात कह कर आप टाल देते हैं। जागीरदारों के जमाने में इनमें 400 बीघा की जमीन की पिलाई होती थी और आपके सिर्फ "जी नहीं" कह कर टाल दिया यह तो समझ में नहीं आती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'जी नहीं' बड़ा खतरनाक शब्द है अध्यक्ष महोदय, इसको हटाया जाय।

श्री अजीतसिंह : अध्यक्ष महोदय, 40 बान्धे हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इनके बन्धे तो सिर्फ गंगानगर के बन्धे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मोहम्मद गफ्फार अली !

हकीमों एवं वैद्यों की जनसंख्या

582. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार) : क्या आयुर्वेदिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आयुर्वेदिक विभाग में हकीमों की संख्या क्या है और वैद्यों की संख्या क्या है ? यदि हकीमों की संख्या कम है तो क्यों ?

(2) राज्य सरकार ने यूनानी को कितना उन्नत किया है जबकि यूनानी और आयुर्वेदिक हमेशा से एक साथ चलते आ रहे हैं और आगे यूनानी की उन्नति की क्या योजना है ?

(3) आज तक यूनानी का कोई उप-संचालक या अतिरिक्त संचालक क्यों नहीं नियुक्त किया गया है ?

(4) फार्मेसी इन्चार्ज हमेशा वैद्य ही क्यों रहते हैं किसी हकीम को क्यों नहीं बनाया जाता है ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य की राजपूताना यूनानी कॉलेज के स्नातकों की न्यूनतम योग्यता तबीबका जिला वाले व्यक्तियों को सन् 1966 तक नियुक्तियां दी गयी हैं जबकि अब उच्चतम योग्यता वाले को भी नहीं लिया जाता है ? यदि हां तो क्यों ?

आयुर्वेद मन्त्री (श्री नारायणसिंह) : (1) आयुर्वेद विभाग में हकीमों की संख्या 44 है तथा वैद्यों की संख्या 1836 है। आयुर्वेद यूनानी औषधालय जितने विभाग में हैं, उसी अनुपात में पदों की संख्या है।

(2) राजस्थान निर्माण होने पर कुल यूनानी औषधालय 9 थे उसके पश्चात् जहां-जहां से यूनानी दवाखाने की मांग आई, वहां यूनानी औषधालय खोलते हुए आज राज्य में 3 अ श्रेणी, 6 ब श्रेणी, तथा 33 स श्रेणी के दवाखाने हैं। इससे सहज निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यूनानी को क्रमोन्नत करने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

(3) यूनानी औषधालयों की देखरेख के लिये एक यूनानी अधिकारी अजमेर में नियुक्त है, यूनानी औषधालयों की संख्या को देखते हुए अलग से केवल इस पद्धति के लिये उप-निदेशक या अतिरिक्त निदेशक की आवश्यकता नहीं है।

(4) राजस्थान में आयुर्वेद औषधियों की आवश्यकता तथा निर्माण मात्रा को देखते हुए प्रत्येक रसायनशाला में निर्मित होने वाली आयुर्वेदिक औषधियों का अनुपात यूनानी औषधियों से बहुत अधिक होता है। ऐसी स्थिति में आयुर्वेद औषध निर्माण का ज्ञान नहीं रखने वाले को फार्मेसी इन्चार्ज बनाया जाना व्यवस्था की दृष्टि से अव्यवहारिक है। यूनानी औषधियों को उत्तम रूप से बनाने के लिये व्यवस्थापक रसायनशाला, अजमेर के अधीन यूनानी हकीम की देखरेख में ही यूनानी औषधियों का निर्माण होता है। इन औषधियों में भी पर्याप्त मात्रा कच्ची औषधियों की होती है, जो कि जैसी प्राप्त होती है, सप्लाई कर दी जाती है।

(5) राजस्थान सरकार द्वारा नवीन वेतन मान नियम, 1969 में वैद्य, हकीम पद के लिये न्यूनतम योग्यता भिषग्वर अथवा तत्सम के स्थान पर भिषगाचार्य तत्सम कर

(श्री आयुर्वेद मंत्री)
दी गयी है। हकीमों के लिये कमिल-उल-तिब्बजराहत तथा फजिल-उल-तिब्बजराहत, बी. यू. एम. एस. एफ. एम. बी. एस. के बराबर है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह आपने पीछे से क्या फरमाया है ?

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान आजाद हुए इतने साल हो गये हैं अभी तक भी इसमें यूनानी नाम कितने दिन तक चलता रहेगा ?

एक माननीय सदस्य : क्या अभी तक राज्य सरकार को इसके लिये हिन्दी शब्द नहीं मिला क्या ?

श्री नारायणसिंह : यह तो पहले से ही यूनानी औषधियों के बारे .

श्री प्रद्युम्नसिंह : इनके कहने का मतलब यह है कि आप यूनानी दवाखाना नाम कितने दिन तक रखेंगे ? क्या आप इसका नाम हिन्दी में बदलना चाहते हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इनके कहने का मतलब यह है कि क्या आप यूनानी का भारतीयकरण करना चाहते हैं ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह आपने जो तीन श्रेणियां बतायी हैं यूनानी दवाखाने कहां-कहां हैं। राजस्थान में कौन-से कौन से स्थान में हैं।

श्री नारायणसिंह : यह सूचना अभी मेरे पास नहीं है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपके पास सूचना नहीं है मैं बताता हूं एक अजमेर में एक टोंक में है और एक जयपुर में है। यह है....

श्री नारायणसिंह : मेरे पास अभी जानकारी नहीं है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप ही का जवाब मान लीजिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : किन-किन जगहों पर हकीमों की मांग हुई है और वहां पर आपने औषधालय कायम किये हैं ? आपने फरमाया कि जहां पर मांग होती है वहां पर देते हैं। मेरी मान्यता यह है कि यह चीज सही नहीं है। कई जगह से मांग हुई वहां कायम नहीं किये गये हैं। कायम किये जाते तो नहीं कहते। कितनी दरख्वास्तें आयी हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इसकी जानकारी करूंगा यदि मांग हुई तो।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आइन्दा मांग आयगी तो राज्य सरकार कन्सीडर करेगी।

श्री नारायणसिंह : जरूर करेगी।

श्री हाजी जान मोहम्मद : आपने यूनानी शफाखानों की संख्या बताई। इतने कम औषधालयों की योजना क्यों है ?

श्री नारायणसिंह : मांग कम थी।

श्री अजीतसिंह : एक जानकारी चाहता हूं कि हकीम की जगह वैद्य क्यों हैं ? टोंक में यूनानी अस्पताल है और वैद्य को बैठा रखा है आपने।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह उसका भारतीयकरण किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री मीठालाल !

श्री हाजी जान मोहम्मद : मेरा नम्बर तो आयेगा नहीं।

श्री अध्यक्ष : नहीं आयगा तो मजबूरी है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-2-73)

सवाई माधोपुर जिले की सहकारी समितियों पर बकाया कर्ज

104. **श्री मीठालाल** (लालसोट): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सवाई माधोपुर जिले की विभिन्न सहकारी समितियों पर अलग-अलग कितना कर्जा बाकी है ? सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सच है कि कई सहकारी समितियों में गबन अनियमितता, चोरी आदि के कारण समिति का पूर्ण रेकार्ड उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सत्य है कि सहकारी विभाग ने इस जिले की कुछ रकम बट्टे खाते डाल दी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार सारे मामले को जांच कर दोषी व्यक्तियों को दण्ड देकर कर्जा वसूली करने के प्रयास करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारी मन्त्री (श्री नारायणसिंह) : (1) सवाई माधोपुर जिले की 382 विभिन्न सहकारी समितियों पर 91.70 लाख रुपया बकाया है जिसकी सम्पूर्ण सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। जिन समितियों का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। राजस्थान सहकारी संस्थान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, बड़े ही खेद का विषय है। चर्चा होती रहती है को-ऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ फिर भी इतना बकाया है। सवाई माधोपुर में ही 91 लाख 70 हजार रुपया बकाया मन्त्री महोदय बता रहे हैं। जिन को-ऑपरेटिव सोसाइटीज का रिकार्ड का पता नहीं उनमें लाखों रुपया बकाया है। जिन सोसायटीज का रिकार्ड नहीं है यदि उनका टोटल जोड़ा जाय तो वह भी लाख रुपये से ऊपर ही बैठता है। कुल उनमें कितनी बकाया है क्या मन्त्री महोदय बता सकेंगे ?

श्री नारायणसिंह : इन सहकारी समितियों में 14 लाख 21 हजार की हिस्सा-

Page No 21

(21)

(श्री नारायणसिंह)
पूंजी विनियोजन में है। जिनका रिकार्ड उपलब्ध नहीं है उनमें कितनी राशि बकाया है यह मेरे पास अभी नहीं है। सवाई-माधोपुर में 66 मामले हैं विभिन्न सहकारी समितियों के जिनमें गबन के और अनियमितताओं के केसेज चल रहे हैं उनमें 2 लाख की राशि उलझी हुई है। जिनका रिकार्ड उपलब्ध नहीं है उनके ऊपर 27 (2) के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के मातहत रिकार्ड उपलब्ध कराने की बात की जा रही है।

श्री मीठालाल : यह तो आपके अधिकारियों की एक चाल है। जिन समितियों की तरफ जिनका रिकार्ड नहीं हैं, कितनी बकाया है क्या वह बता सकते हैं? क्या इन्क्वायरी कर रहे हैं? कौन अधिकारी है? 65 से जांच चल रही है। कौन कर रहा है? कृपा कर बतायें कि इन सोसायटीज में कितनी बकाया है। लेकिन यह सूचना नहीं है आपके पास।

श्री नारायणसिंह : 12 सहकारी समितियों का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। रजिस्ट्रार से इसकी जांच कराई जायगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : न रजिस्ट्रार और न ही डिप्टी रजिस्ट्रार और न ही यह किसी अधिकारी के वश की बात रही है। रिकार्ड का न पाया जाना, चोरी और गबन के मामले इसमें इन्वोल्व्ड हैं। सदन को विश्वास में लेने के लिये इसको विजिलेंस कमीशन को सुपुर्द कर दिया जाय जिससे वहां साफ होकर मामला आ जाय।

श्री नारायणसिंह : कई जगहों पर मामले देखें हैं उन उल्झनों को साफ करने के लिये पहले यह कार्यवाही कर रहे हैं कि को-ऑपरेटिव एक्ट के अन्तर्गत जो कार्यवाही उचित है वह कर ली जाय उसके बाद यह मुनासिब समझा जायगा तो यह भी किया ही जावेगा। कभी-कभी यह भी प्रश्न उठाया जाता है कि जनतान्त्रिक प्रणाली से चुनी हुई सहकारी समितियों पर जुल्म हो रहे हैं, उसको बचाने के लिये एक्ट के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और विजिलेन्स कमीशन के पास भेजने की भी आवश्यकता पड़ी तो अवश्य ही भेजा जायगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं एक सुझाव दूंगा। रजिस्ट्रार अपने तरीके से काम करें और विजिलेंस कमीशन जहां तक इसका प्रश्न है डिटेक्शन का वह करें। राजस्थान के अन्दर एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे इन घोटालों के विषय में।

श्री नारायणसिंह : यह करने का प्रयत्न किया जा सकता है। रजिस्ट्रार उन सोसायटीज को देखेंगे कि जिनमें सीमा से अधिक अनियमिततायें हैं उनको विजिलेंस कमीशन को दें और बाकी के लिये वे खुद करे। इस प्रकार की व्यवस्था के लिये भी सोचा जायगा।

श्री मीठालाल : माननीय मन्त्री महोदय से पूछा, रिकार्ड नहीं बता सकते तो एन्टीकरप्शन या विजिलेंस कमीशन से किस प्रकार की जांच करायेंगे? रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार तो जांच करने में असमर्थ हैं। जांच कराइये।

श्री नारायणसिंह : इस वक्त 37 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। आवश्यकता होगी तो वह भी कार्यवाही की जावेगी

प्रो० केदारनाथ : इस डिपार्टमेन्ट के तहत एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त कर दें और उसको टाइम दे दें। आपका इन्टेन्शन जो है वह ठप्प हो जायगा ।

श्री नारायणसिंह मसूदा : स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाय इन सहकारी समितियों के लिये यह भी एक विचारणीय विषय है।

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

श्री भानुकुमार शास्त्री : चोरी और गबन के जिन सोसाइटीज में मामले हैं वे तो आप एन्टी-करप्शन को दे दीजिये ।

श्री अध्यक्ष : He has agreed to appoint Enquiry Officer.

प्रश्न संख्या 288

श्री रावतराम !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामनारायण चौधरी : प्रश्न संख्या 288 ।

श्री अध्यक्ष : आपके पास कोई ऑथोरिटी है ? (विराम) नहीं है।

प्रश्न संख्या

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल 305 ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

प्रश्न संख्या 347

श्री जगमोहनसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)।

श्री सुरेशचन्द्र !

श्री हांडा ?

श्री रामनारायण चौधरी : 288वां बहुत इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : समय बचेगा तो।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7-3-73)

अग्नि दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता

348. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़) : [श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) की अनुपस्थिति में] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में वर्ष 1972 में किन किन ग्रामों में अग्नि दुर्घटना हुई तथा किस किस व्यक्ति का कितना कितना नुकसान हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उपरोक्त अग्नि दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति में से किन किनको कितनी कितनी सहायता दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि कोटपुतली नगरपालिका क्षेत्र में हुई अग्नि दुर्घटना से पीड़ित एक भी व्यक्ति को इस प्रकार की सहायता नहीं दी गई ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) ब्योरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) ब्योरा उपरोक्त सूची में अंकित है ।

(3) जी हां। कोटपुतली नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 1972 में अग्नि दुर्घटना से

(श्री राजस्व मंत्री)
पीड़ित किसी भी व्यक्ति का प्रार्थना-पत्र सहायतार्थ जिला कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भाखरा परियोजना से प्राप्त पानी

583. श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा (सूरतगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) भाखरा पोन्ड में एवं भाखरा नहर परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत है तथा भाखरा नहर परियोजना प्रारम्भ होने के आज तक राजस्थान को कितना प्रतिशत पानी प्राप्त होता रहा है? कृपया योजना प्रारम्भ होने से आज तक के आंकड़े वर्ष वार देवें :

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान को उसका हिस्सा आज तक पूरा प्राप्त नहीं हुआ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में कितना कितना कम प्राप्त हुआ है? यदि कुछ वर्षों में पूरा प्राप्त हुआ है तो कब कब?

(3) राजस्थान सरकार ने इस सम्बन्ध में पंजाब, हरियाणा या भारत सरकार से क्या क्या प्रयत्न किये हैं? क्या इस सम्बन्ध में पूरा पानी प्राप्त करने के लिये कोई ज्वाइन्ट कन्ट्रोल सिस्टम कायम किया गया या कभी राजस्थान पंजाब, हरियाणा तथा भारत सरकार के सिंचाई मंत्रियों की इस प्रश्न पर कोई मीटिंग हुई? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले? यदि ऐसी मीटिंग नहीं हुई तो क्यों नहीं हो सकी क्या ऐसी मीटिंग उचित नहीं समझी गई?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) भाखरा बांध द्वारा एकत्रित किये गये पानी में भाखरा बान्ध पर राजस्थान का हिस्सा 15.22 प्रतिशत है। रोपड़ बान्ध से नीचे पानी छोड़ने के बाद शेष बचे हुए पानी में से राजस्थान का हिस्सा पंजाब, राजस्थान व हरियाणा राजस्थान की सीमा पर 21 मई से 20 सितम्बर तक 11.09 प्रतिशत तथा 21 सितम्बर से 20 मई तक 11-11 प्रतिशत है। राजस्थान के भाखरा के हिस्से से प्राप्त हुए पानी के 21-5-67 से अब तक के ब्यौरे की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजस्थान को कई वर्षों में पूरा पानी प्राप्त होता रहा है और कई वर्षों में कम। राजस्थान को किस किस वर्ष में कितना अधिक या कितना कम पानी प्राप्त हुआ इसकी सूचना संलग्न सूची से स्पष्ट है।

(3) हरियाणा राज्य शुरू अर्थात् 1966-67 से ही राजस्थान के हिस्से में पानी की करीब 10 प्रतिशत कटौती करता रहा है जिसका कारण वह यह बताता है कि इसकी फतेहबाद ब्रान्च में पानी की सोख भाखड़ा-नांगल समझौते में ली गई सोख से अधिक है। राजस्थान की जसाना और अमरसिंह नहरों को फतेहबाद ब्रान्च से पानी मिलता है। भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड जो केन्द्र सरकार द्वारा गठित है, भाखरा के पानी के बंटवारे का हिसाब करता है। राजस्थान सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप भाखड़ा मैनेजमेन्ट बोर्ड ने दिनांक 6-9-72 को यह निर्णय लिया है

(श्री राजस्व मंत्री)

कि हरियाणा राजस्थान को बिना कटौती पानी देवे । परन्तु हरियाणा सिंचाई विभाग इससे नहीं सहमत हो रहा है। राजस्थान सरकार अब यह प्रयत्न कर रही है कि नहरों में पानी चलाने पर नियन्त्रण भी भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड का हो जाए। यह मामला दिनांक 19-1-73 की मुख्य मन्त्रियों की होने वाली बैठक में रखना था परन्तु यह बैठक स्थगित हो गई।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह कितना गम्भीर प्रश्न है कि माननीय मन्त्री महोदय ने जो सूची दी है उसमें 21-5-67 से 27-9-72 तक लगातार पांच वर्ष तक लाखों क्यूसेक पानी की हरियाणा ने चोरी की है। पांच वर्षों में एक दिन भी हरियाणा ने हमारे हिस्से का पूरा पानी नहीं दिया और जो निर्णय भारत सरकार के केन्द्रीय बोर्ड ने कर दिया उसके बाद भी नहीं दिया। इसलिये कम से कम इस प्रश्न को सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिये चाहे आउटस्टेंडिंग्स का हो, पानी का हो, गंग कैनाल का हो कोई भी प्रश्न हो हर प्रश्न पर हम दूसरे से दबते जा रहे हैं। हमारे पानी की इतनी बड़ी चोरी और फिर अकालग्रस्त राजस्थान।

अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि अकालग्रस्त राजस्थान को देखते हुए अगर हम समय पर आवाज उठाने का प्रयत्न करते, इसके लिये आवश्यकता होती तो संघर्ष भी करते और अगर इस तरह से समय पर हमें हमारा पानी मिल जाता तो करोड़ों मन अनाज इस पानी से और पैदा किया जा सकता था। आप इसका हिसाब लगावें कि कितने पानी की हरियाणा ने अब तक चोरी की और उससे हमारे उत्पादन पर कितना असर पड़ा। वह पानी अगर हमें मिलता तो हम कितना अधिक उत्पादन और करते।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमेन्टरी भी करेंगे या यों ही बोलते जावेंगे।

श्री केदारनाथ : जो हरियाणा ने हमारे हिस्से का दस परसेन्ट पानी की कटौती की, उसके बारे में सेन्टर ने क्या फैसला किया? आपने तो खैर हरियाणा को लिख दिया और उन्होंने जो उनके अनुकूल उत्तर था दे दिया।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया कि भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड ने यह फैसला दिया कि दस परसेन्ट पानी हमें मिलना चाहिये था। हरियाणा को वह पानी नहीं काटना चाहिये था। यह मैनेजमेन्ट बोर्ड सेन्टर का ही है। पंजाब-हरियाणा जब सम्मिलित थे तब हमें कन्टेक्ट पोइन्ट का पानी मिलता था वही बाद में मिलना चाहिये था। यह दस परसेन्ट नहीं काटना था। अब हरियाणा यह कहता है कि फतेहाबाद फीडर में वीट्स पैदा हो गई है इस कारण पहले जो सोख का अन्दाज लगाया जाता था उससे अधिक सोख होती है इसलिये इतना पानी नहीं देंगे। हमने काफी समझाया और आखिर में यह कहा कि इसका फैसला भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड से करवा लो, जो सेन्ट्रल एजेन्सी है इसके लिये हमने भी रीजनल कौंसिल में चीफ मिनिस्टरों की मीटिंग में यह सवाल उठाया था। उसमें मैं भी था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी यही बात कही। इसके दो

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
जगह कन्टेक्ट पोइन्ट हैं। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने माना कि हरिके में हमारा हिस्सा है और नीचे रोपड़ पर भी है। अब रोपड़ का प्रबन्ध पंजाब वालों के हाथ में है, उसे वे सैन्ट्रल मैनेजमेन्ट बोर्ड को देना नहीं चाहते। अब इससे पानी का रिसरचार्ज होकर हमारे पास आता है उसका हिसाब पंजाब वाले नहीं देते। इसलिये हम चाहते हैं कि हमें हमारा पूरा पानी दिया जावे और इस सब के लिये भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड का एक्ट बना हुआ है। जितने कन्टेक्ट पोइन्ट्स हैं, इसलिये उनका एड-मिनिस्ट्रेशन सैन्ट्रल एजैन्सी के नीचे होना चाहिये। पर पंजाब वाले इस एक्ट के अनुसार भी एक्ट नहीं कर रहे हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर से मिलकर इसको तै कर लेंगे। इसके लिये 29 जनवरी की तारीख दी थी। पर इस तारीख को जो मीटिंग होने वाली थी, उसे पोस्टपोन कर दिया। जैसा भी हुआ है यह सारा सैन्ट्रल एक्ट के नीचे है और इसलिये इसमें पानी मिलने में हमें दिक्कत नहीं आने वाली है फिर भाखरा मैनेजमेन्ट बोर्ड ने हमारे हक में फैसला कर दिया है कि हरियणा दस परसेन्ट पानी अधिक ले रहा है जो हमारा है और हमें मिलना चाहिये था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सेन्टर का फैसला कब हुआ ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : छ सितम्बर, 71 को। इसके बाद उनको कई बार कह दिया गया कि वे ज्यादा पानी ले रहे हैं जो हमें मिलना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह निर्णय तो ठीक है। सेन्ट्रल की ओथोरिटी भी इस में मौजूद है। यह निर्णय सुन्दर है। पर प्रश्न यह है कि हरियाणा का यह कहना कि रिसरचार्ज के कारण ओब्जेक्शन बढ़ गया तो उनका एबसर्ड सा कहना है।

श्री केदारनाथ : पिछले शार्टफाल के लिये आपने कम्पेन्सेशन डिमाण्ड किया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमने मूव कर रखा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने कितना कम्पेन्सेशन डिमान्ड किया ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : हमने कहा कि जितना हमारा पानी ले लिया है वह सारा हमें दो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

पंचायत समिति नीम का थाना द्वारा विभिन्न कार्यों के लिये स्वीकृत राशि

584. **श्री मालाराम** (नीम का थाना) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पंचायत समिति नीम का थाना में सन् 1967 से लेकर अब तक किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत धनराशि कब-कब लैप्स हुई और क्यों ?

(ख) क्या यह सही है कि प्रधान एवं विकास अधिकारी की अकर्मण्यता के कारण यह रकम लैप्स हुई है ? यदि हां, तो इन दोनों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (क) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(उद्योग मंत्री)
राशि के उपयोग न हो सकने के कारण भी सूची में अंकित हैं।

(ख) जी नहीं। किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मालाराम : जो धनराशि दी गई कौन-कौनसे गांव में दी गई और कब-कब वितरित हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : इसकी सूची आपको दे दी है न ?

श्री मालाराम : सूची में तो यह बात नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी: जो कुछ आपने पूछा सभी उसमें है।

श्री अध्यक्ष : इस सूची में मिला नहीं क्या आपको ?

श्री मालाराम : कुओं के लिये दी गई है, किन-किन को कौन-कौन सी पंचायत में दी गई है ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य देखेंगे तो सारी जानकारी इस सूची में उनको मिलेगी। सहकारिता के लिये, समाज कल्याण के लिये, सार्वजनिक निर्माण के लिये, विविध के लिये जो जो दिया गया है सब इस सूची में दर्ज है।

एक माननीय सदस्य : तीन दिन की छुट्टियों में पढ़ लेना बैठ कर।

श्री मालाराम : कुल कितनी धनराशि लैप्स हुई है ?

श्री हरिदेव जोशी : वह भी इस सूची में है।

कमाण्ड एरिया में भूमि का आवंटन

585. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिले में कई प्रमुखों, प्रधानों सरपंचों एवं कांग्रेस नेताओं के नाम पर कमाण्ड एरिया में भूमि आवंटित की गई ?

(2) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम, जमीन की तादाद तथा जमीन के स्थान के विवरण सहित सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाय।

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त जिन लोगों को नाजायज तरीके से भूमि आवंटित की गई उनसे जमीनें वापस ले ली गई हैं ? यदि हां तो ऐसे लोगों के नाम, पद एवं जमीन की तादाद दर्शाते हुए सूची सदन के पटल पर रखी जाय।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां। चित्तौड़गढ़ तथा भीलवाड़ा में कई प्रधान व सरपंच आदि को कमाण्ड एरिया में भूमि आवंटित की गई है। कौन आवंटी किस राजनैतिक पार्टी का सदस्य है इस का आवंटन प्रक्रिया से सम्बन्ध नहीं है। अतः रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(2) सूची प्रपत्र (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी हां। सूची प्रपत्र (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री : सूची तो मिल गई। पर कमाण्ड एरिया में 131 बीघा जमीन जो दी है वह सूची से स्पष्ट है कि वह 11 ऐसे आदमियों को दी गई है जो सभी कांग्रेसी नेता हैं या भूतपूर्व कांग्रेसी विधायक हैं या कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं या वर्त्तमान कांग्रेसी विधायक हैं।

जैसे रामकुमार नन्दवाना हैं, ये कांग्रेसी विधायक थे, शंकरलाल जाट विधायक, गणेशीलाल जिला कांग्रेस के पदाधिकारी, प्यारेलालजी सेक्रेटरी, शिवशंकर व्यास कांग्रेस के नेता, रामचन्द्र आदि आदि। इनमें कांग्रेस के विधायक हैं, भूतपूर्व भी और वर्त्तमान भी कांग्रेस के नेतागण हैं। कांग्रेसी सरपंच, प्रधान, नगरपालिका के सदस्य आदि क्या इन्हीं को यह जमीन देने की बात थी? क्या ये ही आपको सारे जिले में और उस एरिया में भूमिहीन किसान मिले और यह जमीन कब दी गई?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसलिये तो निरस्त कर दी गई।

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह केवल दस को की गई है जब कि ये इस 131 में से नहीं हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ज्यादातर एम. एल. ए. और सरपंच, प्रधान आदि हैं उनकी निरस्त हुई है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ऐसा नहीं है। मैंने देख लिया है। कांग्रेस के नेता लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिये यह 131 बीघा जमीन दी गई है जब कि राजस्थान में हजारों ही भूमिहीन गरीब लोग हैं। इसी लिये यह स्पष्ट है कि इस आवंटन में सरकार ने पक्षपात बरता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : क्या कांग्रेस के भूमिहीन लोगों को जमीन नहीं दी जा सकती?

श्री भानुकुमार शास्त्री : बिलकुल दीजिये, पर भूमिहीनों को दीजिये। गरीबों को पहले दीजिये। पर इन जैसे नेताओं को आपने कब से गरीब समझ लिया और भूमिहीन मान लिया। गणपतलाल वर्मा हैं इनमें एक, इनको 121 बीघा भूमि दी है। क्या यह भी निरस्त की गई है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 131 तो प्लॉट होती ही नहीं है। 13 बीघा 7 बिस्वा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: ऐसा नहीं है इसमें। आपके हिसाब से 13 मान लीजिये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो निरस्त किये गये हैं वह 13 आदमियों के नाम है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या कांग्रेस के नेताओं को इस कमान्ड एरिया में दे दी है? क्या उनको निरस्त करने का आश्वासन इस सदन में दे रहे हैं?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उनके लिये एक नागरिक की हैसियत से यह तो मैं नहीं कहूंगा कि उनको दी ही नहीं जानी चाहिये और फिर कांग्रेस के सदस्य हैं उनको

Page No 28

(28)

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
निरस्त कर दें और जनसंघ को दे दें। ऐसा कैसे हो सकता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : केवल भूमिहीन लोग कांग्रेस में ही मिले और कोई लोग नहीं मिले।

श्री मोहनराज : भूमिहीन कांग्रेस में विश्वास रखते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा : जनसंघ में भूमिहीनों की संख्या प्रचुर मात्रा में हो रही है।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 7 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

राक फास्फेट का सर्वे

569. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में रॉक फास्फेट खनिज का भंडार कहां कहां प्राप्त हुआ है ?

(2) उक्त स्थानों में कितनी राक फास्फेट प्राप्त होने की सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) सरकार ने उक्त खनिज को प्रयोग में लाने के लिये क्या क्या कदम उठाये हैं एवं उक्त खनिज से कितनी आय प्राप्त की ?

(4) जैसलमेर जिले के विरमानिया में कितनी राक फास्फेट प्राप्त होने की सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट है ? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) राज्य सरकार के विरमानिया राक फास्फेट का प्रयोग अभी तक क्यों नहीं किया है ?

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

उत्तर

(1) राजस्थान में उदयपुर जिले में झामर कोटड़ा, नीमच माता, बड़गांव, सीसारमा, कानपुर, मटून व डाकन कोटड़ा क्षेत्र तथा जैसलमेर जिले में विरमानिया तथा फतहगढ़ क्षेत्रों में रॉक फास्फेट खनिज प्राप्त हुआ है।

(2) उपरोक्त स्थानों में से झामर-कोटड़ा में लगभग 300 लाख टन, नीमच माता और बड़गाव में 10 लाख टन।

इसके अलावा भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कानपुर में 20 लाख टन, मटून में 30 लाख टन, डाकन कोटड़ा में 20 लाख टन, विरमानिया में 40 लाख टन रॉक फास्फेट प्राप्त होने की सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट है।

(3) जो कदम उठाये हैं उनकी सूची संलग्न है। नेट आय दिसम्बर, 1972 तक लगभग 5 करोड़ हुई है।

(4) विरमानिया में भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्थान द्वारा 40 लाख टन खनिज भंडार का पता लगाया गया है। अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतिलिपि अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(5) खनिज निम्न कोटि का है।

नगरपालिका नोहर के वार्डों में बिजली

570. श्री **भीमराज** (नोहर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र नोहर, जिला गंगानगर के अनेकों वार्डों को अभी तक विद्युत् नहीं दी गई है? यदि हां, तो कौन कौन से वार्डों को नहीं दी गई है?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त वार्डों को 1972-73 में विद्युत् दे दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका क्षेत्र नोहर के सभी 11 वार्डों में बिजली है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यायिक सेवा और अनिवार्य सेवा निवृत्ति नियम

574. श्री **भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 25 वर्ष के सेवा काल पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति सम्बन्धी नियम न्यायिक सेवाओं के अधिकारीगणों पर भी लागू किया गया है? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च सेवा एवं राजस्थान न्यायिक सेवा के कतिपय अधिकारियों की पद वृद्धि रोकी गई है? अगर हां, तो किन कारणों से?

(3) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारियों ने अपने सेवा-काल के 25 वर्ष पूरे कर लिये हैं? अगर हां तो क्या सरकार 25 वर्ष के सेवा-काल पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति नियम के अन्तर्गत उनको सेवा मुक्त करने का विचार कर रही है? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सेवा नियम 244 (2) के अन्तर्गत श्री रोशनलाल शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सन् 1970 में अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया।

(2) जी हां। यह सही है, राजस्थान न्यायिक सेवा के एक अधिकारी की पदवृद्धि 2 वर्ष के लिये रोकी गई है। क्योंकि विभागीय जांच के पश्चात् उनके द्वारा मुकदमों के फैसले करने में अनियमितता एवं अवैधता बर्ती जाना पाया गया। राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा के दो अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्वतन्त्र पद का कार्यभार देना उचित नहीं समझा गया।

(3) इन तीन अधिकारियों में से दो उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों ने अभी 25 वर्ष पूरे कर लिये हैं। न्यायिक सेवा के अधिकारियों ने अभी 25 वर्ष पूरे नहीं किये हैं। न्यायिक सेवा के अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा मुक्त करने के प्रश्न पर हर साल विचार किया जाता है।

माही बांध की डूब में आने वाले गांव

578. श्री **विट्ठलभाई** (पीपलखूंट) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री विट्ठल भाई)

(1) बांसवाड़ा जिले में माही बांध की डूब में कितने गांव आये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उन गांवों के निवासियों को बसाने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

(3) क्या उक्त गांवों के निवासियों को काश्त के लिये जमीन व मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों और अब तक कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में माही बांध की डूब में 109 गांव आयेंगे।

(2) इस वर्ष कोई गांव डूब में नहीं आयेगा अतः अभी निवासियों को बसाने की योजना बनाई जा रही है।

(3) जी नहीं, चूंकि अभी तक कोई गांव डूब में नहीं जा रहा है अतः ऐसे निवासियों को काश्त के लिये जमीन व मुआवजा अभी देने का प्रश्न ही नहीं उठता। सिंचाई विभाग में किसी भी व्यक्ति का प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है।

गृह निर्माण सहकारी समितियां

579. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में जनवरी, 1972 से फरवरी, 1973 तक कुल कितनी गृह-निर्माण सहकारी समितियां पंजीकृत हुईं ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समितियों में से देहातों में कितनी समितियां हैं, उनकी सदस्य संख्या क्या है ?

(3) उक्त समितियों में से कितनी को गृह निर्माण हेतु कितना ऋण मिला ?

(4) कितने नये भवनों का निर्माण हुआ ?

(5) क्या सरकार इनके नियमों को सरल समझती है ?

(स्थगित किया गया)

भारत सरकार से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त राशि

580. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत पांच वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से राज्य सरकार को क्या रकम मिली ? प्रत्येक वर्ष के ब्योरेवार आंकड़े दीजिए।

(2) इन रकमों में से कितनी खर्च हुई तथा कितनी लौटाई गई ?

(3) यदि राशि लौटाई गई तो उसके खर्च न होने के क्या कारण थे ?

(4) उक्त राशि किस अधिकारी के कारण खर्च नहीं हुई ? क्या ऐसे किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

Page No 31

(31)

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा गत पांच वर्षों-के-लिये निम्नलिखित राशि का प्रावधान किया गया:—

1967-68	127.28 लाख
1968-69	138.95 लाख
1969-70	167.75 लाख
1970-71	253.67 लाख
1971-72	300.41 लाख

ब्योरेवार सूची (क) संलग्न है।

(2) तालिका (ख) संलग्न है।

(3) वर्ष 1967-68 में अनुदान के मद में 33.96 लाख के प्रावधान के विरुद्ध व्यय 1,12,758 का हुआ क्योंकि ऐसी कोई नई स्वायत्त संस्थायें परिवार नियोजन केन्द्र चलाने हेतु सामने नहीं आई जिनको अनुदान दिया जाता।

इसके अतिरिक्त ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र हेतु 232 गाड़ियों के स्थान पर भारत सरकार से केवल 101 ही गाड़ियां प्राप्त हुई।

राज्य परिवार नियोजन संस्थान का कार्य सितम्बर, 67 से प्रारम्भ हुआ जिसके कारण भी खर्चा कम हुआ।

वर्ष 1971-72 में भवन निर्माण के मद में 92.34 लाख का प्रावधान था लेकिन तकनीकी कारणों से व्यय 37.32 लाख का ही हुआ।

(4) किसी अधिकारी के कारण ऐसा नहीं हुआ अतः अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-73)

विद्युत् बोर्ड में जूनियर इन्जीनियरों की नियुक्तियां

288. श्री **रावतराम** (छापर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चालू वर्ष 1972-73 में राजस्थान विद्युत् बोर्ड में जूनियर इन्जीनियरों की नियुक्तियां हुई हैं? यदि हां, तो कितनी संख्या में?

(2) क्या यह सही है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का रिजर्वेशन पूरा किया गया है? यदि हां,तो अनुसूचित जाति के चुने गये व्यक्तियों के नामों की सूची पेश करें।

(3) अनुसूचित जाति के कितने उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था और उनमें से कितनों को साक्षात्कार के लिए बुलाया और उनमें कितनों को चुना गया?

(4) क्या यह सही है कि विद्युत् बोर्ड में अधिकारियों ने उक्त निर्वाचन में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को जान बूझकर इगनोर किया है तथा सरकारी नियमों की अवहेलना की है? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

(श्री रावतराम)

(5) क्या सरकार इन नियुक्तियों को खारिज करके नियमानुसार पुन: नियुक्तियां करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो जिन अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को अधिकारियों के पक्षपात से नुकसान हुआ है उनके बारे में सरकार क्या फैसला करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। चालू वर्ष 1972-73 में विद्युत् मण्डल में 200 जूनियर इन्जीनियरों की नियुक्तियां की गई हैं।

(2) जी नहीं ! आवश्यक संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार नहीं उपलब्ध होने के कारण कोटा के अनुसार स्थान नहीं भरे जा सके।

(3) 1522 उम्मीदवारों में से केवल 27 अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था और उनमें से 16 को साक्षात्कार के लिये बुलाया गया, परन्तु 13 ही उपस्थित हुए। इनमें से 10 उम्मीदवारों का चयन किया गया है और नियुक्तियां की गई हैं।

(4) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं। नियुक्तियों को खारिज करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अगले चयन के समय यदि आवश्यक संख्या में उपयुक्त व्यक्ति मिले तो कोटा के अनुसार रिक्त स्थानों पर नियुक्ति कर दी जायगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-73)

गंगापुर पंचायत समिति द्वारा ट्रंक काल्स का खर्चा

305. श्री **हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगापुर पंचायत समिति द्वारा सन् 1965 अप्रेल से सन् 1973 जनवरी तक किस किस माह में कितना कितना रुपया टेलीफोन तथा ट्रंक काल का खर्च किया गया है ?

(2) ट्रंक काल कहां कहां किसको किये गये थे ? क्या यह सही है कि अधिकांश ट्रंक निजी कार्य से करने के पश्चात् सरकारी व्यय में डालकर पेमेन्ट करा दिया गया है ?

(3) क्या सरकार इसकी विस्तृत रूप से जांच करायेगी ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7-3-73)

छबड़ा व छीपाबड़ोद में अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली

347. श्री **जगमोहन सिंह** (छबड़ा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि रजत जयंती वर्ष में अनुसूचित जाति की बस्तियों का विद्युतिकरण करने का कार्यक्रम घोषित किया गया था ? यदि हां, तो छबड़ा व छीपाबड़ोद

(श्री जगमोहनसिंह)
कस्बों में कितने अनुसूचित जाति के व्यक्ति रहते हैं और उनके मोहल्लों के विद्युतिकरण किये जाने हेतु कितने खम्भे इन कस्बों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये हैं ?

उत्तर

जी नहीं। वैसे, छीपाबड़ोद की हरिजन/अनुसूचित जाति के 3 मोहल्लों में और छबड़ा के मोहल्लों में क्रमशः 8 व 16 पोल सन् 1971-72 वर्ष में लगाये गये हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर की सहकारी समितियों को अनुदान

253. श्री अब्दुल हादी (चौहटन): क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की तरफ से बुनकर सहकारी समितियों व चर्म उत्पादक सहकारी समितियों को अनुदान दिया जाता है ? यदि हां, तो बाड़मेर की कितनी ऐसी समितियों को अनुदान दिया गया ?

उत्तर

जी हां।

बाड़मेर जिले में खादी एवं चर्मोद्योग के अंतर्गत दी गई आर्थिक सहायता की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

जिला सवाई माधोपुर में हरिजनों की गृह-निर्माण सहकारी समितियां

254. श्री उम्मेदी लाल (हिण्डौन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला सवाई माधोपुर में हरिजनों की कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों के पैसे जमा हुए हैं और उनमें से कितनी समितियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है एवं बाकी का कब तक होगा ? यदि नहीं तो क्यों और क्या इन समितियों को कोई धनराशि दी जायगी या नहीं ?

उत्तर

जिला सवाई माधोपुर में कुल 2 प्रस्तावित गृह निर्माण सहकारी समितियों के पैसे जमा हुए हैं, जिनमें से एक का रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

दूसरी प्रस्तावित की जमाशुदा राशि समिति के मांगने पर लौटाई गई है। अतः उसके रजिस्ट्रेशन का प्रश्न पैदा नहीं होता। रजिस्टर्ड समिति को धनराशि नियमानुसार दी जावेगी।

सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां सीकर के कार्यालय में नियुक्तियां

255. श्री केसरदेव (लक्ष्मणगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर के कार्यालय में कितने कितने कनिष्ठ लिपिक व कितने कितने

(श्री केसरदेव)
वरिष्ठ लिपिक के स्थानों पर 1962 से लेकर 1972 तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति में से नियुक्तियां कि गई हैं ? सूचो सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या रोस्टर रजिस्टर का ध्यान रखा गया है ? यदि हां, तो किस किस की तथा कब कब नियुक्तियां की गई ? नाम व पते सहित पूर्ण विवरण देने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, सीकर के कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिकों के स्थानों पर वर्ष 1962 से 1972 तक कोई से पद पर नियुक्ति नहीं की गई है।

(2) रोस्टर प्रणाली अक्टूबर, 1971 से लागू की गई है। उस समय से अभी तक कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

जयपुर उद्योग पर रॉयल्टी की बकाया

256. श्री **मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) : श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर उद्योग लि०,सवाई माधोपुर की ओर 31 मार्च, 1972 को रायल्टी की कितनी रकम बकाया थी ?

(2) क्या यह सही है कि तहसीलदार (खनिज), सवाई माधोपुर ने उक्त राशि को जमा कराने हेतु वारन्ट जारी कर दिया था ?

(3) क्या यह भी सही है तहसीलदार की उक्त कार्यवाही के विरुद्ध जयपुर उद्योग लि०, सवाई माधोपुर ने अपील की थी ? यदि हां तो किसके न्यायालय में ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मामले की सुनवाई के लिये 4 जुलाई, 1972 नियत थी ? यदि हां तो क्या यह भी सही है कि उक्त न्यायिक अधिकारी ने 24 जून, 1972 को ही बिना खनिज विभाग को नोटिस अथवा सफाई का अवसर दिये निर्णय दे दिया ? कृपया उक्त दिये गये निर्णय की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) खनिज विभाग द्वारा उक्त फैसले के विरुद्ध अग्रिम क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह सही है कि खनिज विभाग ने उक्त न्यायिक अधिकारी की इस अनियमित कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचित नहीं किया ?

(7) क्या राज्य सरकार को उक्त न्यायिक अधिकारी एवं जयपुर उद्योग लि० की आपसी सांठगांठ के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) 31 मार्च, 72 को रायल्टी की रकम बकाया नहीं थी।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(4) इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है इसलिये निर्णय की प्रतिलिपि

(खनिज मन्त्री)

संलग्न करने का प्रश्न नहीं रहता है, क्योंकि खनिज विभाग से सम्बन्धित किसी बकाया का वारंट नहीं भेजा गया था।

(5) जब इस प्रकार का कोई मामला नहीं है तो फिर अग्रिम कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं रहता है।

(6) जब इस प्रकार का कोई मामला नहीं है तो फिर अग्रिम कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं रहता है।

(7) इसके बारे में कोई शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

बाड़मेर एवं जैसलमेर में खनिज सम्पदा का सर्वे

257. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में खनिज सम्पदा की खोज के लिये कब-कब सर्वे किया ? सर्वे रिपोर्ट्स की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार उक्त जिलों में खनिज संपदा की खोज के लिये नये सिरे से सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब और किस एजेन्सी द्वारा ?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले का पूर्ण सर्वे लगभग 29 वर्ष पूर्व सी० एस० पोक्स द्वारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त राज्य खान विभाग ने भी खास खनिजों का सर्वेक्षण समय-समय पर किया है। जैसे पीला पत्थर। प्राकृतिक गैस एवं तेल आयोग ने पैट्रोलियम व गैस के लिये छिद्रण भी की है। इसी प्रकार बाड़मेर जिले में भी राज्य विभाग तथा जी० एस० आई० ने कई स्थानों पर पूर्वेक्षण का काम किया है। सर्वे की रिपोर्ट प्रश्न संख्या 11/ख० म० के साथ भेजी जा चुकी है।

(2) जी हां। राज्य खनिज विभाग द्वारा।

ग्राम मुन्डरु की भूमि पर कब्जा

258. **श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा** (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम मुन्डरु पी. सी. श्रीमाधोपुर के खसरा नम्बर 364 की भूमि श्री नारायण व श्री गणपत रैगर के कब्जे व काश्त में 30-35 साल से चली आ रही है ?

(2) क्या यह सही है कि सेठ गेंदालाल महाजन ने उक्त हरिजनों की भूमि हथियाने के लिये पुलिस से मिलकर खड़ी फसल को कुड़क करवा दिया और गरीब हरिजनों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि में चमड़े का एक कारखाना भी बना हुआ है जिसको कुड़क शुदा भूमि में आ जाने के कारण बन्द कर देना पड़ा है जिससे गरीब हरिजनों की रोजी छिन गई है ? यदि हां, तो क्या उसे पुनः चालू कर

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
की सरकार कुछ कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों, ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त खेत खसरा नम्बर 1364 व 3220 को उलट-पुलट करके पटवारी हल्का मुन्डरु ने तथ्यों के विपरीत रिपोर्ट दी है जो कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से बिलकुल भिन्न है ? यदि हां, तो क्यों ? दोनों रिपोर्टों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें तथा उक्त पटवारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं तो क्यों ?

(5) मौजूदा रिकार्ड में कौनसी भूमि रेगरों वाली है और कौनसी भूमि पर उनका कब्जा है ? कृपया रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार बतायें।

उत्तर

(1) यह सही है कि गत कई वर्षों से श्री नारायण व श्री गणपत रेगर का कब्जा चला आ रहा है।

(2) हां, यह सही है कि उक्त हरिजन की भूमि ख० नं० 1364 का सेठ गेंदालाल द्वारा अदालत में धारा 45 जाता फौजदारी का मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमा अभी उप-दण्डनायक नीम का थाना (एस० डी० एम०) में चल रहा है।

(3) यह सही है कि खसरा नं०1364 की भूमि में एक कुंड चमड़ा रंगने का बना हुआ है अदालत द्वारा निर्णय दिये जाने पर अग्रिम कार्यवाही हो सकेगी।

(4) पटवारी तथा तहसीलदार द्वारा की गई उलट पुलट रिपोर्ट तहसील श्रीमाधोपुर में उपलब्ध नहीं बताई है।

(5) रेवेन्यू रेकार्ड जमाबन्दी में मुताबिक खसरा नं. 1364 व 3220 श्री नारायण पुत्र किशन व श्री गनपत पुत्र नारायण रेगर की खातेदारी में है लेकिन मौके पर इसका कब्जा नहीं पाया जाता है तथा खाता नं. 1364 की खातेदारी में मौजूदा जमाबन्दी में गेंदालाल, रामेश्वर, बाला बख्श महाजन की खातेदारी में है मौके पर नारायण पुत्र किशना व गनपत पुत्र नारायण का कब्जा बताया जा रहा है।

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि आवंटन

249. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि का आवंटन भूमिहीनों के नाम से कर दिया जाता है और पट्टे उन्हें न देकर पट्टे कर्मचारी लोग स्वयं रख लेते हैं और भूमि स्वयं काश्त करवाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि श्री अमरसिंह पुत्र श्री बूडसिंह चक 28 बी. बी. तहसील पदमपुर को चक 7 के. एन. डी. तहसील छत्रगढ़ में सितम्बर, 1972 को भूमि अलाट की गई और श्री गुरदीपसिंह पुत्र श्री पूर्णसिंह चक 2 सी. छोटी तहसील गंगानगर को अक्टूबर, 1971 में अनूपगढ़ घोड़ पर भूमि अलाट की गई मगर उसका कब्जा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। श्री अमरसिंह पुत्र श्री बूडसिंह को चक 7 के० एन० डी०, तहसील छत्रगढ़ में एक वर्षीय अस्थायी आवंटन हुआ था। उक्त आवंटित भूमि का कब्जा कथित भूमि के आबादी में होने के कारण नहीं दिया गया। श्री गुरदीपसिंह पुत्र श्री पूर्णसिंह चक 2 सी० छोटी को अक्टूबर, 1971 में अनूपगढ़ घोड़े पर कोई भूमि आवंटित नहीं की गई। अत: कब्जा देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम बाड़ी का बांध

260. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील निम्बाहेड़ा के ग्राम बाड़ी में क्या मेवाड़ के समय का कोई टूटा हुआ बांध है ?

(2) क्या यह सही है कि अगर इस बांध को बनवाया जाए तो बहुत कम खर्च में हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है और कुओं का वाटर लेवल भी हाई हो सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि क्षेत्र की जनता कई वर्षों से इसके लिये मांग करती आ रही है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या सरकार इसे बनाना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि इसका एस्टीमेट भी बनाया गया था और लगभग 10,00,000 रु. (दस लाख) की मुश्तसिर रकम का एस्टीमेट था ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सर्वेक्षण करवाने के बाद ही कुछ कहना सम्भव होगा।

(3) इस योजना का भू-मापन का कार्य सन् 70-71 के भू-मापन के कार्यक्रम में रखा गया था लेकिन इस क्षेत्र की जनता के विरोध के कारण यह भू-मापन कार्य चालू नहीं किया गया।

(4) इस बारे में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(5) जी नहीं।

सरकारी भूमि पर नाड़ी का निर्माण

261. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भिनाय के भू. पू. प्रधान श्री रतनलाल वर्मा ने सरकारी भूमि पर नाड़ी (छोटा तालाब) बनाया और उस पर किये गये नाजायज कब्जे का दबाव डाल कर नियमन करवाया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नाड़ी से घातोल ग्राम के रानीसागर तालाब की आव रुक गई है और वह प्राय: खाली रहने लग गया है ?

Page No 38

(38)

(श्रीमती भगवती देवी)

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार के नाजायज कब्जे के बाबत सरकार को कई शिकायतें प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री रतनलाल वर्मा, भूतपूर्व प्रधान, भिनाय व उसके भाइयों का सरकारी भूमि 6।।)4 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा था जो भू-संशोधन कार्यक्रम के दौरान अन्य व्यक्तियों की तरह उनके नाम नियमन हुआ है। उक्त भूमि से लगी हुई नाड़ी व माल रकबा 1¼)3 बीघा सरकारी है, इसके पेटे में उक्त व्यक्तियों की ।।)4 बीघा भूमि है। जिसमें से 3।)4 बीघा के अलावा पूर्व में ही उनके खाते की भूमि है। सरकारी भूमि में नाजायज कब्जा होने से उन व्यक्तियों के नाम अंकित करने में श्री वर्मा द्वारा कोई दबाव नहीं डाला है।

(2) उक्त नाड़ी से धातोल ग्राम के रानीसागर तालाब की आव रुक जाना सही नहीं है) गत चार पांच सालों में वर्षा की कमी के कारण रानीसागर स्वतः ही खाली रहता है।

(3) यह सही नहीं है। वर्तमान में नाजायज कब्जे करने बाबत कोई शिकायत विचाराधीन नहीं है।

किशन बाग की कृषि भूमि का स्वामित्व

252. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी): **श्री श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर तहसील में किशनबाग नामक कृषि भूमि के स्वामित्व का विवाद राजस्व अपील अधिकारी के यहां पर चल रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कृषि भूमि में कुछ लोगों ने अनधिकृत मकान बना लिये हैं ? यदि हां, तो किन-किन लोगों ने कितने मकान वहां पर बना लिये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इनकी शिकायत माह फरवरी, 1972 में जिलाधीश महोदय व अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को अनधिकृत कार्यवाही को रोकने की की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिन व्यक्तियों ने कृषि भूमि पर अनधिकृत मकान बना लिए हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(3) जी हां। ग्राम किशनबाग में डा. हरिसिंह व हनुमानसिंह द्वारा अनधिकृत निर्माण किये जाने के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 27-2-72 को धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई जो कि विशेषाधिकारी, कृषि भूमि रूपान्तरण नियमितिकरण के यहां मामला चल रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

बून्दी जिले की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

263. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत बूंदी जिले के कौन-कौन से गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील केशवराय पाटन के बूंदी रोड से कापरेन तक के गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है ? यदि हां, तो कौन कौन से और इनकी स्वीकृति कब हुई थी और कब कार्य पूरा हुआ ?

(3) तहसील नैनवा, केशवराय पाटन, बूंदी व हिन्डोली के कौन-कौन से गांवों को आगे विद्युतिकरण योजना में लिये जाने को राज्य सरकार की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) विद्युतिकृत गांवों के नामों की सूची 'अ' संलग्न है।

(2) जी हां। केशवराय पाटन तहसील के 4 गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है और शेष तीन का कार्य चालू है। इन सात गांवों के विद्युतिकरण की स्वीकृति फरवरी, 72 में हुई थी। सूची 'ब' संलग्न हैं।

(3) अभी इस प्रकार की कोई योजना तैयार नहीं की गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भरतपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में दवाइयों का वितरण

264. **श्री नत्थीसिंह** (नदबई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

भरतपुर जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जनता के लिये राज्य सरकार ने दवाइयों के वितरण हेतु कितनी रकम स्वीकार की और इस रकम से जनता को कितनी कितनी दवाइयां व अन्य सामग्री कौन-कौन से ग्रामों एवं कस्बों में बांटी गयी ? दवाइयों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

उक्त जिले के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की जनता के लिए दवाइयों के वितरण हेतु रु० 1,26000 स्वीकृत किये गये जिसका विवरण निम्न प्रकार है:—

दवाइयां	1,13,000 रु०
यात्रा भत्ता	8,000 रु०
पेट्रोल	5,000 रु०

इसके अतिरिक्त रु० 30,000 की लागत की विभिन्न औषधियां तुरन्त वितरण हेतु पहिले दिनांक 25-10-72 को और भेजी जा चुकी थीं एवं भारतीय रेड क्रोस सोसाइटी से जिलाधीश भरतपुर के माध्यम से 40 बोरे सूखे दूध व 1,500 रु० नकद दवाइयां हेतु भेजे गये हैं।

(श्री स्वास्थ्य मन्त्री)

दवाइयों का वितरण जिले स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को किया गया जिसकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगानगर जिले में बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

265. श्री **गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गंगानगर जिले में जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण किया गया है उन मार्गों पर राष्ट्रीयकरण से पूर्व किस-किस की बसें चल रही थीं ? उनमें से कितनों को दूसरे मार्गों पर परमिट दिये जा चुके हैं और किस-किस को नहीं ?

(2) राष्ट्रीयकरण से पूर्व जितनी बसें जिस-जिसकी चल रही थीं उनको आज तक उतने परमिट नहीं देने का क्या कारण है और राज्य सरकार उन्हें कब तक परमिट देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि इन मालिकों को राज्य सरकार दूसरे मार्गों पर परमिट देगी। परमिट दूसरे मार्गों पर प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, बीकानेर ने बस मालिकों के प्रार्थना पत्रों पर दिये हैं। जिन बस मालिकों ने दूसरे मार्गों पर परमिट दिये जाने के लिए आवेदन पत्र नहीं दिये उन्हें परमिट देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भीम तहसील के ग्रामों का विद्युतिकरण

266. **श्री चिम्मनसिंह** भाटी(भीम): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले को भीम तहसील के जेतगढ़, ठीकरवास, कूकरखेड़ा ग्रामों के विद्युतिकरण हेतु जिला स्तर से 8-6-72 को प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिये गये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इसी प्रकार पंचायत समिति भीम, उदयपुर द्वारा सिल्वर जुबली के उपलक्ष में सारोट व समेलिया गावों के प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेजे गये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) पंचायत समिति, भीम व पंचायत समिति, देवगढ़ के प्रस्तावित गांव जो जिला उत्पादन समिति की बैठक दिनांक 2-6-72 द्वारा राज्य सरकार को भेजे गये थे उनका विद्युतिकरण कब तक कर दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 8-6-72 को प्रस्ताव जिला परिषद् उदयपुर से प्राप्त

(विद्युत मंत्री)

नहीं हुए। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठाता ?

(2) जी नहीं। कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

नीम का थाना उप-खण्ड के सहायक अभियन्ता द्वारा दिये गए विद्युत कनेक्शन

267. **श्री मालाराम** (नीम का थाना): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीम का थाना के उप-खण्ड के सहायक अभियन्ता ने निम्नलिखित कनेक्शनों की कब सिक्युरिटी जमा की ? कब कनेक्शन आदेश जारी किए और कब कनेक्शन दिये:—

(1) श्री लाडला प्राईटी नं० 38 ए., खण्डेला।

(2) श्री हेमचन्द्र मोहनलाल सिंघुरिया, प्राईटी नं. 38, अजीतगढ़।

(3) श्री रामेश्वरलाल विरदीचन्द, कृषि कनेक्शन प्राईटी नं. 21।

(4) श्री सुरजा पुत्र गंगाराम माली मानगढ़, कृषि कनेक्शन प्राईटी नं. 21

(5) श्री मांगूराम पुत्र डालूराम मानगढ़, कृषि कनेक्शन प्राईटी नं. 22।

उत्तर

1. (1) जी नहीं, नीम का थाना उप-खण्ड के कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार सिक्योरिटी की राशि जमा नहीं हुई। कनेक्शन करने के आदेश दिनांक 23-4-72 को जारी किये गये। कनेक्शन दिनांक 25-4-72 को दिया गया।

(2) जी नहीं, उप-खण्ड कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार सिक्योरिटी की राशि जमा नहीं हुई। कनेक्शन करने के आदेश दिनांक 22-6-72 को जारी किये गये और कनेक्शन दिनांक 24-6-72 को दिया गया।

(3) जी नहीं, प्रश्न के अनुसार प्राईटी नं. 20 पर इस नाम से कोई कनेक्शन नहीं है, अपितु श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री विरदीचन्द के नाम से अजीतगढ़ ग्राम की प्राईटी नं. 46 पर कनेक्शन है, जिसकी सिक्योरिटी की राशि उप-खण्ड कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार जमा नहीं हुई। कनेक्शन करने के आदेश दिनांक 1-6-72 को जारी किये गये और कनेक्शन दिनांक-3-6-72 को दिया गया।

(4) जी नहीं, उप-खण्ड कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार सिक्योरिटी की राशि जमा नहीं हुई। कनेक्शन करने के आदेश दिनांक 21-3-72 को जारी किये गये और कनेक्शन दिनांक 29-5-72 को दिया गया।

(5) जी नहीं, उप-खण्ड कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार सिक्योरिटी की राशि जमा नहीं हुई। कनेक्शन करने के आदेश दिनांक 21-3-72 को जारी किये गये और कनेक्शन दिनांक 18-7-72 को दिया गया। इन सब ही केसेज में सिक्योरिटी की राशि जमा नहीं होने पर भी कनेक्शन कैसे दे

(विद्युत् मन्त्री)
दिये गये हैं, उसकी जांच कर रिपोर्ट करने हेतु उप-सचिव जांच, रा० रा० वि० मं० को नियुक्त कर दिया गया है और वे इसकी जांच के लिये रवाना हो चुके हैं।

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत सवाई माधोपुर जिले में आवंटित राशि

268. श्री हरिशचन्द्र पालीवाल (गंगापुर) : क्या पंचायत एवं विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत सन् 1970-71, 1971-72, एवं 1972-73 में सवाई माधोपुर जिले को कितना रुपया आवंटित किया गया था और वह रुपया किस किस कार्य पर कितना-कितना खर्च किया गया ?

(2) क्या आवंटित रुपया पूरा खर्च किया गया या उसमें से खर्च होने से बच गया ?

(3) क्या राज्य में ऐसा भी कोई जिला था जिसने आवंटन रुपये से कम खर्च किया ?

उत्तर

(1) क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत सन्-1970-71 में कोई राशि आवंटित नहीं की गई। सन् 71-72 में 12.50 लाख रुपया एवं सन् 72-73 में 10.50 लाख रुपया की राशि आवंटित की गई। सन्-71-72 में जो राशि आवंटित की गई उसमें से 2,27,803.58 रुपया व्यय हुआ तथा सन् 72-73 में 9,34,117 रु० व्यय हुआ। यह राशि जिन जिन कार्यों पर खर्च हुई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सन् 71-72 में 12.50 लाख रुपया आवंटित हुआ था उसमें से सिर्फ 2,27,803.58 ही खर्च हुआ।

(3) जी हां। ऐसे कुछ और भी जिले हैं जहां आवंटित राशि वर्ष 71-72 में पूरी खर्च नहीं की जा सकी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के गांवों का विद्युत् हेतु सर्वे

269. श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत् के कुओं पर जो मीटर स्टार्टर आदि का मकान बना हुआ है उसमें विभाग द्वारा फ्यूज के सील लगाई जाती है ?

(2) क्या सरकार इसे आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र के गांव लीडी, नोलखा, हाथी पट्टा, फाकरिया, तिरोही, कानपुरा, कानाखेड़ा, जिला उत्पादन कमेटी में प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो क्या इनकी सर्वे की जा चुकी है ? क्या इन गांवों को आगामी वर्ष में विद्युत् दे दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि विभाग द्वारा मीटर के फ्यूज पर सील लगाई जाती है।

Page No 43

(43)

(विद्युत् मंत्री)

(2) जी हां। मीटर के फ्यूज, मीटर की क्षमता को दृष्टिकोण में रखकर आवश्यकतानुसार लगाया जाता है और सील लगाना आवश्यक है। यदि सील न लगी हो तो किसी भी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा अधिक क्षमता का फ्यूज बांधा जा सकता है, जिससे मोटर व मीटर के जलने और सब-स्टेशन के फ्यूज जलने अथवा अन्य उपकरणों को क्षति पहुँचने का अंदेशा रहता है।

(3) नसीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में कौन-कौन से ग्राम आते हैं इसकी जानकारी विद्युत् मण्डल नहीं रखता है। जिला कृषि उत्पादन समिति, अजमेर ने पंचायत समिति, श्रीनगर के ग्राम नोलखा, हाथीपट्टा फारकिया, तिहारीं, कानपुरा और कानाखेड़ी को बिजली देने की सिफारिश की है। इनमें ग्राम लीडी सम्मिलित नहीं है। ग्राम, तोली, कानाखेड़ी और लीडी को छोड़कर शेष गांवों का सर्वे किया जा चुका है। यह इन गांवों के विद्युतिकरण करने के सम्बन्ध में अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 23-2-73)

मौजूदा भू-सीलिंग कानून के अन्तर्गत पाली जिले में प्राप्त की गई भूमि

57. श्री मोहनराज (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में लागू मौजूदा भू-सीलिंग कानून के अधीन कितनी भूमि राज्य को प्राप्त होगी ?

(2) कृपया पाली जिले की सात तहसीलों में इस प्रकार प्राप्त होने वाली भूमि का विवरण तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में राजस्थान टेनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी) नियम, 1963 के अन्तर्गत 7,26,886 एकड़ भूमि के प्राप्त होने की सम्भावना थी।

(2) पाली जिले में राजस्थान टेनेन्सी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) (सरकारी) नियम, 1963 के अन्तर्गत 57,031 एकड़ भूमि प्राप्त होने की सम्भावना थी। जिसकी तहसीलवार सूचना निम्न प्रकार है:—

	नाम तहसील	भूमि (एकड़ों में)
1.	पाली	13,240
2.	बाली	19,922
3.	सोजत	11,321
4.	खारची	3,401
5.	रायपुर	2,491
6.	जैतारण	4,120
7.	देसूरी	2,536
	योग....	57,031

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-2-73)

रेत के टीबे हटाने का ठेका

58. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 70-71 व 71-72 में सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत चलने वाले निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में किस-किस ठेकेदार को कब-कब रेत के टीबे हटाने के लिये एक्स्ट्रा आइटम के रूप में कितना कितना रुपया दिया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि मूल ठेकों में इस प्रकार के रेत के टीबे हटाने का कोई प्रावधान नहीं था ?

(3) क्या यह सही है कि रेत के टीबों का ठेकेदार द्वारा उठाने से पूर्व विभाग द्वारा कोई मेजरमेन्ट नहीं करवाया गया ? यदि नहीं तो किस किस सड़क से ऐसे टीबों का उठाने से पूर्व मेजरमेन्ट कराया गया था ?

(4) रेत के टीबे हटाने का कार्य विभाग द्वारा क्यों नहीं करवाया गया ?

(5) इन एक्स्ट्रा आइटम्स के भुगतान के लिए कब कब उपयुक्त अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) जी हां।

(3) भुगतान काम की नाप अनुसार किया गया है।

(4) कार्य विभाग द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं था।

(5) अन्तिम भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृती प्राप्त करली गई थी।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 26-2-73)

जैसलमेर-खूड़ी-नियाजतात सड़क निर्माण का ठेका

59. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 70-71 में सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत जैसलमेर-खूड़ी-नियाजतात सड़क 69/0 से 96/0 तक के निर्माण का ठेका मैसर्स गुमानी राम एण्ड ब्रदर्स को दिया गया था ? यदि हां, तो कितने रुपयों में ?

(2) इस ठेकेदार को ठेके के सम्बन्ध में अब तक कब-कब कितने-कितने रुपयों का भुगतान किया जा चुका है और कितने रुपयों का बिल भुगतान के लिये विचाराधीन है ?

(3) किस-किस आइटम के उपरोक्त भुगतान में से कितना और भुगतान का एक्स्ट्रा आइटम के रूप में किया गया ?

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(4) इन एक्स्ट्रा आइटम्स की निविदा आमन्त्रित करते समय प्रावधान क्यों नहीं रखा गया ?

(5) क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा आइटम्स का भुगतान करने से पूर्व उपयुक्त अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, 8,87,684.00 रुपये का ठेका श्री गुमानी राम को दिया गया था।

(2) मार्च, 1972 तक 12,07,676 रु० का भुगतान ठेकेदार को दिया है। अधिशासी अभियन्ता के पास कोई बिल भुगतान हेतु विचाराधीन नहीं है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) पूर्व में ज्ञात नहीं था कि सूची में वर्णित कार्य कराने हैं।

(5) ठेकेदार को एक्स्ट्रा आइटम्स का अन्तिम भुगतान करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21-2-73)

चूरू जिले की पंचायतों के पंचायत घर

63. श्री सूरणाराम (डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चूरू जिले में कितनी पंचायतें ऐसी हैं कि जिनके पास पंचायतघर बने हुए नहीं हैं ?

(2) राज्य सरकार ने उक्त क्षेत्र में पंचायतघर बनाने के लिये आज तक कितनी पंचायतों को अनुदान दिया व पंचायतघर बनाये गये ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त क्षेत्र में इस वर्ष पंचायतघर बनाने के लिये कोई अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार पंचायतघरों के निर्माण के लिये क्रेश प्रोग्राम में से धनराशि आवन्टित नहीं कर सकती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो एक पंचायतघर के लिये कितनी राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में 126 पंचायतों में पंचायत भवन बने हुए नहीं हैं।

(2) कुल 66 ग्राम पंचायतों को पंचायत भवन बनाने के लिये अनुदान दिया गया जिससे 66 पंचायतघर बनाये गये।

(3) जी नहीं। आर्थिक साधनों के अभाव में इस वर्ष पंचायतघर बनवाने के लिये अनुदान दिया जाना सम्भव नहीं है।

(4) जी नहीं। क्रेश योजना के अन्तर्गत पंचायत भवन बनाने का प्रावधान

(पंचायत मंत्री)
भारत सरकार की दी हुई गाइड लाइन्स में नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 6-3-73)

विभिन्न अस्पतालों में मशीनों का प्रयोग

143. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के किस-किस अस्पताल में कौन-कौनसी मशीन, एपरेटस और एप्लाइन्सेज कब-कब से उपयोग में नहीं आ रहे हैं और क्यों ? कृपया उनकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त मशीनों की मरम्मत एवं इनको सुधारने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान के अस्पतालों में मशीन, एपरेटस व एप्लाइन्सेज कब-कब से काम में नहीं आ रही हैं, उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) मशीनों को ठीक करवाने के लिये सम्बन्धित फर्मों पर निर्भर रहना पड़ता है। अधिकांश उपकरण काफी पुराने हैं। फर्में इनकी मरम्मत करने में रुचि नहीं लेती हैं फिर भी प्रयास चालू है। स्थाई रूप से इन उपकरणों को सम्भालने के लिए एक इलेक्ट्रिक मेडिकल टेक्निशियन और इसके लिए भारत सरकार के सहयोग से एक वर्कशॉप स्थापित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है, कि श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा ने दैनिक गंगानगर पत्रिका के सम्पादक तथा समाचार भारती के जिला प्रतिनिधि श्री हरि स्वामी शिल्पी को गंगानगर में एक गुप्त पत्र द्वारा जान से मार डालने की धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री और मनोहरलाल, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 13 व 14 मार्च, 1973 को दो पाकिस्तानी जासूसों के गिरफ्तार होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री रामलाल, सदस्य, विधान सभा ने तहसील बसेड़ी के अनुसूचित जाति के कुछ किसानों की फसल कुछ व्यक्तियों द्वारा बरबाद कर देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन तीनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(श्री अध्यक्ष)

श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने शराबबन्दी के आन्दोलन के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर आबकारी मंत्री सदन में हाल ही में एक वक्तव्य दे चुके हैं और यह मामला राज्य सरकार की नीति से सम्बन्धित है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

सर्वश्री गिरधारीलाल भार्गव, मीठालाल व मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना न करने के विषय में विधि एवं न्याय मन्त्री की घोषणा के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि यह प्रश्न भी राजस्थान सरकार की नीति से सम्बन्धित है और इस पर सदन में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने सरदारशहर की जैतसीसर पंचायत के सरपंच द्वारा 2 बच्चों की भूख से मृत्यु होने के सम्बन्ध में दी गई सूचना के सम्बन्ध में कल एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

सर्वश्री मीठालाल मीणा और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने राज्य सरकार द्वारा एक जिले से दूसरे जिले में अनाज की निकासी पर प्रतिबन्ध लगा देने के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। यह विषय किसी विशिष्ट घटना से सम्बन्धित नहीं है और इस प्रश्न पर आज माननीय खाद्य मंत्री एक वक्तव्य देंगे। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामजीलाल, सदस्य विधान सभा ने झुंझुनूं, सीकर और नागौर जिले के कुछ गांवों में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कुछ जोहड़ों की खुदाई बन्द कर देने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर भी सदन में आज माननीय अकाल राहत मंत्रीजी द्वारा एक वक्तव्य दिया जा रहा है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री केशरीमल, सदस्य, विधान सभा ने तेंदू के पत्तों का ठेका ठेकेदारों को दिये जाने की घोषणा के सम्बन्ध में दिनांक 14-3-73 को एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान उस ओर दिलाना चाहूंगा, माननीय न्याय मंत्रीजी ने कल अपने वक्तव्य में....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय अध्यक्षजी....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : ..(साथ बोलने से अश्रव्य)....सूचना दी है और यह दलील दी है कि पुस्तकालय एक ही....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव....

श्री अध्यक्ष : भार्गव साहब आप बैठिये।

श्री गिरधारीलाल : मैं निवेदन करना चाहूंगा....

(पुनः दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री भार्गव को बोलने दीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह सभ्यता का (अश्रव्य)

(दोनों माननीय सदस्य साथ-साथ बोलते रहें, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री बलपतसिंह (खारची) : आन-ए-पॉइन्ट आफ आर्डर ! ऑन-ए-पॉइन्ट ऑफ आर्डर सर ! My point of order is that two persons cannot speak simultaneously.

ऐसी व्यवस्था कीजिये कि एक समय में एक ही माननीय सदस्य बोले।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके पाइन्ट ऑफ आर्डर की पहले ही तामील कर रहा हूं।

श्री बलपतसिंह : नहीं हो रही है।

श्री गिरधारीलाल : मैं निवेदन करने जा रहा था यह कोई अमीरों का प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : में आपसे भी निवेदन करूंगा मेरी स्वीकृति हो तभी बोला करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी-नगर, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय दोनों को ही मत बोलने दीजिये, मुझे बोलने दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने मुझे आज्ञा दी है और मैं आज्ञा से बोल रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज तो बैठा कर दिखाइये, अध्यक्ष महोदय ....

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी नजर पड़े तब बोलना चाहिये, नजर नहीं पड़े तब तक बोलना नहीं चाहिये ....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : नजर आपकी मेरे पर पड़ती रही है और पड़ेगी।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : पड़ेगी तो कोप दृष्टि ही पड़ेगी ....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लोगों को सस्ता न्याय देने का प्रश्न है। आज राजस्थान की पूर्वी जनता, राजस्थान की तीन-चौथाई जनसंख्या उनको सस्ता न्याय सुविधानुसार कहां पर मिल सकता है, कहां पर आसानी से उनको न्याय मिल सकता है तो वह हाई कोर्ट की बेन्च जयपुर में स्थापित होने से ही हो सकता है। हाई कोर्ट की बेन्च जयपुर से हटाने की कोई न्यायोचित दलील नहीं है। आज 11 जिलों का वर्क लोड जो जोधपुर में हाई कोर्ट हैं, उस पर बढ़ गया है। मुकदमों का भली प्रकार और ठीक समय पर निपटारा नहीं हो सकता है। श्री मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री बार ऐसोसियेशन के....

श्री अध्यक्ष : आपका परपज तो इतना बोलने से हो गया है।

श्री खेतसिंह : मैं पार्टी के लीडर से निवेदन करूंगा कि वे अपने सदस्यों को समझा कर रखें ....

श्री श्रीराम गोटेवाला : वे इस मामले में चुप हैं, वे चुप्पी साधे बैठे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सस्ते आधार पर न्याय मिलना चाहिये। यह केपिटल इन्क्वायरी का कोई विषय नहीं था कि उस पर जायगा।

श्री अध्यक्ष : Please resume your seat.

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं इनका परपज तो हल हो गया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हाई कोर्ट की बेंन्च लोक सभा में ....(घन्टी)....(अश्रव्य) .... अस्वीकार कर दिया गया था। मैं माननीय अध्यक्षजी, निवेदन करूंगा....(घन्टी).... कई एम. एल. एज. ने दस्तखत किये हैं, एम. पी. ने दस्तखत किये हैं। मैं न्याय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा ....

श्री अध्यक्ष : I will have to adopt some other course for you.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष जी, सारे वकील बाहर आये हुये हैं। न्याय मत्रीजी को बाहर जाकर मिलना चाहिये और इस पर पुनः विचार करना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, गुमानमलजी लोढ़ा भी कुछ कहना चाहेंगे इस पर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आचार्यजी घूंघट में रहने दो, घूंघट न उठाओ। अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो गंगानगर दैनिक पत्रिका प्राप्त हुई है इसमें एक पत्र ब्लैक दिसम्बर के नाम से गंगानगर के सम्पादक शिल्पी महोदय को प्राप्त हुआ है। उसमें कहा गया है कि पहले जो पांच हत्यायें भयानक और विभत्स गंगानगर में हो चुकी हैं उनके संबंध में समाचार भारती की एजेन्सी के द्वारा कि अपने दैनिक पत्र में यह घोषित कीजिए कि यह 5 हत्यायें ब्लैक दिसम्बर के द्वारा हुई हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानकारी चाही गयी है इस पर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मैं स्टेटमेन्ट चाहता हूं इसलिए कि उस रोज भी मुख्य मंत्रीजी ने कुछ कहा था और वह स्पष्ट नहीं था। उनका कहना यह था कि कोई फेनेटिक भी हो सकता है और कोई गेंग भी हो सकता है जो कि गंगानगर में हत्यायें कर रहा है। इस पत्र से स्थिति स्पष्ट होती है कि फेनेटिक होने की सम्भावना कम है और हत्याओं के पीछे एक गेंग के होने की सम्भावना बढ़ती जा रही है और भी कई ऐसी घटनायें हुई हैं जिनसे स्पष्ट होता जा रहा है कि भय पैदा करने के लिए, टैरर क्रियेट करने के लिये पाक स्पाइज और पाक के लोग एक्टिव होते चले जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ यहां अध्यक्ष महोदय, पाक स्पाइज पकड़े भी गये हैं और उनका पेनीट्रेशन गंगानगर के अन्दर पहले के मुकाबले में आप उठाकर देख लें कि बढ़ता चला जा रहा है। मैंने इस सदन के अन्दर जब कि हमारे हाई कमिश्नर के ऑफिसर पर हमला किया गया था उसी समय प्रस्ताव

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

रखा था तो आपने कहा था कि यह अन्तर्राष्ट्रीय बात है और उसके बाद जो लोग फायरिंग में मारे गए पाकिस्तान ने उनको गाजी बताया। मैं यह कहूंगा कि इस घटना ने सारे भारतवर्ष में जो कि पाक फेनेटिक्स हैं उनको प्रोवोक किया है और गंगानगर बोर्डर पर पाक फेनेटिक्स प्रोवोक हो रहे हैं। उनकी एक्टीविटीज पहले से ज्यादा सक्रिय हो गयी हैं और पाक तस्करियों का प्रश्न भी पहले के मुकाबले में बढ़ता जा रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, उन हत्याओं के चेन ऑफ मर्डर का काफी समय निकल गया है। उनकी चेन ऑफ मर्डर अभी डिसकवर नहीं हुई है और इस पत्र से और अधिक आतंक गंगानगर में पैदा हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि मुख्य-मन्त्रीजी स्वयं इस सम्बन्ध में स्टेटमेन्ट दें क्योंकि यह केवल गंगानगर के महत्व का ही प्रश्न नहीं होने के कारण राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है। आज अमेरिका के द्वारा शस्त्रों की सप्लाई अधिक की जा रही है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो मैं अध्यक्ष महोदय, नम्र निवेदन करूंगा कि आप माननीय गृह मन्त्रीजी को फरमायें कि वह इस सम्बन्ध में एक स्टेटमेन्ट दें ताकि स्थिति स्पष्ट हो।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था हाईकोर्ट की बेंच के बारे में। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हर छोटे-छोटे स्टेट में भी, केरल जैसे स्टेट में भी दो, तीन बेंचेज हैं....

श्री अध्यक्ष : यह सब डिस्कस हो चुका है।

श्री मीठालाल : उत्तर प्रदेश में भी नयी बेंच खोली जा रही है तो फिर हमारी सरकार के पास क्या तर्क है कि राजस्थान में एक बेंच नहीं खोली जा सकती है? यह विवेकशील नहीं है।

दूसरा प्रस्ताव अनाज के सम्बन्ध में जिलाबन्दी करने का निर्णय लिया है, मैं समझता हूं कि जिला रसद अधिकारी ने यह निर्णय लिया है, वह कदम ठीक हो सकता है लेकिन अन्य जिलों में कोटा और बून्दी आदि जिलों में अचानक रोक दिया। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स से माल आता था वह भी रोक दिया और परमिट सिस्टम शुरू कर दिया। तो यह सिस्टम शुरू करने से अधिकारियों की जेबें गरम होने के अलावा और कुछ नहीं है। यहां से कोई चने का ट्रक जाता है तो अलवर के जिलाधीश ने 75 रुपये में बाजार में बिकवा दिया जब कि वह बाहर जा रहा था। सरकार की तरफ से प्रतिबन्ध नहीं है और उसको रोक कर जिलाधीश बेचें यह न्यायसगत नहीं है। हमारी राज्य सरकार एक तरफ तो आकांक्षा करती है कि बड़े व्यापारी लोग सरकार के साथ सहयोग करें और अन्तिम समय में इस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आज वक्तव्य दे रहे हैं उसमें स्पष्ट करें। यह कहां तक न्यायसंगत है कि ट्रक को जाने से रोका जाये और जिलाधीश उसको अलवर में सरेआम बाजार में बिकवा दें।

श्री केसरीमल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा था। सरकार ने अपनी नीति घोषित की है। सरकार की नीति इस तरह होनी भी चाहिए कि ऐसे उद्योग वन सम्पदा और खनिज सम्पदा यह चीजें है उनको राजकीय ढंग पर चलाया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सरकार ने अपनी नीति घोषित की है कि तेन्दू के पत्तों का व्यापार सरकार खुद करेगी और किसी को भी उनका ठेका नहीं देगी, लेकिन जैसे ही नीति घोषित की गयी तो मालूम हुआ कि इसका व्यापार खुद नहीं करके ठेकेदारों को ठेका देने की सरकार व्यवस्था कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना है कि एक तरफ सरकार अपनी नीति घोषित करे और फिर सरकार में ऐसे अधिकारी हैं कि जो नीतियों को अमल में नहीं लाने देते तो क्या सरकार यह चलने देगी ? मैं समझता हूं कि इसमें जरूर सरकार की नीति है। वह घोषणा कुछ करती है और नीचे लोग ऐसे हैं कि जो नीचे से आग लगा रहे हैं। इस प्रकार तेन्दू के पत्तों का व्यापार ठेकेदारों को नहीं देकर सरकार खुद करे, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था....

श्री अध्यक्ष : एक-एक मिनिट में कहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : न्याय विभाग की मांग के सम्बन्ध में जो वक्तव्य दिया था....

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जिनका स्थगन प्रस्ताव नहीं है यदि आप उनको बोलने की इजाजत दे देंगे तो यह कार्यवाही कैसे चलेगी ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है और एम० एल० एज० ने लिख कर दिया तो हमें कहने का अधिकार तो है...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : बैठिये। कितने सदस्य एक साथ बोल रहे हैं। जो बात आप कहना चाहते हैं वह नहीं लिखी जा रही है। कृपया एक-एक सदस्य बोलें।

(शोरगुल–अश्रव्य)

प्रेस वाले भी नहीं लिख रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : प्रेस वाले लिखते हैं या नहीं मैं तो एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं....

श्री प्रद्युम्नसिंह : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, अध्यक्ष महोदय।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट बेंच के मामले में हमें भी बोलना पड़ेगा।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं किसी को समय नहीं दूंगा। प्लीज सिट डाउन।

(शोरगुल)

श्री मोहनलाल छंगाणी : जनसंघ के नेता महोदय इस सम्बन्ध में कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया शांत रहें।

(श्री मनोहरलाल के बार-बार बोलते रहने पर) माननीय सदस्य आप अवहेलना कर रहे हैं मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन !

श्री केदारनाथ : पॉइन्ट ऑफ आर्डर, अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : कहिए।

श्री केदारनाथ : कोई ऐसा क्वेश्चन अरजेंसी का हो और उसके लिए एड्जोर्नमेंट मोशन नहीं हो तो भी माननीय सदस्य उसको वहां पर उठा सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : हम देख चुके हैं। इस सदन में काफी चर्चा इस विषय पर हो चुकी है, स्टेटमेंट हो चुके हैं....

श्री केदारनाथ : इसके बारे में और भी कुछ कहना चाहें....

(कई माननीय सदस्य निरन्तर एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : I won't allow. श्री रामनारायण चौधरी !

(पुनः दो मिनट तक कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : Not to be recorded + + +

(व्यवस्था होने पर)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं अलसीसर, मसलीसर तथा राजगढ़ सड़क निर्माण कराने के संबंध में कुछ लोगों की हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

समिति का प्रतिवेदन

जन-लेखा समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री हीरालाल देवपुरा !

श्री हीरालाल देवपुरा (सभापति, जन-लेखा समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग लेखे 1969-70, वित्त लेखे 1969-70 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन 1969-70 के अन्तर्गत उद्योग तथा राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, कृषि, कृषि अभियांत्रिक मण्डल, खनिज एवं भूगर्भ, खाद्य, चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नगर आयोजना, पशु-पालन एवं पशु चिकित्सा, भेड़ व ऊन, यातायात, राजस्व, राजस्थान नहर परियोजना, भू-जल मण्डल, वन, सहकारिता, सार्वजनिक निर्माण एवं शिक्षा विभाग से सम्बन्धित जन लेखा समिति के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य।

श्री केदारनाथ : अर्ज यह है कि जिन लोगों ने हाईकोर्ट बेंच जयपुर में स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं, उस बाबत निवेदन करना चाहता हूँ कि विधि मंत्रीजी

+++ अध्यक्ष महोदय के आदेश से रेकार्ड नहीं किया गया।

(श्री केदारनाथ)
उनसे मिलने जायं। जो लोग बाहर आए हैं और जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं उनको भी मोरल ड्यूटी निभाने के लिए मिलने जाना चाहिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मंत्री महोदय को भी जरूर मिलना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंत्रीजी को आप प्रार्थना कर दें। लॉ मिनिस्टर मौजूद हैं वे भी जायें। हाथी के पैर में सब का पैर है।

(व्यवधान-अश्रव्य)

वे सदस्य जिन्होंने हस्ताक्षर किए है वे तो कम से कम चलें।

शासकीय वक्तव्य

राज्य में खाद्यान्न की वितरण समस्या एवं अकाल राहत कार्य सम्बन्धी

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जिन 110 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं हाई कोर्ट बेंच जयपुर में लाने के लिए, क्या स्याही सूख गई है....

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी आरम्भ करें।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां सदन के कई माननीय सदस्यों ने राजस्थान मे अभी वर्त्तमान में जो अकाल की स्थिति है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और अपनी चिंता व्यक्त की है कि इस अकाल की विषम स्थिति के समय में राज्य सरकार पूरी राहत नहीं पहुँचा सकी है, और जो कुछ भी राहत दी जा रही है, यह राहत आवश्यक है ऐसा गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है। यहां पर झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर जिले में मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है....

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझुनू से कौनसे आए हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : झुंझुनू से नहीं मण्डावा से आने वाले, मैं क्षमा चाहता हूं। उन्होंने चिंता व्यक्त की चार जिलों की एक साथ और मुझे स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि फेमिन वर्क्स पर, राहत कार्यों पर पेमेंट वेजेज का होने में देरी हुई है। इस पिछले सप्ताह दो दिनों की छुट्टियों में माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में गए और मुझसे भी मिले थे और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिए भी उन्होंने इस मुद्दे को रख कर अपना आक्रोश और चिंता व्यक्त की है। राज्य सरकार ने पिछले तीन दिनों में वेजेज के पेमेंट के सम्बन्ध में कई आदेश जारी किए हैं। आदेश तो पूर्व में भी जारी किए गए हैं, लेकिन 21 फरवरी को ये आदेश जारी किए गए कि एक सप्ताह का जो पेमेंट है वह अगले सप्ताह की 10 तारीख तक हो जाना चाहिए। उसमें टाइम बाउण्ड प्रोग्राम दिया गया था। अगली नैक्स्ट फोर्टनाइट के पहले पांच दिनों में मेजरमेंट करने के बाद में, मस्टर रॉल तैयार करने के बाद, चेक इश्यू करने के बाद रेवेन्यू

(श्री परसराम मदेरणा)
एजेंसी को चैक और मस्टर रॉल एक्जीक्यूटिव एजेंसी को हैंड ओवर कर देना चाहिए और अगले पांच दिनों के अन्दर रेवेन्यू एजेंसी को पेमेंट कर देना चाहिए, श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान कर देना चाहिए। उसमें कुछ देरी हुई और देरी के कुछ कारण थे। काम शुरू हुए ज्यादा संख्या में। अभी राजस्थान में कुल 3,170 कार्य चल रहे हैं जिनमें साढ़े छः लाख लेबर लगी हुई है जिनके भुगतान में कुछ देरी हुई है। राज्य सरकार ने तीन दिन पहले ही निर्णय लिया है। कुछ जिलाधीशों ने और एक्जीक्यूटिव एजेंसीज ने अपनी दिक्कत बताई थी कि हमारे पास वाहनों का अभाव है, जीपों का। इसलिए रेवेन्यू एजेंसीज को पेमेंट करने के अन्दर उसमें दिक्कत आती है और खास तौर से एक्जीक्यूटिव एजेंसी को जीपों को ठीक करने के आदेश, पचास के आसपास जीपों को ठीक करने के आदेश राज्य सरकार ने वायरलेस से दे दिए हैं। करीब 17-18 जिलाधीशों से मैं पिछले दो दिनों से लगातार सम्पर्क में हूं और इस बात की कोशिश की गई है कि 28 फरवरी तक का पेमेंट होली से पहले हो जाना चाहिए।

मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय सदस्य तीन दिन की छुट्टियों में जब अपनी कांस्टीट्यूएन्सी में जा रहे हैं और जब से वे 20 को वापस यहां एकत्रित होंगे तो मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि सबको पेमेन्ट हो जाएगा लेकिन निश्चित तौर पर उनको संतोष होगा कि पेमेन्ट के सम्बन्ध में पिछले तीन-चार दिनों के अन्दर बहुत ज्यादा गतिशीलता आई है और जहां तक अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स का सम्बन्ध है, चूरू, सीकर, झुन्झुनूं और नागौर अलग अलग स्थानों के बारे में तो मैं अलग अलगसे निश्चित रूप से नहीं कह सकता, लेकिन हमने इस बात का प्रबन्ध किया है कि जल्दी से जल्दी पेमेन्ट करना चाहिये। यह बात भी बता दूं कि आज राज्य सरकार इस बात को वायरलेस से घण्टे-डेढ़ घण्टे में सभी कलेक्टर्स को हिदायत कर रही है कि मार्च के महीने में पूरी फोर्टनाईट का नहीं बल्कि 25 मार्च तक का मस्टर रॉल क्लोज कर देना चाहिये और 31 मार्च को 25 तारीख तक का पेमेन्ट हो जाना चाहिये। इस बात के आदेश दिये गये हैं।

यहां पर मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कैटल कंजरवेशन के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की। राज्य सरकार जैसा कि पहले भी इस सदन में निवेदन कर चुकी है सूखे की वजह से कैटल कंजरवेशन आवश्यक ही नहीं, लेकिन राजस्थान के अन्दर कैटल जीविकोपार्जन का बहुत बड़ा जरिया है। राजस्थान की एक विशेष परिस्थिति है। यहां की कैटल पॉपुलेशन भी हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों के मुकाबले ज्यादा है। राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन 2 करोड़ 57 लाख है, लेकिन यहां की कैटल पॉपुलेशन 3 करोड़ 75 लाख के आस-पास है और खास तौर से जो जिले सूखे की चपेट में रहते हैं, सूखे से प्रभावित रहते हैं वहां पर कैटिल पॉपुलेशन का रेशो ज्यादा है। राज्य सरकार का यह आदेश है केटल के माइग्रेशन के सम्बन्ध में कि जो माइग्रेटेड रूट है वहां पर चारे की व्यवस्था रखी जाए। राजस्थान में जो 7/8 सूखाग्रस्त जिले हैं वहां पर चारे के सेल डीपो खोल दिये गये हैं। जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य मेरी इस बात को मानेंगे

(श्री परसराम मदेरणा)
जैसलमेर वर्षों से अकाल की चपेट में है वहां पर भी चारे की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यहां पर उदयपुर जिले के बारे में भी चिन्ता व्यक्त की है। यह कहा गया कि वहां सेल डीपो नहीं खुले हैं। 68-69 में वहां पर जो घास पड़ा हुआ था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने कलेक्ट किया था वह थोड़ा सा वहां पर वितरण कराया गया था। उदयपुर जिले में खास तौर से रेगिस्तानी जिलों से जो चारा था वहां भेजा गया है और अब वहां पर सेल डीपो भी खोले गये हैं और साथ ही केटल फीडिंग सेन्टर वहां पर पहली बार स्थापित किया गया है। सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह निवेदन भी कर देना चाहता हूं कि राजस्थान के जो 8 जिले सूखे से ज्यादा प्रभावित हैं उनमें हमने केटल ऑनर्स को चारा खरीदने के लिये 20 लाख रुपये तकावी के रूप में देने के लिये आवंटित किये है और इनमें से उदयपुर जिले के लिये तीन लाख रुपये आवटित किये गये हैं। अगर मावली कॉन्स्टीटुएन्सी में केटल ज्यादा कमजोर हो गई है तो मैं जिलाधीश महोदय को यह आदेश दे रहा हूं कि प्रपोर्शनेटली यह तकावी मावली में भी वितरित की जावे ताकि वहां की केटल की सुरक्षा हो सके। अब हमारे यहां पर जो स्थिति है उसमें हमने टोटल जो वेगन्स मूव किये हैं, इन्टरनली राजस्थान के अन्दर, क्योंकि चारा ट्रकों से ले जाना महंगा रहता है। उस दिन मैं बाड़मेर गया था जैसलमेर में माननीय सदस्य भी साथ थे। 11-12 फरवरी को इसकी बहुत जांच की, स्क्रूटिनी भी की, उसके बाद यह पाया कि बाड़मेर से जो चारा जैसलमेर पहुँचता है, रिमोट एरिया की बात छोड़ दीजिये, जैसलमेर तक पहुँचाने में जो टेण्डर आया वह 13 रुपये प्रति क्विन्टल का था। इस तरह से ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज बहुत महंगे हैं इसलिये यह निर्णय लिया गया है कि चारा वेगन्स से मूव किया जाए। बाहर से वेगन अभी 80 मिले हैं। लेकिन यहां पर जो इन्टरनली वेगन्स उपलब्ध हुए हैं उनसे एक लाख 47 हजार क्विन्टल चारा गया है। फलौदी भी पहुँचा है, जैसलमेर भी जा रहा है। कुल वेगन्स जो मूव हुए हैं, इन्टरनली उनकी संख्या अभी एक हजार के आस-पास है। यह कुल एक हजार 33 वेगन्स मूव हुए। इनमें जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुँचे हैं उनकी संख्या 223 है इसलिए राज्य सरकार उदयपुर जिले के बारे में कोई भेदभाव नहीं बरत रही है।

जहां तक केटल रिजर्वेशन का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, आगे आने वाला समय मई और जून के महीने, सरकार का ऐसा अनुभव है, और माननीय सदस्य भी मेरी इस राय से सहमत होंगे कि मई और जून के महीने केटल के लिए काफी परेशानी के महीने होते हैं। इसलिए राज्य सरकार ने 272 एकड़ में हरी घास, हरा चारा इस साल गंगानगर और जैतपुरा फार्म में उगाया और उसको भी सस्ती दर पर बेचने के लिये आदेश दे दिये हैं। बाकी इसका वितरण गंगानगर, चूरू और बीकानेर जिलों में किया जायगा। इस साल जो प्राइस हमने रखी है वह आस-पास के इलाके के काश्तकार स्वयं काट कर ले जाएंगे तो वह तीन रुपया है। बाकी जो

(श्री परसराम मदेरणा)

फीडिंग सेन्टर का प्रोग्राम है उसमें सब्सिडी देंगे। जिलाधीश को ऐसे आदेश दे दिये हैं ताकि कैटल ऑनर को इसे खरीदने में कोई ज्यादा कठिनाई न होवे। आने वाले समय के अन्दर राज्य सरकार की ओर से जितने भी प्रयत्न हो सकते हैं उनको करने में राज्य सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।

अध्यक्ष महोदय, पाली तहसील में अपर्याप्त राहत कार्य किये जाने के सम्बन्ध में पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सदन में उल्लेख किया है। वे स्वयं जानते हैं कि उनके काल अटेन्शन आने के बाद जिलाधीश को मैंने यहां पर बुलाया था और पाली के विधान सभाई सदस्य से भी मैंने बातचीत की थी। दस तारीख को मीटिंग भी हुई थी। पाली के अन्दर वहां की स्थिति को देखते हुए अभी जो काम चल रहे हैं, राज्य सरकार ऐसा मानती है कि आपके काल अटेन्शन के बाद वहां पर काफी इम्प्रूवमेन्ट हो गया है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट होंगे।

अध्यक्ष महोदय, टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यहां एक प्रस्ताव के जरिये दो मुद्दों की चर्चा की है। एक तो यह है कि टोंक जिले के लिये लेबर का जो टार्गेट था 15 हजार का वह पूरा नहीं हुआ। अभी केवल दस हजार श्रमिक ही वहां पर काम कर रहे हैं। यह कहा गया इस तरह से इस टार्गेट को एचीव नहीं किया गया है। दूसरा उनका मुद्दा था कि पेमेन्ट्स पिछले एक महीने से नहीं हुआ है। मैंने स्वयं उस दिन माननीय सदस्य से बातचीत की थी जबकि आपका मोशन तो विधान सभा सचिवालय में पहुँचा ही था। मुझे जिलाधीश द्वारा यह बताया गया है कल रात और आज सुबह तक की जो सूचना उपलब्ध हो सकी है, वह यह है कि अकाल राहत कार्यों पर वहां पर जो श्रमिक लगे हुए हैं वे 15 हजार से ऊपर हैं। इसलिए दस हजार की जो बात माननीय सदस्य ने यहां पर कही है, वह इन्फर्मेशन उनकी पहले की होगी। 15100 लेबर कल रात तक टोंक जिले में विभिन्न राहत कार्यों पर लगी हुई थीं और टार्गेट के सम्बन्ध में जिलाधीशों को हमने और आदेश दे दिए हैं कि पांच हजार तक लेबर इस महीने में और लगा सकते हैं लेकिन यह टार्गेट से एक्सीड हो गया है फिर भी यह एक टेन्टेटिव फीगर है हम इस पर स्ट्रीक्टिली नहीं चल रहे हैं। इस तरह से वहां पर लेबर कार्य कर रही है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पेमेन्ट का प्रश्न है। मुझे जिलाधीश द्वारा यह बताया गया है कि पेमेन्ट जो टोंक डिस्ट्रिक्ट में किया गया है उसमें तीन तहसीलों निवाई, देवली और टोंक इन तहसीलों में 28 फरवरी तक के पखवाड़े का पूर्ण वेजेज का भुगतान कर दिया गया है। जहां तक दो तहसीलों का प्रश्न है टोडारायसिंह और मालपुरा यहां पर 15 फरवरी तक का भुगतान कर दिया गया है और बाकी के चुकारे के लिए व्यवस्था कर दी गई है। रकम भी भेज दी गई है। कुछ कार्यों की रकम जिलाधीश ने तहसीलों को भेजी है और उनका पेमेन्ट भी अगले एक-दो दिनों में हो जाएगा। वहां पर सी. एच. आदि का

(श्री परसराम मदेरणा)

काम चल रहा है और वहां पर 3273 श्रमिक इन कार्यों पर लगे हुए हैं। इस तरह से, अध्यक्ष महोदय, टौंक जिले के पेमेन्ट के बारे में जो यहां पर कहा गया है, जो बात कही गयी है, उस पर पिछले कुछ दिनों में गतिशीलता आई है, और मैं सोचता हूं कि यह कहना ठीक नहीं है कि जब से काम प्रारम्भ हुआ है तब से कोई पेमेन्ट नहीं किया गया है या पिछले डेढ़ महीने का पेमेन्ट बाकी है। तीन तहसीलों में 28 फरवरी तक का पेमेन्ट हो गया है। यह सप्ताह अब प्रारम्भ हुआ है 15 तारीख को और इसके पेमेन्ट की भी व्यवस्था कर दी गई है जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं। यहां पर बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये 10-11 मार्च को बीकानेर में जो तेज आंधी आई थी जिसकी वजह से जो खदानें हैं उनमें रेत आ गई है और उस रेत के आने की वजह से मजदूरों का पेमेन्ट घट जायगा ऐसी आशंका उन्होंने व्यक्त की थी, हालांकि मेजरमेंट तो 15-16 तारीख को होगा। इस बारे में मैंने जिलाधीश से जानकारी ली है और जानकारी में मुझे यह बताया गया है कि चार सड़क कार्यों में अर्थ वर्क चल रहा है– वहां पर 35 के आसपास सड़क कार्य बीकानेर जिले में चल रहे हैं तो चार सड़क कार्यों पर अर्थ वर्क चल रहा है और बाकी में ग्रेवल खोदे जा रहे हैं और उनमें आंधी से फर्क होने की जो आशंका माननीय सदस्य ने मेजरमेंट से पहले व्यक्त की है इसका कोई आधार नहीं है, और आंधी की वजह से खदानों में रेत आ गई है इसलिए मेजरमेंट कम हो जायगा और मजदूरों पर इसका असर पड़ेगा इस प्रकार का कोई भी अन्देशा नहीं है, ऐसा मुझे बताया गया है।

यहां पर जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, तीन माननीय सदस्यों ने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि भारत सरकार ने कृषि राज्य मन्त्री शिन्दे साहब ने कुछ सांसदों से मुलाकात के समय, उनसे इन्टरव्यू के समय कहा है कि राजस्थान सरकार की मशीनरी जो है उसको गियर अप किया जाना चाहिए, कसा जाना चाहिए, टाइट किया जाना चाहिए। राजस्थान में जो कार्य लिये जा रहे हैं वह ज्यादातर सड़कों के कार्य लिये जा रहे हैं और राजस्थान सरकार राहत के कामों को वार फुटिंग पर नहीं ले रही है। ऐसा स्टेटमेंट मैंने भी राजस्थान पत्रिका में कल पढ़ा था। राजस्थान पत्रिका में पढ़ने के बाद में आज प्रातः भारत सरकार के राज्य कृषिमन्त्री से मेरी फोन पर बात हुई थी और मैंने उनसे यह बात कही थी कि आपका इस तरह का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें राज्य सरकार की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी और राजस्थान सरकार जिस तरह से राहत कार्यों को ले रही है उस पर कुछ एसपर्शन्स कास्ट किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने तो जनरल बात कही थी कि प्रोडक्टिविटी के काम लिये जायं और वह राजस्थान के लिए ही नहीं भारत सरकार ने दूसरे 6-7 प्रांतों में सूखा है उन सभी को यह बात कही है कि उपयोगी काम लिये जाने चाहिएं। उस तरह का जनरल रेफरेन्स मैंने किया था। राजस्थान सरकार ने पिछले दो-तीन महीनों से लोगों

(श्री परसराम मदेरणा)

को राहत देने के सम्बन्ध में जो भी उन्होंने स्टेप्स उठाये हैं उससे भारत सरकार सन्तुष्ट है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के प्रति इस तरह का स्टेटमेंट और एसपर्शन कास्ट करने की बात यदि किसी अखबार में आई हो तो उसको आप मेरी तरफ से कन्ट्राडिक्ट कर दें कि मैंने ऐसी बात नहीं कही।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : भारत सरकार के खाद्य मन्त्री श्री शिन्दे साहब स्वयं कन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहते। वे पेपर्स में स्टेटमेंट देकर खण्डन नहीं करना चाहते क्या?

श्री **परसराम मदेरणा** : उनके पास यह न्यूज आइटम नहीं था। हिन्दुस्तान के अखबारों में क्लियर नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा स्टेटमेंट नहीं देखा। मैंने बताया कि राजस्थान पत्रिका हमारा अखबार है उसमें इस प्रकार का स्टेटमेंट आया है, और उसकी कापी मैं आपके पास भेजूंगा, लेकिन उन्होंने यह कहा कि मेरे बिहाफ पर इसको कन्ट्रॉडिक्ट कर दें। 11 बजे के आसपास मेरी बातचीत हुई थी उस समय शायद वे पार्लियामेंट जा रहे थे। जहां तक उनके कन्ट्राडिक्शन का प्रश्न होगा यह उनके देखने की बात है। उसकी कापी उनके पास भेज दी गई है। वह आज उपलब्ध हो जायगी।

श्री **अजीतसिंह** : माननीय मन्त्रीजी, यह सब जाने दें। मेरे यहां की दिक्कत है वह मैं अर्ज करना चाहता हूं....

श्री **परसराम मदेरणा** : दिक्कत आप बाद में रख दें।

श्री **अध्यक्ष** : आप बाद में फर्मा दें।

श्री **परसराम मदेरणा** : जहां तक राजस्थान सरकार की मशीनरी को गियर अप करने का प्रश्न है मैं 22 फरवरी को इस सदन में निवेदन कर चुका हूं कि राहत कार्यों में कुछ सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स हैं उन सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम्स के अन्तर्गत नेशनल हाइवे का काम है, डी० पी० ए० पी०, सी० एस० आर० ई० का कार्य है, डेरी डेवलपमेंट स्कीम्स का काम है, इनमें जितना लेबर लगना चाहिए, और जितना सर्वे के इन कामों में लग सकता है राजस्थान सरकार ने अपने सभी डिपार्टमेंट्स के साथ में कोआर्डिनेशन करके इस चीज को तय कर लिया है कि आज स्थिति यह है कि सी० ए० एस० आर० ई० के जो कार्य चल रहे थे उनमें 1,59,000 व्यक्तियों के आसपास 22 फरवरी को कार्यरत थे। जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी के अन्त तक सी० एस० आर० ई० में 2 करोड़ 78 लाख रुपये खर्च हो गये थे और दो महीने बाकी थे तो हमने भारत सरकार से यह निवेदन किया था कि सी० एस० आर० ई० में जो टोटल आउट-ले सारे राजस्थान का रखा है 3 करोड़ 25 लाख रुपये का उसमें 1 करोड़ और 90 लाख रुपये की राशि और चाहेंगे और अगर यह राशि दें तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 25 लाख की ही राशि दी है। इसका नतीजा यह हुआ कि राजस्थान में जो कई जगह सी० एस० आर० ई० के कार्य चल रहे थे वे बन्द हो गये। मार्च के प्रथम सप्ताह में आदेश दिया कि जहां पर सी० एस० आर० ई० के कार्य चल रहे हैं और उनमें जो लेबर लगी हुई है उस लेबर का पेमेंट एक महीने का 64 फेमीन

(श्री परसराम मदेरणा)

के हैड से लेकर देना चाहिए, क्योंकि एक अप्रेल के बाद धनराशि और मिल जायगी ताकि उन लोगों को अनएम्प्लाय नहीं किया जा सके। राजस्थान सरकार ने सी० एस० आर० ई० के टोटल आउटले के लिए भारत सरकार से निवेदन किया है। नेशनल हाई वे और दूसरी जो स्कीमें इसमें हैं उनका जो टोटल आउट-ले है, जो फिजीकल टार्गेट रखे हैं उसमें किसी प्रकार का कोई काम वाकी नहीं छोड़ेंगे। मैं समझता हूं कि इस आउटले में जो कुछ धनराशि रखी गई हैं वह खर्च हो जायगी, सिवाय इरिगेशन के कुछ काम में शार्टफाल हो सकता है, और उसका कारण यह है कि हमारी जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको गियर अप नहीं किया गया हो यह कारण नहीं है। कारण यह है कि सीमेंट की बहुत बड़ी कमी है, और सीमेंट की कमी के संबंध में बात मन्त्रि-मण्डल में आई है और हर लेवल पर इस बात की कोशिश की जा रही है कि सीमेंट का जहां से भी आवंटन किया जा सके, किया जाय। स्पेशल बोगीज सीमेंट का भी आवंटन हुआ है। पहले से ही डिफिकल्टी आ रही थी उसकी वजह से सीमेंट जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला है। लेकिन जो कुछ भी इरिगेशन के काम चल रहे हैं फ्लड के अन्दर उनकी मयाद वह जून के अन्त तक है। वह मयाद यहां पर नहीं है कि इस फाइनेन्शियल ईअर में खत्म हो।

यहां पर डी० पी० ए० पी० के सम्बन्ध में एक बात कही है। मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि 20 करोड़ रुपये जो राजस्थान को मिले थे वह 20 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार खर्च नहीं कर पाई है। अभी तक जो 20 करोड़ रुपये हैं यह 10 जिलों के लिए थे और 10 जिलों में से एक-एक जिले को दो-दो करोड़ रुपये दिये गये हैं और उन 10 जिलों के अन्दर एक-एक करोड़ के अन्दर दो शर्तें थीं। एक शर्त तो यह थी कि राजस्थान में जो टोटल आउट ले 20 करोड़ का है इसमें सड़क के कार्यों पर 5 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च नहीं कर सकते, केवल 25 पर्सेन्ट ही खर्च होगा। यह सीलिंग मुकर्रर था। दूसरी शर्त डी० पी० ए० पी० के सम्बन्ध में यह थी कि दूसरे काम इसमें लेने के बारे में बराबर भारत सरकार से डेढ़ साल तक करसपोन्डेन्स चलती रही। हमारा यह कहना था कि हमारे यहां पर पानी की दिक्कत है, रेगिस्तानी इलाका है इसलिए रीजनल पाइप लाइन की सैंक्शन इसमें दी जाय। जहां कहीं भी अन्डरग्राउण्ड पानी खारा है अथवा कड़वा है वहां पर खास तौर से रीजनल पाइप लाइन का कार्य डी० पी० ए० पी० के अन्दर अन्दर लेने की इजाजत दी जाय। करीब डेढ़ साल की करसपोन्डेन्स के बाद यह सैंक्शन आई है। डी० पी० ए० पी० के हिन्दुस्तान में 54 जिले चल रहे हैं जिनमें राजस्थान में 10 जिले हैं और 44 जिले भारत के दूसरे प्रान्तों में हैं अब इन 10 जिलों के अन्दर ईरीजनल पाइप लाइन भी ली जा सकती है। इसकी उन्होने इस समय स्वीकृति दी है। वह 20 करोड़ और 35 लाख रुपये के आसपास है और चूंकि बहुत ही बाद में स्वीकृति आई है इससे कई जगहों पर जहां

(श्री परसराम मदेरणा)
पर पहले से ही ट्यूबवेल्स खुदे हुए हैं, ट्यूबवेल्स खोदे गये हैं फेमीन के अन्दर वहां पर कोई न कोई ट्यूबवेल की योजना उनको मानकर यह कार्य वार फुटिंग पर हाथ में ले लिया गया है। लेकिन इसमें पाइप लाइन की दिक्कत आ रही है...। पाइप लाइन की जरूर दिक्कत है। लेकिन एक साल और बाकी बचा हुआ हैं। मैं समझता हूं कि खर्च हो जायेगा। अभी तक टोटल खर्च डी० पी० ए० पी० पर 8 करोड़ 26 लाख रुपया है, जनवरी के एण्ड तक यह कर चुके हैं। राज्य सरकार ने यह अन्दाजा लगाया है कि 100 लाख खर्चा हो जायेगा। कुल मिला कर 9 करोड़ 26 लाख का खर्चा इस साल होगा। करीब 10 करोड़ की धनराशि बच जाती है। चूंकि ये काम कुछ देरी से शुरू हुये हैं। भारत सरकार ने बहुत से ऐसे काम फेमीन में ले लिये थे और जो बच गये थे, उनको यह कहा था कि डी० ए० डी० पी० में लेना चाहते थे, इसलिए हम इसके अन्दर नहीं ले सकते हैं। राजस्थान सरकार के दो दफा निर्णय लेने के बाद भारत सरकार ने स्वीकृति दी है।

इरिगेशन के अन्दर काम लेने में कुछ देरी हुई। लेकिन पिछले तीन महीने से जो दूसरे कार्य रुके हुये थे पिछले 90-100 दिन में गियरअप कर दिया गया है। अभी कुछ डिफिकल्टी जो आ रही है, वह सीमेन्ट की है। लेकिन दूसरे बांध में पर्याप्त खर्चा हो जायेगा। इसके साथ क्लस्टर स्कीम और जो दूसरे प्लान चल रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : फिर 'लेकिन' आ गया है।

श्री परसराम मदेरणा : 7 करोड़ स्वीकृत किया, जबकि हमारा खर्चा 8 करोड़ 26 लाख हो गया है। मैंने निवेदन किया कि हमने इतना खर्चा कर दिया है। कम से कम यह अमाउन्ट भेज दिया जाये हमारे पास। परन्तु उनके एक डायरेक्टर और राजस्थान के अधिकारी जो वहां पर गये हुये थे, उनकी एक मीटिंग हुई, मैं उसके जो मिनिट्स हैं वह मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं—

'Shri Arora explained the account of the proposed provision of forty crores the Ministry of Finance agreed to the reduced amount of Rs 33 crores for 1973-74. On making a final review a further cut of 10 crores has been made.

The provision finally agreed was of only 23 crores which was quite insufficient to meet the requirements of the State Goverment for 73-74 even to continue the schemes."

40 करोड़ रुपया जो कृषि विभाग का है, उसमें भेजा था। पहले 7 करोड़ कम था। फिर 40 करोड़ के अगेंस्ट में 23 करोड़ रखा है। मगर भारत सरकार के पास साधनों की कमी है। 23 करोड़ रखा गया है, उसके अनुपात में मैं समझता हूं कि हमको जो अामउण्ट मिलने वाला है, हमारी गलती नहीं है। भारत सरकार यह धनराशि नहीं रख सकती है। इसके प्रपोर्शन में हमें सहायता देते हैं। मुझको जो एमाउण्ट मिलेगा, 7 करोड़ के करीब मिलेगा। जो 7 करोड़ मिलेगा वह खर्च करेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : क्या मन्त्री महोदय इसको....

श्री अध्यक्ष : बाद में पूछ लें।

श्री परसराम मदेरणा : Shri Arora told that in view of the financial restrain it would not be possible to meet the full demand of the State. Shri Qureshi explained that although the programme can be sanctioned to the State to the level of allocation of the fund for the next financial year....

After some discussion, it was tentatively decided that an allocation of Rs. 7 crores be made to the State Government for the year 73-74.

73-74 में अगर एलाटमेण्ट राजस्थान के लिए 7 करोड़ रखा जाता है तो वह सब्सिडाइज करने वाला प्रश्न और इसके साथ दूसरे जो प्रश्न आये हैं, जैसा कि 91 लाख का एक प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है, मैं समझता हूं कि यह स्वीकार नहीं होंगे। और राजस्थान सरकार इसके लिए एडजस्टमेण्ट नहीं कर सकती है। जो काम प्रारम्भ किये गये हैं उनको पूर्ण कराया जाय यह राज्य सरकार के काम को स्थिति है। और इस स्थिति के अन्दर रिव्यू करने के बाद में निर्णय लिया जायेगा। कण्टीन्यू काम पूर्ण कराये जायें ताकि वे अनकम्पलीट न रहें।

जहां तक मुझे यह कहा गया है, मैं इस पर विस्तृत चर्चा 22 फरवरी को इस सदन में कर चुका हूँ। मक्का क्यों लेप्स हुआ। इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें जो कोटा अलॉट होता है, वह एफ० सी० आई० की जिम्मेदारी है कि वह स्टेट मे पहुँचाये। वह नहीं पहुँचाई। इसमें शार्टफाल रहा है। हमने 33 हजार टन बाई रोड मंगाया, ट्रकों की व्यवस्था करके। जनवरी महीने में लेप्स नहीं हुआ। फरवरी महीने में 10 हजार टन माइलो दिया गया था। 15 हजार टन लेप्स हुआ। 42,000 टन मक्का आई थी। उसमें धतूरे के बीज मिले हुये थे। स्क्रीनिंग करने में देरी हुई। इसलिए एडीशनल गेहूं वितरित करने की बात की है। 10 हजार टन जो मिला है, वह अलग अलग जिलों में आवंटित कर दिया गया है। यहां पर डीडवाना तहसील के गांव...

(अल्प विराम)....

श्री निरंजननाथ आचार्य : चौपट!

श्री परसराम मदेरणा : डीडवाना तहसील के एक गांव जिसका नाम बेड़वा है, उसके सम्बन्ध में कहा गया है। डीडवाना तहसील में बेड़वा गांव है, उस के सम्बन्ध में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, वहां अनाज का वितरण, शक्कर का वितरण नहीं किया गया। उस सम्बन्ध में निवेदन करूं कि पहले बेड़वा ग्राम पंचायत को पूरा दिया था। [रिटेलर भोपालसिंह, अध्यक्ष को-ऑपरेटिव सोसाइटी हैं उनको यह कार्य

(श्री परसराम मदेरणा)

दिया गया। बेड़वा के लोग चाहते थे, हमारे अनाज का वितरण हमारे गांव में जाकर किया जाय। इसका जो भी चार्ज मिलना था वह ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर मिलना था और दूसरे गांव को ले जाना था। बेड़वा के लोग नहीं ले जा रहे थे और अलग से दूसरा मुकर्रर करवाना चाहते थे। इस तरह की स्थिति चली, तो जिलाधीश को आदेश दिये कि अनाज और चीनी का वितरण हो रहा है, इन लोगों को नहीं दिया गया है–इसकी जांच की जानी चाहिए। उप-खण्ड विकास अधिकारी डीडवाना ने जांच की है, 2/3, 3/3 को, इस जांच के अन्दर अनियमितता पायी गई है रिटेलर के पार्ट पर इसलिए रिटेलर का लाइसेन्स कैंसिल कर दिया गया है और कैंसिल करने के अलावा भी इस बेड़वा गांव में वितरण के लिए राजस्व अधिकारियों के जरिये वहां शक्कर और अनाज का वितरण करा दिया जा चुका है। यह सूचना मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूं।

लालेमरी के सम्बन्ध में एक बात और कही गई, बेमोड, ठंडऊ और कणवाई–तीनों गांवों के अन्दर नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी में जौ, गेहूं और बाजरा दिया गया। लालेसरी की जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से वहां पर अनाज का वितरण तो हुआ है लेकिन अनाज डेढ़ किलो और दो किलो के बीच में वितरण हुआ है। इस गांव के सम्बन्ध में यह शिकायत थी, इस रिटेलर ने जो कुछ भी राशन कार्ड में अनाज दर्ज किया है, इस सम्बन्ध में गड़बड़ी है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है और जांच की जा रही है। जो प्रारम्भिक जांच कल रात को की गई, वहां जिलाधीश साहबान मौजूद थे–ऐसा प्रतीत होता है उसमें अनियमितता है। लेकिन अगर जांच करने पर दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : रिटेलर को हटाइये आप।

श्री परसराम मदेरणा : इस सम्बन्ध में भी कहा गया, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरों ने और लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, लालसोट, चाकसू और दौसा–इन तहसीलों के अन्दर अनाज का वितरण नहीं किया जाता है–यह बात सही नहीं है। दौसा और चाकसू के म्यूनिसिपल टाउन्स को किया जा रहा है और उसी के साथ-साथ लालसोट को जनवरी में वितरण किया था और फरवरी और मार्च में इन्हें वितरण नहीं किया गया। खाद्य-सलाहकार समिति है उसमें निर्णय लिया गया था, अनाज की कमी होने की वजह से जो अफेक्टेड गांव हैं, तहसीलें हैं, वहां वितरण किया जाय, लालसोट में अफेक्टेड हैं, इनमें वितरण नहीं हो सकता। जहां तक दौसा में कुछ गांव हैं अफेक्टेड, 9120 के आसपास पापुलेशन है, उसमें मार्च के महीने में सौ क्विन्टल अनाज का आवंटन किया है और

(1.40 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जैसी मैं सदन में पूर्व में सूचना दे चुका था कि 20 टन के आस पास मक्का पड़ी हुई है, वह तहसील में वितरित कर दी

(श्री परसराम मदेरणा)

जायगी। उसके पहले वसूली के लिए मक्का उठाई जा चुकी थी, राज्य सरकार ने आदेश दे दिया है कि दो दिन में उसका वितरण हो जाय।

फूड के सम्बन्ध में माननीय सदस्य जानते हैं, राज्य सरकार ने रबी की फसल से गेहूं का थोक व्यापार हाथ में लेने का निर्णय लिया है और इस सम्बन्ध में कुछ हमने कदम भी उठाये हैं। माननीय सदस्य अभी जिक्र कर रहे थे, अनाज का यहां से मूवमेंट नहीं होने दे रहे हैं, यह दूसरी बात है, इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन राजस्थान के विभिन्न जिलों में पिछले छः सात दिनों से छापे मारे गये हैं उनमें पचीस हजार क्विन्टल के आस-पास अनाज पकड़ा, जो ग्रोअर और डीलर थे उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं किया है। डिक्लेरेशन नहीं किया, और राज्य सरकार ने जो भाव निर्धारित किये हैं उससे डेढ़ा चार्ज किया जा रहा था। राज्य सरकार सख्त कदम नहीं उठा रही थी, तब राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे थे कि राज्य सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए, ड्रास्टिक स्टेप लेने चाहिए। अब ड्रास्टिक स्टेप लिये हैं तो माननीय सदस्य कह रहे थे, मैं प्रकाश डालूं। मैं प्रकाश डालूंगा, जो जमाखोर हैं और जो डिक्लेरेशन नहीं कर रहे हैं, अनाज का स्टाक उनके पास में है, वह बेचने के लिए हैं, लेकिन बेच नहीं रहे हैं तो राज्य सरकार निश्चित तौर पर उनको कम्पेल करेगी कि अनाज को हमारे निर्धारित मूल्य पर बेचें। यह स्टेप हमने इसलिए लिया है कि आगे एक अप्रेल से होलसेल, व्हीट का होलसेल अपने हाथ में लेने जा रहे हैं, इस सम्बन्ध में विस्तृत वक्तव्य बीस तारीख को दे रहा हूं, होलसेल ट्रेड के सम्बन्ध में। आज मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं, जो कुछ भी कानून बना हुआ है, कानून की अनुपालना जो नहीं करेंगे, ग्रोअर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर तो राज्य सरकार हाफ हर्टेडली होलसेल को टेकओवर नहीं करना चाहती है, राजस्थान सरकार, यह कन्वेन्शनल नहीं है। जो आर्टिकल आफ फूड हैं इनके व्यापार की पालिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार जो कुछ भी कार्यवाही कर रही है तो वह राष्ट्रीय हित में, राजस्थान के उपभोक्ताओं के हित में है और इससे ठीक तरह से डिस्ट्रिब्यूशन की कार्यवाही कर सकती है जिससे लोग नाजायज फायदा नहीं उठायें इस सदन के माननीय सदस्य जानते हैं, आज सूखे की स्थिति है और अनाज के भाव बढ़े हुए हैं, इन बढ़े हुए भावों से जिन लोगों ने स्थिति का नाजायज फायदा उठाया है, उन लोगों के ऊपर किसी प्रकार हम रोक लगायें तो माननीय सदस्य इसका समर्थन करेंगे, उनके साथ किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं करेंगे। राज्य सरकार को अपने कर्त्तव्य को निभाने के लिए कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ें, उन कदमों की वजह से राज्य सरकार कुछ लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के नजरिये में अनपापूलर भी हो जाती है, इस अनपापूलर होने के खतरे को लेने को राज्य रसकार तैयार है और होलसेल व्यापार को हर सूरत के अन्दर कामयाब बनाया जाय, यह राज्य सरकार का निर्णय है।

श्री मीठालाल : अपोजीशन सहयोग करेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो वक्तव्य दिया उससे तो हमको संतोष है और जो

(64)

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
ध्यान आपका उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पर गया उसके लिए मैं आभारी हूं और आपकी निगाह मावली पर पड़ी, मेरे ख्याल में यह निगाह चुनाव में दिनों के पड़ी थी उससे कुछ भिन्न है, ऐसा मेरा विश्वास है । मैं सिर्फ एक दो मुद्दों पर आपसे पूछना चाहता था । अब तक जो अकाल के सम्बन्ध में आपने प्रयत्न किये हैं, राहत कार्यक्रम के, अथवा नाज के, अथवा चारे के, चूंकि सत्र अभी तक चलने वाला है, सत्र के अन्त होने के पूर्व यदि आप एक विस्तृत रिपोर्ट इस सारी समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में सदन को दे सकें तो माननीय सदस्यों को इससे बहुत लाभ भी होगा और माननीय सदस्यों को पूर्ण जानकारी इसके सम्बन्ध में मिल सकेगी । मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं, पहले के अकाल में भी बहुत कुछ प्रयत्न किये गये और अनेक मुद्दे अभी तक विचाराधीन हैं । जो कुछ समस्यायें उस समय उत्पन्न हुईं उस सम्बन्ध में रिपोर्ट दे दी जाती अब तक तो वह रिपोर्ट इस अकाल के लिए मार्गदर्शक होती । इसलिए मैं मांग करता हूं, अब तक जो कार्यक्रम निभाये हैं, चल रहे हैं, जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, निराकरण कर रहे हैं उस सब समस्या का निराकरण करते हुए एक रिपोर्ट अब तक की दे सकें तो सुविधाजनक होगा ।

दूसरा मैं यह निवेदन कर रहा था, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक डिविजन के तौर पर ज्यादा खतरा नाज का भी है और चारे का भी है । मैंने नाज के सम्बन्ध में बार बार निवेदन किया है कि वहां के कलेक्टर महोदय ने इसके वितरण के सम्बन्ध में प्रायोरिटीज कायम कर दी हैं और इन प्रायोरिटीज का अर्थ है कि जो नीचे के तबके के लोग हैं, उनको पहले दिया जाए । जहां तक इस प्रायोरिटी का संबंध है इसमें कोई आपत्ति नहीं, अगर नाज कम है तो पहले जिनको ज्यादा आवश्यकता है, उनको दिया जाए लेकिन इससे जन-जीवन में विक्षोभ पैदा हो गया है, आपस में वैमनस्य पैदा हुआ है और इस अकाल में नीचे या ऊपर का तबका है, जहां तक नाज की उपलब्धि का संबंध है वह सभी के लिए बराबर है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अब चूंकि आपको ठीक मात्रा में नाज प्राप्त हो रहा है, क्या अब प्रायोरिटीज बंद हुई ?

अब मैं चारे के संकट पर आता हूं, अनाज के संबंध में आपने एक अमोघ शस्त्र अख्तियार किया है, भूख से कोई न मरने पाये, इससे बहुत कुछ निराकरण होगा लेकिन मुझे भय है कि कहीं आप यह अमोघ शस्त्र जानवरों के संबंध में इस्तैमाल न कर दें और कलक्टर्स से कह दें कि तुम्हारा दायित्व होगा कि कोई पशु न मरने पाए । आगे चल कर पशुधन की क्षति होगी और आप सैन्सस करेंगे कि कितने मरे, कितने रहे, उसमें दिक्कत होगी । चारे के मामले में हम सब लोग चिंतित हैं । उदयपुर डिवीजन हो या जिला हो या आपकी निगाह जैसे मावली तहसील पर पड़ी लेकिन इस पर हमें चिन्ता है कि पर्याप्त मात्रा में चारा नहीं मिल सकेगा । आपके वक्तव्य से आभास मिलता है कि आप चारा देने का प्रत्यन कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं अभी जो आपने डीपोज खोले हैं, वे दो महीने पहले खोले गए थे, इसके लिए अधिकारी भी पहुंच चुके थे लेकिन घास नहीं पहुंच पाया था । और अब भी भय

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

है कि डीपोज और अधिकारी तो हैं लेकिन घास दे सकते हैं या नहीं । मैं जानना चाहता हूं कि चारा किस मात्रा में जिला-स्तर पर उपलब्ध होना चाहिए था और अंत तक उपलब्ध हो सकेगा तो किस मात्रा में और वह मात्रा पर्याप्त होगी और कहां कहां पूर्ण रूप से दे सकेंगे ? आपने बुलंदगी से कई बातें स्वीकार की हैं । पेमेंट में विलंब हुआ, उसके साथ स्वीकार कर लेते कि आखिर पेमेंट में देरी किन कारणों से हुई ? अगर शिथिलता हुई है राज्य कर्मचारियों द्वारा तो यह भयंकर ही नहीं है, अकालग्रस्त लोगों के लिए उनको कमजोर बनाने वाला एक फैक्टर हुआ है । सारी चारे की समस्या मात्रा, उपलब्धि और आपको क्या विश्वास है कि चारे के संबंध में आप पार पा जायेंगे ? और जानवर जो चले गए हैं वह तो चले गए लेकिन जो नहीं जा सके हैं उनको आप बचा पाएंगे ? अगर ऐसा विश्वास आप दे सकें....

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

अभी मैं बैठा नहीं । मैंने चारे के मामले में किसी जिले या डिविजन के बारे में नहीं कहा, व्यापक रूप से जानना चाहता हूं । मेरा इतना ही निवेदन पर्याप्त होगा ।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरालाल देवपुरा !

श्री हीरालाल देवपुरा (कुम्भलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक-दो बिंदु पर ध्यान आकर्षित करना है । राजस्थान में इस समय संकट है और जिन परिस्थितियों में राज्य सरकार इस अकाल का मुकाबला कर....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछिए !

श्री हीरालाल देवपुरा : तो जो सरकार कर रही है उस सम्बन्ध में तो हमें संतोष है लेकिन जहां तक अकाल राहत कार्यों का प्रश्न है मंत्री महोदय ने काफी विस्तार से कहा । लेकिन मंत्री महोदय का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने राहत कार्यों पर जो वेजिज तय किये हैं उनको जोब ओरियेंटेड किया है । हम भी यही चाहते थे लेकिन उदयपुर जिले में कुछ स्थानों पर जहां 3) रुपया रोज बताया वहां केवल 60 पैसे प्रतिदिन मजदूरों को चुकाया है जो हमारी समझ के बाहर है । कई जगह वेजिज ठीक आए हैं लेकिन कुछ इलाकों की स्थिति ऐसी है कि हमने कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों से बात की । उन्होंने खुद ने माना है कि 60 पैसे वेजिज मिले हैं तो निश्चित रूप से जो अधिकारी काम करने वाले हैं उनकी सुपरवीजन में कमी है, वे ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं इसलिए इतने कम वेजिज आए हैं और कम से कम जो आपने फैसला किया कि ग्रैचुटस रिलीफ के लिए एक रुपया प्रतिदिन दे रहे हैं तो हम मानकर चलते हैं कि आपने उसको मिनिमम आधार माना है । तो जो मजदूर काम करते हैं उनको कम से कम एक रुपया लेबर का तो मिलना ही चाहिए इसकी आप व्यवस्था करें तो इससे उन गरीबों को लाभ होगा ।

अनाज के सम्बन्ध में आपने कहा कि अनाज की व्यवस्था की है उदयपुर जिले

(श्री हीरालाल देवपुरा)

के लिए। आपने बताया कि वहां की स्थिति को देखते हुए जितना अनाज आया उसके हिसाब से एलाट किया। उदयपुर जिले में जो मिनिमम कोटा आप देना चाहते हैं, जो प्रारंभ में उस जिले को दिया गया प्रति व्यक्ति हिसाब से वह भी सबको नहीं मिल पाया था लेकिन हिसाब से आज उदयपुर जिले में 11000 टन की आवश्यकता है, उसके मुकाबले में एक महीने में केवल 3750 टन, एक महीने में 4000 टन मिला। अब मुझे जानकारी मिली है कि इस महीने में 4½ हजार टन अनाज का आवंटन किया है। उसके कारण जो अनाज का वितरण होना चाहिए, वह नहीं हो पाएगा और जो मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किए वही स्थिति रहेगी तो वहां देखना पड़ेगा कि नीचे के लोगों को पहले दिया जाएगा, दूसरों को बाद में दिया जाएगा, इस डिस्टिंक्शन से उस जिले के अन्दर दूषित वातावरण बनता है, उसका राजनैतिक दृष्टि से लोग फायदा उठाते हैं। तो राजनैतिक लाभ न मिले और समान वितरण हो सके इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में जो अनाज दूसरी जगह दे रहे हैं, उसी हिसाब से जनसंख्या के आधार पर उदयपुर जिले को अनाज दें। आपने बताया कुछ महीने पहले नवम्बर और दिसम्बर में उदयपुर जिले में स्थिति ठीक थी और उस अन्दाजे से आप अंदाज लगा रहे हैं कि उन दिनों ठीक थी इसलिए आज भी ठीक है या कम्परेटिवली दूसरे जिलों से ठीक है। जिन दिनों में ठीक थी हमने नहीं कहा कि ज्यादा दें लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। सारा अनाज खतम हो सकता है। खास तौर से उदयपुर जिला सारा एकसा हो गया है। इसलिए अनाज की पूरी व्यवस्था करें। नहीं तो अकाल राहत कार्यों का लाभ हमें नहीं मिलने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल।

श्री शंकरलाल (पाली) : जिन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है कम से कम उनको मौका दिया जाना चाहिए।

श्री मीठालाल : माननीय सदस्यों ने ..

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछें। ध्यानाकर्षण आप कर चुके हैं, मांगें भी ली जायंगी।

श्री मीठालाल : जैसे और माननीय सदस्यों की मांग को पूरा किया, मुझे भी आशा थी कि आप मेरी मांग को पूरा करके मेरा उत्साह बढ़ायेंगे। लेकिन परसों की बातों से ऐसा नजर आ रहा है कि लालसोट के लिए 500 क्विंटल की मांग है वहां 200 व 300 क्विंटल देने की आप घोषणा करेंगे, ऐसी आशा थी लेकिन मुझे निराशा हुई मंत्रीजी के वक्तव्य से।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत उपनेता महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह विषय बहुत गंभीर है और सदन में अधिकतर सदस्य कुछ न कुछ कहना चाहेंगे। इसलिए आज जो मांगें हैं अगर किसी और दिन के लिए रखकर आज इसी विषय पर चर्चा हो जाए तो अच्छा है।

श्री हरिदेव जोशी : सदन का समय बढ़ाया जा सकता है जैसा हमेशा होता है. इस पर तो विचार हो ही रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 5 बजे तक इस सम्बन्ध में समय निर्धारित करें उसके बाद मांगें।

श्री मीठालाल : जो अनाज अब राजस्थान को मिला, उसमें हम भी हकदार थे। लालसोट को अकालग्रस्त घोषित नहीं किया तो आप उसको देखें। लालसोट, बस्सी, चाकसू ...

(लगातार घंटी)

चाकसू तहसील बोर्डर पर है उसको अकाल क्षेत्र घोषित किया गया, लालसोट क्षेत्र के गांवों को नहीं घोषित किया गया....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मीठालाल : समय बढ़ा दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको समय भाषण देने के लिये नहीं दूंगा। आप प्रश्न जो पूछना चाहते हैं, वह पूछ लें। प्रश्न की परिभाषा में।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न की परिभाषा से ही बोलूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो खाद्य-मंत्री ने घोषणा की थी जिससे अचानक ही जिलाबन्दी हो गयी है गेहूं और चावल के बारे में। और उसके लिये अगर किसी को माल ले जाना हो तो परमिट द्वारा ले जाया जा सकता है और वह भी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर के मारफत। इसके लिये मेरा निवेदन है कि यह डिस्ट्रिक्ट सप्लाई आफिसर के मारफत नहीं होकर उप-जिलाधीश के या तहसील के मारफत होना चाहिये। नहीं तो इसमें काफी भ्रष्टाचार फैलेगा और उपभोक्ताओं को भी इसका समुचित लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपने जो अभी चावल के बारे में रेट रखी है उसमें काफी डिफरेन्स है। कहीं पर आपने 184 रुपये क्विण्टल किया, कहीं आप माल अलवर और सवाई माधोपुर में, जयपुर में अलग तरह से खरीद-फरोख्त कर रहे हैं यह तो अन्याय है सरासर। इसके अतिरिक्त आपने चावल के स्टाक के बारे में और गेहूं के स्टाक के बारे में जो कार्यवाही कर रहे हैं वह भी गलत कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप दोषी व्यापारियों को दण्ड मत दें। उन्हें आप दण्ड दें तो हम भी आपके साथ हैं लेकिन चावल के व्यापार के लिये आपने लाने लेजाने के लिये जो व्यवस्था की है उससे लोगों को अनावश्यक परेशानी होती है। यह एक तरफ से आप चावल के व्यापारियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इनके लिये आपने परमिट सिस्टम जो किया है वह तो गलत है क्योंकि चावल के लिये आप ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे वे 15 वारी रिपोर्ट जो भेजते हैं जो कि हर गल्ले का व्यापारी भेजता है राज्य सरकार को भेज दे। इसमें परमिट व्यवस्था की जरूरत नहीं। उससे स्टाक का राज्य सरकार को पता लग ही जाता है इससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को ही लाभ मिलेगा। इसके लिये मन्त्री महोदय को घोषणा करनी चाहिये—चावल के लिये।

(घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षण

(श्री शंकरलाल)
प्रस्ताव दिया था कि पाली तहसील में खाद्यान्न के वितरण की व्यवस्था के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं, आप प्रश्न पूछ लें।

श्री शंकरलाल : यह इसी से संबंधित है वह पूछ रहा हूं। जिला पाली के अन्दर जो सड़क का काम चल रहा है, वहां पर 35 पर्सेन्ट कम्पोनेंट नहीं है इसलिये वहां पर अकाल राहत कार्य अधूरे ही पड़े हैं काम नहीं चल रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह मेटीरियल कम्पोनेन्ट कब तक वितरण कर दिये जायेंगे। अकाल का काम चल नहीं रहा है। आपने तो घोषणा करदी कि अकाल राहत काम खोल दिये गये हैं। वहां यह कहते हैं कि जब तक 50 पर्सेन्ट कम्पोनेन्ट नहीं होंगे, मेटीरियल नहीं होगा तब तक वहां पर काम नहीं चलेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय जिस प्रकार जोधपुर जिले में आपने 50 पर्सेन्ट मेटीरियल कम्पोनेन्ट सप्लाई किये हैं उस तरह यहां भी मेटीरियल कम्पोनेन्ट सप्लाई किया जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रश्न करें, आपतो भाषण कर रहे हैं। प्रश्न पूछें, समय कम है।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलूंगा, जरूरी बात है वह तो निवेदन करूंगा। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय यह बतायें कि मेटीरियल कम्पोनेन्ट कब तक 50 प्रतिशत भेज दिया जायेगा। इसके अलावा हमारे यहां सॉईल कन्जरवेशन के बारे में काम अभी शुरू नहीं होने का कारण यह बताया जा रहा है कि वहां पर स्टाफ की कमी है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि पर्याप्त स्टाफ कब तक वहां पर भेज दिया जायेगा? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि सेन्ट्रल की स्टडी टीम आयी थी उसने यह कहा कि अगर यहां पर पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगा दिया जाय तो यहां यह काम अच्छी तरह हो सकता है। तीसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह है कि राज्य सरकार ने कैटल ग्रेजिंग के लिये व्यवस्था की है तो इसमें आपने भेड़ बकरी भी शामिल की हैं या सिर्फ भैंसें और गायें वगैरह ही हैं? भेड़-बकरी इसमें शामिल नहीं हैं।

चौथा मेरा प्रश्न यह है कि आज जहां पर अकाल राहत काम चल रहा है वहां पर काम का मेजरमेन्ट कुछ इस प्रकार का है कि वहां पर जो ज्यादा काम करता है उसको और कम काम करने वाले दोनों के वेजेज बराबर ही देते हैं। 15 दिन बाद जो पेमेंट होता है उसमें ज्यादा काम करने वाले के भी पैसे काट लिये जाते हैं। इससे लोगों के अन्दर काफी असन्तोष है। तो मेरा निवेदन है इसके लिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि जिन लोगों ने पूरा काम किया है उन्हें पूरी तनख्वाह दी जाय उनका वेजेज काटा नहीं जाय। क्या इसमें आप कोई व्यवस्था करने वाले हैं? आप तो एक रुपया रोज देते हैं। इसके अलावा अभी हमारे यहां पर पाली में जिले की बैठक हुई थी उसमें सभी विधायक आये थे पाली डिविजन के उसमें अनाज की वितरण व्यवस्था के बारे में काफी रोष प्रकट किया क्योंकि वहां का जो जिला रसद अधिकारी है वह बहुत

(श्री शंकरलाल)
ही गड़बड़ियां करता है। आज जो वह दुकानों का कोटा सहकारी समितियों को नहीं देता है और दूसरे व्यक्तिगत लोगों को देता है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि पाली क्रय-विक्रय सहकारी समिति को धान नहीं दिया गया। और जब दुकान बन्द होती है तो कहते हैं कि दुकान बन्द क्यों है ? पहले तो माल नहीं देते हैं और बाद में उस दुकान को बन्द होने के कारण उसे हटा देते हैं। इस तरह रानी में भी कॉ-ओपरेटिव सोसाइटीज को अनाज अलॉट नहीं करके उन्हें खतम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उनको कैन्सल करके दूसरे प्राइवेट आदमियों को दे रहे हैं। आज पाली का जो जिला रसद अधिकारी है वह बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी है उसे तुरन्त हटाया जाना चाहिये। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह उसे तुरन्त सस्पेन्ड करें....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप भाषण दे रहे हैं। प्रश्न करें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही तो कर रहा हूं। इसके अलावा अभी बाली तहसील में डूंडली गांव में प्राइम-मिनिस्टर का आना था वहां पर लोगों ने काम किया उनको पेमेन्ट के बारे में मेरा निवेदन है कि यह पेमेन्ट पंचायत समितियों के मारफत होना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुरभुज।

श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा ! इसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैं भी कुछ प्रश्न मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आपके क्षेत्र में अनाज कम मिल रहा है ?

श्री चतुरभुज : मेरा मतलब है कि राज्य सरकार दस बोरी से अधिक रखने वाले लोगों को दण्ड दे रही है, लेकिन मैं आप के मारफत, उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज व्यापारियों के पास हजारों बोरियां अनाज की पड़ी हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है और बेचारे छोटे काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये कुछ सीमा बांधी जाय, इस तरह से छोटे छोटे काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं, इसलिये मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इसके लिये आपने क्या कार्यवाही की है ?

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसरीमल !

श्री भानुकुमार शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। श्री केसरीमल ! सिर्फ प्रश्न पूछें।

श्री केसरीमल (ब्यावर) : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो किसानों से जमीन ली थी, राज्य सरकार ने जमीन ली थी उसके बारे में कहना चाहता हूं। आज तक उनको पेमेन्ट हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : व्याख्यान नहीं।

श्री केसरीमल : उपाध्यक्ष महोदय मैं व्याख्यान नहीं दे रहा हूं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले अकाल के दिनों में आपने जिन किसानों की जमीन थी वहां सड़क बनी थी और आपने आज तक उनको पैसा मुआवजा का जो देना चाहिये था वह आज तक नहीं दिया गया है, उसके बारे में कह रहा हूं, उसकी व्यवस्था कब तक कर दी जायगी ? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आज उस जमीन को लिये हुए सात साल हो गये हैं वह जमीन ब्यावर से जैतारण रोड पर है। उपाध्यक्ष महोदय, आज सात साल हो गये हैं। आपने उनको अभी तक पैसे नहीं दिये हैं। मेरा प्रश्न है उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है ? इसके अलावा आज स्थिति यह है कि अभी भी उस जमीन का उन लोगों से राज्य सरकार लगान ले रही है। यह अन्याय आप कब तक करते रहेंगे ? आप उन्हें मुआवजा कब तक दे देंगे ? यह दोहरी व्यवस्था कब तक चलती रहेगी ? आपने एक तरफ तो उनकी जमीन ले ली दूसरी तरफ उनसे लगान भी ले रहे हैं। इसके अलावा हमारे उधर रूपनगर, पाली ब्यावर के रास्ते में जहां अकाल राहत कार्य आप खोलने की घोषणा करते हैं वहां पर मेटीरियल कम्पोनेन्ट अभी तक उनको नहीं दिये हैं लोगों को काम नहीं मिल रहा है। उन्हें कहा जाता है कि आप अपने औजार खुद लेकर आओ। लोग बेचारे अपने घरों से औजार

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

लेकर जाते हैं। जिनके पास औजार नहीं हैं वे बेकार बैठे रहते हैं। वे गरीब आदमी कहां से औजारों की व्यवस्था करें, यह बड़ा अहम मसला है। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। उस एरिया में पथरीली जमीन है, गेंती-फावड़ा की जरूरत रहती है, किसानों को बहुत ही तकलीफ हो रही है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इस इलाके में आप कब तक औजार सप्लाई करने की व्यवस्था कर देंगे ? आज ऐसा एरिया है; उपाध्यक्ष महोदय, कि उस एरिया में पत्थर हैं उनको खोदा जा रहा।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अगर इस प्रकार एक ही बात पर दस दस मिनट लेंगे तो फिर अनुदानों की मांगों पर विचार भी तो करना है। आप समय का भी तो खयाल करें।

श्री केसरीमल : मैं निवेदन कर रहा था। हमारे साथी ने निवेदन किया नम्र शब्दों में कि समय बढ़ा दिया जाय। हमारे उप-नेता महोदय ने भी कहा कि चर्चा चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की ओर से उत्तर आ गया।

श्री केसरीमल : प्रश्न तो करने दीजिये। आज भी हमारे इलाके में चाहे पाली जिला हो या अजमेर जिला हो, आप वहां पर दो दो महीने से मजदूरों को पैसा नहीं दे रहे हैं। उसके लिये अब आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं ? उनको अपने काम का 65 और 80 पैसे से अधिक पैसा नहीं मिलता है। वह भी दो दो महीने से उनको पैसा न मिले तो वे क्या खायेंगे ? क्या व्यवस्था करना चाहते हैं ?

(श्री केसरीमल)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि अकाल के समय क्या उन लोगों से चाहते हैं ?

प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय, जो रोकी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, उसको काटने की क्या व्यवस्था की ? मजदूरों को पूरा पैसा नहीं मिलता। अजमेर और पाली जिले में काम लेने के लिये जो आपने काम का भार सौंपा है क्या आप वह बताएंगे कि उनको कितना काम का भार सौंपा है ?

सूचना

विधान सभा भवन के बाहर प्रदर्शनकारी वकीलों पर पुलिस का लाठी चार्ज।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, एक सूचना देना चाहता हूं। अभी नीचे वकील लोग प्रदर्शन कर रहे थे और उस सिलसिले में यहां पर चर्चा उठी तो अध्यक्ष महोदय ने अलाऊ नहीं किया। वे लोग शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनके शिष्टमंडल से किसी ने मुलाकात नहीं की और लाठी चार्ज हो गया।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे ऐसे वकीलों पर लाठी चार्ज करना और ऐसी परिस्थिति में जो समाज का एक जिम्मेदार तबका है, जो आप और हम मान नहीं सकते कि उन्होंने घेरे को तोड़ने की कोशिश की हो या ऐसी बात की हो। मैं खुद नीचे जा कर आया हूं उनको कहा गया कि मिल आओ लेकिन उनके मिलने के स्थान पर कुछ आदमियों को लाने लगे तो लाठी चार्ज किया गया। कुछ लोग घायल हो गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

गम्भीर मसला है। उप-नेता मौजूद हैं नेता महोदय तो नहीं। विधि मंत्री भी हैं। न तो उनसे कोई मिला। डिमान्ड्स पर वक्तव्य हो, स्वाभिमान पर चोट पहुंची हो यह एक गम्भीर मसला है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह गम्भीर घटना है....

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : 117 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके ज्ञापन दिया है। एक जिम्मेदार तबके का शान्तिपूर्ण प्रदर्शन राजस्थान विधान सभा पर रहा है, कोई जाकर मिले कोई मंत्री जाकर मिले, कोई वक्तव्य दे। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि बातचीत करेंगे और समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। मांग रखने के लिये आये हो....

श्री उपाध्यक्ष : (श्री हरिदेव जोशी के खड़े होने पर) उप-नेता बोल रहे हैं। आप तशरीफ रखिये।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करदूं। नीचे क्या हुआ यह सूचना तो मुझे सरकारी स्रोतों से मिली नहीं। जैसा कि यह कहना कि मुझ से डेपुटेशन के लोग नहीं मिले यह सही नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी के नाम चिट लेकर दो वकील सज्जन यहां आये। उस चिट को मुझे भेजा गया। मैं समझ नहीं सका कि मुझे क्यों भेजा। मैंने यह कहा कि मुख्य मंत्री यहां नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा

(श्री हरिदेव जोशी)

कि मुझ से बात करना चाहते हैं। मैं बाहर गया। मैंने उनसे जाकर बात की फिर वे चले गये। उसके बाद में मजिस्ट्रेट ग्रोन ड्यूटी का एक पर्चा मेरे पास ग्राया जिसमें लिखा था कि कुछ लोग बाहर डिमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं। मेरे लिये लिखा कि मैं उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज से मिलना चाहूँगा क्या ग्रोर मिलना चाहूँगा तो कहां मिलूंगा? मैंने उसी समय लिख दिया कि उनसे 12½ बजे मिल सकता हूँ क्योंकि उस समय मेरा क्वश्चन ग्रा रहा था ग्रौर सप्लीमेन्टरो का उत्तर देने के लिये मेरा रहना ग्रावश्यक था इसलिए मैंने 12½ बजे का लिखा था कि मैं 12½ बजे मिल सकता हूं। मैंने देखा कि 12½ के ऊपर दो चार मिनिट हो गये, विजनेश हाउस में चल रहा था ग्रौर मुझे डिमान्ड करनी थी, किसी समय मौका ग्रा सकता था। फिर भी मेरे साथी बैठे हुए थे तो मैंने उनको कहा कि मेरा मौका ग्राये तो ग्राप पेश कर देना। मैं चेम्बर में गया ग्रौर वकील साहबान से मिला। वकील साहबान का ग्राग्रह यह था कि मैं नीचे जाऊं ग्रौर नीचे जाकर डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे मैं वहां मिलूं। मैंने उनसे प्रार्थना की कि ऐसा तरीका नहीं है, नीचे जाकर मिलूं। ग्राप कोई मेमोरेन्डम लाये हों ग्रौर डेपुटेशन मिलना चाहता है, सम्बन्धित मंत्री मैं नहीं हूँ, हाइयेस्ट क्वार्टर प्रोपर क्वार्टर पर पहुंचा दूंगा ग्रापकी बात, ग्राप मुझे दे दीजिये। यह मेरी बात सुन कर वे ग्रपने साथियों से मिलने के लिये गये। उसके बाद सदन के एक-दो साथी ग्राये ग्रौर कहा कि मिलना चाहते हैं या नहीं। मैंने कहा जरूर मिलना चाहता हूं ग्रौर बुला लीजिये। मैं यही सदन को सूचना देना चाहता हूं कि मिलने से इन्कार नहीं किया है।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता था कि बेंच का जो प्रश्न है जोधपुर हो या जयपुर हो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। क्रीम ग्राफ दी सोसाइटी जो बाहर रिप्रेजेन्ट करती है जो न्यायालयों को रिप्रेजेन्ट कर रही है, उस पर लाठी चार्ज हो तो फिर कोई बच नहीं पायगा। शिक्षकों पर लाठी चार्ज हुग्रा इग्नोर किया।

श्री उपाध्यक्ष : कहने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री निरंजननाथ ग्राचार्य : यह दर्दे दिल का प्रश्न है। हृदय विदारक प्रश्न, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को उदारता से ग्रौर सहृदयता से इस प्रश्न को ग्रवलोकन करना चाहिये। यह न हो कि वकीलों पर लाठी चार्ज से सारे राजस्थान में उद्विग्नता हो जाय ग्रौर एक ग्रशान्ति का कारण न बन जाय। ये शान्ति प्रिय लोग हैं। सोसाइटी के ग्रग्रणी लोग हैं उन पर लाठी चार्ज करना न्याय संगत नहीं हो सकता।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर, ग्रॉर्डर प्लीज!

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय!

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री मोहनलाल छंगाणी : कानून तोड़ने की कोशिश करें यह सरासर ग्रन्याय है, भर्त्सना करनी चाहिये।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज। मुझे भी निवेदन करने का अधिकार है। ऐसा है इस समय इस पर चर्चा की अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य ने ऐसा प्रश्न सदन में उठाया जिस पर उप-नेता ने सदन में जानकारी देदी और जो तथ्य थे वे माननीय सदस्यों के सामने रख दिये इसलिये इस पर अब आगे विचार-विमर्श की इजाजत देने में मजबूरी है। खाद्यान्न के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है....

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : जानकारी पर्याप्त नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं निवेदन करना चाहता हूं। (शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (शोरगुल में अश्रव्य) (व्यवधान) (शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

श्री मोहनलाल छंगाणी : कोई प्रोग्राम नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : लाठी चार्ज करना....

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded.

श्री श्रीराम गोटेवाला : × × × ×

श्री उपाध्यक्ष : (श्री श्रीराम गोटेवाला के खड़े होने पर) मैं इसके लिये बोलने की स्वीकृति नहीं दूंगा। ऑर्डर प्लीज !

(लगातार शोरगुल, कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे. अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज !

(लगातार शोरगुल : अश्रव्य)

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं मौजूद था लाठी चार्ज के वक्त में।

(1.42 म. प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह लाठी-गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस राज में अकाल राहत के कार्यकर्ताओं को हाथों में हथकड़ियां डाल कर घुमाया जाता है अपराधियों की तरह।

श्री फूलचन्द जैन : आप मिलने क्यों नहीं गये नीचे। यहां बोल रहे हैं। आपको लाठी कहां लगी ?

श्री अध्यक्ष : इसमें कुछ मुद्दे आपने उठाये हैं। उप-नेता ने प्रकाश डाला है।

× × × × अध्यक्ष, पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)
अब और चाहें तो दो माननीय सदस्य और प्रकाश डाल लें।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : मैं, अध्यक्ष महोदय, केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि हमेशा यहां पर सदन के बाहर लोग अपना दुःख-दर्द लेकर आते रहे हैं और आगे भी जब-जब सेशन चलता रहेगा आते रहेंगे। अब उन पर यहां लाठी चार्ज हो, यहां पुलिस उनको घेरे रहे, ऐसे बुद्धिजीवियों पर वकीलों पर लाठी चार्ज हो, उनको भी नहीं छोड़ा जाय, जिनके हाथ में जूडीशियरी की बागडोर है, प्रदेश में स्थान-स्थान पर अकाल राहत के कार्य में लगे लोगों को गिरफ्तार किया जाय, उनको हथकड़ियां डालकर बाजारों में घुमाया जाय इस सबके लिये मैं निवेदन करूंगा कि हमें इस पर गहराई से सोचना होगा।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : गुमानमलजी नीचे गये क्यों नहीं ? उनको जानकारी नहीं है वकीलों की मांग के बारे में। लाठी चार्ज का जिक्र वे करते जिन्होंने देखा है तो ठीक रहता।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : देखिये। इस तरह से तो कोई भी अपनी बात कह नहीं पावेंगे। आपकी और न किसी की कोई बात लिखने में आ पावेगी। इसलिये आप नियमों के अनुसार बोलें। मैं सबको मौका देना चाह रहा हूं। दो दो आदमियों को इधर-उधर से मौका दे दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि थोड़ी देर पहले निवेदन कर चुका हूं मेरे पास में अभी तक कोई अधिकृत सूचना नहीं है कि लाठी चार्ज हुआ है अथवा नहीं हुआ है। मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि मैंने स्वयं ने, एक बार नहीं, तीन बार, वकील साहिबों को, और इस सदन के माननीय सदस्यों को, यह निवेदन किया है कि जो भी आप लोग मुझ से मिलना चाहते हों, महरबानी करके ऊपर आ जावें, और मुझ से मिल लें। इसमें अगर मैं कुछ गलत कह रहा होऊं तो जो भी सदस्य मुझ से मिले हैं वे कह सकते हैं कि आया मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सही है या गलत है।

अध्यक्ष महोदय, तीन सदस्य जो यहां पर आये थे डेपुटेशन को लेकर उनसे भी मैं मिला और उनको भी मैंने यही कहा है। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट से भी कहा है कि उनके प्रतिनिधियों को लाकर मुझ से मिला दिया जाय। इसके बाद में, मैं नहीं समझ सका कि वहां क्या स्थिति पैदा हुई है। मैं इसमें उलझन का कोई कारण नहीं देखता। निश्चित रूप से मजिस्ट्रेट को जो मैंने इत्तला दी है वह उन्होंने उनको दी होगी कि वे मुझसे आकर मिल सकते हैं। इसी प्रकार से जिन माननीय सदस्यों से मैंने प्रार्थना की थी उन्होंने भी, मैं यह विश्वास करके चलता हूं कि मेरी बात को उन्होंने वहां तक पहुँचा दिया होगा। अगर इन दोनों पक्षों ने अर्थात् मजिस्ट्रेट ने और इस सदन के माननीय सदस्यों ने मेरी बात को उन तक नहीं पहुँचाया है तो इसके लिये कसूरवार यह सरकार नहीं है। कसूरवार वे हैं जिन्होंने इस बात को उन तक नहीं पहुँचाया।

(श्री हरिदेव जोशी)

बाकी मेरा जहां तक प्रश्न है, मैंने एम्पली क्लीयर कर दिया है कि राज सरकार किसी भी डेपूटेशन से मिलने से इन्कार नहीं करना चाहती। मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर वे कोई मैमोरेण्डम लाये हों तो वह भी मुझे दे दें। मैं उसे प्रोपर क्वार्टर्स तक उसको पहुँचा दूंगा। मैं इससे अधिक और क्या निवेदन करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उप-मन्त्री ने जो भी सदन को जानकारी दी, हम निवेदन करना चाहेंगे कि वे यह जानकारी और दें कि नीचे लाठी चार्ज हुआ है या नहीं। वे इसकी जानकारी तुरन्त कर सकते हैं।

श्री हरिदेव जोशी : वह भी आ जावेगी।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, क्षेत्रीयता की बात न गुमानमलजी करना चाहते हैं न मोहनलालजी छंगाणी वहां बैठकर करना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आज के समाचार पत्रों मे यह समाचार था कि वकील लोग यहां आवेंगे।

व्यवस्था का प्रश्न

महत्वपूर्ण घटना की माननीय सदस्यों द्वारा दी गई मौखिक सूचना

श्री केदारनाथ : व्यवस्था का प्रश्न यह है अध्यक्ष महोदय!

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न।

श्री केदारनाथ : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर सूचना देता हूं ऐसा कोई माननीय सदन का सदस्य कहे तो मन्त्री महोदय को यही सूचना लेनी चाहिये। मन्त्री महोदय यह जवाब न दें कि मेरे पास इत्तला नहीं आई ?

श्री हरिदेव जोशी : या तो मैं कुछ कहूँ नहीं, और बैठा रहूं चुपचाप माननीय सदस्य कुछ कहें तो।

श्री केदारनाथ : मेरी अर्ज सुन लीजिये। यह एक टेकनिकल पोइन्ट है। माननीय सदस्य बाहर जाकर और अपनी निजी जानकारी लेकर हाउस में आकर उसकी इत्तला देते हैं तो उसी को नोटिस हमें मानना चाहिये। मेरा मतलब डिमाण्ड क्या है, वह सही है या नहीं इससे नहीं है। अगर माननीय सदस्य यहां आकर यह कहते हैं कि लाठी चार्ज हुआ है तो यह बात हाउस के पजैशन में आ गई। तो मन्त्री महोदय को यह कहना चाहिये कि जानकारी इसकी मुझे मिल गई, मैं इस पर कार्यवाही करूंगा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया था कि सदन की कार्यवाही इसकी गरिमा के अनुरूप सुचारुरूप से चलाइये। कहना हो कहिये। आप में से एक इस बेंच पर से बोल लीजिये, तीन चार आदमी और बेंचों से बोल लें जिससे जो जिसको बात कहनी हो सदन में सभी ओर से आ जावे।

श्री शंकरलाल : व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अच्छा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, निवेदन यह है कि सदन में अकाल से सम्बन्धित चर्चा चल रही थी और राजस्थान की अकाल की चर्चा का यहां सदन में कहना कितना जरूरी है, यह सभी जानते हैं। अब मैं यह नहीं कहता कि सदन में जो यह सब हुआ इसकी चर्चा न हो, पर चाहता हूं कि प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करने के यहां नियम हैं। तो क्या हम इन बातों के लिये यहां के नियमों का तिरस्कार करें। यह जो यहां चर्चा हुई क्या यह किसी स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत है? मैं नहीं चाहता कि इसकी चर्चा न हो, यह मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं पर यह चाहूंगा कि नियमानुसार पहले अकाल की चर्चा समाप्त कर दी जाय फिर इसकी समाप्ति पर इसको ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर यहां अभी चर्चा न की जाय अकाल की बहस की समाप्ति के बाद ले लिया जाय। मैं इस पर इतना निवेदन करना चाहता हूं कि एडजोर्नमेन्ट मोशन पर बोलने का वक्त था। मैंने इस को सख्ती से रोका है। पर जब नई स्थिति सामने लाई गई है और सदन के काफी सदस्यों की मंशा है तो इस पर बोलने का मौका जरूर देना चाहता हूं। हाउस के सदस्यों की उग्रता और व्यग्रता को देखते हुए बोलने का अवसर देना ही मैं उपयुक्त समझता हूं।

श्री शंकरलाल : मौका जरूर दिया जाय लेकिन नियमों के तहत।

श्री अध्यक्ष : इसका सैकन्ड पार्ट जो मैंने रेगुलेट किया है। एक माननीय सदस्य इस बेन्च से एक माननीय सदस्य उस बेन्च से, इस तरह से बोल लें।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय अभी....

श्री अध्यक्ष : आप मेरी भी बात मान लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव :
श्री मोठालाल :
श्री मनोहरलाल : } (एक साथ बोलने से अश्रव्य)

विधान सभा भवन के बाहर प्रदर्शनकारी वकीलों पर पुलिस का लाठी चार्ज

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज समाचार पत्रों में छपा है, राजस्थान विधान सभा के सामने वकीलों का प्रदर्शन होगा और उन्हीं सारी बातों को लेकर मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था और सदन का ध्यान आकर्षित किया था। वकील लोग आये हुये हैं और अभी भाई केशरजी ने जैसा कहा....

श्री अध्यक्ष : नई बात आई हो, उसे फरमाना।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वकील लोग मिलना चाहते हैं। उन्होंने कोई सूचना दी है या नहीं दी है लेकिन उन लोगों पर लाठी प्रहार हुआ है। एक वकील श्री मानसिंहजी और दूसरे भाई श्री अजीत सिंह सागरजी तथा अन्य अनेक वकीलों पर लाठी का प्रहार हुआ है और हो रहा है। यह मैं समझता हूं शर्मनाक स्थिति है। ऐसे बुद्धिजीवी लोगों

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
पर लाठी का प्रहार करें। वकील लोग माननीय उप-नेता महोदय से मिलना चाहते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय जब हम किसानों के प्रतिनिधि मण्डल ने उन्हें एक ज्ञापन दिया, माननीय राज्यपाल महोदय उनको राज भवन में साथ ले गये और शिष्टाचार से बात की। वकीलों का भी शिष्ट मण्डल है, कोई अशिष्ट मण्डल तो है नहीं, पढ़ा लिखा समुदाय है, वकीलों का समुदाय है।

(माननीय खेतसिंहजी अन्य सदस्यों के व्यवधान करने पर)

मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे निवेदन है राजस्थान विधान सभा के सामने वकील लोग आये और उन पर लाठी प्रहार हुआ है और माननीय अध्यक्षजी, इस समय भी लाठी प्रहार हो रहा है। इस सारी स्थिति पर यदि विचार नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। मैं उप-नेता महोदय से निवेदन करूंगा वकीलों का शिष्ट मण्डल है, मैं भी आपके साथ तैयार हूं किसी प्रकार की अशोभनीय घटना नहीं घटेगी। यह मैं समझता हूं जनतन्त्र में स्वस्थ परम्परा है और इसमें कोई अभिमान की बात नहीं समझना चाहिये।

श्री मोठालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, यह काफी शर्मनाक बात है इस सदन के सामने जब कि अकाल की चर्चा चल रही थी, कुछ वकीलों के सिर फट जायें।

श्री मोहनलाल :
श्री खेतसिंह : } एक का भी नहीं फटा, आप करेक्ट कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बोल चुके, फिर दुबारा बोल लेना।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप मोके पर गये नहीं, मैं मोके पर गया नहीं।

श्री शंकरलाल : आप गये नहीं तो फिर कैसे....

श्री अध्यक्ष : आप (श्री शंकरलाल) भी पहले सुन लीजिये ताकि....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, मेरा आधार माननीय व्यासजी की सूचना से है। वे काफी उत्तेजित थे।

श्री खेतसिंह : यह तो मिली भगत है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मिली भगत तो दोनों तरफ से है, आपकी भी है। अध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार की घटना घटी, सिर फटा या चोटें आईं लेकिन मैं यह अवश्य कहूंगा जब प्रदर्शन हो रहा था, यह शान्त प्रदर्शन था और इस सदन के 25-30 माननीय सदस्य भी इस प्रदर्शन में जाकर सम्मिलित हुए थे। आवश्यकता तो इस बात की थी कि न्याय मन्त्रीजी, विधि मन्त्रीजी यहां उपस्थित होते। उनसे प्रार्थना की गई वे डेपूटेशन से मिलते, उनके पास जाते क्योंकि इस सदन के 117 माननीय सदस्यों ने जो वकील लोग आये हैं, उनकी भावना के साथ हैं और उन्होंने अपना समर्थन दिया है। जो 117 सदस्य हैं, अधिकतर मौजूद हैं। उन्होंने अपना कर्त्तव्य

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

समझा। अगर मन्त्री महोदय दरवाजे पर न जायं तो वे सदस्य तो कम से कम जाय और वकीलों के डेपूटेशन के पास जायं और मिलें और अधिकतर सदस्यों ने दो-दो, चार-चार वकीलों से बातचीत भी की है। अब माननीय सदस्य कह रहे हैं सिर फटा या नहीं फटा। मैं समझता हूं धक्का-मुक्की भी की गई है या इस प्रकार का अभद्र व्यवहार हुआ है या जो कि रेस्पेक्टेबिल ऐडवोकेट्स सोसायटी की उनके अन्दर इस सदन की गेट पर बेइज्जती हुई तो मैं कोई इसे शोभा की बात नहीं समझता हूं। सिर फटे और बड़ी बात हो जाय। अगर सभ्य नागरिकों का दल आये और उसका इस तरह से अपमान हो जाय यह मैं समझता हूं काफी बात है। इसलिये मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा इस सदन से मांग करेंगे कि जो भी घटना हुई है उसके लिये एक जांच कमेटी बना दी जाय चाहे एक आदमी की हो और चाहे तीन आदमियों की हो जैसा माननीय अध्यक्ष महोदय उचित समझें जो सारे काण्ड की जांच करे।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : इस बैन्च के रिप्रजेन्टेटिव।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं ..

श्री अध्यक्ष : आप तो फरमा दें, स्पष्टीकरण क्या करना है....

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्पष्टीकरण करना है, अध्यक्ष महोदय, कोई सिर फटने वाली बात नहीं है। लाठी चार्ज हुआ है, चोटें आई हैं...

(माननीय सदस्यों के हंसने और व्यवधान करने पर)

आप बैठ कर मजाक उड़ाने की बात करें, वह अलग बात है। माननीय जोशी ने कहा मिलने को तैयार हूं और मैं यही कहने गया था कि मा० जोशीजी मिलने को तैयार हैं लेकिन जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां लाठी चार्ज हो चुका था, चोटें आ चुकी थी। सबसे बड़ा अहम मसला है आज इस प्रदर्शन की नौबत क्यों आई क्योंकि परसों विधि मन्त्रीजी ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया और समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हो गये। वकील लोग प्रदर्शन करेंगे तो यहां विधि मन्त्रीजी को उपस्थित रहना चाहिये था क्योंकि वे सम्बन्धित मन्त्री हैं, उनको उत्तेजित किया है—विधि विभाग की मांग के समय रिप्लाई किया है, आफेन्ड किया है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (जयपुर, गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नीचे की स्थिति अभी देख कर आया। जिस सदस्य के चोट आई है वह जयपुर नगर परिषद् के श्री अजीतसिंह सागर हैं। वे भी माननीय सदस्य हैं....

(एक माननीय सदस्य के व्यवधान करने पर)

....वे म्युनिसिपेलिटी के नहीं हैं। मैं निवेदन करूंगा जानबूझ कर प्रयत्न किया गया है। हम भी नीचे मिलने के लिये गये। हम भी उनकी भावना का समर्थन करने गये थे। 117 माननीय सदस्यों की राय है हाई कोर्ट की बैन्च निश्चित रूप से जयपुर में आनी चाहिये। हम भी चाहते हैं और इसके लिये पूरी तरह से प्रयत्न कर

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
रहे हैं लेकिन कुछ तत्व चाहे शिक्षकों में से, चाहे स्टूडेन्ट्स में हो, चाहे वकीलों में जान-बूझ कर प्रयत्न किया गया—अजीतसिंह सागर...

....(व्यवधान)....जनसंघ के सदस्य हैं....

(शेम-शेम की आवाज)

जयपुर की म्युनिसिपैलिटी में बैठ कर अपने हाथों....

(शोर-गुल, व्यवधान, अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : लाठी चार्ज जानबूझ कर कोई कराना नहीं चाहता....

श्री मनोहरलाल (कामां) : अध्यक्ष महोदय....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय गिरधारीलालजी बोले थे तो मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया था।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह वकील समुदाय का अपमान है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हम तो गिरधारीलालजी की बात सुनने को तैयार रहते हैं। हमारी भी बात सुनने को उनको तैयार होना चाहिये....

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके बारे में माननीय सदस्य ज्यादा जानते हैं वह म्युनिसिपैलिटी के अन्दर अध्यक्ष के खिलाफ कुर्सियां उठाकर फेंकते रहे हैं और यहां भी हाथापाई करने की प्रवृत्ति उनकी बनी हुई है।....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप जरा मुझे भी सुन लीजिए। बीच में बहुत उत्तेजना आपको आती है उस पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। समय मैं आपको दे रहा हूं और बीच-बीच में इस तरह से डिस्टर्ब करें तो वह उचित नहीं है। आप चाहेंगे तो मैं आपको और समय दे दूंगा।

श्री गहलोत!

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, जयपुर बार एसोसियेशन के नेतृत्व के अन्दर यह वकीलों का प्रतिनिधि मन्डल प्रदर्शन करने यहां आया। उसके अन्दर सभी पालिटिकल पार्टीज के लोग हैं। हम निश्चित तौर से इस तरह की भावना रखते हैं कि सारी पोलिटिकल पार्टीज मिलकर ही इस सारे मसले को चलायें। सदन जानता है और भाई दिनेश स्वामी कांग्रेस के सदस्य हैं और बार एसोसियेशन के अध्यक्ष भी हैं तो स्वामीजी के नेतृत्व में यहां प्रदर्शन करने लोग आये हैं, सारे विधान सभा के सदस्य उसका स्वागत करते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय, पुलिस को धक्का मारकर, घुसकर लाठी चार्ज जनसंघ के लोगों ने करवाया और वह सब को बदनाम करने पर तुले हुए हैं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह गलत है, बिलकुल गलत है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह तथ्यपूर्ण बात है।

श्री अध्यक्ष : आप भी बैठिये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति पैदा हुई अदालतों का बहिष्कार यहां के वकील समाज के द्वारा किया गया है और न्याय मन्त्री महोदय ने जो परसों वक्तव्य दिया था उसके विरोध में उन्होंने यह प्रदर्शन किया है और इस तरह की स्थिति हमारे सामने आई है। प्रदर्शन हुआ उसके अन्दर सदन के लगभग 25-30 विधायक गये....

श्री मोहनलाल छंगाणी : (अश्रव्य)

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से माननीय सदस्य बीच में नहीं बोलें। बोलना है तो उन्हें भी मौका दे दिया जाये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपका तो जोड़ा है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कभी-कभी जोड़ा बिछड़ता भी है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आज यह जोड़ा कैसे जुदा हो गया ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : लाठी चार्ज हुआ और किसी के भी चोटें लगीं, कैसा भी हुआ मैं एक बात मानकर चलता हूं कि माननीय विधि मंत्री महोदय ने परसों सदन में वक्तव्य दिया उसका कुछ असामाजिक तत्व फायदा उठाना चाहते हैं और उनकी वजह से सारी स्थिति पैदा होती है। उनके साथ बिना किसी क्षेत्रीय भावना के सारी बातों को लेकर यहां पर विधान सभा के 117 सदस्यों ने हस्ताक्षर किये जिनमें गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य भी है, बीकानेर के माननीय सदस्य भी हैं, उदयपुर के भी माननीय सदस्य है, कोटा के भी हैं और जोधपुर तक के लोगों ने भी इसका समर्थन किया है और हस्ताक्षर किये हैं और सबने माना है कि हाईकोर्ट की बेंच जयपुर में कायम की जानी चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर मुख्य सीट की मांग नहीं करते। अब मैं तो केवल मात्र एक बात जानना चाहता हूं क्योंकि माननीय उप-नेता महोदय के पास सूचना आ गयी होगी कि वकील समाज जो कि एक विशिष्ट वर्ग है इसमें कौनसे असामाजिक तत्व आये और किसकी वजह से सारी स्थिति पैदा हुई। हमारा जयपुर बहुत शांत शहर है। हालांकि इस प्रश्न पर बहुत उत्तेजित रहा है और पहले यहां 17 दिन तक हड़ताल रही....

श्री अध्यक्ष : मुद्दे की बात कहें।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक ही बात निवेदन कर रहा हूं इस प्रश्न को लेकर जन-भावना बहुत उद्वेलित है और मंत्री महोदय से आज तक कोई किसी प्रकार का वक्तव्य नहीं दिया गया और उनके आरग्यूमेन्ट्स को भारत सरकार ने बुरी तरह से ठुकरा दिया, विधि आयोग की रिपोर्ट को खत्ते में डाल दिया और केरल में बेंच की स्थापना की। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे पास टेन्डर की कापी पड़ी है, 15 मार्च को टेन्डर निकाले हैं, 15 मार्च को ही ले रहे हैं, लाखों रुपया यों ही बरबाद हो रहा है....

श्री अध्यक्ष : इसका इससे क्या ताल्लुक है ?

श्री श्रीराम गोटेवाला : ऐसे फाल्स आरग्यूमेंट्स दिये जिसकी वजह से जयपुर शहर में उत्तेजना पैदा हुई। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे उप-नेता महोदय बहुत गम्भीर हैं, शांत हैं और समस्याओं के सुलझाने का उनका अपना तरीका है, मैं कहूंगा कि वह लोगों को बुलाकर बात करें और जयपुर के अन्दर अशांति की व्यवस्था नहीं होने पाये, ऐसा कुछ करें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया !

श्रीमती कांता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगी कि जनतंत्रीय प्रणाली के मुताबिक वकीलों का समूह अपनी मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन करने आया और ऐसा करके जनतंत्र में उन्होंने कोई गलत कदम नहीं लिया उसके बाद एक बात कहूंगी कि लाठी चार्ज हुआ, उत्तेजना तो हो जाती है जब कोई मांग लेकर आता है उनको सुनने के लिए कोई तरीका अच्छी तरह से उनके सामने नहीं आता तो उत्तेजना पैदा हो जाती है। मैं इसको नहीं कहती कि मन्त्री महोदय उनमें मिलते लेकिन इतना जरूर कहती हूं कि वकीलों का समुदाय समाज में अपना अस्तित्व रखता है और कानून को जानने वाले कभी कानून को नहीं तोड़ते क्योंकि वह जानते हैं कि कानून तोड़ने के क्या कान्सीक्वेन्सेज होते हैं। इसलिए मुझे कहते बिलकुल भी झिझक नहीं है कि उनकी मांगों को लेकर कहें कि कोई कांग्रेस का है, जनसंघ का है, पार्टी को अलग रखकर हमें देखना पड़ेगा कि कोई मांग आये तो सरकार का फर्ज हो जाता है कि उसको सुनकर सही मांग हो तो सोचे और सही मांग नहीं हो तो उसको रिजैक्ट कर दे। लेकिन उनको सुनने का मौका अवश्य मिलना चाहिए। जब समाज का इज्जतदार तबका आता है तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार हो इसका भी तरीका समाज में है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उनकी बात सुनी जाये और अगर उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ है तो उसके लिए मुझे भी खेद है।

श्री अध्यक्ष : श्री यशवंतसिंह नाहर !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अध्यक्ष महोदय, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं जो आज दुर्घटना हुई। मैं भी वकील हूं। मेरा भी इसमें कहीं न कहीं इन्टरेस्ट है कि हाई कोर्ट कि बेंच जयपुर में हो। हस्ताक्षर करने वालों में मेरा भी नाम है। हमारी प्रापर्टी, सम्पदा और शरीर की रक्षा करने वाले वकीलों की जैसी हालत मैंने देखी तो मालूम हुआ कि वह वकील नहीं हैं। जयपुर में कतिपय वकीलों को मैं जानता हूं। मुझे देखने को मिला कि हमारी रक्षा करने वाले वकील क्या कर रहे हैं। पुलिस को धक्का देना और फिर कहना कि लाठी चार्ज हुआ और खून निकल गया, बड़े आश्चर्य की बात मालूम होती है। इस सीमा पर जो मैंने देखा तो अब मैं भी अपने आपको वकील कहने में कतराता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरीबाजार): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल कि लाठी चार्ज हुआ या नहीं हुआ, यह इन्क्वायरी की बात है, जिसका सुझाव सामने आ गया है और उस सुझाव के अन्दर उप-नेता महोदय अपनी सहमति दें तो सही होगा। फिर मैं

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ जो पहले भी मैंने दौराने बहस कही थी कि सबसे बुरी, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हुकूमत में बैठने वाले किसी बात को संजीदगी के साथ सुनने के लिये तैयार नहीं है और किसी बात पर ध्यान देने को तैयार नहीं हैं। विधि मंत्रीजी ने जो अल्फाज हिकारते श्रामूल वकीलों के लिये काम में लिए हैं उनके लिये मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क को नेतृत्व वकीलों ने दिया और वकीलों ने मुल्क को आजाद कराया और हमारे जो सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी थे वे हमारे सबसे बड़े वकील थे। आज विधि मंत्रीजी ने जिस तरह के शब्दों को काम में लिया है मैं समझता हूँ कि यह बहुत शर्मनाक अल्फाज उन्होंने काम में लिए हैं।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वकीलों की मीटिंग में एक बड़ा तबका इस किस्म का है जो अमेरिका स्पोंसर्ड हैं। कल की मीटिंग में उन्होंने इस बात को रखा था कि बाइफरकेशन का सवाल उठाया जाय। मैंने कल भी कहा था कि इसमें जो सी. आई. ए. के. एजेन्ट हैं जो इस प्रश्न को उठाते हैं, जो बाइफरकेशन की बात करते हैं, प्रान्त के विभाजन की बात करते हैं। मैं बड़ी संजीदगी से गवर्नमेन्ट से अपील किया चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस तरह की बातों को तरजीह मत दीजिये। तेलंगाना में बाइफरकेशन का मसला चल रहा है, वहां पर विभाजन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के हाथ में ताकत मत दीजिए। संजीदगी के साथ सवाल को हैंडल करके संजीदगी के साथ जवाब दीजिये। आप लोग हुकूमत चला रहे हैं इतना भारी बोझ अपने पर लिये बैठे हैं तो आपको संजीदगी के साथ मसलों को लेना चाहिये।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न यह है कि जो यह जवाब दिया गया वैसा न तो आज तक भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने दिया और न वर्तमान मुख्य मंत्री ने जवाब दिया है। जब रामचन्द्रजी जवाब दे रहे थे तो एक तरफ छंगाणीजी बैठ गए, उधर से खेतसिंहजी ने घेर लिया और तीनों तरफ से घेर कर बैठ गए और उन्होंने कह दिया कि यह विषय क्लोज्ड है। आज आंध्र का मामला क्लोज्ड नहीं है तो यह राजस्थान की राजधानी में बैंच कायम करने का प्रश्न कैसे क्लोज मान सकते हैं। अगर आप उनकी बात को मान नहीं सकते तो कम से कम अपना व्यवहार तो ठीक करलें। डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम इस प्रणाली को मान कर चलते हैं कि पब्लिक ओपिनियन के विषय कभी क्लोज्ड इश्यु नहीं है हमारे लिए।

लाठी चार्ज हुआ या लाठी धकेल हुआ—लाठी धकेल में भी मैन-हैंडलिंग हुआ या जो कुछ भी हुआ। हम लोग कुछ कांग्रेस के माननीय सदस्य भी उनसे मिलने के लिये गये जो वकील लोग जुलूस लेकर आये वे डिसिप्लीन्ड थे शान्ति के साथ। हम लोग गये हैं और उनसे मिले हैं। मैं रामचन्द्रजी से कहता हूं कि आप इस मामले पर चाहे एम. एल.एज. का सीक्रेट प्लेबिसाईट ले लें और किसी तरह से ओपिनियन लेलें और इस मामले का रास्ता निकाल सकते हैं। यह एक बड़ी वाजिब मांग है। यह कह कर कि वहां पर लाइब्रेरी नहीं है, स्पेशीलाईज्ड

(श्री केदारनाथ)

लोग नहीं हैं, तो यह बात चलने वाली नहीं है....

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : अगर दिवाला निकल गया है तो चन्दा करके देंगे।

श्री **केदारनाथ** : मेरा सुझाव है कि यहां पर तीन आदमी अन्तरात्मा वाले बैठे हैं, भूतपूर्व स्पीकर आचार्यजी ....

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : यहां तो जनता की आत्मा है, अन्तर आत्मा दूसरी है।

(शोरगुल- व्यवधान- अश्रव्य)

श्री **केदारनाथ** : तीनों आदमी बैठ कर जो घटना घटित हुई है उस पर विचार कर मालूम कर लें और इसकी जांच कर लें। उप-नेता साहब इस बात को मानलें।

श्री **मीठालाल** (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मामला ऐसा वैसा नहीं है कि इसको हंसी-मजाक में लेकर उड़ा दें। थोड़ा गंभीरता से और गम्भीरतापूर्वक विचार कर इसको लेने की आवश्यकता है कि 117 विधायकों ने इस ढंग से लिख कर दिया है और अगर वे जनतंत्र के अन्दर अपनी जनता के सही प्रतिनिधि हैं, जनता का सही प्रतिनिधित्व करते हैं तो मैं समझता हूं कि ऐसे मसलों पर जैसे डांगीजी कह रहे थे कि वह होली का रंग बिखेर रहे हैं, इस तरह से मजाक में बात को नहीं उड़ा कर ऐसे जो 117 विधायकों ने लिख कर दिया है जिसमें कांग्रेस की बेंचों पर बैठने वाले भी लोग हैं, वे आज इस प्रकार गूंगे बन कर बैठे रहे इस से बढ़ कर शर्म की बात नहीं हो सकती। केन्द्रीय सरकार ने भी पालियामेन्ट के अन्दर जब एक प्रश्न इस बारे में पूछा गया राजस्थान के माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया तो केन्द्र सरकार के माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि आज तक हमारे पास कोई डिमाण्ड राजस्थान की ओर से नहीं आयी है दूसरी बेंच स्थापित करने की। जब केरला जैसी छोटी स्टेट में दो बेंच हो सकती हैं, मेरठ में उत्तर प्रदेश में बेंच खोली जा रही है, नागपुर में बेंच है, मध्यप्रदेश में चार-चार बेंचें हैं तो राजस्थान ने क्या गुनाह किया है।....

श्री **अध्यक्ष** : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री **मीठालाल** : लाठी चार्ज के सम्बन्ध में निवेदन है कि लाठी चार्ज हुआ है, अब वह थोड़ा हुआ है या ज्यादा हुआ है लेकिन लाठी चार्ज हुआ है वकीलों पर, यह बड़े शर्म की बात है। जो कानून की व्याख्या करने वाला वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, आखिर प्रजातंत्र के अन्दर कोई प्रदर्शन करता है, कोई सत्याग्रह करें अपनी मांगों को लेकर के, उन पर इस प्रकार लाठी चार्ज किया जाय तो यह बड़े शर्म की बात है। इस बारे में पिछली विधान सभा में भी 68 सदस्यों ने लिख कर दिया था कि हाई-कोर्ट की बेंच जयपुर में होनी चाहिए। मैं

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

फिर कहता हूं कि अपनी गरिमा को कायम रखते हुए, आत्म स्वाभिमान को याद रखते हुए जितनी समस्यायें हैं उन पर क्षेत्रीय भावना से मजाक में न लेकर, सरसरी निगाह से न लेकर गम्भीरता से सरकार को विचार करना चाहिए। मैं माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन करता हूं

(श्री मीठालाल)
कि सदस्यों की भावना को गम्भीरता से लेकर हाई कोर्ट की बेंच के मसले का समाधान निकाल सकें तो बुरी बात नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : अब बैठिए आप।

उप-नेता महोदय !

श्री पी० के० चौधरी : एक मिनिट अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप इतने खामोश कहां बैठे हैं इतनी देर ?

श्री पी० के० चौधरी : मैं ज्यादा नहीं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खामोश नहीं थे गम्भीर थे।

श्री पी० के० चौधरी:....कह कर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बात को लाइटली न ले। दूसरी बात यह कहता हूं कि जैसा कि केदारजी ने कहा कि या तो एम. एल. एज. का सीक्रेट वोट लेकर, 117 माननीय सदस्यों ने जो लिख कर दिया है तो वह परसन्टेज आफ मेजोरिटी ने दिया है उसको आप पोलिटिकल इश्यू कह कर और औचित्य का विषय नहीं मान कर चलेंगे तो यह इश्यू दबेगा नहीं, जिस दिन जोर पकड़ेगा और उखड़ेगा तो आप उसको सम्भाल नहीं सकेंगे, इतना मैं आपको कह देता हूं।

श्री जयकिशन : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : अब नहीं।

श्री जयकिशन : एक मिनिट अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नो-नो प्लीज सिट डाऊन। उप-नेता महोदय !

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में एक सूचना के कारण काफी उत्तेजना पैदा हुई। कहा यह गया कि जनतंत्र के अन्दर मिनिस्टर मिलने से इन्कार क्यों करते हैं। गवर्नर साहब अभी दरवाजे पर किसानों के डेपुटेशन से जाकर मिले, आव-आदर से लाकर उनको बिठाया। जैसा कि मैंने निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय, अगर सम्मानित वकील महोदय मेरे घर पर मुझे मिलने के लिये आते मैं निश्चित रूप से दरवाजे तक जाकर उनकी अगवानी करता, उनको लाकर बैठाता और बात करता।

इन पिछले वर्षों में एक परिपाटी एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यह तय की हुई है कि जो भी डेपुटेशन डेमोंस्ट्रेशन लेकर आते हैं वह दरवाजे पर रुक जाते हैं, उनका शिष्ट मण्डल आकर के या तो मुख्य मंत्री से मिलता है अथवा सम्बन्धित मंत्री से मिलता है। मैं बहुत विगत में नहीं जाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, किन्तु मैं सही सही कहता हूं कि मैंने मिलने से इन्कार नहीं किया। मैंने मिलने के लिए आमंत्रित किया। सिटी मजिस्ट्रेट के पास में मेरा पर्चा लिखा हुआ मौजूद है। तीन माननीय वकील मिलने के लिए आए उनको मिला। मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य भी मुझ से मिले उनसे भी मैंने कहा कि आप ले आइये मैं मिलूंगा। सिटी मजिस्ट्रेट यह कहते हैं कि उन्होंने मेरी बात को कचरा कर

(श्री हरिदेव जोशी)

दिया। मैं नहीं जानता कि जिन सदस्य महानुभावों से प्रार्थना की थी कि भाई उनको ले आओ, मैं मिल लूंगा, उन्होंने मेरी बात को कन्वे किया अथवा नहीं किया। अगर उन्होंने मेरी बात को कन्वे नहीं किया है तो यह ब्रीच आफ ट्रस्ट है। या तो उनको मुझ से आकर के बात नहीं करनी चाहिए थी और जब उन्होंने बात की उनके बिहाफ पर तो मेरी बात को जाकर कन्वे करना चाहिए था। मैं ऐसी आशा करके चलता हूं कि उन्होंने मेरी बात को अपने पेट में नहीं रखा होगा, उन्होंने निश्चित रूप से कह दिया होगा। मगर मुझे सूचना यह मिली कि वकील साहब यहां मिलने के लिए नहीं आना चाहते थे। उन्होंने ना कह दिया। हम मिलने के लिए नहीं जाएंगे। उसके बाद में अध्यक्ष महोदय, मुझे अधिकृत रूप से यह जानकारी दी गई है कि उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस के कार्डन को तोड़कर यह कहा कि अच्छी बात है हम मिनिस्टर से अन्दर जाकर मिलेंगे। सारे के सारे लोगों ने अन्दर घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उनको रोका। लाठी चार्ज जैसी कोई चीज नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, कोई भी सरकार जो प्रजातंत्र के आधार पर जिन्दा रहना चाहती है, वह जनता के ऊपर लाठी चला कर जिन्दा नहीं रह सकती है। चाहे वकील हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे शराबबंदी की मांग करने वाले डिमान्स्ट्रेशन करने वाले सर्वोदय के कार्यकर्त्ता हों, हम सबके साथ समान रूप से, आदर के साथ बर्ताव किया करते हैं। पर कानून और व्यवस्था की भी एक सीमा है। उस सीमा को अगर कोई लांघना चाहे तो पुलिस को अपना फर्ज अदा करना होता है। मजिस्ट्रेट को अपना फर्ज अदा करना होता है। अगर जनरली माब सदन के अन्दर घुस आवे तो अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर यह गवर्नमेन्ट ऐनसरेबल होगी और यहां यदि एक क्षण के लिये भी अव्यवस्था पैदा हो गई तो यहां पर बैठने वाले लोग (माननीय सदस्य) बैठ नहीं सकेंगे। इसलिए व्यवस्था दोनों तरफ से निभाई जाती है। मेरे पास में डिटेल्ड इन्फरमेशन अभी तक नहीं है मगर तत्काल, जो अधिकारी लोग इधर आए और माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा उससे ऐसा ही कुछ लगा कि लोगों ने फोरसेबली सदन में घुसने की कोशिश की जिन्हें कि रोका गया है। कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया है। फिर भी जो कुछ हुआ है वह कोई अच्छी बात नहीं हुई है। मैं इसे अच्छा नहीं कहता। माननीय सदस्यों को जो खेद है उसमें मैं अपनी भावनाएं मिलाता हूं। यह कोई अच्छी बात नहीं कहता। फिर मैं एक बार दोहराता हूं कि अगर कोई डेपुटेशन मिलने आता है तो मैं उनके प्रतिनिधियों से मिलूंगा। मेरे घर पर आवेगा तो मैं सबसे मिलूंगा और उनकी जो भावनाएं हैं उनको प्रोपर क्वार्टर्स तक पहुंचा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगों पर विचार।

(अनेक सदस्यों के बोलने पर) सुन तो लीजिए। मंत्री महोदय का वक्तव्य हो गया है अकाल पर। बजट के अन्दर भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं। इसके लिए अलग से टाइम रखा है उस पर वादविवाद

(श्री अध्यक्ष)
होगा (सदस्यों द्वारा टोंकने पर) पहले सुन लीजिए, बहस का पूरा मौका रहेगा, और मौका मिलेगा। अभी काम करना है। नहीं तो देर रात तक बैठना होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 3, 2, 4, 5, 6, 7, व 47 का प्रस्तुतीकरण

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : (सदस्यों के हो-हल्ला करने पर) मंत्री महोदय को अनुदान की मांगें पेश करने दीजिए। समय काफी हो गया है।...

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26 लाख 25 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री चन्दनमल वैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 2— मुख्य शीर्षक 10— राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2 करोड़ 48 लाख 19 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 4—मुख्य शीर्षक 12— बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1 करोड़ 16 लाख 72 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 5- मुख्य शीर्षक 13- अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25 लाख 67 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 6— मुख्य शीर्षक 14— स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8 लाख 45 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 7— मुख्य शीर्षक 15— पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5 लाख 66 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 47- मुख्य शीर्षक था- राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27 करोड़ 4 लाख 63 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाए।

श्री अध्यक्ष : मांगें प्रस्तुत हुईं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा-महल, जयपुर) :

1. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10— राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी कर विभाग के निरोधक दल की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10— राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांजा और अन्य भेषजों के क्रय में होने वाले घोटालों पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10— राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधिकारियों की अयोग्यता से आबकारी कर की वसूली में होने वाली शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11— गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटर गाड़ियों का परमिट देते समय बसों का निरीक्षण नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11— गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संग्रहण व्यय के अनुपात में अधिक स्टाफ होने पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12— बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर निरोधक दल को समाप्त किये जाने पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12— बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली से दुकानदारों को परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13— अन्य कर और महसूल के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्युत् निरीक्षक की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13— अन्य कर और महसूल के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोरंजन कर के संग्रहण पर होने वाले अनावश्यक व्यय पर चर्चा के लिये)।

10. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14— स्टाम्प्स के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर अदालती स्टाम्प्स के विक्रय में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था— राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य विद्युत् मण्डल को आयोजना व्यय के नाम से दिये जाने वाले कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था— राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को दुर्भिक्ष

Page No 88

88 (88)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अग्रिम आवंटन पर किये जाने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिये) ।

13. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था— राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जागीरदारों के पुनर्वास हेतु दिये जाने वाले कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

14. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था— राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रिक्शा-चालक समितियों को समय पर कर्जा न दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

15. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था- राज्य संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर सुधार न्यास को दिये जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिये) ।

16. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था- राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में तकावी उचित समय पर नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

17. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था- राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

18. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था- राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को दिये गये ऋण (कर्जे) के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

19. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था- राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देहातों में गृह-निर्माण के लिये कर्जा समय पर नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

20. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था- राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य कर्मचारियों को अनाज क्रय हेतु दिये जाने वाले अग्रिम कर्जे को बंद कर दिये जाने पर चर्चा के लिये) ।

21. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था— राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेरोजगार चिकित्सा स्नातकों को दिये जाने वाले कर्जे की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये) ।

22. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था- राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु उचित योजना न बनाये जाने पर चर्चा के लिये) ।

23. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था- राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मेहतरों के लिये गृह-निर्माण हेतु दिये जाने वाले कर्जे की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये) ।

22. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृत्तिहीन स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम देने में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये) ।

25. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर दुग्ध वितरण योजना के माध्यम से होने वाले खर्चे के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

26. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारें द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे बुनकरों को औजार सुधार हेतु दिये गये कर्ज की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये) ।

27. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य एग्रो-इंडस्ट्रीज निगम को दिये गये कर्जे के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ) :

28. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आवकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबखोरी से जनता को मूर्ख बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

29. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोरंजन कर सही ढंग से वसूल करवाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

30. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14-स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय (स्टाम्प की बिक्री की प्रणाली पर चर्चा के लिये) ।

31. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था—राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार के ऋणों का सदुपयोग न होने पर चर्चा के लिये) ।

श्री मोहनराज (बाली) :

32. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली क्षेत्र में अनधिकृत एवं नियम विरुद्ध शराब की दुकानों को तत्काल हटाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये) ।

33. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब की प्रत्येक बोतल पर शराब पीने से होने वाले नैतिक एवं शारीरिक व आर्थिक हानि का स्पष्ट उल्लेख किये जाने की आवश्यता पर चर्चा के लिये) ।

34. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत

(श्री मोहनराज)
मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के घोषित सूखे जिलों की सीमा से 10 मील दूर तक की शराब की दुकान न खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) :

35. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी लागू करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जोहरी बाजार जयपुर) :

36. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट भट्टियों और अवैध शराब बनाये जाने को रोकने से राज्य कोष को होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली में जो घोटाले होते हैं उन पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 5 मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करों की वसूली में जो गड़बड़ होती है उस पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पैसेंजर टैक्स की वसूली में होने वाले घोटालों पर चर्चा के लिये)।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) :

40. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाजायज शराब की बिक्री को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

(1) श्री मीठालाल मीना (लालसोट) :
(2) श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

41. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूर्ण शराबबन्दी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीना :

42. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

(1) श्री मीठालाल मीना (लालसोट) :
(2) श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

43. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12–बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद्यान्न पदार्थों व गरीबों के आवश्यकता की चीजों पर कर के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) :

44. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की शराबबन्दी के सम्बन्ध में अपनाई गई नीति का विरोध करने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

45. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की मद्य निषेध के संबंध में अपनाई गई नीति के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

46. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अफीम, आदतन खाने वालों को डाक्टर की रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंस दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में ओपियम की खेती पर रोक लगाने हेतु चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाजायज अफीम के धंधे को रोकने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में ज्यादातर शराब पीने वाले अधिकारियों को लगाने की सरकार की गलत प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें न लगाने पर चर्चा के लिये)।

51. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी किए गए जिलों में नाजायज शराब की बिक्री रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गारंटी सिस्टम लागू करने के समय की ठेकेदारों की राजकीय बकाया रकम की वसूली करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा नाजायज शराब बेचने का प्रोत्साहन देने पर चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी की नीति में संशोधन कर शराबबन्दी करने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये)।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

55. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में गैर-कानूनी तौर से शराब बना कर बेचने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मैके-निकल निरीक्षकों द्वारा गाड़ियों के निरीक्षण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आर० टी० ओ० आफिसेज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यात्री बसें जिला जालौर में कच्चे रास्तों पर चलाने के लिए फोर व्हिल गाड़ियों को चलाने के परमिट दिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रैक्टरों एवं उनकी ट्रोली पर फिटनेस प्रमाण-पत्र देने में होने वाली असुविधाओं पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर के बड़े-बड़े गांवों में फेयर वेदररूट्स पर यात्री बसें चलाने हेतु चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर-रानीवाड़ा बस सर्विस को मुंदासा ग्राम तक एवं मबातहाव, सरनर पर काछेला पर बस स्टेण्ड बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री-कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पड़ोसी राज्यों के बराबर टैक्स निर्धारण किये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री-कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री-कर कानून के सरलीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर व महसूल के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्युत् निरीक्षक द्वारा विद्युत् कार्य के लिये लाइसेंस देने में होने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14-स्टाम्प्स के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रजिस्ट्रेशन में स्टाम्प्स की चोरी होने के बारे में चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15-पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजीयन के मामलों में होने वाली देरी एवं सब-रजिस्ट्रार

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
ऑफिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

67. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा सन् 72-73 तक सम्पूर्ण शराबबन्दी की घोषणा करने के उपरांत भी अपनी घोषणा के बिल्कुल मुकर जाने के कारण राज्य की जनता में व्याप्त घोर असंतोष पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में शराबबंदी के उपरान्त भी हाथ से बनी शराब (Illicit Liquor) का खुले आम व्यापार हो रहा है उसको रोकने में सरकार की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

79. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर से बाड़मेर और बाड़मेर से सांचोर तहसील का वह ग्राम जो गुजरात से लगता हुआ है बस रूट का राष्ट्रीयकरण करने में राज्य सरकार द्वारा ढिलाई एवं उदासीनता की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री राजेन्द्र भारतीया (बूंदी):

70. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में में 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय आबकारी कर के बिना राजस्थान की अर्थ व्यवस्था पर विचार पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जे.के.सिन्थेटिक्स एवं डी. सी. एम. कोटा के उद्योगों से माल पर बिक्री कर समय पर नहीं लिये जाने पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 5 मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बूंदी, कोटा व झालावाड़ की यात्री गाड़ियों पर लिये जाने वाले कर के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 6 मुख्य शीर्षक 14-स्टाम्प्स के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के नाम पर स्टाम्प्स ड्यूटी की बचत से उत्पन्न स्थिति पर विचार पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15-पंजीयन शुल्क के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंजीयन शुल्क के नाम पर जो वसूली होती है उस पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा):

75. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी के भली प्रकार लागू किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट बस मालिकों द्वारा टैक्स की चोरियां किये जाने को विभाग द्वारा न रोक पाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

77. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में निकाली जाने वाली गैर-कानूनी शराब पर चर्चा के लिये) ।

78. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय आबकारी विभाग द्वारा नाजायज शराब को निकालने से नहीं रोके जाने पर उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

79. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में बिक्री कर में होने वाली कर की चोरी पर चर्चा के लिये) ।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

80. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में चल रहे शराबबन्दी आंदोलन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

81. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(लाखेरी, गरपुरा में ठेके के अलावा अन्य स्थानों पर बिकने वाली शराब पर चर्चा के लिये) ।

82. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब की दुकानें हरिजन बस्तियों,मजदूर वस्तियों एवं धार्मिक स्थानों से नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

83. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(राजस्थान में वेतन के दिन शराब की दुकानें बंद नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

84. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में शराबबंदी अब तक लागू नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

85. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम लाखेरी, मोहवा, गरमपुरा से शराब की थड़ी अब तक नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

86. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कच्चे रूटों पर चलने वाली प्राइवेट बसों के टिकट नहीं काटने से टैक्स की चोरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री जगमोहन सिंह (छबड़ा) :

87. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा कस्बे में शराब की दुकान व समाज कल्याण छात्रावास एक ही भवन में स्थित होने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

88. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री जगमोहनसिंह)
कम कर दिया जाय (बिक्री कर उपभोक्ताओं से वसूल न किया जाकर बेचने वाले की आमदनी में से वसूल किए जाने हेतु चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील छीपाबड़ोद में तेंदू के पत्ते पर बिक्री कर की चोरी एवं कर के इवेजन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद (मालपुरा) :

90. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में सैकड़ों अवैध बार चलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11—गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में कई ट्रक बिना रोड परमिट लिये चल रहे हैं तथा कर भी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

92. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराब की दुकानें आम बाजार से दूर रखे जाने पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हस्त निर्मित नमदा उद्योग पर लगाये गये बिक्री कर वसूली से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत(सरदारपुरा, जोधपुर):

94. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शराबबन्दी की दिशा में राज्य सरकार द्वारा व्यवहारिक कदम न उठाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर के फिदूसर खनिज क्षेत्र के खान चालकों द्वारा तोल पर बिक्री कर पूर्व प्रदान करने पर भी उनके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द करने पर चर्चा के लिये)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) :

96. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाजायज शराब बनाने को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) :

97. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विद्यार्थियों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10—राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

99. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10–राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की नीतियों के कारण मदिरा विक्रय में हुये भारी प्रसार पर चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में वाहनों पर कर समाजवादी प्रणाली के विपरीत होने पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर इकट्ठा करने की राज्य सरकार की गलत प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोरंजन कर की वसूली के सम्बन्ध में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहरलाल (कामां) :

103. मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक 10-राजकीय आबकारी कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर-कानूनी शराब बनाने को रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राइवेट बसों द्वारा की जाने वाली कर की चोरी पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु मेलों में वसूल किये जाने वाले बिक्री कर प्रति पशु निर्धारित किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री कर की वसूली में होने वाले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मनोरंजन कर की वसूली में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14-स्टाम्प्स के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कामां क्षेत्र में गैर ज्युडिशियल स्टाम्प्स विक्रेताओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

109. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 500 रुपया कम कर दिया जाय (करारोपण विभाग में पदों पर होने वाले अनावश्यक व्यय मिटाने में मितव्ययता)।

110. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 10000 रुपया कर दिया जाय (बिक्री-कर

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

विभाग के विभिन्न पदों की आवश्यकता और उनमें कम व्यय के सुझाव पर मितव्ययता)।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़) :

111. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाड़ियों पर कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर वसूली में होने वाली धांधली पर चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

112. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाड़ियों पर, कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के समस्त बस रूटों के राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

113. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12- बिक्री कर के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री-कर की बकाया राशि की वसूली करने में ढिलाई बरतने पर चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13- अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यात्री व माल भाड़ा कर की वसूली न करने पर चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13- अन्य कर और महसूल के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यात्री व माल भाड़ा कर में होने वाली चोरी पर चर्चा के लिये)।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) :

116. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (यातायात विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12- बिक्री-कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री-कर विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

118. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटर व्हीकल इन्सपेक्टर्स, ट्रांसपोर्ट इन्सपेक्टर्स व सब-इन्सपेक्टर्स की प्रोपर्टीज की जांच कराने पर चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फिएट गाड़ियों के टैक्सी के रूप में आवन्टन में हुई गड़बड़ के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

123. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मोटरों के पंजीयन, रोड टैक्स वसूली, पैसेन्जर्स टैक्स, ड्राइविंग लाइसेन्स आदि कार्यों हेतु एक एकीकृत एजेन्सी की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

121. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11- गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से

(श्री गोपाल जोशी)

100 रुपया कम कर दिया जाय (गाड़ियों पर कर की वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिये)।

122. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री-कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हलवाइयों पर लगाये गये बिक्री-कर की वसूली के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) :

123. मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की तरफ से गाड़ियों पर लगाये गये कर की वसूली की व्यवस्था ठीक से न होने पर चर्चा के लिये)।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) :

124. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12—बिक्री-कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री-कर वसूली की अव्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

(1) श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) :

(2) श्री **मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) :

125. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री-कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री-कर के संग्रहण पर होने वाले व्यय में कमी करने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) :

126. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री-कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री-कर अधिकारियों द्वारा अपने पद के दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

127. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री-कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कर के अनुपात की राशि का अग्रिम चैक दुकानदारों से लिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को दिये जाने वाले विकास योजनाओं हेतु दिये जाने वाले ऋण के दुरुपयोग किये जाने पर चर्चा के लिये)।

129. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को मल प्रवाह उपयोग हेतु दिये जाने वाली राशि का उचित उपयोग नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

130. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगर सुधार न्यासों को दिये जाने वाले ऋण के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

131. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय खादों

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
के संसाधनों के विकास हेतु दिये जाने वाले ऋण को अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

श्री गोकलचन्द (कठूमर):

132. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री-कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हलवाइयों, भोजनालयों से बिक्री-कर की वसूली से उनको होने वाली परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह (मांडल):

133. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री-कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिक्री-कर विभाग के कर्मचारियों द्वारा छोटे-छोटे व्यापारियों को परेशान करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेट):

134. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री-कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (व्यापारियों द्वारा बिक्री-कर पूरा न चुकाने एवं विभाग द्वारा इसको पूरी तरह से वसूली न कर सकने पर चर्चा के लिये)।

श्री भैरूलाल (अकलेरा):

135. मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री कर के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद्यान्न वस्तुओं पर बिक्री-कर के प्रतिशत में कम किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली):

136. मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15-पंजीयन शुल्क के अंतर्गत मांग में से 100 रु० कम कर दिया जाय (प्रणाली में पंजीयन करने की प्रणाली में सुधार करने की चर्चा के लिये)।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):

137 मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम (आर० आई० एम० डी० सी०) द्वारा सांभर में Soda-ash factory की स्थापना पर चर्चा के लिये]।

138. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के कर भार से अर्थ व्यवस्था की चिन्ताजनक स्थिति पर भी विभिन्न अग्रिमों के दिये जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक था-राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारों द्वारा ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के ऋण तथा अग्रिम दिये जाने की दोषपूर्ण प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 3, 2, 4, 5, 6, 7 व 47 पर विचार एवं पारण

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल भार्गव!

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर): माननीय अध्यक्षजी, मैं सबसे पहले आबकारी के विषय में सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा....

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

(2.27 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सन् 1968 में शराबबंदी का सत्याग्रह हुआ और उसके फलस्वरूप सरकार ने एक अप्रेल, 1972 से राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी कर देने की इस सदन में घोषणा की थी परन्तु पुनः सरकार ने आर्थिक स्थिति के प्रश्न को लेकर यह बयान देकर कि इतने अर्थ की व्यवस्था नहीं हो सकेगी, सरकार घाटे में चली जाएगी उस सारी घोषणा को, उस सारे वायदे को पूरा करने से अब मुकर रही है। आज सरकार की आर्थिक स्थिति न तो अच्छी है और आगे जाकर सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। शराब की आमदनी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है और इसी वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं हो पा रही है। यदि हम शराब को पालते हैं तो शराब पीने से होने वाली बुराई को भी आप पाल लीजिए। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज सरकार को जुआ खेलने का व्यवसाय भी प्रारंभ कर देना चाहिए इस पर क्यों सरकार ने पाबंदी लगा रखी है? वेश्यावृत्ति, जुआ खेलना इन सारे व्यसनों को शराब पालती है। इसलिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर हमने पाबंदी नहीं लगाई तो यह चारों ओर फैल जाएगी।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** (सदन में शोरगुल होने पर) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

श्री **उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज !

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : आज हालत यह है कि प्रदेश में शराब को बढ़ावा सरकार की ओर से दे रहे हैं। इसकी हम इजाजत दे रहे हैं। शराबबंदी करने के लिए यह कहा गया था कि हम बिक्री कर लगा रहे हैं और उसके बाद इसको बंद कर देंगे किन्तु बिक्री कर की आय हो रही है उससे भी राज्य का काम चल रहा है और शराब की आयात भी करते जा रहे हैं। बिक्री कर भी दिनों-दिन बढ़ा दिया। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार ने लाटरी प्रणाली निकाली और वह भी चल रही है। इसके बावजूद भी सरकार की ओर से शराबबंदी नहीं की गई है। महात्मा गांधी ने कहा था कि शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी वेश्यावृत्ति के समान है। स्वर्गीय जवाहरलालजी नेहरू ने भी कहा था कि जो सरकार आर्थिक नीति का बहाना लेकर शराबबंदी नहीं लागू करती है वह मूर्खों की सरकार है। परन्तु शराबबंदी नहीं हुई। आज शराब की प्रणाली बदल गई है। सन् 62 में शराब के ठेके लिए बोली लगती थी और 1969 में इसको बंद करके कौल साहब ने गारन्टी सिस्टम चलाया और मथुरादासजी माथुर ने ऑफर सिस्टम आरंभ किया और उनके बाद चन्दनमलजी वैद आए और उन्होंने आकर यह टेन्डर सिस्टम चालू कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे वित्त मंत्री महोदय आते गए उन्होंने नई प्रणाली निकाली परन्तु सब की नीति एक ही रही कि शराब को चालू रखा जाय। उनकी नीति में कोई फर्क नहीं आया कि शराबबंदी होनी चाहिए थी। इसलिए मैं यह फिर निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने शराबबंदी की जो पहले घोषणा की थी उसको यह सरकार लागू करे। और फिर आखिरकार यह नोटिफिकेशन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

निकाला 14 मई को और इसके आधार पर 250 मीटर तक जहां पर हरिजन बस्तियां होंगी, मजदूर बस्तियां होंगी, धार्मिक स्थान होंगे वहां पर शराब की दुकानें नहीं होंगी। जहां पर सूखा पड़ रहा है वहां पर शराब की दुकानें नहीं होंगी, लेकिन यह केवल नोटिफिकेशन निकल गया। पहली दिसम्बर को निकला उसमें कहा गया कि भविष्य में यह निर्देश लागू होंगे। ये निर्देश कब से लागू होंगे ? अगले वर्ष इन नियमों के शब्दों के हेरफेर से राजधानी में मन्दिरों के पास में, मस्जिदों के पास में, मजदूरों की बस्तियों के पास में, स्कूलों के पास में शराब की दुकानें चल रही हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सारे इन्टरप्रिटेशन के आधार पर आज शराब बराबर बिक रही है और महत्वपूर्ण स्थानों पर बिक रही है। आप आमेर रोड पर निकल जाइये तो आमेर रोड के बीच में जो सुभाष चौक है वहां पर शराब की दुकान है। उधर से विदेशी आते हैं, मंत्री आते हैं और अच्छे लोग आते हैं तो सायंकाल में वहां पर देखते हैं कि क्यू लगी हुई है जैसे कि वहां पर दूध बंट रहा हो। इस तरह से शराब पीने वाले व्यक्ति वहां पर बैठे रहेंगे औरतें और भले, अच्छे लोग वहां से निकल नहीं सकते। इसी प्रकार से उनियारेवालों के रास्ते पर, चांदपोल के हनुमानजी के पास शराब की दुकानें चल रही हैं, ब्रह्मपुरी में शराब की दुकानें चल रही हैं। इस प्रकार से आप शराब बन्द नहीं करेंगे तो आपका मस्तिष्क कभी भी ठीक नहीं रहेगा। आज गोकुल भाई भट्ट और उनके साथी विधान सभा के सामने "शराबबन्दी राजस्थान में होनी चाहिए" इस मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अजमेर में आन्दोलन चल रहा है। शराबबन्दी नहीं होने से अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गये हैं कि जगद्गुरु शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को जिस समय गिरफ्तार किया गया था उस समय उन्हें कहां रखा था ? चण्डूखाने में रखा था। जहां पर चारों ओर शराब के कारखाने थे और वहां पर शराब बिकती थी वहां पर जगद्गुरु शंकराचार्य जैसे व्यक्ति को रखा गया था। मैं निवेदन करूंगा कि राज्य-सरकार को पुनः इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए।

अब मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष, कि आज यहां पर मनोरंजन कर का मामला भी विचाराधीन है। मैं जयपुर नगर परिषद् का उदाहरण देना चाहूंगा। जयपुर नगर परिषद् 1957 में 6 पर्सेन्ट मनोरंजन कर वसूल करती थी। अब 16 वर्ष के बाद में इस मनोरंजन कर में 59 प्रतिशत वृद्धि हुई है। उसका परिणाम यह निकला है कि एक रुपये पर 65 पैसा मनोरंजन कर के रूप में राज्य सरकार को मिलता है। नगर परिषद् जिस समय यह कर लेती थी उस समय 6 पर्सेन्ट था और राज्य सरकार लेती है तो 59 पर्सेन्ट यानी एक रुपये पर 65 नया पैसा है। दरों में वृद्धि हुई है, आज दर्शकों में वृद्धि हुई है। 6 प्रतिशत जिस समय निर्धारित किया गया था उस समय जयपुर में लगभग दो सिनेमाघर थे। आज जयपुर शहर में 7-8 सिनेमा हैं। जयपुर में 1955 में म्युनिसिपैलिटी के पास और भी अन्य आय के स्रोत मनोरंजन कर के थे, जैसे प्रदर्शनी,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

टूर्नामेंट्स। वे 55 में थे, लेकिन राजस्थान सरकार ने नगर परिषद् के जो भी मनोरंजन कर के स्रोत थे उनको अपने हाथ में ले लिया और परिणाम यह हुआ उदाहरण के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि जैमिनी सरकस जब जयपुर शहर में आया था एक वर्ष पहले तो 750 रुपये प्राप्त हुए प्रतिदिन और बाद में जैमिनी सरकस से 2,250 रुपये मिले प्रतिदिन। वह भी राजस्थान सरकार ने ले लिए। 1 लाख 65 हजार राज्य सरकार ने ले लिये, और इसका आधार क्या है? 71-72 में 30 लाख रुपये जो हैं आपने सिनेमाओं से एन्टरटेनमेंट टैक्स के आधार पर लिए और 10 प्रति शो के हिसाब से सिनेमाओं से और लेते हैं वह भी राज्य सरकार में जमा होता है। 67 हजार रुपये और जैमिनी सरकस से प्राप्त हुआ वह भी जमा हुआ जब कि 57 के अनुमानित आंकड़ों के आधार पर जयपुर नगर परिषद् को 3,46,664 रुपये प्रति वर्ष दिये गये जिसमें 1,52,332 रुपये प्रति वर्ष वाटर वर्क्स के काट लिये गये थे गत वर्ष तक। मैं निवेदन करूंगा कि 6 पर्सेन्ट का भी हिसाब लगा लिया जाय तो आज सारे आंकड़ों के आधार पर 8 लाख रुपया होता है। उसमें से 4 प्रतिशत जो प्रशासनिक व्यय होता है चार इन्सपेक्टर भी आप रखते हैं तो करीब 32 हजार रुपया खर्च मान लें, तो भी आज जयपुर नगर परिषद् को 7,68,000 रुपया प्रतिवर्ष मिलना चाहिए। यही नहीं, मैं आपसे मांग करना चाहूंगा कि नगर-परिषदों के अध्यक्षों के सम्मेलन में जो कि अप्रैल, 1971 में हुआ था यह मांग की गई थी कि सम्पूर्ण मनोरंजन कर नगर परिषदों को मिलना चाहिए। यदि नगर परिषदों को सम्पूर्ण मनोरंजन कर, मिल जाता है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान की जो नगर परिषदें हैं उनकी हालत जो आज खराब है वह हालत दुरुस्त हो जायगी। इस प्रकार से राजस्थान में काम करना होगा।

अब मैं बिक्री कर के बारे में, माननीय उपाध्यक्ष, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। बिक्री-कर की वसूली दुकानदारों से की जानी चाहिए लेकिन आज बड़े दुकानदारों से नहीं बल्कि छोटे-छोटे व्यापारियों से किया जाता है। आज हलवाइयों से बिक्री कर वसूल किया जाता है। हलवाइयों ने यहां पर इसके लिए प्रदर्शन भी किया था। एक आदमी खोमचा चलाता है वह अनपढ़ है आदमी को बिल काटना पड़ेगा, ग्राहक ने चार परांठे लिए तो नाम पूछा जायगा चन्दनमल और पिताजी का नाम पूछा जायेगा। चार परांठे आपने खाये तो उसके 30 पैसे सेल्स टैक्स के देकर जायेंगे। क्या वह हलवाई इस प्रकार से हिसाब रख सकता है? क्या वह खोमचे वाला इस प्रकार से हिसाब रख सकता है? क्या वह ढाबे वाला इस प्रकार से हिसाब रख सकता है। इस प्रकार से बिक्री कर की जो पद्धति है वह अच्छी नहीं है, उसकी वसूली का जो तरीका है वह अच्छा नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसके आधार पर राज्य में बाहर से माल आ रहा है। बिक्री कर के कारण अन्य प्रान्तों का माल यहां पर सस्ता पड़ता है और हमारे यहां का माल महंगा मिलता है। फिर यहां पर माल कौन पैदा करेगा। हर आदमी बाहर के माल लेना पसन्द करेगा।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

राजस्थान में जो कुटीर उद्योग चलते हैं और बड़े उद्योग हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि उन उद्योगों को यहां पर स्थापित करना चाहिये। जो खेतड़ी में ताम्बे का प्रोजैक्ट है उसका कारखाना चला गया कलकत्ते में। कारखाना चला गया तो सेल्स टैक्स कौन लेगा ? वह कलकत्ते वाली सरकार लेगी और राजस्थान की सरकार को कुछ मिलेगा नहीं। तो हमारे यहां के बड़े-बड़े उद्योगों के दफ्तर जो हैं वे बाहर हैं, जिनके बाहर होने के कारण बिक्री कर की हमें प्राप्ति नहीं होती है। सेल्स टैक्स की आय उनसे नहीं होती है। यही नहीं, बल्कि मैं निवेदन करूंगा कि वे जो नौकर भी रखते हैं राजस्थान के लोगों को नहीं रखते हैं, जैसे कि डी० सी० एम० उद्योग है, सिंघानिया उद्योग है। इन सब बातों पर विचार करना चाहिए, लेकिन आप इसलिये विचार नहीं करते हैं क्योंकि वे उद्योग आपको चन्दा देते हैं। इसके आधार पर आप उन उद्योगों को बाहर स्थापित होने देते हैं। इससे बिक्री कर में हमें घाटा हो रहा है और हमारे लोग तो उसमें शामिल होंगे नहीं। आप उन उद्योगों के हेड ऑफिसेज राजस्थान में लाइये।

जिन उद्योगों को सरकार ने कर्जा दिया है उनमें शेयर होल्डर्स के रूप में हमारा मैनेजमेंट होना चाहिये। इन्डस्ट्रियल एक्सपर्ट्स का यहां पर पूल बनाना चाहिये, और जिन उद्योगों और बड़ी-बड़ी कम्पनियों की आपने गारन्टी दी है 12-13 करोड़ की गारन्टी दे रखी है, आज हालत यह है कि राज्य सरकार को उस गारन्टी पर जो ब्याज लेना चाहिये वह ब्याज आज राजस्थान सरकार वसूल नहीं कर पाती है।

इसके साथ में, मैं यह आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो सारी बातें हैं उन सभी बातों के आधार पर वित्त मंत्रीजी ने बजट पेश किया है, राजस्थान की ढाई करोड़ जनता के विकास का बजट पेश किया है उसमें इस प्रकार का कुछ प्रकट होता नहीं है। आज नगर परिषदों की हालत खराब है। आज किसी नगर-परिषद् को ज्यादा कर दिया और किसी नगर-परिषद् को कम कर दिया, जब चाहा किसी को हटा दिया और जब चाहा किसी को रख दिया तो हमारी मांग है कि जिस प्रकार से केन्द्रीय वित्त में से राजस्थान की सरकार को पैसा मिलता है उसी प्रकार से राज्य में जो भी आय के स्रोत हैं उनके बटवारे के लिये एक स्टेट फाइनेन्स कमीशन नियुक्त किया जाय। राज्य में जो कुछ भी कर लगाये जाते हैं इन करों में से नगर-परिषद् को कितना हिस्सा जाना चाहिये और पंचायतों को कितना हिस्सा मिलना चाहिये, उसको यह स्टेट फाइनेन्स कमीशन तय करे कि राज्य में जो आय के स्रोत हैं उन स्रोतों को नगर-परिषद्, पंचायतों और राज्य में किस प्रकार बांटा जाय।

मैं अब आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर यह ट्रान्सपोर्ट की जो व्यवस्था है वह भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमारे प्रान्त में जो पैसेन्जर टैक्स हैं उस पैसेन्जर टैक्स की वसूली आज उदयपुर में नहीं हो पा रही है। उदयपुर में कई प्रकार की कम्पनियां हैं वे कम्पनियां तो वहां हैं जरूर लेकिन बसें नकली हैं और बाहर चल रही हैं। कोई हरिद्वार जा रही

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है कोई वृन्दावन जा रही है। नकली टिकट छापे हुए हैं उसके आधार पर घूमते फिरते हैं। भली प्रकार से काम नहीं हो रहा है।

मैं इस प्रकार से स्टाम्प बिक्री कर के बारे में निवेदन करूंगा कि जिसकी हालत बहुत खराब है। यह जो एक नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। यह राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है। यह आपने टैक्स लगाया है इस अधिसूचना के जरिये— "राजस्थान बिक्री-कर अधिनियम, 54 की धारा 21 की उप-धारा (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पहले की उन सारी अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए जहां तक इसकी सीमाएं हैं इस अधिसूचना से...." मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कौनसी वस्तु पर बिक्री-कर लगाया है। इस अधिसूचना को निकलवाकर इसका उत्तर देंगे तो इस बारे में स्पष्टीकरण हो जायगा।

इसी प्रकार कर्ज के कार्यक्रम के बारे में मेरी मांग है कि रिक्शा चालकों की सोसायटी बनी हुई है। रिक्शा चालकों को अपना रिक्शा बनाने के लिये लोन की आवश्यकता है। रिक्शा चालकों को रिक्शा चलाने के लिये कितना पैसा मिलना चाहिये वह आपने नहीं दिया है। अब राज्य सरकार का यह नियम है कि रिक्शे का लाइसेन्स उसको ही दिया जायगा जो कि रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाने वाला ही रिक्शे का मालिक होगा।

उन्होंने नगर-परिषद् में आवेदन दे दिये हैं। वे चाहते हैं कि उनको 500 रु० कर्ज मिल जाये। अब कितना कर्जा मिले। जयपुर शहर में 3000 रिक्शा चालक हैं। उनको भी कर्जा मिल जाये, इस पर भी वित्त मन्त्रीजी को विचार प्रकट करना चाहिये।

बड़े खेद से कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों को जो अनाज खरीदने के लिये कर्जा दिया जाता था वह बन्द कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि वह बन्द नहीं किया जाये।

गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये योजना बनाई गई होगी। जयपुर शहर की चहारदीवारी के भीतर 37 कच्ची बस्तियां हैं। इन बस्तियों के विकास के लिये एक कौड़ी भी नगर-परिषद् ने नहीं दी है। तो क्या शहर की चहारदीवारी के बाहर ही विकास किया जायेगा। भीतर की जो 37 कच्ची बस्तियां हैं, उनके विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। शहर में मकान बनाने के लिये जो कर्जा देते हैं, वह अपर्याप्त है। स्वर्णकारों को जो कर्जा देते हैं वह अपर्याप्त है। उनसे वसूल करने का भी जो ढंग है, वह उचित नहीं है। कारीगरों के औजारों के लिये भी कर्ज का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार को यह देखना चाहिये कि नगर-परिषद् रुपये का समुचित उपयोग करती है या नहीं। 4 लाख रुपया जयपुर नगर-परिषद् को दिया गया है। 2 लाख 20 हजार रु० दिया है टैम्पू खरीदने के लिये। 35 हजार के टैम्पू पड़े हुए हैं। किसी काम आये नहीं। उनकी हवा निकल गई है। 1 लाख 5 हजार के और आर्डर दिये हैं। वे अभी आये नहीं हैं। तीन ट्रक खरीदने के लिये आर्डर दिये हैं। 4 लाख में से 3 लाख जयपुर

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नगर परिषद् के पास पड़ा है। उन्होंने उपयोग नहीं किया है। राज्य सरकार ने 2 लाख रुपया गटर लाइन डालने के लिये, कच्चे वहारत हैं, उनको गटर में कन्वर्ट करने के लिये दिया था। 30 हजार रुपया जयपुर नगर-परिषद् के पास पड़ा है। राज्य सरकार ने घोषणा की थी 15 अगस्त तक जो हरिजन जयपुर नगर-परिषद् में सिर पर मैला ढोते हैं, वह प्रथा समाप्त करदी जायेगी। तिथि घोषित कर दी थी। लेकिन सारे के सारे हरिजन जयपुर शहर में जैसे सिर पर पहले मैला ढोते थे, उसी प्रकार से आज भी ढो रहे हैं। यह सरकार के लिये कलंक की बात है। इसके लिये अभी भी 2,28,604 रुपये पड़े हुए हैं। 71-72 में 1 लाख में से 30 हजार रुपये बचे पड़े हैं। 72-73 के 60 हजार रुपये पड़े हैं। इसी तरह से 6 लाख 40 हजार रु० और पड़े हुये हैं। वहां पर भेद-भाव होता है। टेण्डर आमन्त्रित कर लिये जाते हैं। फिर भेदभाव होता है। जयपुर शहर में विकास कितना है, उसका उदाहरण देता हूं। विधान सभा के मेम्बर यहां सिरह ड्योढी बाजार में से गुजरते हैं। यहां पर ट्यूबलाइट नहीं है। हमारे माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष यहां आते हैं। कहीं पर गाड़ी गड्डे में नहीं गिर जाये। रामप्रकाश सिनेमा है, कहीं ट्यूब लाइट नहीं है। कहीं मोटर नहीं टकरा जाये मुझे दया आती है, नगर परिषद् समय पर पैसे का उपयोग नहीं कर सके। इसके लिए मन्त्री महोदय विचार करें। यही प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 2, आबकारी विभाग के सम्बन्ध में अपने विचार निवेदन करना चाहूंगा। ये जो नशीली चीजें हैं, शराब और अफीम है या और कोई नशीली वस्तु है। नशीली वस्तु के सेवन से इन्सान हैवान बनता है। इस बुराई को रोकने के लिए सरकार को कदम बढ़ाना चाहिए। इसके साथ-साथ जो हमारी सरकार ने कुछ खास जगहों पर शराबबन्दी कर रखी है उसके साथ कम से कम उन स्थानों पर शराब की दुकानें नहीं लगायेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि फेमीन कैम्प जो इस समय अकाल की स्थिति के कारण चल रहे हैं, वहां पर ऐसे कैम्पों में भी लोग शराब पहुंचाते हैं। ऐसे कैम्पों में कुछ मनचले लोग शराब पहुंचाते हैं। वहां पर शराबबन्दी नहीं हो पाई है। इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। इसके साथ-साथ जो धार्मिक स्थान हैं, देवस्थान हैं, जहां मेले लगते हैं, वहां पर पवित्रता रहनी चाहिए। लेकिन वहां पर भी शराब बीच में आ खड़ी होती है। यह राक्षसी बीच में आकर खड़ी हो जाती है। शराबबन्दी होनी चाहिए लेकिन इसके साथ-साथ यह भी है कि एक आदमी को 5 बोतल रखने का अधिकार दे रखा है, उसके बारे में मैं आबकारी मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उसको दुकान पर ही रखा जाये। गांवों में इस अमृत को नहीं भेजें। शहर में ही रखी जाये ताकि इससे जो इसका प्रसार बढ़ रहा है, उसमें कमी आये। जिस तरह से अफीम को बन्द किया है, जिस तरह से अफीमची लोग हैं उसी तरह से शराबबन्दी से भी कोई मरने वाला नहीं है। यह मन का भय है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय मेरा

(श्री लूणाराम)

यह भी निवेदन है कि सरकार यह कहती है कि इससे आमदनी कम होगी। हो सकता है, कुछ आमदनी कम हो। अगर सरकार को आमदनी की फिक्र है तो लोगों के स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान रखना चाहिए। इससे शराब के कारण जो बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, वे भी बन्द हो जायेंगी। जैसे चोरी है, डकैती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई कहे कि शराब पीने से आमदनी होती है, तो जिस प्रकार से अफीमचियों को लाइसेंस दे रखे हैं, उसी प्रकार से शराब वालों को लाइसेंस दे दें। इससे लोगों की हालत सुधरेगी। इसके साथ-साथ आज हम देखते हैं कि जो हमारे पवित्र मन्दिर हैं तीर्थ हैं, भोजनालय हैं, स्कूल हैं जहां पर भावी पीढ़ियों को शिक्षा मिलती है ऐसे स्थानों से शराब के ठेके दूर होने चाहिएं। इसके लिए सख्ती से आदेश होने चाहिएं। जिससे शराब या और गन्दी वस्तु पवित्र स्थानों के पास नहीं आने पाये। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह के और कई सुधार इस विभाग के अन्दर हो सकते हैं। वित्त मंत्रीजी ने पिछले समय फरमाया, ऐसे शराबबन्दी के प्रचार के संगठनों को इस चीज के लिए अनुदान देते हैं, जिससे प्रचार करके वह रोकें। मेरा निवेदन है, ऐसे प्रचार के लिए, सर्वोदयी संस्था या खादी संस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जिनको यह अनुदान किया जाय, जो कार्य क्षेत्र को व्यापक रूप से बढ़ा कर गांव-गांव में प्रचार कर सकती हैं, जिससे लोग बुरी आदत में फंसने से बच सकें। इसके साथ-साथ मेरा यह भी निवेदन करना है, यह जो मोटर गाड़ी कर है, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज यह बात सही है, जो सर्विस गाड़ियां, टैक्सियां चल रही हैं, उन पर कर अधिक मालूम पड़ रहा है, वह इसलिए मालूम पड़ रहा है कि आज सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति है, उसके अनुसार रोडवेज ने गाड़ियां चला रखी हैं, उनको देखते हुए प्राइवेट गाड़ियों की आमदनी कम हुई है। आमदनी कम होने से ऐसा महसूस करते हैं कि टैक्स उन पर ज्यादा है। एक और बात है, जो कर है, वह जो मुसाफिर होते हैं उनसे नहीं छोड़ा जाता है, उनसे पैसा-पैसा टैक्स वसूल कर लिया जाता है और सरकार के खजाने में वह जमा नहीं होता है। इसमें चोरी होती है, वह कैसी भी मजबूरी से हो। उनकी जो कठिनाइयां होती हैं उनको तो हल किया जाना चाहिए, लेकिन बढ़े हुए टैक्स को वसूल किया जाय। इस चीज को करने की आवश्यकता है कि जो टैक्स लगाया है, वह पूरा का पूरा वसूल हो, इसमें ईमानदारी बरती जाय और इसके लिए विभाग को सतर्क करना आवश्यक हो गया है।

इसके साथ-साथ आज दूसरे टैक्सों के बारे में यह बात है, ट्रैक्टर के ऊपर, जो आज के युग की प्रगति का प्रतीक है, उस पर टैक्स बढ़ाया गया है, इससे लोगों पर भार बढ़ा है। पिछली बार टैक्स बढ़ाया गया, उस समय लोगों ने विरोध किया था। आज भी यह स्थिति है। जो इस युग की प्रगति का प्रतीक है, उस पर कम से कम टैक्स लगाना चाहिए जिससे लोग आगे प्रोत्साहित होकर काम करते रहें।

(श्री लूणाराम)

आज हम देखते हैं, टैक्सों की चोरी बहुत होती है, उसमें विशेषतया चोरी होती है, वह ट्रकों के माध्यम से होती है। ट्रकों के अन्दर विभिन्न किस्म के माल सीमा चौकी के कर्मचारियों से मिल कर, नीचे माल छिपा कर राजस्थान के बाहर ले जाते हैं। ऐसी गड़बड़ी नहीं होने पाये, इसके लिए ट्रकों के चैंकिंग में सख्ती की जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : है।

श्री लूणाराम : इसलिए ट्रकों के चैंकिंग में सतर्कता बरती जाय, सीमा के ऊपर जो ऑफिसर ट्रकों के चैंकिंग के लिए मुकर्रर हैं, उनको सतर्क किया जाय जिससे टैक्सों की चोरी नहीं हो। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करूं, आज ट्रक वाले अपना काम ईमानदारी से करते नहीं हैं, चोरी करते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से इस एक साल में दो बार रेवड़, भेड़ सौ से भी ऊपर भर कर ले गये और पंजाब, लुधियाना ले जाकर उनको खत्म कर दिया। ऐसे जानवरों की एक दो की नहीं, सैकंड़ों की तादाद में ट्रक वाले चोरी करना शुरू कर देते हैं। यह कह सकते हैं कि टैक्स देने वाली चीजों को और चीजों में छिपा कर न ले जायं, इसलिए ट्रकों के चैंकिंग में सख्ती होनी चाहिए और जो ट्रक वाले दोषी पाये जायं उन ट्रक या वाहन के मालिकों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

घण्टी बजाने की क्या जरूरत है। मैं जल्दी से जल्दी समाप्त कर दूंगा उपाध्यक्ष महोदय....

श्री प्रद्युम्नसिंह : कोरम नहीं है।

श्री लूणाराम : कोरम नहीं है तो क्या करें ?

इसके साथ-साथ आज बिक्री-कर से हमें अच्छी आय हो रही है, यह तो सराहनीय है। लेकिन आज बिक्री-कर के मामले में जो छोटे दुकानदार हैं वे बहुत परेशान हैं और सरकार को शिकायत करते हैं कि सरकारी अधिकारी हमें तरह-तरह से तंग करते हैं। ये लोग जो सामान लेने वाले व्यक्ति हैं, उन पर टैक्स छोड़ देते हैं। यह बात नहीं है। टैक्स लेते हैं, जो गांव वाले लोग आते हैं उनसे टैक्स वसूल कर लिया जाता है और सरकार को टैक्स अदा नहीं किया जाता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निवेदन करने का तात्पर्य यह है कि ऐसे मामलों में दुकानदार को सतर्क रहना चाहिये। जहां तक उनकी सही दिक्कतों का प्रश्न है, विभाग को उन दिक्कतों पर विचार करना चाहिये और दूर करना चाहिये, लेकिन टैक्स के मामले में अगर वह कहते हैं तो ईमानदारी से उनको सरकार को अदा करने की कार्यवाही करनी चाहिये।

इसके साथ-साथ स्टाम्प ड्यूटी के बारे में आज मांग है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा, स्टाम्प बिक्री पर टैक्स लगा रखा है, उसमें जो एक रुपये से कम के स्टाम्प हैं उनको स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करना चाहिये। उनसे जो आय कम हो, उतना और टैक्स ऊपर वाले स्टाम्प पर लगा दें। यह सोचने वाली बात हो सकती है कि उनको ड्यूटी से मुक्त कर देंगे तो ऐसे ही स्टाम्प लोग खरीदेंगे। इसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है, ऐसे स्टाम्प के लिये एक

(श्री लूणाराम)
संख्या निर्धारित हो जाय इतने से अधिक कोई नहीं लेगा, तो इसमें दिक्कत की बात नहीं आयेगी।

इसके साथ रजिस्ट्री की बात है, रजिस्ट्री के मामले में यह निवेदन है बड़ी मजबूरी होती है, बड़ी परेशानी होती है, तब किसान अपनी जमीन को बेचने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार कोई भी खेत, चाहे वह मकान हो या पट्टा हो, उसको बेचने के लिए मजबूर होता है तो मेरा निवेदन है कि जो भी 2500 या तीन हजार से कम की रजिस्ट्री कृषि-भूमि की हो या घर की, मकान की पांच सौ रुपये तक की पट्टे की रजिस्ट्री हो तो उससे रजिस्ट्री की बढ़ी हुई फीस नहीं लेनी चाहिये, कम लेनी चाहिये जितनी कम की जा सके, उतनी रजिस्ट्री फीस कम की जानी चाहिये और जिस भूमि की ज्यादा कीमत हो, उनसे ज्यादा फीस ली जानी चाहिये, जिससे उनको दिक्कत नहीं हो और छोटे लोग नुकसान से बच जायं।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की ऋण और अनुदान के सम्बन्ध में नीति है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ऋण दिया जाता है वह सरकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है, बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। आज किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत है, यह सारा ऋण दिया जाता है इससे किसान लाभान्वित होने चाहियें लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आज बैंक की व्यवस्था ऋण देने की है वह सुविधा-जनक नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं मेरे जिले के लिये निवेदन कर दूं। हमारे जिले के अन्दर बड़ौदा बैंक को निर्धारित कर रखा है, साथ ही बैंक की सीमा है वह दस मील है। दस मील के दायरे के बाहर के किसी व्यक्ति को ऋण नहीं देगी। इसका नतीजा यह है कि जहां दस मील के दायरे में बैंक नहीं है, तो किसानों की मांग वाजिब हो तो भी ऋण उनको नहीं मिलता है। इस व्यवस्था के अन्दर सुधार हो, चाहे बड़ौदा बैंक हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हो, इसमें कोई बात नहीं है, कोई बैंक हो, इसमें गिला नहीं है, कोई भी बैंक निर्धारित की जाय लेकिन कम से कम दस मील की सीमा में जब दूसरी बैंक नहीं है तो जितनी दूर तक बैंक नहीं है, उतनी दूर तक इसकी सुविधा मिलनी चाहिये ताकि वहां के किसान भी फायदा उठा सकें। इसके अलावा ऋण देने के बारे में जो प्रोसीजर अख्तियार कर रखा है उससे किसानों को और जरूरत-मन्द व्यक्तियों को ऋण नहीं मिलता है। इण्डस्ट्री के मामले में चाहे जितना ऋण दिया जा सकता है। उदाहरण के रूप में आज कोई बस खरीदना चाहे तो उसको सत्तर-अस्सी हजार का ऋण मिल सकता है लेकिन किसान को अपने काम के लिये, कृषि की उपज बढ़ाने के लिये औजार या गाड़ी खरीदना चाहे तो उसे ऋण मुहैय्या नहीं होता है। मेरा निवेदन करने का तात्पर्य यह है, जब अब हम इस प्रकार से जो उपज बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को ऋण आदि की सहूलियत देकर आगे नहीं बढ़ायेंगे तब तक हमारे विकास के अन्दर बड़ी भारी कमी रहेगी और सामने बड़ी दिक्कतें आयेंगी।

आज हाउसिंग लोन देना सरकार ने प्रारम्भ किया है, यह अच्छा है। गरीब

(श्री लूणाराम)

तबके को, पीड़ित तबके को ऋण मिलता है, यह ब्याज रहित मिलना चाहिये। यह अच्छी बात है। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन हम देखते हैं, इसके अन्दर अनेक बन्धन हैं, इस कारण आज पीड़ित तबका, गरीब तबका ऋण प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, इसके नियम के अन्दर कुछ सरलीकरण किया जाय जिससे आम आदमी को ऋण प्राप्त हो सके। नगरपालिकाओं को उनके विकास के लिये ऋण जरूर दिया जाता है, परन्तु ग्राम पंचायतों को इससे वंचित रखा जाता है, जिससे वे रोजमर्रा के काम नहीं कर पाती हैं तो सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण कार्यों को अगर वे हाथ में लें और ऋण का प्रावधान हो तो उनको निश्चित रूप से ऋण दिया जाना चाहिये। ग्राम सहकारी समितियां....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी समाप्त कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सहकारिता के लिए अलग मांग आएगी।

श्री लूणाराम : ऋण और अनुदान की जो नीति है उसके लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हमारी ग्रामीण सहकारी समितियों के अंदर जो ऋण देने की व्यवस्था है, वह ऐसी है जिसके अन्दर आए साल अकाल पड़ता है उसके बाद किसान को चिंता रहती है कि कब वह चुकाएगा। इसलिए उस ऋण को जमा न होने तक के ऋण में बदल दिया जाए ताकि वह किसान आगे ऋण लेने से वंचित न हो जाए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऋण सरकार द्वारा दिया जाता है, वह इस रूप से दिया जाए कि जिस काम के लिए किसान लेता है उसका पूरा पूरा फायदा उठा सके।

अनुदान आज जिस प्रकार से मिलता है वह सही नहीं है। किसान की फसल खतम हो जाती है तो उसको किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जाता जिससे किसान की, चाहे लाखों रुपये कि फसल हो उसके लिए अनुदान की व्यवस्था न होने से किसान इन अधिकारों से वंचित रह जाता है। कुछ मामलों में किसान को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान के लिए पंचायत समितियों के मारफत व्यवस्था होते हुए भी कभी अनुदान नहीं दिया जा रहा है।

नगरपालिकाओं को अपने क्षेत्र में बिजली, पानी, सफाई आदि के लिए अनुदान दिया जाता है, जिससे वे अपना सारा कार्य, विकास कार्य अपने क्षेत्र के लिए कर सकें पर पंचायतों के लिए इस प्रकार का अनुदान देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि समानता की धारणा से ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए एक जैसी व्यवस्था करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला सिंह!

श्रीमती निर्मलासिंह (चित्तौडगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में आबकारी के संबंध में जो मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उन पर बोलना चाहूंगी। आज हमारा उद्देश्य कल्याणकारी समाज की स्थापना का है फिर हम इस नशानिषेध की नीति से क्यों दूर जा रहे हैं? आज गांवों में शराब का प्रचार बढ़ रहा है, औद्योगिक बस्तियों में बढ़ रहा है, विद्यार्थियों में बढ़ रहा है यहां तक कि

(श्रीमती निर्मलासिंह)

ऊंचे वर्ग की महिलाओं में भी बढ़ रहा है। शराब के बारे में कुछ लोगों के दिमाग में भ्रांतियां हैं और खास तौर से जो अशिक्षित व्यक्ति है, वह समझता है शराब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वह स्फूर्ति देता है। इसके साथ फैशन के वशीभूत भी शराब को ग्रहण करते हैं। शुरू में केवल चाव और शौक के लिए लेते हैं परन्तु धीरे-धीरे जब शराब की आदत पड़ जाती है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य, मानसिक चेतना, पारिवारिक सुख-शांति, उसका रुपया-पैसा, जमीन जायदाद सब कुछ बोतल में समा जाता है।

मैं तो यही कहूंगी कि शराब एक तरह से विष से भी अधिक भयंकर है, विष खाने वाला तो कुछ समय में ही मर जाता है, परन्तु शराब पीने वाले को धीरे धीरे उसे जर्जर करके मार देता है। स्वयं उसको ही नहीं बल्कि उसके सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की भी बहुत क्षति होती है। इसलिए इस बात को 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वीकार किया। 1931 में गांधी-इरविन समझौता हुआ उसमें जो शर्तें थीं उनमें एक यह भी थी। केन्द्रीय सरकार ने भी इसके महत्व को स्वीकार करके इसकी व्यवस्था राज्य के नीति निदेशक तत्वों में रखी तथा श्री मन्नारायण तथा न्यायमूर्ति टेकचंद की अध्यक्षता में जो स्टडी टीम्स नियुक्त की थीं, उन्होंने भी यह सुझाव दिया था कि 1970 तक और अधिक से अधिक 1975 तक नशानिषेध लागू होना चाहिए। यह बुराई, जो हमारे समाज में विद्यमान है इसको बहुत जल्दी दूर किया जाना चाहिये। ऐसी बुराई, जो कि हमारे नैतिक स्तर को गिरा दे, जो अपराधों में वृद्धि करे, जो सभी परिवारों की सुख-सुविधा छीनले, इस प्रकार की बुराई को दूर करना चाहिए।

हमारा उद्देश्य गरीबी हटाना है, परन्तु जब तक हम अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक गरीबी नहीं हट सकेगी। गरीब आदमी अपना पैसा इसमें बहाते रहेंगे और गरीबी हटाने का स्वप्न हमारा अधूरा रह जाएगा। आदिवासी व्यक्तियों के बारे में निवेदन करूं कि वे पहले चावल या महुआ या गुड़ का पेय पदार्थ बनाते थे जिसमें विटामिन बी और सी हुआ करते थे जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा था परन्तु उस पर रोक लगा दी गई है।

इस बारे में श्री मजूमदार ने लिखा है कि वे आदिवासी, जो पहले अपने मिट्टी के बरतन में पेय पदार्थ का प्रयोग करते थे, उनके स्थान पर वे अब विषैला पदार्थ लेने लग गए जिससे न सिर्फ उनका बल्कि उनके सम्पर्क में आने वालों का भी सर्वनाश होता है। मेरी यह बात वास्तव में कुछ लोगों को सिद्धान्तवादी लगेगी और उसके विरोध में कह सकते हैं कि नशानिषेध अगर लागू किया जाएगा तो आबकारी से जो पैसा आता है वह कहां से जुटा पायेंगे? मैं कहती हूं कि जब हमारा उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना है तो ऐसी सूरत में वह पैसा, जो कि हमारे नैतिक पतन से आए, जो समाज में अपराधों की वृद्धि करे वह पैसा किस काम का? हम और भी आमदनी के साधन जुटा सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि शराब के माध्यम से ही कल्याण के लिए पैसा जुटायें। उसके लिए कई बार माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं उनमें मुख्य यह है कि हम बिक्री-कर

(श्रीमती निर्मलासिंह)

में वृद्धि कर सकते हैं, मनोरंजन कर में वृद्धि कर सकते हैं, यहां तक कि जो लक्जुरियस गुड्स हैं उन पर लगे हुए कर में वृद्धि की जा सकती है, उद्योग धंधे खोले जा सकते हैं। हमारा राजस्थान खनिज सम्पदा से भरा पड़ा है, कोई सर्वे नहीं किया गया, बहुत कम सर्वे हुआ है तो ऐसी हालत में कई ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि हमारी आय के साधन बढ़ सकते हैं। मेरे कथन के विरोध में दूसरी दलील यह दी जा सकती है कि इसमें बहुतसा स्टाफ चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त पैसा सरकार कहां से लाएगी ? जब हमारा उद्देश्य कल्याण-कारी राज्य की स्थापना करना है तो ऐसी हालत में पैसा तो कल्याण के कार्यों में खर्च होता है, पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च होता है। क्या पैसे के डर से योजनाओं को बंद कर देंगे ?

मेरे कथन के विरोध में यह भी आपत्ति की जा सकती है कि पूर्ण नशा-निषेध किया ही नहीं जा सकता क्योंकि व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते रहेंगे और शराब पीते रहेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि हमने घूसखोरी के विरोध में कानून बना रखा है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध कानून बना रखा है, फिर भी लोग कानून का उल्लंघन करते हैं तो कानून का उल्लंघन थोड़ी बहुत मात्रा में तो होता है। यदि हम कहें कि कानून बनाने के बाद भी रिश्वत लेते हैं तो क्या खुले आम रिश्वत लेंगे या मिलावट करने दें। पर ऐसा नहीं हो सकता, कानून से कुछ हद तक ऐसा नहीं हो सकता, कानून से कुछ हद तक रोक लगेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कथन के विपरीत यह भी कहा जा सकता है कि जहां पर ड्राई एरिया है वहां पर लोग ज्यादा शराब पीते हैं। फिर नशा–निषेध से क्या लाभ ? वह तो पीयेंगे ही इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जब तक सम्पूर्ण प्रान्त में यह नीति लागू न हो, सभी जगह पर रोक लगानी चाहिये और इसके लिये अखिल भारतीय स्तर पर यह बात लागू होनी चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि केन्द्रीय सरकार इस पर मौन क्यों है ? केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि इस ओर कदम उठाये।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी कि इसके लिये अखिल भारतयी स्तर पर पॉलिसी निर्धारित की जानी चाहिये। अगर ऐसा करते हैं तो हम इस बुराई को हमारे यहां से नष्ट कर सकते हैं। आज अगर हम इसे बन्द करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि चीन के अन्दर लोग बहुत अफीम खाते थे। लेकिन बाद में चीन सरकार ने अफीम पर रोक लगादी, आज वहां पर बिलकुल निषेध है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जो शराब है वह हमारे देश की परिस्थितियों के विपरीत है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के खिलाफ है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार और भारत सरकार इस बात को अखिल भारतीय स्तर पर पॉलिसी निर्धारित करके इस दुर्गुण को हटाने की कोशिश करे।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि नशा निषेध हमारे यहां एक प्रकार का श्रमिकों के लिये वरदान सिद्ध हुआ है। बम्बई के अन्दर उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करूं कि नशाबन्दी लागू की हुई है। वहां पर सोशियल सर्वे के अनुसार यह

(श्रीमती निर्मलासिंह)

पाया गया कि वहां के श्रमिकों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। पहले लोगों को रोटी–रोजी की परेशानी थी पर अब स्थिति में वहां पर सुधार हुआ है वहां की स्त्रियां बहुत खुश हैं कि उनके परिवार में शराब नहीं आती है। इस प्रकार वहां के लोगों की हालत भी सुधर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि अगर हमें अपने भावी पीढ़ी को सुधारना है, श्रमिकों की कार्य-कुशलता को सुधारना है, उनकी श्रम-कुशलता को ऊंचा उठाना है, लोगों का जनस्वास्थ्य सुधारना है तो हमें निश्चित रूप से नशाबन्दी लागू करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर वे यहां पर इस वर्ष शराबबन्दी लागू नहीं कर सकें तो कोई बात नहीं लेकिन अगले साल सन् 1974 से 1975 से राजस्थान में इस शराबबन्दी को लागू कर देना चाहिये। जब तक यह लागू नहीं हो इस साल तब तक के लिये मैं कुछ सुझाव इसके बारे में देना चाहती हूं। पहला सुझाव तो मेरा यह है कि शराबबन्दी के लिये एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ प्रोहिबिशन एपोइन्ट किया जाना चाहिये और एक बोर्ड इसके लिये बनाना चाहिये। एक प्रोहिबिशन बोर्ड होना चाहिये जिसके अन्तर्गत जिला-स्तर पर, ग्राम स्तर पर कार्यवाही हो। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, आज यह कहा जाता है कि राज्य सरकार मद्यनिषेध नीति के पक्ष में है लेकिन आज यह देखा जाता कि मद्य की दुकानें निरन्तर बढ़ रही हैं। एक तरफ ये आदेश निकाले जाते हैं कि शराब की दुकानों की मात्रा में कमी की जावे लेकिन दूसरी तरफ हम यह देख रहे हैं कि उन पर कोई रोक नहीं लगी हुई है। मेरा निवेदन है कि इस ओर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, मैं दुकानों के समय के बारे में निवेदन करना चाहती हूं वह यह कि दुकानें रात को 12-12 बजे और एक-एक बजे तक खुली रहती हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि हमारे चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर जब चेतक एक्सप्रेस गुजरती है उस समय रात को साढ़े बारह बजे भी शराब की दुकान खुली हुई मिलती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके लिये समय की मात्रा दुकान के खुली रहने की कम की जानी चाहियें। इसके अलावा मेरा यह भी सुझाव है कि जहां पर औद्योगिक बस्तियां हैं वहां पर शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिये। ऐसे आदेश राज्य सरकार द्वारा निकाले जाने चाहियें ताकि इस दुर्गुण से वहां पर रहने वाले श्रमिकों को बचाया जा सके।

इसके अलावा मेरा एक सुझाव यह है कि गांवों में शराब की दुकानें ही नहीं होनी चाहियें, जिससे कि वहां के लोगों को शराब की आदत न हो। इसके अलावा मैं एक सुझाव यह भी देना चाहती हूं कि शराब के अन्दर जो मद्यसार की मात्रा है, उसे भी कम किया जाना चाहिये। मद्यसार से शरीर के टिश्यू सेल जल जाते हैं जो शरीर को कई बीमारियों का शिकार बनाती हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर खराब असर करती है उसको कम किया जाना चाहिये।

इसके अलावा यह भी मैं सुझाव देना चाहती हूं कि राज्य के कर्मचारियों और राज्य के अधिकारियों के ऊपर यह पाबन्दी होनी चाहिये कि वे शराब नहीं

(श्रीमती निर्मलासिंह)

पीयेंगे। अगर वे शराब पीते हुए पकड़े जायं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। इसके अलावा मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि विधान सभा के सदस्यों के लिये ऐसी पॉलिसी निर्धारित की जावे कि वे शराब नहीं पीयेंगे। अगर शराब पीते पाये जायं तो उनसे तुरन्त त्यागपत्र दिलाया जाना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : आपने सदस्याओं का नाम नहीं लिया। उनके लिये क्या....

श्रीमती निर्मलाकुमारी : हां, विधान सभा सदस्याओं और विधान सभा सदस्य दोनों के लिये ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि यदि यह साबित हो जाय कि वे पीते हैं तो उनसे भी त्याग-पत्र दिलाना चाहिये ऐसी पॉलिसी हम बना सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनराज !

श्री मोहनराज (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज आबकारी विभाग की मांगों पर इस सदन में बहस चल रही है, जिस पर मैंने भी कुछ कटौती प्रस्ताव रखे हैं, जिनके मारफत मैं वित्त मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें सर्व प्रथम मैं वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस और दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने थोड़े दिन पहले सदन में यह मन्जूर किया था कि राज्य सरकार की नीति मद्यनिषेध की है। उनकी भी मद्य निषेध में आस्था है। लेकिन कुछ आर्थिक कठिनाइयों की वजह उसे पूर्णतया लागू करने में दिक्कत आती है। उन्होंने मुख्य तौर से वित्तीय साधनों के बारे में ध्यान आकर्षित किया था। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज वे खुले दिल और खुले दिमाग से अगर सोचें तो....

श्री चन्दनमल बैद : दिमाग तो मेरा बन्द है अगर खुल गया तो अस्पताल जाना पड़ेगा।

श्री मोहनराज : मुझे उपाध्यक्ष महोदय, इस बात का दुःख है कि वित्त मन्त्रीजी इस बात में आस्था रखते हुए भी उस पर विचार करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आज वित्तीय साधनों से अधिक महत्वपूर्ण बात जो है वह शराबबन्दी से राजस्थान के लोगों का जो हित होगा उसमें है। आज हमारे यहां पर शराबबन्दी होना बहुत ही जरूरी है। हमारे प्रदेश के विकास के लिये, यहां के लोगों के विकास के लिये, उनके स्वास्थ्य के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि शराबबन्दी की जाय। अगर वित्त मन्त्रीजी मेरी कही बातें सुनेंगे तो जरूर इस बात से सहमत हो जायेंगे ताकि राजस्थान मे तत्काल शराबबन्दी लागू होनी चाहिये।

आज आप सिर्फ राज्य की साढ़े बारह करोड़ रुपये की आय के लिये, सिर्फ वित्तीय फायदे को ध्यान में रखते हुए शराबबन्दी लागू नहीं कर रहे हैं तो मैं यह निवेदन करूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य सुधार के आगे आपकी वित्तीय कठिनाई कुछ भी नहीं है। आपसे सरकारी रिकार्ड भी छिपा नहीं है। मैं मानता हूँ कि वित्तीय कठिनाइयां आयेंगी लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मानसिक और स्वास्थ्य सुधार के आगे ये वित्तीय कठिनाइयां आपके नहीं के बराबर होंगी। मैं आपको यहां एक उदाहरण देना चाहता हूं कि चीन के अन्दर लोग अफीम बहुत

(श्री मोहनराज)

खाया करते थे लेकिन वहां आज जब से चीन आजाद हुआ है वहां पर यह बान लगाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अफीम नहीं खायेगा और अगर खायेगा तो उसे दण्ड दिया जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतिहास साक्षी है कि नशे से कितना नुकसान होता है। हमारे जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा ने एक छोटी सी सेना की टुकड़ी से चीन को फतेह कर लिया था क्योंकि वहां के लोग अफीमची थे। यह बात ज्यादा पुरानी नहीं हैं आज से करीब सौ साल पहले की है। लेकिन बाद में जब से चीन में नशाबन्दी लागू हुई तब से वहां के लोगों में कितना जोश है। इसी चीन ने हमारे भारतवर्ष को सन् 1962 में धावा बोल कर नीचा दिखाया। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी राज्य सरकार को सड़कों के बारे में, स्कूलों के बारे में, अस्पतालों के बनाने के बारे में चिन्ता है और उसके लिये यह आबकारी के पैसे से यह सभी कार्य कर रही है तो क्या हमारी सरकार को मानव की चिन्ता नहीं है ?

आज सिर्फ हमारे मन्त्रीजी को आर्थिक हालत की ही चिन्ता है तो इसका मतलब यह तो नहीं कि सिर्फ आबकारी से ही आपका काम चलेगा। आज हमारे भारत के प्रधानमन्त्री को भी तो इसको बन्द करने से आर्थिक समस्या की चिन्ता हो सकती है, लेकिन उन्होंने भी इसके लिए एक सरक्यूलर निकाला। वह समाचार-पत्रों में भी छपा है। यह सरक्यूलर प्रधानमन्त्री ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को लिखा है जो कि गत सितम्बर के महीने में लिखा है। यह हमारे हिन्दुस्तान के कई समाचार पत्रों में छपा है। दैनिक पत्र हिन्दुस्तान के 13-9-72 के अखबार के मुख पृष्ठ पर छपा है। यह पत्र जो भारत के प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने लिखा है उसका हैडिंग है नशाबन्दी की उपेक्षा पर चिन्ता।

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, कांग्रेस कार्य समिति ने आज प्रधान मन्त्री के उस पत्र पर विचार किया जिससे उन्होंने राज्यों द्वारा नशाबन्दी की उपेक्षा पर चिन्ता व्यक्त की है। प्रधान मन्त्री ने कहा है कि अनेक राज्य एक के बाद एक नशाबन्दी कानून को ढीला करते जा रहे हैं। उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने की तो चिन्ता है पर इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे इसकी जैसे उन्हें कोई फिक्र नहीं है। अपने पत्र में प्रधान मन्त्री ने कहा है कि अधिकतर पाश्चात्य देश भी शराबखोरी की समस्या से परेशान हैं। हमारे लिये तो यह और भी अधिक होगा क्योंकि शारीरिक दृष्टि से भारतीय उतने तगड़े नहीं हैं और शराब को पचाने की उनमें वैसी शक्ति भी नहीं है। अतः समाज पर इसका अधिक भयानक असर होता है। कार्य समिति ने इस पत्र पर विचार करने के बाद यह निश्चय किया कि राज्य सरकारों से कहा जाये कि हर वेतन वितरण के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाया जाये, अस्पताल, शिक्षा और धार्मिक संस्थाओं आदि के निकट शराब की दुकानें नहीं रहने पायें, ड्राइवरों को नशा की स्थिति में गाड़ी चलाने पर सख्त सजा दी जाये तथा सरकारी अफसरों को यह हिदायत दी जाये कि सार्वजनिक स्थानों में वे शराब नहीं पीयेंगे। इस प्रकार की हिदायत हमारे यहां पर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी ने भेजे। मैं समझता हूं हालांकि वित्त

(श्री मोहनराज)
मन्त्रीजी अपने कागजों में उलझे हुए हैं फिर भी प्रधान मन्त्री के पत्र की ओर उनका ध्यान तो गया ही होगा। जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से इस मुतल्लिक हिदायतें आयी हैं उनकी ओर भी ध्यान आकर्षित हुआ होगा। जिनको सारे भारत की चिन्ता है उन्होंने यह रखा है। चिन्ता ही नहीं है जब कभी दिक्कत आती है तो वे चिन्ता करने वाले हमारी मदद भी करते हैं। आज राजस्थान में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है इसका मुकाबला करना राजस्थान के अकेले के सामर्थ्य की बात नहीं है कि हम अकेले खर्च कर सकें। भारत सरकार लाखों करोड़ों रुपया देती है। बाढ़ आती है तो लाखों रुपया देती है।

श्री अमृतलाल गहलोत : कोरम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

(गणाभाव सूचक घन्टी)

(गणपूर्ति होने पर)

माननीय सदस्य अब आप शुरू कीजिये।

श्री मोहनराज : तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि चाहे अकाल की स्थिति हो, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, हम अपने सीमित साधनों से इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं और भारत सरकार हमारी मदद करती है और कर रही है। इसी प्रकार हमें अपने वित्तीय साधन बढ़ाने के लिये दूसरी प्रकार के आय के स्रोत न ढूंढें तब तक भारत सरकार ने पहले भी वादा किया था कि यदि शराबबन्दी की गई तो वे मदद करेंगे। आज भी यदि उनके सामने निश्चित रूप-रेखा रखी जाय तो निश्चित रूप से वे हमारी मदद करेंगे। और प्रधानमंत्री की भावना यही है तो उसमें मुझे कोई कसर नहीं दिखती है कि सब ही राज्यों और विशेषकर उन राज्यों को जो पिछड़े हुए हैं और शराबबन्दी करना चाहते हैं, उससे गुरेज करेंगी।

दूसरी जो बात है वह हमारे वित्त मंत्रीजी को यह आशंका है कि यदि शराबबन्दी करेंगे तो गैर तरीके से शराब बनती रहेगी और जहरीली शराब लोग पीते रहेंगे। यदि इसका सही हिसाब लगाया जाय तो गैर कानूनी शराब, जहां शराब की आपकी दुकानें हैं, वहीं कम नहीं बिकती हैं। आप सोचेंगे कि वहां जरूरत क्या है? इसलिये है कि गैर कानूनी शराब बनाने में सस्ती पड़ती है और जो राज्य के द्वारा ठेके पर दुकानें उठायी गयी हैं उन दुकानों पर ही नाजायज शराब रख कर ठेकेदार बेचते हैं। मैं अपनी जानकारी से कह रहा हूं। अभी अभी कुछ दिन पहले जयपुर में शराब की दुकान पर छापा मार कर गैर-कानूनी रूप से बनी हुई शराब पकड़ी गयी है। फालना में विदेशी शराब की दुकान जैन मंदिर के पास खोली है, वहां छापा मारकर विदेशी शराब की जितनी बोतलें थीं उनसे डेढ़ी नाजायज शराब की बोतलें पकड़ी गयीं। इससे साफ जाहिर होता है कि आज नाजायज शराब ज्यादा बिकती है और जहां शराबबन्दी है और सूखा इलाका है, वहां नाजायज शराब अधिक मात्रा में बिकती है। इसलिये यह जो दलील दी जाती है और एक ढोंग किया जाता है कि शराबबन्दी होने से नाजायज शराब को पनपाने का एक स्रोत है, यह केवल ऊपरी और थोथी दलील है। यदि शराबबन्दी

(श्री मोहनराज)
हुई तो नाजायज शराब खुले में रखी ही नहीं जा सकेगी और बेची भी नहीं जा सकेगी। कोई भी दुकान पर नहीं रखेगा।

दूसरी बात, वित्त मंत्रीजी ने कहा कि शराबबन्दी की बात सरकार को तंग करने और भावनावश गांधीजी के नाम को लेकर है। मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शराबबन्दी की बात करते हैं उनका कतयी मकसद सरकार को वित्तीय परेशानी में डालना नहीं है और यह जो कहा जाता है वह वास्तव में झूठ है और गलत है। हम यह जानते हैं कि यदि कांग्रेस सरकार को खतरा होता है तो कांग्रेस अपने उसूलों से गिरेगी तब ही होगा। हम शराबबन्दी की बात करते है तो हम उसकी खिलाफत नहीं करते हैं और उसको कमजोर करने की बात नहीं करते हैं। एक बात साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस की नीतियों को कांग्रेस सरकार ने छोड़ा और उसके विपरीत बात की दूसरी दलीलों में फंसकर तो निश्चित रूप से उससे कांग्रेस की जड़ कमजोर होगी और उसे पतन से नहीं बचाया जा सकता। इसलिये कांग्रेस के उसूलों पर चल कर राजस्थान के विकास के खातिर यह जरूरी है कि हम शराबबन्दी करें। इसके बाद इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसका रेस्पोन्सिव सरकार को होना चाहिये। 1888 में इन्डियन नेशनल कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया था अंग्रेजी राज में शराब बन्दी की जाय। यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके कुछ दिनों बाद ही हाउस ओफ कोमन्स में इन्डियन नेशनल कांग्रेस का जो प्रस्ताव था, उसकी चर्चा हुई और ब्रिटिश सरकार ने वायसराय को पत्र लिख कर हिदायत भेजी कि हिन्दुस्तान की जिस लोकेलिटी, जिस गांव, जिस मोहल्ले और कस्बे के लोग शराब की दुकान न चाहते हों तो वहां शराब की दुकान न खोली जाय और खोल दी हो तो उसको तत्काल हटायी जाय। यह ओफिशियल रिकार्ड की चीज है। ब्रिटिश साम्राज्य के समय में भी जनता की भावनाओं का कितना खयाल किया जाता था। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में मद्यनिषेध की नीति को लागू करना चाहती है तो विश्वास के साथ एक्शन पर आये। जिस गांव, कस्बे, वार्ड और मोहल्ले के लोग यह चाहें, पर्सेन्टेज पर निश्चित कर लीजिये कि जिस गांव, कस्बे और वार्ड के लोग 85 पर्सेन्ट, 75 पर्सेन्ट, 90 पर्सेन्ट या शत-प्रतिशत यह चाहें कि वहां पर शराबबन्दी हो और शराब की दुकान न खुले तो आप वहां दुकान खोलने का लाइसेन्स नहीं देंगे। आप देखिये कि लोग कितने परेशान हैं जगह जगह दुकानें खुलने से, जब लोग नहीं चाहें तो वहां तत्काल शराब बन्द होनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट में ही समाप्त करता हूं।

दूसरी चीज यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस समय विदेशों में शराब को कम करने की ओर वहां की सरकारें ध्यान दे रही हैं। आज रूस और अमेरिका में उच्च स्तर पर कमेटियां बिठायी गयी हैं क्योंकि वहां पर उनकी फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन गिर गया है, उन्होंने अन्दाज लगाया कि वास्तव में आर्थिक स्तर और राष्ट्रीय उत्पादन जो गिरता जा रहा है, उस सम्बन्ध में उनके सामने यह बात लायी गयी कि शराब की

(श्री मोहनराज)
वजह से लोगों में काम करने की शक्ति कम हो गयी है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बात जो शुरू कर दी उसको पूरा कर रहा हूँ। अमेरिका के अन्दर सरकारी रिकार्ड पर आज पांच लाख लोग ऐसे हैं जो नशीली और मादक पदार्थों के सेवन करने की वजह से बिल्कुल अकर्मण्य हो गये हैं और आज वे सारे देश पर भार बने हुए हैं क्योंकि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति पर वहां की सरकार को 11 हजार रुपया वार्षिक उनके आजीविका निर्वाह पर व्यय करना पड़ता है। उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और देख-भाल पर सरकार इतना व्यय कर रही है। जहां इतना व्यय पांच लाख लोगों पर अमेरिका सरकार को करना पड़ता है, वहां शराब पीने की प्रत्येक व्यक्ति को छूट देकर हमारा यह गरीब राजस्थान वित्तीय स्थिति की दृष्टि से दयनीय हालत वाला राजस्थान कहां पहुँचेगा यह भगवान ही जानते हैं। कैसे इसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और किस तरह यहां के निवासियों का नैतिक स्तर और स्वास्थ्य सुधरेगा यह सोचने की बात है।

मैं सिर्फ एक उदाहरण गांधीजी के कथन का उद्धृत करके अपना कथन समाप्त करूंगा। पहले गांधीजी ने शराबबन्दी के लिये जो दो मुख्य मुद्दे आर्थिक कठिनाई और नाजायज शराब को ध्यान में रख कर स्पष्ट किये थे वही रखता हूं।

"यह याद रखने की बात है कि शराब और नशीली चीजों से पैदा होने वाली आय एक अत्यन्त नीचे गिराने वाला कर है। सच्चा कर तो वह है जो करदाता को आवश्यक सेवाओं के रूप में दस गुना बदला चुका दे, किन्तु यह आबकारी आय क्या करती है? लोगों को अपने नैतिक, मानसिक और शारीरिक पतन और भ्रष्टता के लिये कर देने को मजबूर करती है। यह कर उन लोगों पर भारी बोझ सा गिरता है, जो उसे सहने की सबसे कम ताकत रखते हैं।

आय का नुकसान भी वास्तविक नुकसान नहीं हैं क्योंकि अगर यह पतन कारी कर हट जाय तो शराबी यानी करदाता की कमाने और खर्च करने की शक्ति बढ़ जायगी। इसलिए शराब बन्दी से राष्ट्र को जबरदस्त फायदा होगा, उसके अलावा आर्थिक लाभ भी काफी होगा।

मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों को यह सन्देह है कि शराब की पूरी बन्दी कैसे होगी। उनका खयाल है कि उनके लिए आय के लाभ को रोकना बड़ा कठिन होगा। उनकी दलील है कि नशेबाज लोग तो किसी प्रकार से शराब या मादक पदार्थ वस्तुएं प्राप्त कर ही लेंगे, और जब मन्त्री लोग देखेंगे कि इस बन्दी के माने तो केवल सरकारी आय की कुरबानी ही है इससे मादक वस्तुओं की खपत में (भले ही वह गैर कानूनी हो) कोई उल्लेखनीय कमी नहीं हुई है, तो फिर यह पाप की कमाई करने के मोह में फंस जायेंग और वह हालत आज से भी बुरी होगी। पर मुझे ऐसा कोई भय नहीं है। मुझे तो विश्वास है कि हमारे राष्ट्र

(श्री मोहनराज)

में इस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक नैतिक बल जरूर है। इसलिए हमें इस शताब्दी के शायद सबसे बड़े नैतिक आन्दोलन में केवल हिन्दुस्तान के ही तमाम दलों से तथा संसार के समस्त उत्तमोत्तम पुरुषों से भी सहानुभूति और सहयोग की अपेक्षा रखने का अधिकार है।"

(हरिजन सेवक 23-7-37 पृ० 190 तथा 28-8-37 पृ० 122 32 से उद्धृत)

कांग्रेस के मन्त्रिमण्डल सन् 1935 के कानून के अन्तर्गत जब बने थे तो सन् 1938 में गांधीजी ने उनको सम्बोधन किया था और इसी विषय पर लिखा था। उसे भी मैं आपके सामने रख देता हूं जो आज भी उतना ही सामयिक और उपयोगी है :—

"कांग्रेस सरकार के मन्त्रियों से। कांग्रेस सरकारों के मन्त्री लोग शराब बन्दी का कार्यक्रम पूरे बनिएपन की भावना से बना रहे हैं। उससे होने वाले घाटे का उन्हें ध्यान रहता है। मुझे ताज्जुब होता है कि अगर सभी शराबी और अफीमची एकाएक शराब और अफीम का परित्याग कर दें तो वे क्या करेंगे? शायद यह जवाब दिया जाय कि उस हालत में कुछ न कुछ प्रबन्ध तो वे करेंगे ही। लेकिन स्वेच्छापूर्वक वे ऐसा क्यों नहीं कर डालते? अच्छाई तो निस्सन्देह किसी काम को स्वेच्छापूर्वक करने में ही है।, मजबूर होकर करने में नहीं। यह याद रखना चाहिए कि भूकम्प के कारण प्रान्त की सालाना आमदनी से ज्यादा नुकसान हो जाने पर भी बिहार सरकार का काम ठप्प नहीं हो गया था और जब अकालों तथा बाढ़ों से लोगों की तबाही और बरबादी होने के कारण सरकारी आमदनी में कमी पड़ती है, तब हिन्दुस्तान की सरकारें क्या करती हैं? मैं तो यह मानता हूं कि कांग्रेसी सरकारें आमदनी के खातिर शराबबंदी काम में देरी करके अपनी प्रतिज्ञा को शब्दों व भावना में भंग कर रही हैं।"

(हरिजन सेवक 22-12-38 पृ० 360)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्रीजी को सोचने के लिये यह एक बहुत उत्तम मसाला है और वास्तविकता को देखते हुए वे इस सारे कथन पर ठंडे दिल से गौर करेंगे और जिस मद्यनिषेध की नीति में राज्य सरकार स्वयं आस्था प्रकट करती है उसको बढ़ाने में कुछ कदम निश्चित रूप से इस साल उठावेगी, जिससे राजस्थान की आम जनता को विश्वास हो सके कि राज्य सरकार शराबबन्दी के मामले में जैसा वह कहती है वैसा ही करने के लिये भी प्रयत्नशील है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन !

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आबकारी विभाग द्वारा जो 72-73 का संक्षिप्त विवरण हमें वितरित किया गया है मैंने उसको पढ़ा है। उसके अन्दर जहां उन्होंने आबकारी विभाग के बारे में जानकारी दी है, वहां यह भी बताया है कि आबकारी विभाग के दो मुख्य कार्यक्षेत्र हैं। एक तो शराब और इस प्रकार की दूसरी नशीली जो चीजें हैं

(श्री फूलचन्द जैन)
उनके लाने ले जाने आदि पर नियन्त्रण करने का और दूसरा, राज्य की मद्य-निषेध की नीति को क्रियान्वित करने का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो नोट उन्होंने दिया है मैंने उसको पूरा पढ़ा है। मैंने काफी कोशिश की इस बात को देखने की कि जिस मद्यनिषेध की नीति को क्रियान्वित करना उनके दो में से एक मुख्य उद्देश्य हैं उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। मैं समझ नहीं पाया उपाध्यक्ष महोदय, कि जिस नीति को स्वयं विभाग अपनी एक मुख्य नीति मानता हो उसके बारे में वह क्या कर रहा है इसकी कोई जानकारी विस्तार से उसमें खुलासेवार न दी जावे तो कैसे यह कहा जावे कि उसके कार्यक्षेत्र का यह एक मुख्य अंग है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया इस वर्ष के अन्त तक हमारी आय 12 करोड़ रुपयों के लगभग पहुँच जावेगी और इसके अन्दर बहुत सफाई से यह भी बताने का प्रयत्न किया गया है कि यह जो हमारी आय इस वर्ष में बढ़ी है, वह शराब की दुकानों के बढ़ने से नहीं, परन्तु हमारी कुछ जो वर्त्तमान पद्धतियां रही हैं उनमें परिवर्तन से हुई है। इसके बाद यह भी लिखा है कि जो आय में वृद्धि हुई है वह अवैध शराब को वैध करने के कारण से हुई है। अवैध शराब की विक्री को वैध शराब की विक्री में लिये जाने के कारण से आय में वृद्धि हुई है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ उपाध्यक्ष महोदय, कि जो भी आय के अन्दर वृद्धि होगी वह शराब की विक्री से होगी। शराब जितनी ज्यादा विकेगी, उतना ही ज्यादा रिटर्न मिलेगा और हमारे विभाग में उसकी पद्धतियों में उसकी वर्किंग इफिशियेन्सी को लें अथवा कुछ भी हमारे उसके वर्किंग में खामियां रहती हों उससे आय पूरी नहीं हो पाती, उसकी वजह से आय में बढ़ोतरी होती है।

परन्तु जैसा मैंने बताया कि इसके अन्दर कोई मद्यनिषेध की नीति पर सरकार का अपना एक दृष्टिकोण है इसलिये वह यह कहना चाहती है कि हमने दुकानें कम की हैं और दुकानें अधिक बढ़ने से नहीं, या शराब अधिक बिकने से नहीं, परिवर्तन हमने अपनी नीतियों में किया है और इसलिये यह आय में वृद्धि हुई है। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं।

इसी तरह, उपाध्यक्ष महोदय, यहां माननीय वित्त मन्त्रीजी ने भी कुछ दिन पहले बताया था कि स्कूलें, धार्मिक स्थान और अस्पताल इस तरह के क्षेत्र जहां हों मजदूरों के या पिछड़ी जाति अथवा हरिजन लोगों की बस्तियां जहां हों अथवा औद्योगिक बस्तियां जहां हों उनके आसपास हमने यह कह दिया है कि एक निश्चित दूरी पर ही वहां शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं। मैं फिर यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि क्या जहां हम आम तौर पर रोजाना जाते हैं और जहां इस प्रकार के स्थान हैं और जहां से हम रोजाना गुजरते भी हैं और जहां हम देखते हैं कि वहां पर आपके आदेशों और नियमों के विपरीत भी शराब की दुकानें खुली हुई हैं, तो उन स्थानों पर, हम कहें या हम कोई शिकायत करें, तभी आप कार्यवाही करेंगे ऐसा नियम है? अथवा यहां आपकी कार्य प्रणाली में सुधार का संकेत है ऐसा मानें इसके साथ ही यह ठीक बात है कि अगर

(श्री फूलचन्द जैन)

हम आज सुजानगढ में, क्या वित्त मंत्रीजी यह कह सकते हैं कि मन्दिर के पास में स्टेशन पर ऐसी जगहों पर जहां आम आदमियों की आमदरफ्त है वहां शराब की दुकानें नहीं खुली हैं ?

और इस तरह से मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक हमारा यहां नीति सम्बन्धी प्रश्न है, इसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार ने पचास प्रतिशत इससे होने वाली हानि की पूर्ति करने के लिये हमको मना कर दिया इसलिये हम इस नीति पर शराब-बन्दी की नीति पर अमल नहीं कर सके। मैंने इस नोट को पढ़ा है उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है वित्त मन्त्रीजी इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे कि भारत सरकार ने मद्यनिषेध की नीति को लागू करने के बाद क्षतिपूर्ति के बारे में पचास प्रतिशत देने की बात कही उससे मना कर दिया है या आंशिक मद्य-निषेध से जो क्षति होती है उसको देने से मना कर दिया है।

आज राजस्थान में अगर पूर्ण मद्य-निषेध आप करते हैं तो माननीय वित्त-मंत्रीजी स्पष्ट बतावें कि क्या भारत सरकार इससे होनी वाली क्षतिपूर्ति के रूप में पचास प्रतिशत देगी या नहीं ? इसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि असल में दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि उपाध्यक्ष महोदय, वैसे मद्यनिषेध का जो प्रश्न है यह बुनियादी नीतियों का प्रश्न है। दरअसल जब से अंग्रेज इस मुल्क में आये उन्होंने शराब का, मद्य का प्रचलन किया और उसके पहले मैं आपको कहना चाहता हूं....

श्री खेतसिंह : मुगलों के समय से चली....

श्री फूलचन्द जैन : मुगल संस्कृति में तो शराब त्याज्य है। मुगलों ने शराब की आय का, राज्य की आय का स्रोत कभी नहीं किया था लेकिन हमारी राज्य सरकार ने इस शराब की आय को अपनी राज्य की आय का स्रोत मान लिया इससे दुर्भाग्य-पूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा और इस सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट किये कुछ भावनाओं के अन्दर और कुछ ने गांधीजी की दुहाई देकर और भाव-नाओं में बहकर बात करते है, मैं उनसे कहना चाहता हूं क्या उनके यह कह देने मात्र से उनको यह लगता है कि वे शराब का खूब प्रचार कर सकते हैं तो करके देख लें। क्योंकि इसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता इसलिये नहीं समझता कि गवर्नमेंट खुद की अपनी डिस्टिलरी चला रही है और जब गवर्नमेंट खुद बनाती है तो बेचेगी नहीं तो क्या करेगी। अगर हम शराब बनायें और मद्यनिषेध की बात करते हैं, सेल्स और दूसरे आर्गेनाइजेशन करें और फिर मद्यनिषेध की बात करें। ये सब कुछ ऐसी बातें हैं कि हमारी समझ में नहीं आती कि हम चाहते भी हैं कि नहीं।

बहुत बड़े देश के नेताओं ने कहा है कांग्रेस की गवर्नमेंट या सरकार सख्ती से अपने विभाग में उसको लागू करने के बारे में मानस साफ नहीं है तो वह सरकार मद्य-निषेध को लागू नहीं कर सकती है। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार जो कुछ आय का और आंकड़ों का बजट लेकर हमारे सामने रखती है, यह उनके द्वारा बनाया जाता है जो जयपुर क्लब में और अशोक क्लब में खुले आम

(श्री फूलचन्द जैन)
शराब पीते हैं और बजट बनाते हैं। वे मद्यनिषेध की नीति के बारे में कुछ बतायेंगे, ऐसी कोई आशा लेकर नहीं चलनी चाहिये जो इस सरकार के अन्दर बैठे हुये हैं....

(एक माननीय सदस्य के व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

श्री चन्दनमल बैद : यह आपको और माननीय सदस्य दोनों को मालूम है।

श्री फूलचन्द जैन : जिन शराब पीने वाले अफसरों के आधार पर हम शराब निषेध की बात करते हैं, वह बड़ा मुश्किल है। इसी तरह मैं कहना चाहता हूं हमारे लिये यह बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि हम जो कांग्रेस के लोग हैं, यह हमारी बुनियादी नीति का प्रश्न है। मैं कहना चाहता हूं यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज कांग्रेस के अन्दर भी जब इस शराब का जोरों से प्रचलन हो रहा है तो हो सकता है कई माननीय सदस्यों ने पीना शुरू कर दिया हो। श्री जयनारायणजी व्यास जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उनके साथ मैं दौरे पर गया था तो कुछ कांग्रेस के लोगों ने शिकायत की कि कांग्रेस के जो ऐक्टिव मेम्बर हैं वे खुले आम शराब पीते हैं और आपके सामने बैठे हुये हैं। उन्होंने कहा हमारी कुछ ड्यूटीज होनी चाहिये। हम 8–8 घंटे, 12 घटे के मेम्बर हैं। क्या 24 घंटे के मेम्बर हैं? अब तो रात पड़ गई है – दिन में तो पीते नहीं हैं यह स्थिति क्या पैदा करती है। जब हम मद्यनिषेध नहीं कर सकते, मद्यनिषेध की नीति को अमल करने के बारे में हमारे जो लक्ष्य हैं कांग्रेस के लोगों को तसल्ली नहीं दिला सकते हैं तो यह प्रचार है और यह प्रचार सब जगह फैलेगा। इस प्रचार को फैलने के बाद में यह कहे हम हरेसमेंट करने के लिये यह कहते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हरेसमेंट का प्रश्न है। देश के उन नेताओं ने जिन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में त्याग किया, बलिदान किया—गोखले, लोकमान्य तिलक, गांधीजी और लोकमान्य तिलक ने यहां तक कहा है मद्यनिषेध नहीं हो जाता है तब तक हमारा स्वतन्त्रता का आन्दोलन पूरा नहीं होता है, अधूरा रहता है। इसलिये हम यह कहते है हम आजाद हैं तो हमें सही आजादी तभी मिलेगी जब हमारी नीति के अनुसार मद्यनिषेध कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं जैसा मैंने अभी बताया यह सरकार स्पष्ट बता दे कि हम मद्यनिषेध की नीति पर अमल करना चाहते या नहीं। अगर अमल करना चाहते हैं और वह यह कहती है कि वित्तीय संकट के कारण अमल नहीं कर सकते हैं तो मैं माननीय वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा जिस वित्तीय स्थिति को आप सम्भाल नहीं पा रहे और इससे वित्तीय संकट को टालने का इजहार करते हैं वह एक बहुत बड़ी नासमझी है।

अगर राजस्थान की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने की बात सोचें तो जयपुर ही नहीं राजस्थान के कई ऐसे कस्बे हैं जहां पर कृषि भूमि पर और दूसरी भूमि पर लाखों लोगों ने नाजायज कब्जे करके अपने अधिकार में ले ली है और राज्य सरकार को पैसे नहीं दिये। मैं यह कहना चाहता हूं जयपुर के

(श्री फूलचन्द जैन)
आसपास में एन्क्रोचमेंट को रेगूलर भी करें तो भी कम से कम आपको 3-4 करोड़ की आय हो सकती है । पूरे राजस्थान में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जमीन कब्जे में कर ली और पैसे नहीं दिये । आप बोलते नहीं हैं, उनके लिये और दुनियाभर के कानून यहां लाते हैं । कभी यू. आई. टी., कभी टाऊन प्लानिंग इस तरह का करोड़ों रुपया वसूल नहीं करता है और आप शराब की कहते हैं । आप खूब शराब पीजिये और पिलाइये, इससे राजस्थान का कल्याण करना चाहते हैं । और राजस्थान के पिछड़े हुये इलाकों को आप और पिछड़ा हुआ बनाना चाहते हैं और राजस्थान की जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं तो मैं कहता हूं आपको इसके लिये एक दिन गंभीरता से सोचना होगा ।

आपने जैसा अभी कहा मेरा दिमाग खुला हुआ होगा तो मुझे अस्पताल में जाना पड़ेगा । आपका दिमाग, मद्यनिषेध की नीति को लागू नहीं करेंगे तब तक आप बन्द रखना चाहते हैं और हम यह कहते हैं हमारा यह आन्दोलन जारी रहेगा और पूरी ताकत के साथ जारी रहेगा और जब तक इसे लागू नहीं करेंगे तब-तक चलता रहेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जयपुर, जौहरी बाजार) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आज मांग हमारे सामने है इसके बारे में जब हम सोचते हैं तो एक सवाल हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है और वह यह है कि जो रिसोर्सेज, जो साधन जुटाये और जो हमारा बजट है उसका सन्तुलन कैसे हो, हमारे और केन्द्र के सम्बन्ध हैं, वे कैसे हों । ये तमाम प्रश्न हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं । मेरी मान्यता यह है कि हम पिछले सालों से केन्द्र के सामने अपनी मजबूरियां और अपनी कमजोरियों का इजहार करते रहे हैं । हम यह कहते रहे हमारे राजस्थान का 55 फीसदी एरिया डेजर्ट है, सेमी-डेजर्ट है, रेगिस्तानी है और खेती उसमें नहीं होती है । केवल कुछ नहरी इलाका है उसके अलावा खुश-हाली नहीं है । यह भी कहते रहे कि हमारे साधन बहुत सीमित हैं, लेकिन अफसोस की बात है केन्द्र ने हमारी बातों पर कोई तवज्जोह नहीं की और उसी के फलस्वरूप आज हमें यह देखना पड़ रहा है । आज हम पर 8 करोड़ के कर्ज का भार है और बहुत बड़ी रकम सूद के तौर पर देनी पड़ती है । जो मूल सवाल है वह यह है कि हमारे सम्बन्ध केन्द्र से कैसे हों और जो इन्कम और जो रिसोर्सेज हमें केन्द्र से उपलब्ध हैं, उनका किस तरह विस्तार किया जाय । इसके बारे में वैसे तो हमने मेमोरेन्डम भी पेश किये हैं और मेरा सुझाव है हम सबको मिल कर के केन्द्र से कहना चाहिये जो हमारा शेयर है वह असल में और उसका आधारभूत भी यह है कि वह शेयर पापूलेशन के बेसिस पर होना चाहिये । जो सूबे ऐसे हैं कि जो इन्डस्ट्रियेलाइज्ड हैं और बहुतसे साधन उपलब्ध हैं उनको तो हर किस्म की सुविधायें वैसे भी मिलती हैं लेकिन जो केन्द्र से प्राप्त हमको होता है उसको उसूलन हमको यह मानकर चलना चाहिए

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कि जो पिछड़े हुए सूबे हैं जिनमें ऐसा एरिया है कि जहां बहुत कम इन्डस्ट्रीज़ हैं या जो ऐसे सूबे हैं कि जिनकी आमदनी बहुत कम है मेरी मान्यता यह है कि राजस्थान दो-तीन सूबों को छोड़कर हर क्षेत्र में चाहे तालीम का क्षेत्र हो, चाहे आमदनी का क्षेत्र हो, चाहे एक्साइज का क्षेत्र हो हम सभी क्षेत्रों में सबसे पिछड़े हुए हैं। इसलिए केन्द्र के जो साधन हैं वे हमको पूरे उपलब्ध होने चाहिए और वे भी आबादी के बुनियाद पर होने चाहिए, क्योंकि फाइनेन्स कमीशन जितने भी बैठे उन्होंने इस उसूल को सिद्धान्त रूप से तसलीम किया है कि जितना भी बंटवारा है वह ऐसे सूबों में होना चाहिए कि जिन सूबों में गरीब लोग बसते हों, जिन सूबों में ऐसी आबादी बसती हो जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हों। हमारे राजस्थान में भी बहुत बड़ा इलाका ऐसा है कि जिसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, और सूबों में भी हैं। तो ऐसे सूबों की तरफ खास तौर से केन्द्रीय सरकार को तवज्जोह देनी चाहिए कि ऐसे सूबों को ज्यादा फाइनेन्शल ऐड दी जावे। इस सिलसिले में जितनी कोशिश की जाये उस कोशिश में जैसी हमने यह मांग रखी कि इन्कम टैक्स के बारे में जो अब तक हमारा 75 पर्सेन्ट शेयर हमको मिलता था उसके बजाय 90 पर्सेन्ट हमको मिलना चाहिए। मेरी मान्यता यह है कि यह आधार भी हमको सही नहीं मालूम देता है। हमें तो यह आधार सही मालूम होता है कि जितनी हमारी आबादी है उससे पर-कैपिटा इन्कम जो सैन्ट्रल पूल से उपलब्ध होती हो वह हमको प्राप्त होनी चाहिए और इसी तरह से सैन्टर की एक्साइज ड्यूटी हो या सैन्टर की लेवी हो वह तमाम जितना भी है और जिसमें हमारा शेयर है हम असल में पिछड़े हुए हैं इसलिए सैन्ट्रल पूल से उस आधार पर होना चाहिए जो आधार कि हमने मेमोरन्डम की शकल में सैन्टर के सामने रखा है और इस मामले में ट्रेज़री बैन्चेज को और हमको इस नजरिये को बताना चाहिए कि केन्द्र को इतनी उदासीनता हमारे पिछड़े इलाके की तरफ नहीं बरतनी चाहिये।

जहां तक राजस्थान के इस बजट का सवाल है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि बहुतसे ऐसे साधन हैं कि जो उपलब्ध हो सकते हैं और उनको नहीं किया गया और उसके बारे में गुजिश्ता मर्तबा भी हमने सवाल उठाये थे कि जो सम्पत्ति ऐसी पड़ी है कि जहां मकान वगैरह नहीं हैं या खाली जमीनें पड़ी हैं उनके ऊपर पहले सेस लगाया गया था राज्य सरकार के द्वारा लेकिन मुझे मालूम नहीं किन्हीं कारणों की वजह से उसको स्थगित कर दिया गया और उसका इस बजट के अन्दर कोई तस्करा नहीं है। तो मेरी मान्यता यह है कि बहुत से मकानों के इर्दगिर्द ऐसी सैकड़ों बीघा और एकड़ जमीन होगी कि जिसको हम नहीं ले सकते हैं, एक्वायर नहीं कर सकते हैं, या कानून की कुछ कठिनाइयां हैं तो कोई उनके ऊपर इस किस्म का सेस जरूर लगा सकते हैं और खास तौर से राजस्थान के राजा और महाराजाओं की सम्पत्ति है वह तो अथाह है। अव्वल तो करोड़ों रुपयों की उन्होंने बेच दी और यह गवर्नमेन्ट बड़ी खामोशी से उसको देखती रही और उदासीनता

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

बरतती रही और उनका वह क्रम अब भी जारी है और कोई रुकावट नहीं है। तो मेरा सुझाव है कि इस तरफ फौरन राज्य सरकार को तवज्जोह करनी चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैंने पहले भी सुझाव दिया था जहां तक शराब का ताल्लुक है हमारी मान्यता यह है कि न तो इसको बन्द करना प्रेक्टिकल है और न इसको बन्द करने के बाद हम नाजायज शराब का उत्पादन किसी तरह से रोक सकते हैं। यह सम्भव ही नहीं है, इसलिए कि जहां-जहां शराब बन्द की गयी है वहां लोग वारनिश पी लेते हैं, स्पीरिट पी लेते हैं और पचास पचास और सौ सौ की तादाद में मर जाते हैं। इससे तो अच्छा हो कि इस कारोबार को राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले और इसके ऊपर प्रोहिबीटरी कीमत लागू करें ताकि जो लोग खुशहाल हैं वे इसको इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इस बार सरकार की बहुत रहम की दृष्टि रही कि जो बाहर की शराब है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। मेरा सुझाव है कि यह टैक्स लगाया जाना चाहिए था। इसके अलावा मेरा सुझाव है कि कॉस्मेटिक या ऐसी लग्जरी की चीजें कि जिनका जिक्र इस बजट में नहीं है इनके ऊपर कोई टैक्स वृद्धि नहीं की गयी उनके ऊपर भी वृद्धि होनी चाहिए। जो चीज मामूली लोगों के काम में नहीं आती है या जो आराम की चीजें हैं जो कि बड़े आदमियों के उपयोग में आती है उनके ऊपर टैक्स की वृद्धि होनी चाहिए थी जो कि नहीं की गयी।

इसके अलावा जो साधन हमने जुटाये है, यह भी मेरा सुझाव है और मैंने पहले यह निवेदन किया था कि हमारे राजस्थान की ओर खास तौर से जयपुर के कुटीर उद्योग हैं उनमें एक उद्योग ज्वेलरी का भी है। उसमें 5 हजार का एग्जम्पशन है। गुजिश्ता साल बजट आया तो भी मैंने सुझाव रखा था कि आपने जो यह छूट दे रखी है यह बहुत नामीनल है और आपको इसमें थोड़ी तब्दीली करनी चाहिए। इस उद्योग में हमारे यहां के न सिर्फ राजस्थान में बल्कि तमाम हिन्दुस्तान और दुनियां में कारीगर मशहूर हैं और जो छोटा तबका काम करने वाला है और इसमें 2 लाख ऐसे लोग हैं कि जो इस काम को करते हैं उनको कुछ राहत मिले और उनको कुछ सहूलियत दी जाये। बड़े बड़े ज्वेलर्स पर आप टैक्स लगायें उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो छोटे छोटे हैं उनको थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए और इस सिलसिले में मेरा सुझाव था कि जो मैं फिर पेश कर रहा हूं कि यह जो छूट है इसकी सीमा आपको बढ़ानी चाहिए ताकि उन लोगों को राहत मिले कि जो इस काम को करते हैं।

इसके अलावा मैंने सुझाव रखा था कि आपने मिठाई पर टैक्स लगाया। मैंने सुझाव रखा था बजट स्पीच में और फिर दोहराना चाहता हूं कि मेरी मान्यता है कि इसको संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि जितना रुपया हमको मिठाई के दुकानदारों से प्राप्त हुआ उसकी रकम का इजाफा करके हम उसको लाइसेन्स फीस की शकल में लागू कर दें ताकि वह भ्रष्ट अधिकारियों का मामला समाप्त हो जाये और आपकी आमदनी भी ड्योढ़ी या दुगुनी हो जाये। जो आपको गुजिश्ता साल इससे पैसा मिला है, जो आपने वसूल किया है सेल्स टैक्स

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

अगर उसका आपको सही अन्दाजा है तो उसको ड्योढ़ा या दुगुना कर दीजिए स्लैब सिस्टम के आधार पर, लाइसेन्स फीस की शकल दे दीजिए ताकि उन हलवाइयों को और छोटे व्यापार करने वालों को दिक्कत नहीं हो कि हम रिटर्न दें और हिसाब-किताब दें। रिश्वत के दरवाजे बन्द कर दिये जायें और आपका स्टाफ है वह दूसरे अच्छे कामों में इस्तेमाल हो सके और रिश्वतखोरी की समाप्ति भी हो जाये....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

इसके अलावा मैं थोड़ा सा अर्ज करूंगा कि जो पैसेंजर टैक्स है इसका भी मैंने विरोध किया और यह पैसेंजर्स टैक्स को जब यह बंगला देश का किस्सा हुआ उस वक्त यह टैक्स लगाया गया था, उसमें वृद्धि हुई थी उसके लिए। बंगला देश का मामला तो वह खत्म हो गया, सेंटर ने समाप्त कर दिया मगर आपने इन तीनों टैक्सों को अपना लिया। मैं पुरजोर अपील करूंगा कि यह पैसेंजर टैक्स इसका बोझ आम लोगों पर पड़ता है उसकी तरफ तवज्जोह करें। यह टैक्स बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि नहीं होगा, इसको अबोलिश करने की कोशिश करें।

इसके अलावा मेरा एक सुझाव यह भी है कि, सुझाव क्या मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। रेयन और सिल्क फेब्रिक्स पर लगाया गया है यह टैक्स। इसकी लैंग्वेज कुछ वेग है। मैं समझता हूं कि जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं जो आर्टिफिशियल कपड़ा बेचते हैं उन पर बोझ पड़ेगा। अगर उन पर बोझ पड़ता है तो गैर-मुनासिब चीज है। जो छोटे-छोटे लोग जो टेरीकाट और बढ़िया कपड़े नहीं पहन सकते, अपने यहां शादी विवाह में यह कपड़ा पहनते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीजों को

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

इसलिये आपके सामने रखा है कि ये तमाम सुझाव हैं जिन पर क्लेरिफिकेशन चाहिए।

जहां तक शराब का सवाल है यहां जो जजबात हैं, मैं उनको इहतराम करता हूं पर मुश्किल यह है कि एक्साइज ड्यूटी से जो 12 करोड़ रुपया मिलता है यह बहुत बड़ा आइटम है इसलिये इसको बन्द नहीं कर सकते। इसकी जो हालत है देश में, जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही अर्ज करूंगा कि जो गालिब का शेर है वह कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं :

"मै से गरज निशात है
किस रूसियाह को
एक गूना बेखुदी मुझे
दिन-रात चाहिए।"

यह तो गम गलत करने के लिए यही साधन रह गया है। इसलिये इस मुतल्लिक अर्ज करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, परसों मुझे लग रहा था कि इस सदन के अन्दर यहां पर पिछले अधिवेशन में हमें कुछ लॉबीज मिलीं। एक लॉबी थी उद्योगपतियों के खिलाफ, कभी साहू-जैन के खिलाफ, कभी

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

अन्य लोगों के खिलाफ बात कर ली। सिर्फ जनता पक्ष की मांग नहीं की गई लेकिन वह लॉबी भी इस बात में धीमी पड़ गई। ज्ञात-अज्ञात कारणों से और वह लॉबी छिन्न-भिन्न हो गई। लेकिन हम में विद्यार्थियों के लिये, मजदूरों के लिये, किसानों के लिये, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिये, उनकी वकालत करने वाले लोगों के बारे में भी कभी कभी बड़ी जोरदार बातें होती हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय सदस्यों को जो भी इससे सम्बंधित हैं कि इस सदन के अन्दर ढ़ाई करोड़ जनता की आकांक्षाओं को लेकर उनकी आवाज को बुलन्द करने की एक लॉबी मिली। पुलिस के संरक्षण की भी एक लॉबी मिली। और आज एक लॉबी मिली है शराब की। यह ऐलान करने वाले लोगों की है कि गम दूर करने का एक तरीका है कि पीयो और खूब जोरों से पीओ खुशी की बात है। जब तक मदहोश न हो जाओ तब तक पीयो। तो एक लॉबी पुलिस वालों के लिये मिली, एक लॉबी शराबियों के लिये मिली, ये इस प्रकार की लॉबियां इस सदन में बनने लगीं, मैं समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम किस ओर ज रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : शराब की नहीं शराबियों की वकालत जरूर करते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : वकालात तो मुल्जिमान की भी करते हैं, कातिलों की भी करते हैं और कभी माननीय मंत्री महोदय,.... (व्यवधान-अश्रव्य)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हम तो आपके आभारी हैं, हमारे जो लोग पीकर मार देते हैं आप ही जिलाते हो।

श्री गुमानमल लोढ़ा : दूसरे लोगों ने यह धन्धा शुरू कर दिया है। इससे बढ़ कर दुर्दिन नहीं हो सकता जब हम इस तरह की लौबियां कायम करें और जो हमारी आस्थाओं को लेकर के, आज से पिछले साठ सत्तर साल से संघर्ष करते रहे उन आकांक्षाओं को छिन्न-भिन्न कर हम नए कीतिमान, नए कीर्ति स्तम्भ कायम कर रहे हैं। यह क्यों न कहा जाय कि निरंकुशवाद के अन्दर, एकतंत्रवाद के अन्दर अधिनायकवाद के अन्दर और जनतंत्र के खून की हत्या के नमूने सामने आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के विषय को जब मैं लेता हूँ तो सबसे पहले मैंने अपने भाषण में पहले भी कहा था, आज मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करता हूं क्योंकि संकेत मिला है कि जल्दी से समाप्त करना है, कपड़े के मामले को लेकर यहां कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो अपना बजट भाषण दिया उसके अन्दर कच्चे रेशमी वस्त्र शब्द का उपयोग किया, आर्टिफिशियल रैयन वस्त्र। अब वह वस्त्र के कारण माननीय वित्त मंत्री, गांवों में तबाही मच गई। सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर पहुँच गये। मैंने उस दिन भी इस बारे में कहा था लेकिन शायद वे इसकी गम्भीरता को नहीं समझ सके या उन्होंने यह सोचा कि यह प्रश्न ऐसा है जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है....

श्री चन्दनमल वैद : इस वास्ते नहीं किया कि उस दिन आप हाजिर नहीं, गैर-हाजिर थे।

श्री गुमानमल लोढ़ा : आज आप हाजरी कर लें। आपका जो नोटिफिकेशन निकला है और आपने जो भाषण दिया है उसके बारे में, उसमें आपकी मन्शा के बारे में शकोशुबहा नहीं है लेकिन भाषण पढ़ते ही आपके सेल्स टैक्स इन्स्पेक्टर गांवों के उन छोटे छोटे दुकानदारों के पास पहुँच गए हैं और कहते हैं कि आर्टिफिशियल सिल्क पर टैक्स लगाया है तीन पर्सेन्ट का, इसलिए तुम अपना स्टाक लाओ, अपना अकाउन्ट लाओ। यदि यह मन्शा है तो, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मन्शा नहीं है क्योंकि उसमें जिस प्रकार से आपने वर्णन किया है वह है आर्टिफिशियल सिल्क फेब्रिक वस्त्र। वस्त्र का मतलब क्या है। मैं भी नहीं समझ सका। कपड़े से मतलब नहीं है आपका। मैं चाहूंगा कि आज आप पूरा स्पष्टीकरण कर दें। यदि यह आर्टिफिशियल सिल्क के कपड़े पर सेल्स टैक्स नहीं लगाना है और जो कि मैं समझता हूं कि ऐसे कपड़ों पर जो विशिष्ट रेशे के फेब्रिक्स हैं उन पर लगाना है तो कृपया स्पष्टीकरण कर दें ताकि जनता में भ्रम न रहे। ऐसा नहीं होने से आप उन लोगों का धन्धा बढ़ा रहे हैं जो यकीनन अपनी जेबें भरने के लिए उनका रास्ता खुल गया है। आज स्पष्टीकरण होने से वह रास्ता बन्द हो जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह धन्धा ऐसा है जिसमें आपके इन्सपेक्टर, आपके अफसर, आपका विभाग है उनकी आदत पुरानी पड़ी हुई है, अब आप उनको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं यह बहुत खुशी की बात है। अगर आपको यह रास्ता भी बन्द करना है तो यह आर्टिफिशियल फेब्रिक का भी स्पष्टीकरण करदें तो अच्छा होगा।

एक और इसमें निवेदन करता हूं कि जो नोटिफिकेशन निकला है, उसमें यह लिखा हुआ है कि जहां पर एडीशनल एक्साईज ड्यूटी पेड है वहां नहीं लगेगा। एडीशनल एक्साईज ड्यूटी पेड यह साबित करना पड़ेगा छोटे दुकानदार को जिसके यहां से माल आएगा। यह भी लूप होल है। अच्छा है कि इसके अन्दर बड़े लोगों की गड़बड़ कोटा में रोकने के लिए आपने किया है और वह अच्छा है, मैं उसके बारे में आपकी सराहना करूंगा। लेकिन इसका दूसरा रूप है छोटे छोटे दुकानदारों के पास में एडीशनल एक्साईज ड्यूटी पेड माल भी पड़ा है, उनके सामने दिक्कत है। मेरे पास में उनका डेपूटेशन मिला, वित्त मन्त्रीजी के पास भी आए होंगे, उन्होंने तार दिए हैं चिट्ठियां लिखी हैं कि यह एडीशनल एक्साईज ड्यूटी पेड में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर कहीं पर होता है और कहीं पर नहीं होता लेकिन यह साबित करना बड़ा मुश्किल है। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि आप इसका स्पष्टीकरण करें। जो भी इस नोटिफिकेशन की इच्छा है उसका स्पष्टीकरण करने से कम से कम जनता में इस नाम के ऊपर जो रिश्वत ली जा रही है, पैसा बन रहा है, उनको बन्द कर सकेंगे और साधारण नागरिक को राहत मिलेगी। तो यह आवश्यक है।

इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है इसमें आमूलचूल रेशनलाईजेशन की आवश्यकता है। रेशनलाईजेशन की इसलिए आवश्यकता है कि जैसे कि आपने घोषणा की कि हाउस टैक्स आधा

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

पर्सेन्ट लगेगा। अब राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में भी इसका प्रावधान है, नगरपालिकाएं हाउस टैक्स लेती हैं इसी तरह से इन्कम टैक्स और वेल्थ टैक्स मे असेसिंग ऑथोरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो असेस करती है। अब आपके द्वारा जो हाफ पर्सेन्ट टैक्स लगाया है तो मकान एक लाख का है, दो लाख का है इसको असेस करने वाली ऑथोरिटी कौन होगी ? अगर अलग ऑथोरिटी क्रियेट करते हैं तो यह मल्टीप्लोसिटी ऑफ ऑफिसर्स होगी। इसके अन्दर राज्य का खर्चा भी होगा और साधारण नागरिक को बहुत बड़ी दुविधा होगी और ट्रिप्लीकेट असेसमेन्ट होगा। इससे आपस में संघर्ष हो सकता है। मैं चाहूंगा कि वित्त मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में विचार करेंगे और यह साधारणतया हाउस टैक्स का मामला नगरपालिका का मामला है, मान लीजिये कि वित्त मंत्री राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसमें से भी यदि राज्य हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है लेकिन यह ट्रिप्लीकेट एजेन्सी है इसको समाप्त करके रेशनेलाईज्ड रास्ता आप निकालें तो अच्छा रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार का ओक्ट्रॉय ड्यूटी का नोटिफिकेशन निकला है। राजस्थान भर में ओक्ट्रॉय ड्यूटी के मामले में अन्धेर नगरी में अन्धा राजा की कहावत चरितार्थ हो रही है। जयपुर, जोधपुर और अन्य स्थानों के ऊपर सोना, गेहूं के ऊपर पांच, दस और पन्द्रह रुपया क्विन्टल लिया जाता है और कहीं छोटे स्थानों पर जैसे आबू रोड आदि स्थानों पर दो पर्सेन्ट यह ओक्ट्रॉय सोने पर ली जा रही है। जैसे क्लॉथ है, एक क्विन्टल क्लॉथ पर कहीं कहीं दो रुपया, तीन रुपया है और कहीं पर दो पर्सेन्ट चार्ज किया जाता है। इस तरह एक ही प्रकार की चीज पर कहीं एक लाख पर एक, दो रुपया लिया जाता है और कहीं वह पांच सौ, सात सौ और एक हजार रुपये तक है तो इसमें रेशनलाईजेशन की आवश्यकता है। रेशनलाईजेशन के द्वारा आप सारे राजस्थान में समानता ला सकते हैं। इसके बारे में शायद वित्त मन्त्री महोदय को हाई कोर्ट के जजमेन्ट का ख्याल होगा जिसमें हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में राज्य सरकार को एक सुझाव दिया था। कई बार यह सुझाव दिया गया है। मेरी यह धारणा है कि राजस्थान में टैक्सेशन की जो लूप होल है, जो इवेजन का तरीका है, उसका रेशनलाईजेशन करने से, उसको यूनिफोर्म करने के लिये सरकार को सोचना चाहिये। मैं सैद्धांतिक रूप से यह बात यहां पर रख रहा हूं ताकि चोर तरीके से जो टैक्सेज की चोरी होती है और उससे कमजोर तबके पर जो भार पड़ता है वह कम हो सके। इसके लिये सरकार को एक राजस्थान टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी का निर्माण करना चाहिये। मैं वित्त मन्त्रीजी से यह मांग करूंगा कि अब समय आ गया है जब कि राजस्थान टैक्स कमीशन चाहे वह इन्क्वायरी कमीशन हो, चाहे वह टैक्स रेशनलाईजेशन कमीशन हो, चाहे वह राजस्थान टैक्स कमीशन हो, उसका आप निर्माण करें। जितने टैक्सेज हैं उनका एक दूसरे से को-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

रिलेशन होना चाहिये इसको सैद्धांतिक बेसिस के ऊपर आज के युग की मान्यताओं को देखते हुए रेशनेलाईजेशन करने के लिए राजस्थान टैक्स कमीशन का आप निर्माण करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मांग और करूंगा। हमारे जो बड़े उद्योग हैं और जिनके लिए लाइसेन्स राजस्थान-सरकार देती है, जैसे दिल्ली क्लॉथ मिल्स है, जे. के. सिन्थटिक्स और चाहे वह पब्लिक सैक्टर हो इस प्रकार के जो बड़े उद्योग हैं ये उद्योग राजस्थान की भूमि पर लगे हुए हैं, हमारे मजदूरों का इनमें शोषण होता है और उनके हैड ऑफिस कलकत्ता में लगे हुए हैं, तो कानपुर में लगे हुए और किनके दिल्ली में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे राजस्थान सरकार को नुकसान होता है। इन्कम टैक्स के मामले के अन्दर जो राजस्थान का शेयर बनता है वह नहीं बन पाता है सिर्फ हैड ऑफिस राजस्थान में नहीं होने की वजह से। राजस्थान की भूमि पर ये उद्योग लगे हुए हैं तो उनके हैड ऑफिस दिल्ली, कानपुर में क्यों रहने चाहिएं। मुझे किसी इन्डस्ट्री से मतलब नहीं है। मैं सिद्धात के रूप में यह बता रहा हूँ। राजस्थान की भूमि पर उद्योग लगे हुए हैं, राजस्थान के मजदूर उसमें काम करते है। रॉ मेटेरियल राजस्थान का लग रहा है। लाइसेन्स राजस्थान सरकार देती हैं। फाइनेन्स कमीशन पैसा देता है। अन्य प्रकार की सुविधाएं सरकार देती है। तीन पैसा यूनिट सरकार द्वारा दी जाती है तब फिर हैड ऑफिस राजस्थान में होना चाहिए। राजस्थान सरकार जब लाइसेन्स देती है, उस वक्त लाइसेन्स देते वक्त सरकार उनके साथ यह कन्डीशन इम्पोज कर सकती है। इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। हमारे साधनों से उद्योगपति करोड़ों रुपया कमाते हैं और जब उनके इन्कम टैक्स का हिसाब लिया जाता है तो वह शेयर राजस्थान को नहीं मिल पाता है। हैड ऑफिस राजस्थान में नहीं होने की वजह से इन्टर-स्टेट सेल्स टैक्स का प्रश्न पैदा होता है। डी. एम. सी. ऐसे केस को हाईकोर्ट में ले जाती है और सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आती है। यह स्थिति पैदा क्यों होती है? इसलिए मैं यह समझता हूँ कि राजस्थान की धरती पर जितनी इन्डस्ट्रीज हैं, उनकी आमदनी राजस्थान को मिलनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर हम इस बारे में निर्णय लें और जल्दी से जल्दी कमीशन का निर्माण करें। यह समझ में नहीं आता कि खेतड़ी का हैड ऑफिस कलकत्ता में क्यों रहे। इसको वहां रखने की क्या आवश्यकता है। आप वहां पर अपना ब्रांच ऑफिस रख सकते हैं। हैड ऑफिस राजस्थान में होना चाहिए। ये सारी इन्डस्ट्रीज चाहे वह पब्लिक सैक्टर में हों, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में हों, उनके हैड ऑफिस राजस्थान में होने चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जैसा कि यहां पर अभी बताया गया है, हमारे यहां पर सन् 60-61 में जो टैक्सेशन ड्यूटी का चार्ट था, यह जो इकोनामिक्स एण्ड स्टेटिस्टिक्स की पुस्तक में दिखाया गया है, उसमें यह बताया गया है कि हमारा भू-राजस्व 7 करोड़ का था और शराब से आय 4 करोड़

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

थी लगभग आधी । वह सन् 72-73 में, इसके लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने शराबबंदी की यह आय बढ़ाकर 12 करोड़ तक पहुँचा दी है और भू-राजस्व की आमदनी रह गई है केवल 6 करोड़। याने शराव की आमदनी 4 करोड़ तक पहुँच गई है । शराब की नदियां बह रही हैं चारों तरफ....

एक माननीय सदस्य : आपके यहां भी इसका हिस्सा आता है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मेरे पास बहुत बड़ा हिस्सा आता है ।

एक माननीय सदस्य : इससे नाजायज शराब बनना बन्द हो गई है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह मैं नही कहता हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह चार करोड़ 60-61 में था । ये हमारे प्रगति के चरण हैं, विकास के चरण हैं । यह जन कल्याणकारी समाज का निर्माण करने की ओर इस समाजवादी सरकार का प्रयास है, यह हमारा समाजवादी समाज की स्थापना का ध्येय कहां रह गया ? क्या इस प्रकार हम समाजवादी समाज की स्थापना कर सकते हैं। इससे गरीब तबका शिकार हो रहा है। आप उसके अन्दर शराब की नदियां बहा रहे हैं और वह दिन भी दूर नहीं है जब हमारे वित्त मंत्री शराब के फव्वारे में मदहोश हो जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, गोकुल भाई भट्ट बाहर बैठे हुए हैं उनको यह पता नहीं है सदन के अन्दर उनकी वकालत की जा रही है ।

श्री चन्दनमल बैद : यह उनको मालूम नहीं है कि शराब के ठेकेदारों की वकालात करने वाले उनकी भी वकालात कर रहे हैं। ...

श्री गुमानमल लोढ़ा : शराब के ठेकेदारों का वकील शराब को समाप्त करना चाहता है....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह आपके परिवर्तन का द्योतक है ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : शराब की आमदनी से प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है, उल्टा ह्रास हो रहा है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : आप फीस न लें ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री तो नहीं किन्तु हमारे मुख्य मंत्री जरूर यह घोषणा करते रहते हैं कि उनके मंत्रिमण्डल में कोई शराब पीने वाला नहीं है। आप आकर पकड़ सकते हैं। शायद आप हमको छापा मारने की इजाजत दे दें तो क्या क्या नहीं पकड़ कर बता सकते हैं। आप क्या क्या करते हैं यह बताने की कोई जरूरत नहीं है....

श्री श्रीराम गोटेवाला : क्या आप वित्त मंत्री के लिए कह रहे हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : आप सारे घर की तलाशी ले सकते हैं ।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने व्यक्तिगत तौर पर किसी के लिए नहीं कहा है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

चाहता हूं कि आपने यह जो ड्राई और वेट का तरीका निकाला है इसमें भी कोई भेद नहीं है।

एक बात और निवेदन करना चाहूँगा उपाध्यक्ष महोदय, गंवार की चूरी के ऊपर भी सरकार ने सेल्स टैक्स लगा दिया है। गंवार की चूरी आम मवेशियों के काम में आती है। आज अकाल का समय है। मेरे यहां पर पशुपालक आए थे उन्होंने कहा कि विधान सभा में इस बात की मांग रखूं। यह गोधन खाता है इसलिए गंवार की चूरी के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसलिए आशा करता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय इस टैक्स को हटाने का प्रयास करेंगे। कम से कम अकाल के समय में तो इसको हटा दें। यह अकाल राहत का एक पुन्य कार्य होगा।

एक बात और कहूंगा। यह नगर पालिका और यू० आई० टी० की बात है। इसके बारे में यह बात निवेदन करूंगा कि जोधपुर नगर के साथ सौतेली मां का व्यवहार किया जा रहा है। जोधपुर नगर को स्टेप मदरली ट्रीटमेन्ट दिया जा रहा है। जयपुर भी राजस्थान का है। इसका विकास सारे राजस्थान का विकास है। इसमें कोई दो राय नहीं है। 50 लाख की सेंक्सन इसके लिए होती है। यह अच्छी बात है। परन्तु जोधपुर के लिए भी होना चाहिए। पिछले साल मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था इस साल जयपुर का विकास करूंगा। दूसरा नम्बर जोधपुर का होगा। इसके बारे में उन्होंने निश्चित घोषणा की थी। इसको भी मुख्य मंत्री महोदय को देखना चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमको हमारा शेयर मिला है इसमें आपको क्या आपत्ति है ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : गोटेवाला जी और भार्गव साहब के प्रयासों से जयपुर नगर को 50 लाख रुपया मिला है, यह अच्छी बात है....

श्री चन्दनमल वैद : आप गोटेवाला को घोटालावाला कह रहे हैं यह अच्छी बात नहीं कह रहे हैं....

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने घोटालेवाला नहीं कहा है, परन्तु इस बात में घोटाला अवश्य है। मैं यह मांग करूंगा कि जोधपुर के साथ में अन्याय किया है और जो अनुदान दिया जा रहा है वह बहुत ही नेग्लीजिबल है उसको बढ़ाया जाय। सारे राजस्थान की प्रगति हो, उसमें कोटा भी है, अजमेर भी है, उदयपुर भी है, लेकिन जोधपुर के साथ में जो सौतेला व्यवहार है उसको बन्द किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके साथ में मैंने अन्त में फिर पहले शुरू में कहा था कि राजस्थान में टैक्सेशन कमीशन का निर्माण करके टैक्सेज का डिस्ट्रिब्यूशन किया जाय। टैक्स इवेजन के लूप होल्स को बन्द करने के लिए, टैक्सेज का रेशनेलाईजेशन करने के लिए, टैक्स इन्सीडेन्स को देखने के लिए कमीशन का निर्माण किया जाय। इसकी मांग को दोहराते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल !

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि बहुतसारे माननीय

(श्री खेतसिंह)

सदस्य होली की छुट्टियों में अपने अपने घर जाना चाहते हैं इसलिए 5 बजे से सरकारी उत्तर प्रारम्भ कर दिया जाय तो ज्यादा उचित होगा, वरना बाद में कोरम वगैरह की सारी समस्याएं आयेंगी।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हमको बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

समिति का प्रतिवेदन
नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 248 (1) के अन्तर्गत नियम समिति द्वारा जो प्रक्रिया में परिवर्तन किया गया है, उसकी सिफारिश को सदन की मेज पर रखता हूं।

मांग संख्या 3, 2, 4, 5, 6, 7 व 47
पर विचार एवं उनका पारण

श्री पी० के० चौधरी : हम बोलना चाहते हैं इस वक्त।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप सब लोगों को आमन्त्रण है। आप जयपुर में ही रहिये। हम सब मिलकर होली खेलेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : महामूर्ख सम्मेलन भी हो रहा है उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं।

श्री मीठालाल : माननीय उपाध्यक्ष, शराब के मामलों को लेकर सदन में काफी चर्चा हो चुकी है और सचेतक महोदय....

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुख्य सचेतक महोदय बोलिये! उनकी ग्रेड को नीचा मत करिये।

श्री मीठालाल : महामूर्ख सचेतक महा-मुख्य सचेतक....

श्री रघुनाथ विश्नोई : होली का प्रभाव आ गया है। होली का रंग आ गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप किस केटेगरी में हैं। खेतसिंहजी को होली की उपाधि मिली है।

श्री चन्दनमल वैद : नाम तो आपका मीठा है लेकिन कड़वा बोलते हैं।

श्री मीठालाल : महामुख्य सचेतक साहब ही कहा है। मुख्य सचेतक के आगे महा और लगाया है। मेरा कतई होली का मूड नहीं था।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपने ठीक ही कहा था महामूर्ख सचेतक। होली के मूड में हैं आप।

श्री मीठालाल : शराब के मामले में शराबबन्दी का मामला चल रहा है। मैं समझता हूं कि सदन में ऐसे कभी कभी अवसर आते हैं जिसमें सारा सदन कुछ कारणों की वजह से एकाध माननीय सदस्य को छोड़कर एक पक्ष में हों, और अभी इस सैशन में दो मसले ऐसे आये हैं, एक तो शराबबन्दी का और दूसरा हाईकोर्ट की बेंच का, जिसमें सब एक पक्ष में हुए हैं, और प्रजातन्त्र में बहुमत का निर्णय सबको मान्य होता है। सदन में इन दोनों विषयों पर बहुमत स्पष्ट है और उसको

(श्री मीठालाल)
राजस्थान सरकार को जनतान्त्रिक प्रणाली के अनुसार मान लेना चाहिए।

(4.24 म.प)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, आज शराबबन्दी पर बहस हो रही है। इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले मैं विचार प्रकट कर चुका हूं। इसलिए मैं इस मामले में ज्यादा नहीं पड़ता हूं। लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि टैक्स जो शराब से वसूल कर रहे हैं वह आप लाइसेन्स प्रणाली चालू करके वसूल कर सकते हैं यानी जो शराब पीने वाले हैं उनके लिए लाइसेन्स प्रणाली चालू कर दें और उनका माहवारी कोटा बान्ध दें, उनको एक अलग दुकान से सप्लाई कर दें ताकि लाइसेन्स जिनके पास में हैं वे वहां से शराब ले लें। इस ढंग से चालू करेंगे तो काम हो जाय। इसके अतिरिक्त जो...

श्री चन्दनमल वैद : महा मुख्य सचेतकजी यह कह रहे हैं कि माननीय सदस्य के लिए कितना कोटा बान्धना पड़ेगा ?

श्री मीठालाल : मैं बहुत जल्दी ही निवेदन कर दूंगा और कम से कम समय लूंगा....

एक माननीय सदस्य : वह तो शराब के लिए कह रहे थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इनके लिए तो स्पेशल कोटा चाहिए।

श्री मीठालाल : मेरे बारे में तो वैदजी, आप स्वयं जानते हैं और आप पक्षपात मत करिये और आपके साथ में मेरा कोटा निश्चित कर लें।

शराबबन्दी से जो आपको नुकसान होगा उसके एवज में आप टैक्स बढ़ा सकते हैं। उसके लिए मैं विचार प्रकट कर रहा हूं कि उन टैक्सेज को लगाकर आप शराबबन्दी से जो नुकसान होगा उसको वसूल कर सकेंगे।

एक तो यह है कि चोरी और डकैती का आप लाइसेन्स दें। आज नं० 2 का पैसा किसी आदमी के पास में है वह चाहे किसी के पास में हो चाहे वह आपके पास हो, चाहे कोटेवाला साहब के पास हो नं० 2 की....

श्री श्रीराम गोटेवाला : व्यक्तिगत तजुर्बे के आधार पर कह रहे हैं।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री मीठालाल : जो नम्बर दो का पैसा होता है उसमें चोरी और डकैती करके लायें तो उनको लाइसेन्स दे दें और उस पर कुछ हिस्सा सरकार ले ले तो नं० 2 की पूंजी नं० 1 की बन गई।

फिर ऐसा नियम बना दें कि जो रिश्वत खाते हैं उनको लाइसेन्स दे दें। 500 रुपये तक की तो फ्री रिश्वत हो और उसके ऊपर जो कुछ रिश्वत खायें तो उस पर टैक्स लगायें और इसके लिये लाइसेन्स चालू कर दें। और जिन कार्यालयों में रिश्वत नहीं खा सकते हैं, जैसा कि विधान सभा का सचिवालय है उनको फाइनेन्स के रूप में अलग से सहायता दे दें। रिश्वत के ऊपर लाइसेन्स चालू करें।

एक माननीय सदस्य : होली का पूरा असर चालू हो गया है क्या ?

श्री मीठालाल : जो अनैतिक कार्य करते हैं इसके ऊपर लाइसेन्स प्रणाली चालू कर दें और उसके लिये फीस कायम कर सकते हैं। यह जो टैक्स लगायेंगे तो इनसे यह जो शराब का टैक्स है इससे ज्यादा कमाई कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले से मेले लग रहे हैं....

श्री चन्दनमल वैद : यह स्वतन्त्र पार्टी की घोषणा के अनुसार बोल रहे हैं।

श्री मीठालाल : मैं आपकी रीति-नीति के अनुसार बोलता हूं। कांग्रेस की नीति के अनुसार बोलता हूं। महात्मा गांधी का नाम ले ले कर आपको कोस रहा हूं....

श्री चन्दनमल वैद : मैं नहीं जानता था कि राजाजी की मृत्यु के बाद इतने जल्दी फिसल जायेंगे।

श्री मुन्शीलाल : यह तो माननीय मंत्री होली का असर है।

श्री मीठालाल : कपड़े पर जो टैक्स लगाया है, कृत्रिम रेशम के जो आर्टीकल हैं फेब्रिक्स पर जो आपने टैक्स लगाया है, यह प्रक्रिया जो आपने चालू की है इसका स्पष्ट तात्पर्य बता दें कि क्या है। कृत्रिम रेशम दो प्रकार का होता है एक तो सिन्थेटिक से तैयार होता है और दूसरा पटसन से बना हुआ। इन पर एक्साइज ड्यूटी सेन्ट्रल गवर्नमेंट लेती है। केन्द्रीय सरकार इन दोनों चीजों पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी और लेती है, और केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन चीजों पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी ली जाती है उन पर सेल्स टैक्स नहीं लगा सकते हैं....

श्री चन्दनमल वैद : नहीं लगायेंगे।

श्री मीठालाल : इन दोनों चीजों से कृत्रिम रेशम बनता है तो स्पष्ट कर दें कि कौनसी चीज किस तरह से बनी होगी उस पर लगायेंगे। दोनों से कृत्रिम रेशम बनता है दोनों पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगती है। इनसे बना हुआ सामान कौनसा है जिस पर आप टैक्स लगाना चाहते हैं।

दूसरे सभी खाद्य पदार्थों पर जिसमें शुगर भी आ जाती है। पहले भी उस पर लगाया और बाद में छोड़ दिया। इस पर भी एक्साइज ड्यूटी 68-69 में 119 रुपया था और उसको बढ़ाकर 165 रुपया एक्साइज ड्यूटी हो जायेगी। इसका शक्कर पर काफी प्रभाव पड़ेगा। आप लोगों को तो राशन की चीनी मिल जाती है। गरीबों को तो शक्कर ही मिलती है। अगर उस पर टैक्स बढ़ायेंगे तो गरीब लोगों के साथ में अन्याय होगा।

इसके साथ-साथ गेहूं पर भी आपने इस महंगाई के जमाने में 3 पर्सेन्ट का टैक्स लगाया। इस महंगाई के समय में टैक्स कम होने चाहियें और आप बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने का तो आपको अधिकार है आप बढ़ाएं, लेकिन मेरा निवेदन है कि महंगाई के समय में खाद्य पदार्थ पर टैक्स कम कर दें।

सभापति महोदय, अन्त में मेलों के सम्बन्ध में कहूंगा कि आजकल मेले बहुत

(श्री मीठालाल)
चल रहे हैं और मेलों के समय पर प्राइवेट मोटर कम्पनियां इतनी चलती हैं और उनमें वहुत भारी मात्रा में टैक्सों की चोरी होती है। अधिकारी वहां पर जाते हैं लेकिन उनसे व्यवस्था नहीं हो पाती है। यात्री-कर की पूरी वसूली नहीं हो पाती है। इनके लिए अधिकारियों का एक प्रोग्राम रखना पड़ेगा कि देहातों में ऐसे मौकों पर जाकर चैक करें कि वहां पर यात्री-कर भी वसूल हो रहा है या नहीं। वसें नीचे ही नहीं ऊपर तक भर कर जाती हैं। उन वसों से यात्री-कर जितना हो वह वसूल करें।

सभापति महोदय, अन्त में मुझे एक निवेदन और यह करना है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रीजी हैं वे सदन में कुछ लेते-देते तो नहीं हैं और बात इस ढंग से करते हैं कि मेम्बर कोई लड़ रहे हों। माननीय मंत्रीजी कहें अच्छी वात है। ऐसे जोश में आकर उल्टा समझ लेते हैं और फिर जोश में आ जाते हैं....

इसलिये आप अपनी डिमाण्ड्स का उत्तर संजीदगी से दे दें। आपकी डिमाण्ड्स 5 वजे से पहले-पहले पास कर दें।

श्री सभापति : कुमारी शकुन्तला श्रीवास्तव !

कुमारी शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन कुछ मुद्दों की वातें करके अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूं। आज शराबवन्दी के विषय पर काफी बहस हुई है। लेकिन मैं सोचती हूं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये देवीजी बीच में कहां से प्रकट हो गई ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

कुमारी शकुन्तला श्रीवास्तव : परिस्थितियां क्या हैं, इस पर हमको विचार करना पड़ेगा। इसके लिये एक बार राजस्थान एडवाइजरी कमेटी बनी थी। मैं भी उसकी सदस्या थी। उस समय प्राहिबिशन एक्ट पढ़ा तो उसमें यह था, 'शुड बी प्रोहिबिटेड'। तो एक तो यह है बाम्बे में प्रोहिबिशन टोटली लागू कर दिया। इससे वहां पर बाल अपराधों की संख्या बढ़ी। वह समाज के लिये सरदर्द बने। जहां तक इन्जूरियस का सवाल है, इसके लिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगी, जो शराब के कारखाने हैं, उन पर ध्यान दिया जाय, जिससे कि शराब नहीं बल्कि टॉनिक के तौर पर लोग पी सकते हों हालांकि उसे गरीब आदमी नहीं पी सकता है। गरीब आदमी तो ठर्रा पीते हैं। इस तरह की शराब से दिल्ली में भी मौतें हुई हैं। आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखना यह है कि प्रोहिबिशन होने से नाजायज शराब बनती है। मेरी कान्स्टिट्यूयेंसी में कई जगह ऐसी हैं जहां दिन दहाड़े शराब बनती है। इससे बाल अपराधों को प्रोत्साहन मिलता है। इसका कारण यह है कि लीकर बना कर थैले में डालकर बच्चों को दे देते हैं कि जाओ, फलां जगह दे आओ, क्योंकि बच्चों पर कोई शक नहीं करता है। जब वह बच्चे पकड़े जाते हैं, पुलिस कस्टडी में जाते हैं, तो उनका साक्षात्कार दूसरे लोगों से होता है। तो वहां से वे सभी बुराइयां सीखकर बाहर जाते हैं।

(कुमारी शकुन्तला श्रीवास्तव)
इसलिए शराबबन्दी तो होनी चाहिए लेकिन ऐसी स्टेज है, जिससे कि विभाग को घाटा हो और नाजायज शराब बढ़े, यह नहीं होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त जो छोटे दुकानदार हैं, उन पर भी कर लगाया गया है। पिछली बार भी जब बजट पर बहस चल रही थी तो मैंने वित्त मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था। छोटे दुकानदारों और छोटे बच्चों के उपयोग की चीजों को छोड़कर जो लग्जरी गुड्स हैं, उन पर आप कर बढ़ा दें। नम्बर तीन, आर्टिफिशियल सिल्क पर जो टैक्स लगाया है वह सिल्क कौन पहचानता है। आम तौर से जो ग्रामीण लोग हैं, वह ब्याह शादियों के अवसर पर, आर्टिफिशियल सिल्क और गोटा लगे कपड़े आदि पहन कर मस्त हो जाते हैं। और समझते हैं कि हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं। आपने जो खुदरा व्यापारियों पर टैक्स लगा दिया है, इसका प्रभाव उन ग्रामीणों पर पड़ेगा जिनको कभी सदियों से अच्छे कपड़े नहीं पहनने दिये गये थे। इस टैक्स से उनको कपड़ा महंगा पड़ेगा। इसलिये मेरा माननीय मन्त्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि आर्टिफिशियल सिल्क पर खुदरा व्यापारियों पर कर न लगाकर जो फैक्टरी हैं, उन पर टैक्स लगाये जायें। इसका कारण यह है कि जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, वे हिसाब मेन्टेन नहीं कर पाते हैं। सेल्स टैक्स वाले जाकर उनको परेशान करते हैं।

इसके अलावा हमारा जो रेवेन्यू है, इसके जो दूसरे रिसोर्सेज हैं, उनमे जो इल्लिसिट शराब बनाई जाती है, उससे हमारे रेवेन्यू को कितना धक्का पहुँचता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने विभाग को इस प्रकार से व्यवस्थित करें जिससे इल्लिसिट शराब बन्द हो। सभापति महोदय, एक सैकेन्ड में अपनी बात खत्म करती हूं। तो मेरा कहने का मतलब यह था कि यातायात विभाग में जो मनी लीकेज है, उसको रोका जाना चाहिये। एक बार एक बहुत बड़े और जिम्मेदार अधिकारी से बात सुनी थी। वह एक ट्रक का पीछा करते करते गये थे। जब वह चुंगी चौकी पर पहुँचे तो उनको कहा गया कि वह ट्रक तो ब्याज ले जा रहा है। इससे उनको महसूल नहीं चुकाना पड़ेगा। चुंगी चौकी पर कुछ दे देगा। उस ट्रक में बकरे भरे थे जो कि राजस्थान की सीमा से बाहर हो गये। इस तरह से मनोरंजन कर है, सिनेमा हैं, इनमें सख्ती से लीकेज को रोका जाना चाहिये।

इसी तरह से सेल्स टैक्स के बारे में दो शब्द निवेदन करना चाहती हूं। अगर सेल्स टैक्स विभाग इतनी मजबूती धारण कर ले कि हजार, दस हजार, एक लाख रुपया भी रिश्वत का दिया जा रहा हो तो भी जो सेल्स टैक्स बनता है, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद देते हुये अपना स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

श्री निरंजननाथ आचार्य।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की शराबबन्दी की नीति के बारे में बार-बार इस सदन में कहा जाता है। राज्य सरकार की ओर से भी घोषणा इस सदन में की जाती है। अप्रेल 12 को यह बन्द करनी थी सरकार की घोषणा के अनुसार परंतु माननीय वित्त मन्त्रीजी ने इस बारे में सरकारी पक्ष की ओर से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था और उन्होंने यह बताया था कि मौजूदा परिस्थितियों में घाटे का बजट देखते हुए इसे अमल में लाने में असमर्थ हैं। क्योंकि राज्य में शराबबन्दी से हुए घाटे को केन्द्रीय सरकार वहन करने के लिये तैयार नहीं है। तो यदि ऐसी बात थी, तो राज्य सरकार ने पहले सदन में ऐसी घोषणा की थी क्योंकि अपनी शुरू से कांग्रेस पार्टी की यह घोषित नीति थी और अभी तक, माननीय मंत्रीजी यह मान रहे हैं कि हम इसको बन्द करना चाहते हैं परन्तु फिर भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से हम करने में असमर्थ हैं। मैं आपके ज़रिये माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इस बजट घाटे की पूर्ति के लिए बजट काफी बढ़ाया है और बारह करोड़ की आमदनी का अन्दाज उनका इस साल का है। इस बारे में मैं

(4. 41 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

धन्यवाद देना चाहूंगा। जो नोट दिया है उससे जाहिर होता है कि इल्लिगल शराब को रोकने की वजह से, और पहले का सिस्टम था उसको इम्प्रूव करके, ओपन आक्शन की प्रणाली से ठेका देने का किया है और उससे बजट में घाटे की पूर्ति करने की कोशिश की है। परन्तु माननीय सभापतिजी, राज्य सरकार की घोषित नीति के बारे में कभी न कभी इसके ऊपर एक्शन लेने की आवश्यकता है। उसके लिए गोकुल भाई भट्ट बार बार बार कह रहे हैं, उन्होंने अनशन भी किया था और हमारी प्रधान मंत्री ने शीघ्र स्टेप लेने की बात कही थी उसके बाद से लेकर अभी तक संघर्ष चल रहा है। यह तो मानना पड़ेगा कि शराब से ज्यादातर नुकसान होता है, फायदा की बनिस्बत नुकसान है, ज्यादा शराब पीकर लोग आखिरी स्टेज में मौत के मुँह में जाते हैं ऐसी हालत में शराब बन्दी करने की ओर सक्रिय रूप में कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि हमारी जो घोषित नीति है, जो 26 जनवरी, 1972 के दिन घोषणा की थी उसका इस सदन में स्वागत हुआ था, उसमें वापस संशोधन होने से हमें दुःख है। वह दिन देखना चाहते हैं, राज्य सरकार कोई-न कोई अन्य तारीख निश्चित करे और उसके बारे में दूसरे साधन ढूंढ़ कर और केन्द्रीय सरकार पर दबाव डाल कर, घाटे की पूर्ति करके आखिर इसको बन्द करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राजस्थान में ओपियम को पूर्णतः बन्द करने की आवश्यकता है क्योंकि अफीम बेचने के ऊपर राज्य सरकार ने बन्दिश लगा रखी है। लेकिन इल्लिगल रूप में अफीम की बिक्री अभी तक होती है, उस पर बन्दिश नहीं लगायेंगे तो इस राज्य में, गुजरात में ओपियम का स्मगलिंग जोरों से चल रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारी हैं इस विभाग के, वे स्मगलिंग करने में सहयोग देते हैं।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
यह धारणा है लोगों की। उच्च अधिकारी इस बात की जांच करें तो उनको यह तथ्य मिलेगा कि चित्तौड़ से होकर मध्य-प्रदेश से अफीम जाती है और न जाने कहां तक पहुंचती है (समय-समाप्ति सूचक-घंटी) इस बारे में राज्य सरकार को सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे। ओपियम ईटर हैं, जो उसके बगैर जिन्दा नहीं रह सकते तो डाक्टर के सर्टिफिकेट से लाइसेंस देने का रख सकते हैं। वैसे चीन में नशीली वस्तुओं पर बन्दिश लगा कर उन्हें खत्म कर दिया है तो यहां यह मुश्किल नहीं है कि इसे खत्म नहीं किया जा सकता।

इसके अलावा शराब की इन्कम है, इसमें ज्यादातर देखने को मिलता है, इसमें जो प्रोहिबिशन करने के कुछ एरियाज ले रखे हैं, उस प्राहिबिशन एरिया में हमारा इलाका आता है। राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने में मुझे दुःख होता है। जो आदमी वहां लगाये गये हैं, इन्सपेक्टर और अधिकारी, वे इसमें प्राहिबिशन में ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं और वहां ज्यादातर शराब पीने वालों का पोस्टिंग कर दिया जाता है। आपके द्वारा मैं राज्य सरकार को दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम बन्दिश वाले जिलों में, जो हेबिचुअल शराब पीने वाले नहीं हों उन अधिकारियों का पोस्टिंग करना चाहिए। यदि वास्तव में प्राहिबिशन फेल करना चाहते हों तो बात दूसरी है। लेकिन प्राहिबिटेड जिलों में सलेक्टेड आदमी रखने चाहिएं जिनकी ऐसी मनोवृत्ति हो और जो इस धारणा के हों कि इसे शराब बन्द करना चाहिए। जो पीने वाले हैं उनको तो चाहिए पिलाने वाले और इल्लिगल शराब निकालने वाले। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा, ऐसे जिलों में ऐसे अधिकारियों को लगायें जो खुद उसमें विश्वास करते हों और खुद शराब न पीयें।

इसके अलावा प्राहिबिटेड जिले हैं उसमें यह अनुभव है कि इल्लिगल शराब की बिक्री कम नहीं हुई है। प्राक्शन से ज्यादा बिक्री बतायी है। वह शराब वहां बंदिश वाले जिले में जाकर बिकती है। इसलिए उस पर बन्दिश लगाने की आवश्यकता है। उपाध्यक्षजी, इसके अलावा इल्लिगल शराब पर सही रूप से रोक लगानी है तो सख्ती से कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए जब तक आप निष्ठा वाले ऑफिसर नहीं लगायेंगे तब तक यह बन्द नहीं होगी।

इसके अलावा शराब के महकमे (समय समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : पांच बजे सरकार की तरफ से जवाब शुरू करना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बहुत से कट मोशन हैं, समय जरूरी है।

श्री गोपाल जोशी : समय सभी को मिलना चाहिए, हमें भी समय मिलना चाहिए। पांच बजे जवाब शुरू करवायेंगे तो हमें समय नहीं मिलेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : शराब इन्कम का सोर्स नहीं होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : समय तो बढ़ाना पड़ेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नाजायज तौर से शराब बनती है उसको बन्द करना चाहिए। राज्य सरकार को ज्यादा आय हो, इसके बारे में वित्त मंत्री को कहना

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
चाहता हूं कि इन्कम करना चाहते हैं तो इल्लिगल रूप से जो शराब बनती है उसको रोकने के लिए निष्ठा वाले व्यक्तियों को लगाया जाय ताकि वह हो सके।

इसके अलावा यातायात विभाग के मैकेनिकल इन्सपेक्टर और आर. टी. ओ. दफ्तर हैं, लोगों के अन्दर इस तरह की धारणा है कि इनमें करप्शन है। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इनमें करप्शन को बन्द करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल !

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी !

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की इस बहस में भाग लेते हुए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो नोट हमें प्रसारित किया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने शराबबन्दी की नीति को त्यागा नहीं है। उन्होंने जो नोट प्रसारित किया है, उसमें पूरा विवरण देते हुए यह दर्शाया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि राजस्थान में शराब से होने वाली आमदनी, जैसा कि बतलाया गया है बारह करोड़ के आसपास है, लेकिन मान्यवर, कमाई जो अच्छे साधनों से नहीं होती उस आमदनी या उस कमाई का फल समाज के व्यक्ति या किसी परिवार को कभी भी अच्छा देने वाला नहीं होता। जिस व्यक्ति की आय गलत साधनों से होगी, जिस परिवार की आमदनी नाजायज साधनों से होगी, वह परिवार, वह व्यक्ति अन्त में नष्ट होता है। इसी प्रकार से कोई भी सरकार हो, कोई भी राष्ट्र हो उसकी आमदनी का जरिया यदि अच्छा नहीं हुआ तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं आयेगा। हम आज क्या देखते हैं कि शराब का चलन, जैसा कि मंत्रीजी ने कहा है, बढ़ा नहीं है। मैं कहता हूं केवल बढ़ा ही नहीं है, काफी बढ़ा है, घटा नहीं है। यह बात ठीक है कि आमदनी हुई, आमदनी अवैध शराब की बिक्री बन्दी से नहीं हुई, शराब के पीने वालों की तादाद से बढ़ती है। आज शराब की खुली बिक्री की वजह से स्कूलों में और छात्रावासों तक में शराब पीने का चलन हुआ है। जिसका परिणाम हुआ है, आये दिन की घटनायें, आये दिन का लॉ एण्ड आर्डर का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाज के सामाजिक मूल्यों को कायम रखने के लिए शराब को रोका जाना अत्यन्त जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को जानकारी के लिए हमारे देश के वयोवृद्ध नेता, गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री महात्मा गांधी के अनुयायी भक्त डाक्टर जीवराज मेहता के कुछ कथन प्रस्तुत करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में राज्यों की ओर से जहां कई प्रकार की सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वहां उन पर होने वाला व्यय आबकारी की आय से सात से दस गुना अधिक होता है। हमारे देश में हम ऐसी सेवाओं पर काफी कम खर्च करते हैं। यह चाहे अन्य देशों की तुलना में इतना गुना व्यय न भी हो, तो भी आय से व्यय काफी अधिक ही होने की सम्भावना है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे इस देश में जहां

(श्री रामनारायण चौधरी)

जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और खाने के साधन न्यून हैं, उन्हीं लाखों भूखों के मुंह से चावल, जौ, शीरा, चीनी, खजूर, काजू, फल आदि खाद्य पदार्थ छीन कर मदिरा बनाने हेतु देना होगा। मेरे खयाल से राज्य सरकार की आय आबकारी कर से बढ़ाने के हिमायती लोगों ने कभी जन-जन की इस क्षति को आंका नहीं है। हम चावल, जौ, शीरे, चीनी, खजूर आदि से शराब बनवा देंगे तो स्थिति भयावह हो जायगी। तो मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसी कि आपकी घोषणा है, कम से कम आप इसको तो सख्ती से लागू करें। स्कूलों के पास में, धार्मिक स्थानों के पास में, मन्दिर-मस्जिद के पास में, आम चौराहों, आम रास्तों पर इसके ऊपर पूरी पाबन्दी होनी चाहिए। वहां शराब की दुकानें नहीं हों। आज हम क्या देखते हैं पंचायत समितियों के सामने पहले शराब-बन्दी के एडवरटाईजमैंट, डिस्प्ले लगे रहते थे, आज पंचायत समिति के सामने दुकानें लगी रहती हैं और यदि मंत्री महोदय मानने के लिए तैयार न हों तो झुंझुनू जिले में से कभी आप गुजरें तो आप देखेंगे पंचायत समिति, झुंझुनूं के सामने शराब की दुकान खुले आम लगा रखी है और रात को लाइट जलाकर जरूरत से ज्यादा डिस्प्ले किया जाता है कि यह शराब की दुकान है, कोई चाहे तो पी सकता है। यदि आप वैध शराब को कम नहीं कर सकते तो गांवों में भारी संख्या में अवैध शराब निकलती है उस पर काबू पाइए, इससे एक तो लोगों का नाजयज शराब पर खर्चा नहीं होगा और आपका भी फायदा होगा कि अवैध शराव न होने से केवल वैध शराब ही पीयेंगे, इससे दो फायदे होंगे आपका भी फायदा होगा। एक पंथ दो काम।

मोटर्स के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। पैसेंजर टैक्स जो लगा हुआ है उसके बारे में इसी विधान सभा में आज से तीन वर्ष पहले घोषणा की गई थी कि मोटर मालिकों के लिए लाजमी होगा कि वे यात्रियों को टिकट देते समय वे राज्य सरकार से खरीदी हुई टैक्स स्टाम्प भी लगायेंगे। लेकिन वह निर्णय कार्य रूप में परिणत नहीं हुआ। जो लोग वाजिब टैक्स देते हैं, वह अगर सरकारी खजाने में आए तो आप कोशिश करें। जिस प्रकार सिनेमाओं में टिकट पर स्टाम्प लगाया जाता है उसी प्रकार यात्री-कर पूरा आपके खजाने में आए इसके लिए आप यह कदम उठायें।

जो लोग सरकारी खजाने में जमा कराने के लिए वाजिब टैक्स देते हैं उस टैक्स को मोटर मालिक बीच-बीच में रखकर अमानत में खयानत करते हैं। तो कानून में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए कि यात्री-कर व बिक्री-कर वसूल करने वाला व्यापारी या मोटर मालिक को यह कर अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। वे इसलिए यह कर वसूल करते हैं कि वे सरकारी खजाने में जमा करायेंगे। तो कानून में इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए कि जैसे सीलिंग कानून से बचने के लिए आप कानून लाए थे और उसको सजा देंगे, बाद में उसको हटा दिया था। तो बिक्री-कर व यात्री-कर कानून में संशोधन होना चाहिए कि जो व्यक्ति बिक्री-कर की चोरी करेगा, वसूल करके अपने पास रखेगा,

(श्री रामनारायण चौधरी)

उसको अमानत में खयानत समझा जाएगा और उस पर केस बनाना चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए ताकि इन दोनों करों में होने वाले लीकेज से बचा जा सकता है। यातायात मंत्री चाहे देख सकते हैं कितनी भारी संख्या सवारियों की एक एक गाड़ी में आती है। पूरी गाड़ी भरी होती है। 50 की गाड़ी में 100 आदमी यात्रा करते हैं जबकि टिकट काटी जाती है ज्यादा से ज्यादा 20·30 की। टिकट तो सबकी काटते हैं लेकिन रात को घर जाकर जो सही टिकट की किताब है उसको नष्ट करते हैं और दूसरी किताब में लिखते हैं। यह सब आय-कर व यात्री-कर से बचने के लिए करते हैं। आज जो आदमी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा निकाल कर मोटर वाले या व्यापारी को देता है कि मेरे पैसे को यथास्थान सरकारी खजाने में पहुँचा दीजिए। ऐसे व्यापारी को या मोटर मालिक को आप साधारण जुर्माना करके छोड़ देते हैं। यह क्या बात हुई? यह ब्रीच आफ ट्रस्ट है, 420 का मामला है, सख्ती से कर वसूल करो ताकि लोगों को विश्वास हो कि सरकार को जो पैसा देते हैं वह वाजिब जगह पहुँचेगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे प्रोहिबिशन को जिसके लिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने त्यागा नहीं है तो प्रयत्न भी छोड़ दिए हैं, कुछ आगे बढ़ें, कुछ सालों से इसमें स्टेग्नेशन आ गया है. आगे कदम नहीं बढ़ा है और इन दोनों करों में जो लीकेज हो रही है उसको रोकने के लिए कारगर कदम उठायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : यह जो आज आबकारी विभाग की तरफ से बुकलेट वितरित की गई है, उसके अंदर वर्णित किया गया है कि राज्य सरकार ने जो आबकारी नीति अपनाई है उससे मोनोपोली टूटी है और आमदनी बढ़ी है। इसके लिए तो मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं लेकिन मैं एक मिसाल आपके माध्यम से मंत्री महोदय की जानकारी के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा कि किस प्रकार वर्त्तमान नीति के एक अंग के कारण ठेकेदारों को फायदा भी हुआ है। गंगानगर में 1972-73 में इस गैरंटी सिस्टम के तहत 42 लाख रुपए में दुकान छोड़ने लगे तो बोली 42 लाख तक नहीं आई, 35 लाख से ज्यादा नहीं आई। सरकार ने कहा 42 लाख के नीचे नहीं जायेंगे, तुमको लेना है तो 42 लाख में लो। कोई ठेकेदार 35 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ा। ऐसी हालत में सरकार ने खुद दुकानें चलाईं तो 13 लाख की रेवेन्यू दुकानों से हुई और 29 लाख का सरकार को घाटा हुआ। बीकानेर की दुकानों, सरदारशहर में भी ऐसा हुआ। उस दुकान चलाने से ठेकेदार को फायदा हुआ। देशी शराब की हल्की से हल्की कीमत वाली बोतल भी 7½)रु. में बिकती है और सरकार क्योंकि खुद दुकान चलाती है इसलिए उससे कम कीमत में नहीं बेच सकती। ठेकेदार लोग जब उस एरिया को छोड़ देते हैं तो उससे थोड़ा दूर अपनी दुकान खोल लेते हैं। मान लीजिए जयपुर वाले ठेकेदार ने दुर्गापुरा में ले ली। व्यापारी के पास पुराना माल होता है जो बिक नहीं पाता है तो वह सस्ती दर में बेचता है 5)रु.5।।)रु. में जबकि सरकारी दुकान जो थोड़ी दूर होती है वहां 12)रु. में बेचते हैं। इस प्रकार सरकार को घाटा

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

और ठेकेदार को मदद मिलती है। वह अपने पुराने माल को निकाल देता है। सरदारशहर में 1972-73 में 1971-72 वाले माल को बेचा है। इस नीति से राज्य सरकार को तो नुकसान होता है। मैं समझता हूं इस साल भी यही है। जयपुर में दो दुकानें, जोधपुर में पूरा शहर, बीकानेर में दो दुकानें, अजमेर में 3, कोटा में 3, उदयपुर में 2। जब आप नशाबंदी की बात करते हैं, ठेकेदार दुकान नहीं लेना चाहता है तो आप उन दुकानों को मत छोड़िए या उस बोली तक पहुँच जायें तो उनको छोड़ दीजिए लेकिन गंगानगर की बीमारी क्योंकि 1972-73 में हुई तो ठेकेदार समझ गया। अगर हम एक दो....

श्री यशवंतसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक मांग पारित न हो जाए सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि...

श्री हरिदेव जोशी : आधा घंटा।

श्री श्रीराम गोटेवाला : हम बोलेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : कई माननीय सदस्य बाहर जाना चाहते हैं, उनको एकोमोडेट करना चाहिए।

श्री चन्दनमल बैद : जयपुर के माननीय सदस्यों को सिर्फ अपने लिए नहीं देखना चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो कोई एतराज नहीं है मैं तो तैयार हूं चाहे आप रात के 12 बजे तक चलाइये।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 12 बजे तक तो मत चलाइये साहब उस समय तो दूसरे ही बोलते हैं।

श्री यशवंतसिंह नाहर : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ 26 सदस्य बैठे हैं वैसे लोगों को आज जाना है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि गंगानगर के अन्दर जो हाल हुआ उससे ठेकेदार समझ गया है अब इससे राज्य सरकार को तो नुकसान ही है और ठेकेदार को इससे फायदा हो सकता है। तो मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार ने यह ठेकेदार को फायदा पहुँचाने की नीति क्यों अपनाई है? मेरी समझ में नहीं आता कि मन्त्री महोदय को इस बात के लिये किसने समझा दिया है। इसके अलावा यह निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि जब एक्साइज डिपार्टमेंट और टैक्सेशन डिपार्टमेंट का बाइफरकेशन हुआ तो सेल्सटैक्स डिपार्टमेंट वाले लोगों के तो प्रोमोशन्स रूल्स वगैरह बन गये लेकिन एक्साइज डिपार्टमेन्ट के लोगों के अभी तक रूल्स नहीं बने हैं जिससे उनके आज तक प्रोमोशन्स वगैरह नहीं हुए, जबकि सेल्स टैक्स में रूल्स फोर एम्प्लोयीज बनने से कई लोगों की सीनियोरिटी और पदोन्नतियां हो गई हैं। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि उनकी तरफ ध्यान दिया जाय और इसके लिये कार्यवाही जो करनी चाहिये वह तुरन्त करें।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में प्रोहिबिशन के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि राजस्थान में पूर्णतया प्रोहिबिशन होना चाहिये। आज ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि मद्य-निषेध को लागू करना चाहिये। मैं भी मानता हूं कि मद्यनिषेध को लागू करना चाहिये, मद्यपान खराब है लेकिन लोग ज्यादा से ज्यादा इस बात को कह कर लोगों में मेरे खयाल से कोई सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं उस तरह कह रहे हैं। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि इस बारे में हमें पहले पूरी तरह सोच कर बात करनी चाहिये, अन्यथा जैसा कि महाराष्ट्र में और मद्रास में जहां पर कि पहले शराबबन्दी को स्टोप करना पड़ा। आज जमाना पहले वाला नहीं काफी इन्डस्ट्रियलाईजेशन हो गया है, मोर्डनाइजेशन हो गया है, इसमें अगर आप कोई कानून बना कर बन्द करना चाहते हैं तो यह ठीक बात नहीं क्योंकि आप फोर्सेबली यह कर रहे हैं। आपको इसके लिये लोगों का मोरल बढ़ाना चाहिये, जिससे कि वे शराब नहीं पीयें। इसके लिये लोगों से प्रेक्टिकल एप्रोच करनी चाहिये। वरना तो लोग चोरी छिपे पीयेंगे। आखिर इससे तो गवर्नमेन्ट की रेवेन्यू होती है। नहीं तो लोग नाजायज शराब पीयेंगे, जिससे सरकार को तो लाभ होगा नहीं और मद्यनिषेध भी लागू नहीं होगा। आप इसे बाई लॉ डील विद मत करो। आप इसके लिये लोगों से प्रेक्टिकल एप्रोच करिये। आपने प्रोस्टीट्यूशन के विरुद्ध में कानून बनाया आज ऐसा सुना जाता है कि यह प्रोस्टीट्यूशन एक जगह से समाप्त हो गया लेकिन आज जयपुर की शहर की गली-गली में हो गया है। मैं मद्यनिषेध के खिलाफ नहीं हूं लेकिन इस बात के खिलाफ हूं जैसे कि आज लोग जयपुर में और बड़े शहरों में पढ़े-लिखे लड़के गलियों में खुले आम शराब पीते हैं यह खराब है, क्योंकि वहीं सामने लोगों की बहू-बेटियां बैठी रहती हैं यह खराब है। इसके लिये मेरा ऐसे लोगों को कहना है कि उन्हें पीना है तो पीओ लेकिन शाम को बाग में जाकर या किसी अलग स्थान पर जाकर। उसके लिये लोगों को लाइसेन्स लेना चाहिये। ऐसी व्यवस्था कर दी जाये कि पीने वालों को लाइसेन्स लेना पड़ेगा, जिससे राज्य सरकार को रेवेन्यू भी मिलती रहे और शहर के बाजारों में खुले आम लोग शराब नहीं पीयें। इसके लिये सरकार को बोल्ड स्टेप लेने की जरूरत है। लोगों से प्रेक्टिकली एप्रोच करने की जरूरत है। लोगों में सोशियल एजूकेशन के द्वारा ऐसी एप्रोच की जाय कि अपने आप ही लोग शराब पीना बन्द कर दें। (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी) बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वित्त मन्त्री !

एक माननीय सदस्य : थोड़ा समय बढ़ाया जाय।

श्री श्रीराम गोटेवाला : एक मिनट बोलने दिया जाय साहब सभी सदस्यों को।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की राय है कि समय बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

सदन का समय बढ़ाया जाता है।

(एक साथ कई सदस्य बोलने के लिये खड़े होने पर अव्यवस्था-शोरगुल)

आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज ! श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं....

श्री श्रीराम गोटेवाला : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मुझे बोलने दिया जाय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निवेदन करना चाहता हूं। मैंने इस डिमान्ड पर काफी कट मोशन दिये हैं।

एक माननीय सदस्य : अजी साहब आप तो रोज बोलते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, आज ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे शराबबन्दी के ऊपर डिमान्ड्स चल रही हों। सारी की सारी बहस मद्यनिषेध पर चल रही है। आज सदन के बाहर काफी लोग, जो गान्धीवादी हैं शराबबन्दी के लिये संघर्ष कर रहे हैं। और गान्धीजी ने शराब के बारे में जो कहा था उनकी याद को ताजा कर रहे हैं और मद्यनिषेध की बात को प्रचन्ड कर रहे हैं। सरकार भी अपना रुख तो मद्यनिषेध की ओर रखती है लेकिन इससे 12 करोड़ रुपये की जो आज रेवेन्यू होती है वह बन्द होने की वजह से उसे लागू नहीं कर पा रही है। मैं इस बात को गान्धीवादी स्प्रिट के अन्दर हिप्पोक्रेसी कहूंगा। क्योंकि सिर्फ गान्धीजी के उपदेशों का नाम लेकर कि शराब पीना खराब है या शराब से इतने नुकसान होते हैं उसको एक प्रकार से हिप्पोक्रेसी कहूंगा। आज इसमें जरूरत नारों की नहीं है बल्कि जरूरत है लोगों के हृदय परिवर्तन करने की। अगर लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाय तो मैं यह मानकर चलता हूं कि आज राज्य सरकार पर जहां पर 500 करोड़ रुपये का कर्जा है वह हद से हद 800 करोड़ हो जायेगा। तो सिर्फ मद्यनिषेध लागू करने से ही राज्य सरकार की आय पूरी ही खतम हो जाती हो वह बात नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, गान्धीजी ने जिन परिस्थितियों में मद्यनिषेध को कहा वे परिस्थितियां और थीं आज परिस्थितियां और है। मैं खुद मद्यनिषेध के पक्ष में हूं लेकिन इस हिप्पोक्रेसी के पक्ष में नहीं हूं। आप मद्यनिषेध लागू करें या न करें अगर लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाता है तो सबसे उत्तम है। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह कहूंगा कि वह इस हिप्पोक्रेसी को छोड़े। ऊपर से आप मद्यनिषेध के खिलाफ में बोलते जावें और पीछे से आप मद्यनिषेध लागू भी नहीं कर रहे हैं। जो लोग शराब के नशे वाले हैं वे तो भूखे मरना पसन्द करेंगे लेकिन शराब नहीं पीना बन्द करेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप शराब पीने वाले लोगों का हृदय परिवर्तन करिये। आज तो उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति है कि सिर्फ शराब ही नहीं और भी ऐसी कई नशीली दवाइयां निकली

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

हैं जिन्हें लोग लेते हैं । मैं आपको बताऊं ये जो मेनड्रेड, एल० एस० डी० और बारबेचुराइट्स गोलियां निकली हैं जिन्हें आज कॉलेज के लड़के लेते हैं । क्योंकि लोगों में इतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है कि पढ़े-लिखे लोग बेकार घूम रहे हैं उसकी वजह से आज शराब से भी उसकी ज्यादा टेबलेट्स ये मेनड्रेड, बारबेचुराइट्स जो कि सस्ती हैं तीन-चार आने में ही मिलती हैं लड़के ले रहे हैं । ये भी नशीली टेबलेट्स हैं । आज बम्बई और दूसरे बड़े शहरों में बिना डॉक्टर के प्रेसक्रिप्शन के आपको ये बारबेचुराइट्स गोलियां हैं मेडिकल स्टोर वाले देते नहीं हैं। आज पंजाब में स्टूडेन्ट्स ज्यादा से ज्यादा ये बारबेचुराइट्स गोलियां ले रहे हैं। लोग आज हिप्पी बन रहे हैं। आज शराब से भी ज्यादा भांग, गान्जा और चरस का नशा लोग कर रहे हैं। यह हानिकारक है इसे बन्द किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, चीन से भांग, गान्जा, चरस अफीम को अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कन्ट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा है। वहां पर अफीम और दूसरी नशीली चीजों का सेवन करना सख्त अपराध है। अगर कोई आदमी चीन में अफीम खाता है तो दण्ड दिया जाता है उसको ऐसा ओफेन्स माना जाता है कि जैसे इसने किसी व्यक्ति का सर फोड़ दिया हो। उपाध्यक्ष महोदय, उसको किसी का सिर फोड़ देने से ज्यादा आफेन्स मानते हैं। लेकिन आज चीन का गांजा नेपाल के द्वारा सारे भारत में प्रवेश करता है और सिंगापुर के जरिये सारे विश्व में जाता है। चीन की अफीम सारे विश्व में जाती है। माओत्सेतुंग ने कहा है किसी राष्ट्र की जनरेशन को खत्म करने के लिए उस राष्ट्र के नौजवान को खत्म करो। बड़ी नम्रता से, दोनों मंत्रीगण पास में बैठे हैं, एक ओर एक्साइज और दूसरी ओर मेडिकल के मिनिस्टर बैठे हैं, दोनों हो मिनिस्टरों का यह युनाईटेड सब्जेक्ट है आप एक्जामिन कराइये कि अंडरग्राउन्ड में लोगों ने अम्बार लगा रखे हैं, इल्लिसिट लीकर बनाते हैं।

मैं ऐसे जिले से आता हूं जहां नाजायज शराब में नहाते हैं, इल्लिसिट लीकर, बारबेचुराइट्स सिलेक्टिव ड्रग्ज इनका बहुत बड़ा यह केन्द्र है गंगानगर जिला। उस जिले के द्वारा इनका ब्लेक मार्केटिंग सारे राजस्थान में हो रहा है। इसलिये आप इस कानून में तरमीम लाइये और उसके द्वारा इन ड्रग्स पर सख्त बेन लगाइये। उनके अंडरग्राउन्ड सेल को कन्ट्रोल करने की कोशिश कीजिये। यह यंग जनरेशन की बहुत बड़ी शत्रु है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस आबकारी से 12 करोड़ या 15 करोड़ का लाभ है और इस कारण हम इसको हटा तो नहीं सकते, लेकिन इसमें कुछ सुझाव आपके सामने पेश करना चाहता हूं। क्योंकि यह हटेगी तो नहीं तो इस बारे में ज्यादा कहना उपयुक्त नहीं होकर मैं यह कहूंगा कि जैसा विदेशों में कई जगह सिगरेट के पेकेट पर पीछे या अन्दर मादक वस्तुओं पर लिखा रहता है 'इट इज डेन्जरस टु स्मोक' 'इट इज डेन्जरस टु टेक।' शराब की बोतल पर यह लिखा जाना चाहिये। 'मादक व हानिकारक वस्तु' 'इसे पीना स्वास्थ्य के लिये खतरनाक है।'

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेवल को उतार लेंगे और बोतल पी जावेंगे ।

श्री गोपाल जोशी : यह आपका अनुभव है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हांडा साहब उस इलाके के हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका और मेरा साझा है ।

श्री गोपाल जोशी : इस संबन्ध में मेरा व आपका कोई साझा नहीं है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों की साझेदारी मुबारक !

श्री गोपाल जोशी : इस प्रकार की कार्यवाही कि शराब की बोतल पर 'खतरनाक व स्वास्थ्य के लिये हानिकारक' लिख दिया जाय कर ली जाय तो अच्छा है। वैसे नुकसान तो है। सोशियल इविल है। शरीर और दिमाग के लिए भी बड़ी नुकसानप्रद है। मेन्टल होस्पिटल के जो सबसे बड़े डॉक्टर हैं बी० के० व्यास उनसे पूछा जा सकता है कि शराब कितना माइन्ड को नुकसान पहुँचाती है। इसका प्रयोग फिलहाल बन्द तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो राजनैतिक और सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, उनको एवं सरकार को भी इस प्रकार की कोशिश करनी चाहिये कि जनता को इसकी बुराइयों को समझावे क्योंकि 'वरच्यू इज प्रमोटेड बाई हेबिट ऑफ लाइफ नोट बाई लॉ।' वे लोग ऐसा वातावरण बना लें तो अच्छा है। इस बारे में इतना ही कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, करों के संबन्ध में मैं थोड़े से अपने विचार व्यक्त करूंगा। जहां तक कर वसूली का सवाल है, कर तो लगने ही चाहियें लेकिन वसूली भी सही तरीके से होनी चाहिये। यातायात विभाग का मैं प्रगति विवरण पढ़ रहा था। आपने भ्रमणशील उड़नदस्ते, एन्फोर्समेन्ट स्टाफ और यांत्रिक निरीक्षक आदि की व्यवस्था की है। ये आपके निरीक्षक 6-6 महीने में फिटनेस रिपोर्ट करते हैं। ये लोग कितनी रिश्वत खाते हैं और पैसा खाते हैं जिसकी कोई जांच नहीं होती। ये इन्सपेक्टर, सहायक इन्सपेक्टर और इनकी पत्नियां इनके प्रतिनिधियों और इनके रिश्तेदारों के पास कौन कौनसी गाड़ियां हैं, कौन कौनसे भवन हैं, कौन कौनसे कार्य हैं उन सब की जांच होने से पता लग जायगा कि ये लोग कितनी रिश्वत लेते हैं।

एक सुझाव देना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से दोनों ही मंत्रीगण यहां बैठे हैं। आपके जो इन्सपेक्टर्स हैं, अधिकारी हैं अमुक तारीख को इनके फोटो ले लें, जैसे आपने एडवरटाइजमेन्ट में देखा होगा कि एक फोटो में प्रोटीन की कमी है और फिर प्रोटीन युक्त है, बिफोर एन्ड आफ्टर नौकरी में लेते हैं तो फोटो ले लिया जाय और साल-दो साल के बाद फिर फोटो ले लिया जाय तो फर्क मालूम होगा कि कौन कितनी रिश्वत लेता है और कौन नहीं लेता है इस बारे में इतना ही कह कर समाप्त करूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मिठाइयों के बारे में तो कुछ कहा नहीं।

श्री गोपाल जोशी : बिक्री कर के सम्बन्ध में यह कहूंगा कि वैसे दो करोड़

(श्री गोपाल जोशी)

के कर लगे हैं, 2½ करोड़ की संख्या वाले राजस्थान में यदि 2 करोड़ के कर, एक रुपया प्रति व्यक्ति पड़ता है, इसलिए, अधिक नहीं है।

एक अर्ज करना चाहता था कि बिक्री-कर की वसूली में बड़ी धांधली है और भ्रष्टाचार है। हलवाइयों, मिठाई और नमकीन वालों पर बिक्री कर लगा है इससे सी. टी. ओज., एस. टी. ओज. यहां तक कि डिपार्टमेन्ट के क्लर्क, चपरासियों के लिये सुबह का नाश्ता, दोपहरी का खाना, लंच और डिनर प्रायः सब फ्री हो गये हैं।

श्री केसरीमल : यह तजुर्बा आपका नहीं औरों का हो सकता है ?

श्री गोपाल जोशी : मुझे तो तजुर्बा है। मैं क्या बताऊं सदन में। मैं अपने अनुभव से ही कह रहा हूं। क्योंकि हलवाई या छोटे-छोटे धन्धा करने वाले लोग हैं वे बही-खाते रखने में असमर्थ होते हैं, पढ़े-लिखे नहीं होने से रख नहीं सकते हैं इसलिए इन्सपेक्टर लोग, सी. टी. ओज. एन्टी-इवेजन वाले टैक्स वसूली करने की बात करते हैं, लेकिन दो प्रकार का टैक्स वसूल करते हैं, अपनी सरकार का एक अथवा दूसरे प्रकार का सरकार से अपना ज्यादा अपना वसूल करते हैं। टैक्स आप लें, हमें एतराज नहीं है। लेकिन उसका सरलीकरण कर दिया जाय। जैसा हरियाणा में किया गया है ए. बी. सी. केटेगरीज बना दीजिये। हर माह में 20 रु., 50 रु., 75 रु., 100 रु. आप उनसे इस प्रकार ले लीजिये। दस हजार दुकानें इस तरह कहें तो पचास रुपये माहवार भी प्रत्येक से लिया जाता तो पांच लाख रुपये हर महीने होते हैं और 60 लाख रुपये हर साल। 50 रुपये की जगह 100 रु. और 150 रु. भी ले सकते हैं। इसमें हैरासमेन्ट बन्द हो जावेगा। आप इसमें सरलीकरण कर दें ताकि हैरासमेन्ट न हो। पहले सी. टी. ओज. को मारवाड़ी ढंग के अकॉउन्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि मारवाड़ी ढंग के बही-खातों की इन्सपेक्शन कर सकें और टैक्स इवेजन पर चेक लगा सकें, उसे लागू करना चाहिये। आज कल आई. टी. ओज. लोगों से सम्पर्क कर रहे हैं कि असेसमेन्ट किस प्रकार करना चाहिये और वे लोग रिटर्न्स भरने में मदद करते हैं और इस प्रकार के इन्कम पर बिना असेसी को सुन कर ही फैसला कर देते हैं। उसी प्रकार सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट को इनकी मदद करनी चाहिये। दस-पन्द्रह हजार के जो रिटर्न्स होते हैं उनका बिना विवाद के ही फैसला कर दें।

एक आर. ए. एस. और आई. ए. एस. अधिकारियों की आप इस विभाग में नियुक्ति करते हैं। विभाग में इसी विषय के विशेषज्ञों को ही लगाना चाहिये। या तो अकाउन्ट वाले या रेवेन्यू वाले लोग, इण्डियन एकाउन्ट सर्विस या इण्डियन रेवेन्यू सर्विस के लोगों की ही नियुक्ति की जाय। जो लोग अकाउन्ट जानते हैं उनकी नियुक्ति की जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : दो मिनिट का समय दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, एक मिनिट। वैसे आप रात के दस बजे तक बैठना चाहें

(श्री उपाध्यक्ष)
तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है। एक-दो मिनिट में आप समाप्त कर सकें तो ठीक है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़): हम कटौती प्रस्ताव रखते हैं उस पर भी अगर बोलने का अवसर हमें नहीं मिलता है तो आप स्वयं बतावें कि हम कब बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं पाबन्दी नहीं लगाना चाहता, माननीय सदस्य अगर यही चाहते हैं तो।

श्री भंवरसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी आज इस पर अपना कटौती प्रस्ताव रखा है। आबकारी और यात्री कर के सम्बन्ध में मैं भी अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

शराबबन्दी की बात काफी अर्से से चल रही है। गोकुलभाई भट्ट ने भी इसके लिये एक सही आन्दोलन सरकार को सही दिशा बताने के लिये चला रखा है। गरीबों का निश्चय ही इस शराब से शोषण होता है। यह शराब भ्रष्टाचार और अनैतिकता को बढ़ाती है और हमारे युवकों के चरित्र का भी हनन करती है। इसलिये मैं सरकार से दृढ़ता के साथ अनुरोध करता हूं उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से कि इस शराब को अगर राजस्थान सरकार बन्द कर सके यह हमारे प्रान्त के लिये बहुत ही अधिक हितकर होगा और अगर इस साल सरकार बन्द नहीं कर सके, मान लो आर्थिक दिक्कतों को देख कर और अकाल की स्थिति को समझ कर, तो मैं यह सुझाव दूंगा कि हर साल छः-सात जिलों में क्रमिक रूप से शराबबन्दी लागू करदी जाय ताकि शराबबन्दी का काम भी हो जाय और सरकार को एक साथ आर्थिक बोझा भी न पड़े। इसके साथ ही नाजायज शराब जो करीब सब जगह निकलती है उसको रोकथाम के लिये कड़ा प्रयत्न होना चाहिये ताकि जो आमदनी की आशा इससे आप करते हैं वह आमदनी आशा से कुछ अधिक हो सके।

दूसरा निवेदन यह है कि हमारे कुछ पड़ौसी प्रान्त ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रदेशों में शराबबन्दी कर रखी है जैसे हरियाणा हुआ, गुजरात हुआ। तो हरियाणा में महेन्द्रगढ़ जिले में शराबबन्दी है तो ऐसे एरिया से जो हमारी सीमा लगती है उसमें उसके दस-दस पन्द्रह-पन्द्रह मील आसपास के एरिया में आप शराबबन्दी लागू कर दें, वहां किसी को कोई दुकान वगैरह खोलने करने का लाइसेन्स कतई न दें ताकि हम उन लोगों की शराबबन्दी की नीति में सहयोग कर सकें।

इसके साथ अपने देश में आज गांजा, भांग, अफीम आदि नशीली चीजों का भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है और छोटे-छोटे बच्चे, विद्यार्थी इसके शिकार होते जा रहे हैं और उनके चरित्र के पतन में ये चीजें तेजी से योगदान दे रही हैं। इससे देश का भी प्रकारान्तर से बड़ा नुकसान हो रहा है। इसको रोकने की दिशा में भी सरकार को कड़े कदम उठाने चाहियें। ऐसा कानून बनाना चाहिये जिससे कि इन नशीली चीजों पर भी पूरी तरह से पाबन्दी लग सके।

दूसरा, मैं यात्री-कर के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। आज जो कर

(श्री भंवरसिंह)

लगा रखा है और उसके जो नियम हैं उनसे आज सरकार को पूरा टैक्स नहीं मिलता। आधे से अधिक तो लोग टिकिट नहीं देते। इस तरह की चोरी को रोकने के लिये सरकार को उपाय खोजना चाहिये। आपने जो उड़नदस्ता कायम किया है उससे भी कोई लाभ नहीं है।

प्राइवेट टैक्सियां चलती हैं वे टैक्स तो प्राइवेट का देते हैं पर चलती किराये पर हैं। इसलिये इसमें भी कुछ इस तरह की व्यवस्था की जावे या तो रंग इनके लिये अलग से कायम करके या और किसी रास्ते से ताकि वे टैक्स छिपा नहीं सकें।

कम्पनियों की भी जो गाड़ियां हैं उन पर विशेष टैक्स लगाया जाना चाहिये। कम्पनियों वाले के नाम पर बहुतसी गाड़ियें रखते हैं और प्राइवेट यूज में लेते हैं और उसका खर्चा कम्पनी के नाम डालते हैं। इसलिये मेरी राय से इन पर अधिक टैक्स लगना चाहिये।

बिक्री कर के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष महोदय, अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें चोरियां बहुत होती हैं। चैक पोस्टों पर डाके पड़ जाते हैं। जहां अधिक बिक्री कर इकट्ठा होता है तो इन पर ऐसी व्यवस्था की जाय कि डाके न पड़ सकें और सरकार की रेवेन्यू का नुकसान न हो सके। जो चैक-पोस्ट हैं उन पर ऐसे अतिरिक्त क्लर्क रखे जावें जो तुरन्त वहां की इन्कम को सी. टी. ओ. के पास भेज दें ताकि टैक्स जल्दी से जल्दी सरकार के पास आ सके और टैक्स में ढिलाई नहीं हो सके। इसमें चोरियां बहुत होती हैं। इन चोरियों पर ही कन्ट्रोल करलें तो सरकार की आमदनी बिना अधिक टैक्स बढ़ाये इसी से सवाई और ड्योढ़ी हो सकती है।

जयहिन्द !

श्री उपाध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य !

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम तो वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सेल टैक्स में सात करोड़ की अधिक वृद्धि की।

दूसरा निवेदन करता हूं कि जो हमने तीस हजार की छूट दे रखी है, मैं यह मानने वालों में से हूं कि न्याय के हक में इस छूट को 50 हजार तक तर कर देना चाहिये। महंगाई के हिसाब से छोटे-छोटे दुकानदारों को इससे बड़ी तकलीफ होती है।

इसके साथ ही गल्ले के व्यापारियों को पांच हजार की छूट है। जब सरकार गल्ले का व्यापार और खास कर चावल और गेहूं का व्यापार अपने हाथ में लेने जा रही है तब छोटे-छोटे लोगों को पांच हजार की सीमा में रख कर हम आम आदमियों को नुकसान पहुंचाते हैं। छोटे-छोटे दुकानवालों को आदमियों को इससे तकलीफ होती है, इसलिये वित्त मन्त्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह जो गल्ले वालों को आपने पांच हजार की छूट दे रखी है और दूसरों में और इनमें जो डिफरेन्स कर रखा है, इस डिफरेन्स को भी समाप्त करें।

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

इसके साथ ही हलवाइयों के बारे में निवेदन करूंगा। मेरे साथी माननीय सदस्यों ने इस बात को काफी स्पष्ट रूप से रख दी है, मैं उसका रिपीटीशन नहीं करूंगा।

कहावत है कि :

लीक लीक गाड़ी चले लीक ही चले कपूत,
लीक छोड़ि तीनों चले सायर, सिंह सपूत।

मैं चन्दनमलजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको नई दिशा देनी चाहिये। इन्कम टैक्स वालों को सरकार ने छूट दे रखी है कि इन लोगों को जिन्होंने 25 हजार तक का रिटर्न दिया है बिना उनको बुलाये जो कुछ उन्होंने रिटर्न भर दिया है उसी पर फैसला करके टैक्स तै कर दें। उनके रिटर्न्स को ही मान लें। वे तो आज उनके बीच में जा कर उनके दुकानों में जाकर उनको फॉर्म भरना तक बताते हैं, उसमें सहयोग देते हैं और वही निर्णय भी कर देते हैं। सेल्स टैक्स वालों की स्थिति उल्टी है। लोगों को सेल्स टैक्स देने से विरोध नहीं है। विरोध केवल इस बात से है कि वे हैरेस न हों। उनके साथ हैरेसमेन्ट नहीं किया जाय, गड़बड़ियां न की जायं, तंग नहीं किया जाय। इस मुद्दे पर और भी कई साथियों ने प्रकाश डाला है। मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊंगा पर हिम्मत से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्रीजी भी वैश्य हैं। मैं तो यह मानकर चलता हूं कि वे राजस्थान के उस हिस्से से आये हैं जिस हिस्से के लोगों ने सारे देश के औद्योगीकरण में बहुत बड़ा योग दान दिया है। मैं जानता हूं कि उसी हिस्से से आने वाले हमारे इन वित्त मन्त्रीजी के वैश्य मन में पठानी दिल भी है। वे इस बात का फैसला करें कि जिस तरह से इन्कम टैक्स वाले व्यापारियों को सहूलियत से निपटा रहे हैं और उनके भरे हुए रिटर्न्स को ही सही मानकर निर्णय कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ उनको दिया जा रहा है, इसका उन लोगों ने एक पखवाड़ा मनाया है, उसी तरह की व्यवस्था आप सेल्स टैक्स में भी करें। आज यह समझा जाता है कि सेल्स टैक्स माने क्रिमिनल साइड, और इन्कम टैक्स माने सिविल साइड। हालांकि सिविल साइड में ज्यादा टाइम लगता है पर आज इन्कम टैक्स में व्यवहार में वह कठिनाई भी नहीं है तो वही स्थिति सेल्स टैक्स विभाग में भी ये लावें, यह मैं इनसे आशा करके चलता हूं। चन्दनमलजी वैसे खुद इसके भुक्तभोगी हैं। उनको इसका व्यक्तिगत तजुर्बा भी है। ये सब तरह से इस विभाग के योग्य भी हैं इनको गहरा अनुभव है। तो आज एक योग्य व्यक्ति के हाथ में इस विभाग की बागडोर है इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि उनको यह जो मौका मिला है बरसों से उनके दिमाग में यह बात थी कि अगर मैं वित्त मन्त्री बनूं तो इसको एक नई दिशा दूं। सौभाग्य से उनकी वह तमन्ना पूरी हुई है। आज यह विभाग उनके हाथ में आया है। तो आम आदमी की मध्यम वर्ग की भी जो तमन्ना है वह पूरी होनी चाहिये। आज बिक्री-कर के अधिकारियों से व्यापारियों को छोटे-बड़े सभी को दसों जगह परेशानियां होती हैं। उन परेशानियों से उनको छुटकारा मिले ऐसा इन वित्त मन्त्रीजी को साहस करना चाहिये।

आज तो हालत यहां यह है कि जो आदमी टैक्स देता है, जो आदमी रिकदर

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

करता है, रुपया इकट्ठा करता है उसके लिये कार्यालय में बैठने को जगह नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस ढंग का व्यवहार तो कम से कम दे दें उस आदमी को। आखिर वह हमारे देश का नागरिक है। एक मानवीय ढग का व्यवहार तो दें। मैं निवेदन करना चाहूँगा वैदजी इस बारे में भी विचार करें।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूँ इन्कम टैक्स वालों ने यह छूट दी है उसके बाद कितनी इन्कम टैक्स की वसूली हुई है। यह संसद में जो चह्वान साहब ने वक्तव्य दिया, उसके बाद जवाब दें। मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूँ इन हलवाइयों को 50 हजार की छूट दी है दूसरे ऐसे लोगों से जिनके पास लाइसेन्स नहीं हैं पांच हजार से ज्यादा माल लाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। पहले कांग्रेस के कार्यालय में व्यापारियों और वित्त मंत्रीजी को बैठा कर यह रास्ता बिठाने की कोशिश की थी और जितना टैक्स लेना चाहते हैं, उसको देने में दिक्कत नहीं है क्योंकि वह तो वसूल होकर आता है। मिल जुलकर यह सारी व्यवस्था अच्छी हो सके, इस पर विचार करना चाहिये।

इसके साथ ही मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा इनके यहां जो फैसले होते हैं और यह हो गया कि इतना रिटर्न कर दिया जाय, इतना ले लिया जाय। वैसे तो प्रोवीजन ब्याज तक का कर रखा है असली भी मिल जाय तो काफी है। फीगर तो आज मिले हैं इसलिये जानकारी नहीं कर सका लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा जो इन्कम टैक्स वाले रिफन्ड देते हैं, चिट्ठी भेजते हैं आपका इतना रुपया निकलता है वह भेज रहे हैं और या एडजस्ट कर देते हैं। और अगर उनमें निकलता है तो सूचित करके चालान भेज देते हैं। इसी तरह की व्यवस्था कोई होनी चाहिए।

एक चेक-पोस्ट के बारे में निवेदन करूंगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद ठीक वर्ताव हुआ है लेकिन आज भी बताते हैं, महीने-महीने भर तक ट्रकों से माल उतार लिया जाता है और उसका जो शीघ्र फैसला होना चाहिये वह नहीं होता है। रेलवे से माल मंगाने पर इस प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है। ट्रकों पर सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला हुआ ठीक है कि बिक्री पर कर है। बिक्री होगी जब टैक्स मिलेगा। बिना बिक्री के माल रख कर क्यों हेडेक करते हैं? वित्त मंत्री भी इस बारे में रास्ता सोचें और कामन व्यक्ति को रीलीफ मिले यह सोचें। एक बात और जो उन्होंने कहा है, खण्डसारी शक्कर की कुछ किस्तों पर अनप्रोसेस्ड रेयन पर तथा कृत्रिम रेशमी वस्त्रों पर जिन पर कोई अतिरिक्त आबकारी शुल्क नहीं लगता 3 प्रतिशत की दर पर बिक्री-कर लगाने का प्रस्ताव करता हूं। इस बारे में मेरा यही निवेदन है मैंने व्यक्तिगत रूप से भी पूछा क्या कपड़े पर बिक्री कर लगाया है। जहां तक याद है माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा नहीं लगाया। यहां शहर में और राजस्थान में इस बात की बड़ी परेशानी है। इस बारे में खुलासा कर दें तो अच्छा होगा।

वैसे हमारे आमेर से आने वाली माननीय सदस्या शकुन्तला जी ने भी कहा है इस प्रकार के वस्त्र, कृत्रिम रेशम आदि साधारण शादी-विवाह में काम में आते हैं अतः

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

उन पर टैक्स लगाना वाजिब नहीं है लेकिन यह खुलासा हो जाय तो ठीक है।

एक बात मैं शराबबन्दी के बारे में जरूर निवेदन करूंगा। पिछले वर्ष 9 करोड़ की बात कही थी। 9 करोड़ की राज्य सरकार को हानि होती है तो क्या माननीय वित्त मंत्रीजी तैयार हैं और क्या इसे सिद्धान्तः स्वीकार करते हैं। मैं यह मानता हूं वित्त मंत्रीजी स्वयं गान्धीवादी विचारधारा के हैं और आचार्य तुलसी के शिष्य हैं यह सब पाप की कमाई है। अभी आपने प्रापर्टी का जो टैक्स लगाया किसी ने उसका विरोध नहीं किया, केवल प्रक्रिया के बारे में विरोध किया। अगर इसको भी आप बैठकर ठीक कर लें तो वह हो जायगा। जो 9 करोड़ की बात कही है एक बात कहना चाहूंगा नगरपालिकाओं में और नगर विकास न्यासों में से सारे राजस्थान में हजारों केसेज पेन्डिंग पड़े हुये हैं और हजारों आदमियों को नगर-विकास न्यासों के और नगरपालिकाओं के चक्कर काटने पड़ते है। कृषि भूमि पर हजारों मकान बन चुके हैं। कई बार इस प्रश्न को उठाया गया है उन्हीं को रेगूलराईज करके कर दें तो मैं गारन्टी से कहता हूं 10 करोड़ रुपया अकेले इस जयपुर से मिल जायगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह जो सारी बात है, जो आर्थिक अवस्था को लेकर बात करते हैं। आप पर 800 करोड़ का कर्जा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां 800 करोड़ का कर्जा राजस्थान के विकास के लिये, राजस्थान की बहबूदी के लिये खर्च किया है तो राजस्थान के गरीब तबके को बचाने के लिये, राजस्थान के मध्यम वर्ग को बचाने के लिये जिसका परिवार भुक्त-भोगी है, उसका सारा परिवार बरबाद होता है, अगर 8-9 करोड़ की और लायबिलिटी ले लेते हैं तो मैं समझता हूं राजस्थान में बहुत बड़े पुण्य का काम करेंगे और राजस्थान को एक सही रास्ता देंगे कि राजस्थान इस बिगड़ी हुई स्थिति में आज इस तरह चल सकता है, मैं यही बात कह कर समाप्त करता हूं।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात है आपने सारी मोनोपोली तोड़ दी। फसलों पर भी जो मोनोपोली है, उसको भी तोड़ें। जितनी मोनोपोली हो रही है वह तोड़ दें और परमिटों का सरलीकरण हो जायगा। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की तो खुशी है कि कार्मशियल टैक्सेज के बारे में बहुत बड़ी शिकायत सदन में माननीय सदस्यों ने नहीं की। पिछली दफा जब कार्मशियल टैक्सेज पर बहस हो रही थी बहुत बड़ी शिकायत की गई थी। मैं इसका यही अर्थ निकालता हूं, इस साल हमारे कार्मशियल टैक्सेज के जो आफिसर हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने ज्यादा सतर्कता के साथ काम किया है जिससे शिकायत करने का मौका बहुत कम मिला है, इसके बावजूद कि इस साल इतना बड़ा सूखा है, पिछली साल इस बात की बहुत शिकायत की गई थी मार्च के

(श्री चन्दनमल बैद)

महीने में एडवान्स टैक्सेज वसूल करते हैं, एक पैसा भी एडवान्स वसूल नहीं किया गया है। इस बात के आदेश दिये गये हैं कि एडवान्स टैक्स वसूल नहीं किया जाय। जो हमारी चैक-पोस्ट है केवल कैजुअल डीलर से या फेस से जो पाये जाते हैं उनसे टैक्स वसूल किया जाता है। उसके अलावा पूछताछ की जाती है, वह जरूरी है। पूछताछ तो जरूरी है। आखिर जो बेईमान व्यापारी हैं, वे बिना पूछताछ के माल ले आते हैं और उनके अगेन्स्ट में ईमानदार को प्रोटेक्शन नहीं करें तो ईमानदार व्यापारी को नुकसान होता है। पूछताछ इसलिये की जाती है कि ईमानदार व्यापारी को प्रोटेक्शन दिया जाय। चैक-पोस्ट पर वसूली बन्द हुई है। इतना बड़ा सूखा पड़ा और एडवान्स टैक्स नहीं लिया उसके बावजूद भी मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस साल के फरवरी तक के फीगर अर्ज करना चाहता हूं। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे कामर्शियल टैक्सेज में कितनी बढ़ोतरी हुई? सेल्स टैक्स में जहां पिछली साल फरवरी तक 25 करोड़ 60 लाख वसूल हुए थे इस साल 31 करोड़ 42 लाख वसूल हुए हैं, याने इसमें 22.7 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान पैसेंजर्स एण्ड गुड्स टैक्स में पिछली साल जहां हमारी वसूली 394.57 लाख थी वहां इस साल 4.82 करोड़ की वसूली हुई है, याने इसमें भी 22.21 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हुई है। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स में पिछली साल 136 लाख के अगेन्स्ट में इस साल 180 लाख की वसूली हुई, याने इसमें भी 32.9 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी हुई है। इन्टर-स्टेट ओक्ट्रॉय ड्यूटी यह छोटी सी ड्यूटी है और जो कि पहले एबालिश हो चुकी है इसमें अपेक्षाकृत वसूली कम है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में जहां पिछली साल 88.81 लाख की वसूली थी वहां इस साल 119.42 लाख की वसूली हुई, याने इसमें भी 36 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी है। याने सब टोटल मिलाकर जो हमारी सारी मदों में वृद्धि हुई है वह 23.5 पर्सेन्ट की हुई है।

जब मैंने बजट पेश किया था और इस पर बहस चल रही थी तो आम तौर पर प्लानिंग कमीशन का यह मानना है कि सेल्स टैक्स में 8 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैंने 8 पर्सेन्ट के बजाय करीब 15 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी दिखा करके जो उम्मीद की थी यह साल अच्छा जायेगा तो मैं 15 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी बता सकूंगा। लेकिन मुझे अफसोस है कि साल बहुत खराब गया इसलिए वह बढ़ोतरी जो कि 48 करोड़ रुपये वसूल करने चाहिए थे कमर्शियल टैक्स से वह तो नहीं हुई लेकिन उम्मीद मैं यह करता हूं कि 8 परसेन्ट की बढ़ोतरी प्लानिंग कमीशन ने मानी है। पिछले साल की जो हमारी वसूली 40 करोड़ 32 लाख की हुई थी उसमें 8 पर्सेन्ट की बढ़ोतरी मानें तो 3 करोड़ 25 लाख होती है और यह मिलाकर 43 करोड़ 67 लाख होती है और एडीशनल टैक्स लगाये सेल्स टैक्स के 2 करोड़ 33 लाख के तो कुल मिलाकर 46 करोड़ होता है, तो मुझे उम्मीद है कि हम करीब करीब 40 करोड़ के पास अभी पहुंचे हैं और इस महीने में शायद 6 करोड़ और वसूल करके 46 करोड़ के आसपास हम पहुंच जायेंगे। तो इन सब बातों के बावजूद भी माननीय सदस्य श्री गौटेवाला ने कुछ कमियों की ओर जिक्र किया लेकिन

(श्री चन्दनमल बैद)

यह जो तीन बड़ी बातें की हैं उनकी तरफ उन्होंने जिक्र नहीं किया और ऐसा नहीं कर मेरे साथ तो न्याय किया या अन्याय किया लेकिन इस विभाग के कर्मचारियों के साथ जरूर अन्याय किया है। एडवान्स टैक्स के बारे में कितना विवाद यहां होता था उसका एक पैसा भी वसूल नहीं करना, चैक-पोस्टों के बारे में कितने हाईकोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले साइट किये गये और इन चैक-पोस्टों के काम को एबालिश करना—यह जो बड़े काम इस डिपार्टमेन्ट ने किये हैं उन बातों के लिए मैं समझता हूं कि व्यापारी होने के नाते माननीय सदस्य गोटेवाला को कम से कम प्रशंसा करना ही चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक इस टैक्स की वसूली में खर्च करने का सवाल है उसमें भी हम सारे हिन्दुस्तान में करीब-करीब ठीक बैठते हैं। इस टैक्स वसूल करने में यानी 46 करोड़ रुपया वसूल करने में हमारा कुल खर्चा आता है वह 2.5 पर्सेन्ट है और वह खर्चा भी जो कि इसका बढ़ा है जो पुस्तिका मैंने दी है उसको देखने से मालूम होगा कि हर साल हमारा पर्सेन्टेज कम होता जा रहा है। यह नहीं कि हम टैक्स वसूल करने में खर्चा बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमारा खर्चा 2.5 पर्सेन्ट है वह दूसरी स्टेट्स से मुकाबला करें तो मालूम होगा कि कुछ जो डवलप्ड स्टेट्स हैं और जिनकी पोपूलेशन बहुत नजदीक-नजदीक है उनके मुकाबले में जरूर ज्यादा है। लेकिन और बाकी स्टेट्स से मुकाबला करें, हमारी एरिया से मुकाबला करें तो दूसरी स्टेट्स के मुकाबले में भी यह बहुत कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एन्टी-इवेजन एक्टिविटीज हैं उनका जिक्र किया गया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एन्टी-इवेजन के जो केसेज हमारे हैं और जो केसेज हमने पकड़े हैं पिछली साल से इस साल दुगुने पकड़े हैं। पिछली साल पकड़े गये केसेज की संख्या जहां 1994 थी वहां इस साल एन्टी-इवेजन में 3905 केसेज पकड़े हैं। पिछली साल 870 केसेज आफेन्स के बनाये और इस साल 1230 केसेज बनाये हैं। असेसमेन्ट पिछली साल जहां 638 केसेज में था इस साल 755 केसेज में असेसमेन्ट हुआ। डिमाण्ड पिछली साल 19 लाख 60 हजार की थी वहां इस साल 23 लाख 30 हजार की है और अमाउन्ट रिकवर किया है पिछली साल 6 लाख 33 हजार का और इस साल 9 लाख 47 हजार। पुरानी फ्लाइंग स्क्वेड के बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पिछली साल जहां हमने 6 लाख 66 हजार वसूल किये थे वहां इस साल 8 लाख 99 हजार वसूल किये हैं।

मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कह कर एक बात कहना चाहूंगा कि जो ट्रक्स और बसेस के बारे में टैक्स इवेजन का सवाल है वह सचमुच बहुत मुश्किल सवाल है। हर रूट पर हम फ्लाइंग स्क्वेड नहीं लगा सकते, हर रूट पर कोई ए.सी.टी.ओ.सी.टी.ओ. नहीं लगा सकते लेकिन फिर भी हमने स्पेशल ड्राइव इस साल दिसम्बर के महीने में किया था और उसका नतीजा बहुत अच्छा रहा। पिछली साल दिसम्बर में जहां हमने इससे 24 लाख 70 हजार रुपये वसूल किये वहां इस साल 61 लाख 52 हजार रुपये की वसूली हुई। उस वसूली में चैक करके लोगों को पकड़ कर वसूल किया लेकिन

(श्री चन्दनमल बैद)

कुछ लोगों ने करीब 11 लाख रुपया तो इसीलिए जमा करा दिया कि उन्हें मालूम हुआ कि स्पेशल ड्राइव होने वाला है इसलिए टोटल पैसा दे दें और उससे 27 लाख रुपये का फायदा एक महीने में हुआ। तो अब यह कोशिश कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में जितना हम सुधार कर सकते हैं वह करें। इस डिपार्टमेन्ट के आफिसर्स को भी जहां शुबहा था कि कुछ आफिसर्स शायद गड़बड़ियां करते हैं और जैसा लोग कहते हैं तो हमने उनको डिपार्टमेन्ट से बाहर निकालने की कोशिश की। कुछ आफिसर्स को जिनके बारे में हमें शिकायत मिली उनको सस्पेण्ड भी किया, सजायें भी दीं। तो हम बराबर कोशिश कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेन्ट को सुधारें क्योंकि सेल्स टैक्स ऐसी चीज है कि जो आगे जाकर हमारे स्टेट का मेन रेवेन्यू बनने वाली है। जैसा अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा कि लेण्ड रेवेन्यू 6 करोड़ होगी और इस साल 6 करोड़ भी वसूल कर पायेंगे या नहीं। मैं कह नहीं सकता इसका क्योंकि हमारे यहां 26 जिलों में से 25 जिलों में अकाल है, 33 हजार गांवों में से करीब 21 हजार गांवों में अकाल है--तो वहां लेण्ड रेवेन्यू की वसूली का कहां प्रश्न है? लेकिन सेल्स टैक्स ऐसी चीज है कि जो हमारे रेवेन्यू की बैकबोन है।

मैं इस बात को जानता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्यों में सेल्स टैक्स की दरें कम हैं और जहां दरें कम हैं और हमारे यहां जिन चीजों कि ज्यादा है उससे हमारा व्यापार दूसरी जगह ट्रान्सफर होता है और हमारे सेल्स टैक्स की चोरी होती है। इसके लिए जोनल मीटिंग हुई थी उसमें इस बात का भी सवाल आया था और इसको एग्री कर लिया गया है कि धीरे-धीरे सारी स्टेट्स में सेल्स टैक्स की दरें बढ़ाकर हमारे लेवल पर ले आयेंगे। इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन एक बार जब सेल्स टैक्स की दरें बराबर हो जायेंगी तो जो अब और दूसरे स्टेट्स में ट्रेड ट्रान्सफर हो जाता है और सेल्स टैक्स की चोरी होती है वह सारी चीजें दूर हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आंकड़े तो बहुत हैं लेकिन मैं डर रहा हूं क्योंकि बहुतसे माननीय सदस्यों को बाहर जाना है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन एक दो बातें जो कही गयी हैं उनके बारे में अगर नहीं कहूंगा तो उचित नहीं रहेगा। फूड ग्रेन के एडवान्स के बारे में कहा गया कि जो एडवान्स सरकारी कर्मचारियों को एडवान्स देते हैं वह खतम क्यों कर दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब फूडग्रेन का ट्रेड ही गवर्नमेन्ट करने जा रही है और सालभर एक ही भाव पर देंगे तो एडवान्स देने की क्या जरूरत है?

एक सवाल सेल्स टैक्स के बारे में उठाया गया कि न जाने किस किस पर लगा दिया। मैं एक ही अर्ज करना चाहता हूं कि हमने जो सेल्स टैक्स लगाया है वह उन चीजों पर लगाया है जिनके ऊपर एडीशनल एक्साईज ड्यूटी नहीं लगी हुई है, एडीशनल एक्साईज ड्यूटी नहीं लगती है उन पर लगाया है। वह हमारे शिड्यूल में दी है। उस शिड्यूल में जो आर्टिकल 18 है उसमें दी है और जो पहले था उसको विड्रा कर लिया है। साथ ही दूसरा नोटिफिकेशन इश्यू कर लिया

(श्री चन्दनमल बैद)

है। अगर इन चीजों पर एडीशनल एक्साईज ड्यूटी नहीं लगती है, तो उस पर तीन पर्सेंट सेल्स टैक्स लगेगा और यह कर दिया है कि अन-प्रोसेस्ड रेयन फैब्रिक्स और अन-प्रोसेस्ड सिल्क फैब्रिक्स। तो इससे जो व्यापारी हैं चाहे छोटे हों या बड़े हों कोई भी इससे कवर नहीं होते इस बारे के आदेश कमिश्नर टैक्सेशन को दिए जा चुके हैं। सारे ए० एस० टी० ओज. और टी. ओज. को दिए जा चुके हैं, उनको इन्फार्म किया जा चुका है कि इस तरह को कोई भी गलतफहमी हो गई हो तो उसको दूर करें। उन्हीं चीजों पर सेल्स टैक्स लगाया गया है जिनमें एडीशनल एक्साईज ड्यूटी नहीं लगती है और वही चीजें शामिल हैं जैसा कि बताया गया है। इसमें आर्टिफिशियल अनप्रोसेस्ड रेयन फैब्रिक्स एण्ड अनप्रोसेस्ड आर्टिफिशियल सिल्क फैब्रिक्स ये दो चीजें शामिल हैं। तो इस वास्ते इस बारे में अब कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए।

श्री श्रीराम गोटेवाला : कपड़े की वजह से गलतफहमी पैदा हुई है।

श्री चन्दनमल बैद : गलतफहमी हुई है तो वह अब दूर कर लें।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात उठाई वाईन शॉप्स के बारे में। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि गंगानगर के कांट्रेक्टर सारे एक हो गए। जब हमने टेंडर मांगा तो किसी ने टेंडर नहीं दिया। तीन बार ऑक्शन किया तो एक बार भी ऑक्शन में नहीं आए। कॉन्ट्रैक्टर्स हमको फेल करना चाहते थे तो कम से कम सरकार इतनी कमजोर तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्टर्स से फेल हो जाय। हमने गंगानगर शुगर मिल को ठेका दे दिया। जब ठेका दे दिया तो इन ठेकेदारों की समझ में आया कि गवर्नमेंट इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं है। इस पर ठेकेदारों ने 30 लाख का आफर कर दिया। हमने कहा कि अब तो चाहे पांच दस लाख का नुकसान हो, फायदा हो गंगानगर शुगर मिल को ठेका दे दिया है तो अब तो वही चलायेंगे। सरदारशहर में भी यही हालत हुई। लाखेरी में भी यही हालत हुई। आज इन तीन जगहों पर गवर्नमेंट के स्ट्रोंग एक्शन के कारण ही जो एक्साईज रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखते हैं, वह हुई है। अगर गवर्नमेंट यह स्ट्रोंग एक्शन नहीं लेती तो कॉन्ट्रैक्टर्स इतने ज्यादा मनोपोलिस्ट हैं, इतने ज्यादा कम्बाइण्ड हैं कि वे आसानी से झुकने वाले को झुका सकते हैं और फेल भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने स्ट्रोंग एक्शन लिया और उस समय यह चार्ज भी लगाया गया कि वित्त मंत्री ने डेढ़ करोड़ का घोटाला कर दिया, यह कर दिया वह कर दिया। वह चार्ज लगाने वाले माननीय सदस्य आज यहां पर नहीं हैं। मुझे आशा थी कि वे यहां पर बैठे रहेंगे और उन्होंने भी कहा था कि वे यहां बैठेंगे। मैं इस समय इतना ही कहना चाहता हूं और मैंने उस समय भी कहा था कि गवर्नमेंट जो मैजर्स ले रही है उन मैजर्स से एक्साईज में कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये का राजस्थान में फायदा होने वाला है। मुझे खुशी है इस बात की कि डेढ़ करोड़ का फायदा ही नहीं बल्कि जो एक्साईज का बजट 9.52 करोड़ का है, इस सीगे में कम से कम

(श्री चन्दनमल बैद)

12 करोड़ की रेवेन्यू होने वाली है। लेकिन यह बात भी नहीं है कि 12 करोड़ की रेवेन्यू दुकानें बढ़ाने से हुई है। मैं फीगर दे सकता हूं कि हमारी दुकानें घटी हैं। केवल हमने इण्डियन मेड फौरिन लीकर की दुकानें बढ़ाई हैं और उससे कुछ लाख रुपयों की बढ़ोतरी ही हुई है। यह ढाई करोड़ की बढ़ोतरी इस कारण से नहीं हुई है कि दुकानें बढ़ाई हैं बल्कि हमने और भी स्टेप्स लिए हैं, दूसरे तरीके अपनाए हैं और इन तरीकों से, सजगता से, लोगों को पकड़ा है। जो इल्लिसिट डिस्टीलेशन करते हैं, चाहे प्रोहिबिटेड एरिया हों या दूसरे एरिया हों, उन लोगों को पकड़ा है जो गलत काम करते हैं। सजगता से काम किया है और रेड्स किए हैं उन रेड्स के कारण इल्लिसिट डिस्टिलेशन जो करते हैं, जो लोग नाजायज शराब बेचते हैं उनमें खोफ पैदा हुआ है, उनमें डर पैदा हुआ है और उससे हमारी रेवेन्यू बढ़ी है। यह मैं अभी भी मानता हूं कि नाजायज शराब बनती है और बहुत ज्यादा मिकदार में बनती है उसको रोकने में अधिक सजगता की जरूरत है। और भी सजगता से काम करने की जरूरत है और यह सजगता बर्ती जाय तो 12 करोड़ के बजाय अधिक रेवेन्यू हो सकती है।

अभी नदर्न जोनल कौंसिल की प्राहिबिशन के बारे में 6 जून की मीटिंग हुई थी जिसमें मैं भी गया था वहां पर मुझे इस बात का अफसोस है इस सदन को बतलाते हुए कि मेरे सिवाय जितनी स्टेट्स वहां थीं सब यह चाहते थे कि नशाबन्दी नहीं हो, सभी यह चाहते थे कि नशाबन्दी नहीं हो। मैं ही एक व्यक्ति था जिसने कहा कि नशाबन्दी होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश यह कहता था कि हमारे यहां शराब पीना रिवाज है, धार्मिक कृत्य है। जम्मू-कश्मीर का कहना था कि वहां पर सर्दी पड़ती है इसलिये शराब होनी चाहिए। पंजाब का कहना था कि हमारे यहां तो शराब के बिना रह ही नहीं सकते। हरियाणा चाहता था कि जितनी बढ़े उतना बढ़ाना चाहिये। यू० पी० कहता था कि हम एक लाख रुपया साल का खर्च करते हैं। अब जिसकी आबादी दस करोड़ के आसपास है और वह शराबबन्दी में एक लाख रुपया खर्च करे। मैं ही ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि हमारे यहां पर छः जिलों और छः तहसीलों में शराबबन्दी लागू है। और 24 तारीख को फिर आल इण्डिया प्रोहिबिशन कमीशन की मीटिंग दिल्ली में हो रही है जिसके अध्यक्ष हमारे समाज कल्याण मंत्री, भारत सरकार हैं। मैं फिर उस मीटिंग में जाऊंगा और राजस्थान का पक्ष रखूंगा। राजस्थान इस बात को चाहता है कि शराबबन्दी हो, नशाबन्दी हो। मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की मंशा है कि नशाबन्दी हो और मेरी खुद की दिली मंशा है। मुझे बड़ा दुःख होता है इस बात का कि आज मेरे फाइनेन्स मिनिस्टर होने की वजह से हमारे गोकुलभाई भट्ट जैसे महान तपस्वी, जिनके प्रति मेरे दिल में अगाढ श्रद्धा है, उनको मेरे कारण से आन्दोलन चलाना पड़ रहा है। लेकिन मेरा दूसरा दायित्व भी है और उस दायित्व को निभाने के लिये मुझे यह सब कुछ करना पड़ रहा है। आज जो हमारे फाइनेन्स की हालत है, हमारे फाइनेन्स घाटे में हैं और उसमें भी फिर यह 12

(श्री चन्दनमल बैद)

करोड़ का घाटा उठाने की मेरी हिम्मत नहीं है। दूसरे माननीय सदस्य अगर ऐसे हों जो इसको करके फाइनेन्स मिनिस्ट्री को सम्भाल सकें तो सहर्ष उनके लिये इस पोस्ट से में दूर होने तो तैयार हूँ। वे आगे आयें और इसको सम्भालें और करें।....

श्री फूलचन्द जैन : फाइनेन्स मिनिस्ट्री की बात तो मैं नहीं करता लेकिन इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं।

श्री चन्दनमल बैद : अगर सुजानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य मुझे कोई सुझाव देंगे तो उस पर निश्चित रूप से अमल किया जाएगा, मैं उन सुझावों का स्वागत करूंगा। लेकिन सुझाव ऐसे होने चाहिये जिनको कार्य रूप में परिणत किया जा सके। केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। जैसे हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि नशाबन्दी की क्या जरूरत है, बाग-बगीचे बना दें जहां लोग कसरत करें और थक कर आकर सो जायें, फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे। इस तरह की खयाली बातें मैं नहीं करता। लेकिन जो समस्या है उसके लिये ऐसे सुझाव दें कि जिन पर अमल किया जा सके और जिन पर अमल करके राज्य की रेवेन्यू बढ़ाई जा सके। मैं उनको निश्चित रूप से मानने को तैयार हूं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को घमण्ड के साथ नहीं कहना चाहता लेकिन फिर भी कहना पड़ता है कि मेरे दादाजी ही नहीं, मेरी तीन पीढ़ी में कोई शराब तो क्या सिगरेट तक पीने वाला भी नहीं है। ऐसे आदमी को जब शराब की वकालात करने के लिये इस हाउस में खड़ा होना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पीड़ा होती है, कितना दुःख होता है। इस पीड़ा और दुःख के साथ मैं इस चीज को सम्भाल रहा हूं। इस वास्ते सम्भाल रहा हूं कि आज राजस्थान के फाइनेन्स की हालत ऐसी है। मैं जानता हूं या मेरे साथी जानते हैं कि किस स्थिति से हम गुजर रहे हैं। एक-एक दिन हमारा किस तरह से गुजरता है और किस प्रकार आए दिन रिजर्व बैंक से नोटिस मिलते हैं, इनको हम जानते हैं और हमारे साथी जानते हैं कि क्या स्थिति है।

श्री फूलचन्द जैन : सारा सदन जानता है।

श्री चन्दनमल बैद : लेकिन फिर भी मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जब 24 तारीख को मीटिंग होगी जिसमें डाक्टर सुशीला नय्यर भी होंगी, आप उनसे पूछ सकते हैं कि वहां मैं क्या कहता हूं और दूसरी स्टेट्स क्या कहती हैं। मैं चाहता हूं कि इस बारे में भारत सरकार की नीति बने और नीति बना कर भारत सरकार हमें निर्देश दे। अगर भारत सरकार यह कहे कि हम 12 करोड़ का जो घाटा है पांच साल के लिये पूरा करने के लिये तैयार हैं तो हम आज नशाबन्दी करने के लिये तैयार हैं, हमें कोई इन्कारी नहीं है। चार साल में भारत सरकार ने कुल हमें 53 लाख रुपये दिये हैं। जिन छः जिलों और छः तहसीलों में शराबबन्दी कर रखी है उसके लिये कुल 53 लाख रुपया दिया है चार साल में। कभी किसी बात पर पैसा काट देते हैं तो कभी किस बात पर। यह ड्राई एरिया नहीं है, यह ड्राई डे है। तो अब तक चार साल में 68-69 से,

(श्री चन्दनमल बैद)

68-69, 69-70, 70-71 और 71-72 में, चार साल के नशाबन्दी के लिये जो हमने छः जिलों में और छः तहसीलों में नशाबन्दी की उसके ग्रांटस्ट कुल 53 लाख रुपया दिया है। उम्मीद है कि 14 लाख रुपया और भारत सरकार देगी। वह एक साल के लिये और बढ़ाया है। कहते हैं कि पांच साल का जो समय था उसमें एक साल के लिये और बढ़ाया है और अगले साल भी जो घाटा होगा वह भारत सरकार दे देगी। 53 और 15 और 15 कुल टोटल हुआ 83 लाख, यह देते हैं, 12 करोड़ का घाटा रहता है। कुल 83 लाख दे रहे हैं और 12 करोड़ की आय हम छोड़ दें तो ऐसा कौनसा फाइनेन्स मिनिस्टर होगा जो इसको मंजूर कर लेगा....

श्री मोहनराज : यह तो छः जिलों के ग्रांटस्ट में मिल रहा है। 12 करोड़ से आप क्यों इसको कम्पेअर कर रहे हैं?

श्री चन्दनमल बैद : 6 जिलों की बात करें तो भी आप देख लें कि किस तरह से यह बैठता है।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। गोकुलभाई पूज्य हैं, मान्य हैं और मेरी श्रद्धा के लायक हैं। मैं उनको सुझाव देने लायक नहीं हूं। सर्वोदय के प्रति मेरी निष्ठा है। गोकुलभाई यहां पर आन्दोलन चला रहे हैं शराबबंदी के लिए। 6 जिलों में हमने शराबबंदी लागू कर रखी है परन्तु फिर भी वहां पर नाजायज शराब बन रही है और बिक रही है और लोग उसको पी रहे हैं और जो ऐसी शराब बन रही है और जिससे लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। क्या इस आन्दोलन को वहीं पर तेज नहीं किया जा सकता है? एक कमेटी बनी है, उस कमेटी के कौन-कौन मेम्बर हैं, और किसने बनाई है, क्या है, यह मैं यहां पर बता देना चाहता हूं। एक तो उसमें है श्री कर्नावट, ये सर्वोदयी कार्यकर्त्ता हैं। दूसरे श्री जगन्नाथ पुरोहित, रिटायर्ड आई. ए. एस. हैं, तीसरे डाक्टर एम. एल. लूनवाल हैं जो कि भूतपूर्व वाइस चांसलर, जोधपुर विश्व-विद्यालय हैं। चौथे हैं एस. पी. पोरवाल, पांचवें हैं प्रकाशचन्द्र माथुर, एडवोकेट, एक हैं नेमीचन्द भावुक। ये सब सर्वोदयी हैं। एक और हैं डाक्टर श्रीमती खेत लाखानी और एक हैं श्री अमृतलाल गहलोत, जो कि हमारे विधान सभा के सदस्य हैं और जिनकी प्रामाणिकता के बारे में कोई सन्देह नहीं है। एक हैं श्री रणधीरसिंह और ग्यारहवें हैं जोधपुर विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर। इनकी यह कमेटी बनी है। मैंने इनसे कहा है कि जितनी सहायता की जरूरत हो वह शत-प्रतिशत मैं आपको दे दूंगा। खर्चे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक लाख की ग्रान्ट दी है वह कम रहेगी तो और दे दूंगा परन्तु आप प्रोहिबिशन के लिए एक सामाजिक वातावरण तैयार कीजिए। इन 6 जिलों और 6 तहसीलों के जो माननीय सदस्य हैं वे मुझ से मिलते हैं, वे कहते हैं कि उनके जिलों में इल्लिसिट लीकर बन रही है और वह किस तरह से काम में आ रही है इसको कोई नहीं देख रहा है। इस-लिए मैं सर्वोदयी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वे इन जिलों की ओर देखें और यहां पर अपनी गतिविधि को तेज करें। वे

(श्री चन्दनमल बैद)

इस बात की कोशिश करें कि वहां पर इसके लिए एक सामाजिक वातावरण तैयार हो। उपाध्यक्ष महोदय, जो इल्लिसिट लीकर वहां पर बन रही है वह हमने नहीं पकड़ी हो ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहें तो इनके केसेज की लिस्ट, कितने केसेज पकड़े हैं और कितने लोगों को सजा दी है वह भी बता दूं। अभी मैं आपको बता दूं कि आबकारी निरोधक दल ने 68-69 में 5093 केसेज बनाए और 3994 केसेज को पकड़ा है। इसके मुकाबले 72-73 में 4860 केसेज बनाये हैं और 5963 केसेज पकड़े हैं। यह फरवरी तक के फीगर हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब वह आशा करना कि एक्साईज डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी काम करते हैं वे चोर हैं और अब वे साधु हो जावें और सारे के सारे धर्मावतार हो जाएं, यह मेरे लिए करना सम्भव नहीं है। यह तो मानव स्वभाव है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश का फल यह है कि कुछ रिजल्ट आपके सामने आया है। और भी कोशिश करेंगे। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि 6 जिलों और 6 तहसीलों में यह रोग फैल रहा है। आप इन जिलों के माननीय सदस्यों से बातचीत करें। वे क्या कहते हैं। वे विधान सभा के प्रांगण पर नहीं बोल सकते हैं परन्तु उन्होंने मुझे बताया है कि वहां पर किस तरह से नाजायज शराब बन रही है, बिक रही है। किस तरह से यह लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर रही है। किस तरह से अनाचार बढ़ रहा है। गोकुलभाई के गांव की बात यह बताऊं। उनके गांव में भी यह हो रहा है। किस तरह से गुन्डे अनाचार को पनपा रहे हैं और इसको पनपा कर नाजायज पैसा कमा रहे हैं। समाज में अनाचार को फैला रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्य और सर्वोदयी कार्यकर्त्ता इस ओर भी ध्यान दें, कोशिश करें। हमने बराबर अपनी मजबूरी डॉ० सुशीला नैय्यर और जयप्रकाश नारायणजी और श्रद्धेय गोकुल भाई को बतायी है, उनको समझाने की कोशिश की है। आज भी कहा है। कल भी जा कर उनको मेरी मजबूरी बताना चाहता हूं। मेहरबानी करके इन 6 जिलों के अन्दर आप काम करिए, लोगों को जाकर समझाइये। सरकार इसमें आपको पैसे से सहयोग देने के लिए तैयार है, हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जो मांगें मैंने पेश की हैं उनको पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय यातायात मंत्रीजी !

श्री मोहनराज : उनकी जो योजना है सर्वोदयी कार्यकर्त्ताओं की उसको आप समझ लीजिए। उनकी योजना के अनुसार शराबबन्दी की जा सकती है। अब आप नेशनल मीटिंग में जाएं तो उनकी योजना को पहले समझ लीजिए।

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले एक वर्ष में अगर मैं यह कहूं कि यातायात विभाग का कम्पलीट ओवरहॉलिंग हुआ है तो वह दूसरी तरह की बात नहीं होगी। हमने सभी उच्च अधिकारियों को बदला

(श्री हरिदेव जोशी)

है और यह कोशिश की है कि एक नये प्रकार का वातावरण बनाया जाए। मैं पूरे सन्तोष के साथ तो नहीं कह सकता हूं किन्तु हमारी मंशा है कि इस वर्ष हम बैटर सर्विसेज दे सकें। राज्य की आमदनी भी बढ़ी है। किन्तु इस एक वर्ष में मुख्य मुद्दा हमारे सामने ट्रान्सपोर्ट को मोडर्ननाइज करने का रहा है। कुछ अधिकारियों को गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह भेजा गया स्टेडी करने के लिए कि वहां पर किस तरह से और किस प्रकार से काम होता है। ऐसा लगता है कि हमें अपने वर्किंग सिस्टम में कुछ फेर बदल करने की जरूरत है। महाराष्ट्र और गुजरात में एक बस अथवा एक ट्रक का कोई परमिट लेने जाते हैं तो एक ही डिपार्टमेन्ट में तीन विन्डोज पर जाकर के उसका काम पूरा हो जाता है। किन्तु राजस्थान में उसे अलग-अलग डिपार्टमेन्ट में चक्कर काटने पड़ते हैं। ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट ने इस नई योजना को फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को दे दिया है और इस वजट से, इस काम से मुक्त होने के बाद मैं यह कोशिश करूंगा कि वित्त मंत्री महोदय के साथ बैठ कर हम इस योजना को क्रियान्वित कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बहुत लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं। किन्तु जो दूसरा पक्ष है ट्रान्सपोर्ट सर्विस का उसको हमने और स्ट्रेन्थन करने की कोशिश की है। पिछले साल इस सदन के समक्ष जब मैं यहां पर उपस्थित हुआ था उस समय राजस्थान रोडवेज कार्पोरेशन की लगभग 125 बसें वैसे ही खड़ी हुई थीं अनयूज्ड। वे बनवा तो ली गई थीं किन्तु परमिट्स के अभाव में और अधिकारियों के अभाव में वे कहीं भी काम नहीं कर रही थीं। इस नये वर्ष में लगभग 144 के करीब गाड़ियों को काम के ऊपर, रूट के ऊपर लगाया गया, और मैं यह आशा करके चलता हूं कि अगले एक वर्ष के अन्दर हम 25 पर्सेन्ट जो रूट नेशनेलाइज करना चाहते हैं उसमें आज जो गाड़ियां हैं, उनके मुकाबले में लगभग दुगुनी गाड़ियां हो जायेंगी।

मेरे सामने समस्या यह नहीं है कि किन रूट्स के ऊपर गाड़ियां चलें अथवा क्या हो, मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या उस 25 पर्सेन्ट नेशनेलाइजेशन के अन्दर हरडल रेस है उसको पार करना है। एक-एक कदम के ऊपर इस काम के अन्दर जितने हरडल्स हैं मैं ऐसा समझता हूं कि दूसरे किसी काम में इतने हरडल्स नहीं हैं, और जितने वेस्टेड इन्ट्रेस्ट इसमें काम करते हैं उतने वह शायद किसी दूसरे में नहीं करते। मगर मैं यह आशा करके चलता हूं कि किसी भी तरीके से काम नहीं हो सका तो शायद राज्य सरकार को टोटल नेशनेलाइजेशन का प्रस्ताव लेकर सदन के सामने आना पड़ेगा। मैं अभी कोई निश्चित बात तो नहीं कह सकता मगर वेगली मैं यह सोचकर के चलता हूं कि टोटल नेशनेलाइजेशन का प्रोग्राम पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्दर पूरा कर लिया जाना चाहिए। उसके लिए हम अपने प्रस्ताव बना रहे हैं और राज्य सरकार के समक्ष जो भी नई रूट्स को लेना है उनकी इकोनामी को वर्क आउट किया जा रहा है, जो साधन चाहिए उनकी इकोनामी को वर्क आउट किया जा रहा है। लोनिंग एजेन्सी से पैसा लेना होगा। 25 पर्सेन्ट तो वर्क आउट

(श्री हरिदेव जोशी)

कर लिया है और सेन्ट पर्सेन्ट के बारे में आज से हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कई नये रूट्स नेशनेलाइज किये गये हैं, जिनमें जयपुर से लबान, जयपुर से बस्सी, जयपुर से डीग, जयपुर से किशनगढ़, अलवर से नारायणा, परन्तु उसमें अलवर से प्रतापगढ़ वह नहीं है, और नये मार्ग भी शामिल हैं।

इसी प्रकार से हमने जयपुर शहर की सिटी बस सर्विस को भी टेक ओवर कर लिया है। जैसा कि आपको विदित है उस प्राइवेट पार्टी से जनता को सन्तोष नहीं था। कमी के बावजूद वह लगभग 20 गाड़ियां चलाती थी, रोडवेज कार्पोरेशन ने 36 गाड़ियां लगा दी हैं, और मैं ऐसा समझ कर के चलता हूं कि आज वे 36 गाड़ियां भी नाकाफी हैं और अधिक होनी चाहिए। और अधिक गाड़ियां लगाने की जरूरत है। जैसे-जैसे व्यवस्था होती चली जायगी एक मोडर्न और अच्छी बस सर्विस इस शहर में चल सके इस प्रकार की व्यवस्था हम करना चाहते हैं (करतल ध्वनि)।

मैं इस सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि हमने सर्टेन कन्सेशन्स सिटी बस सर्विस के अन्दर दिये हैं विद्यार्थियों को और रेग्यूलर चलने वाले लोगों को किन्हीं को 30 पर्सेन्ट और किन्हीं को 40 पर्सेन्ट और विद्यार्थियों को 50 पर्सेन्ट कन्सेशन्स दिये गये हैं, और हम यह आशा करते हैं कि इससे उन्हें बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

इन चार महीनों में, उपाध्यक्ष महोदय, जो हमने परमिट्स के आधार पर रूट्स लिये हैं उन पर 4471 अलग-अलग मोटर परमिट्स हमने नये दिये हैं, और मैं तो जो नया आर्डिनेन्स हमने निकाला था उसकी मन्शा भी यह थी कि अब आयन्दा कोई भी नया परमिट मिले वह किसी भी तरह का हो मगर कार्पोरेशन की उस पर दरख्वास्त है तो दूसरे किसी को नहीं मिलना चाहिए। मैं यह सोच रहा हूं कि विधान सभा के अधिवेशन के बाद हमारे अधिकारी मद्रास जायं और वहां पर जो टोटल टेक-ओवर की जो स्कीम है उसको स्टडी कर लें और उसके ऊपर अमल करें।

इस एक वर्ष में हमने आम लोगों को कुछ सुविधाएं देने की भी कुछ कोशिश की है। पहले डिवीजनल हैडक्वार्टर्स के ऊपर मेकेनिकल इन्सपेक्टर्स हुआ करते थे और मोटर व्हीकल्स इन्सपेक्टर और सब-इन्सपेक्टर्स अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होते थे। अब इन दोनों पदों को मिला दिया गया है और हर डिस्ट्रिक्ट में इन्सपेक्टर होगा। इस प्रकार की व्यवस्था कर दी है। इसका परिणाम यह हुआ कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़े के लिए उदयपुर में एक मेकेनिकल इन्सपेक्टर हुआ करता था और ट्रकों और बसों को फिटनेस का सर्टिफिकेट लेने के लिए उन लोगों को उदयपुर जाना पड़ता था। अब लोगों को अपने डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर ही फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जायगा। तो इस प्रकार से एक्सीडेंट के केसेज होते थे उसमें वहां पर मेकेनिकल इन्सपेक्टर आकर जांच करता था। अब डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एक-एक अधिकारी सभी जगह 26 जगहों पर हो गये हैं इससे लोगों को काफी सुविधा हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट की आमदनी भी बढ़ी है, और रोडवेज

(श्री हरिदेव जोशी)

कार्पोरेशन की आमदनी भी बढ़ी है। दुर्भाग्यवश लास्ट ईअर काफी बड़ी स्ट्राइक हुई थी रोडवेज कार्पोरेशन में और उसका जो परिणाम निकला था अधिक डिमाण्ड के रूप में उसका असर इसी साल के ऊपर पड़ा। इसके बावजूद भी लगभग 15 लाख रुपये का प्रॉफिट रोडवेज कार्पोरेशन दे रही है।

हम नये वर्कशॉप्स बना रहे हैं। अजमेर के अन्दर एक मोडर्न अप-टूडेट वर्कशॉप होगा, और हम यह कोशिश कर रहे हैं कि इस एक वर्ष के अन्दर बस स्टैण्ड का, बस स्टैण्ड के ऊपर सारी चीजों की और उनकी भी सुविधा पैसेन्जर्स को दी जाय यह प्रोग्राम ले रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में जो सुझाव दिये हैं उनका स्वागत करता हूं, और यह आशा करता हूं कि इस डिमाण्ड को पास किया जाय।

मांग 2

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2, मुख्य शीर्षक, 10-राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,48,19,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग 3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 3, मुख्य शीर्षक 11-गाड़ियों पर कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,25,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग 4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 4, मुख्य शीर्षक 12-बिक्री-कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,16,72,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग 5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 5, मुख्य शीर्षक 13-अन्य कर और महसूल के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 25,67,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग 6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक 14-स्टाम्प्स के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 8,45,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग 7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7, मुख्य शीर्षक 15– पंजीयन शुल्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,66;000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग 47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47, मुख्य शीर्षक चा–राज्य/संघीय क्षेत्र सरकारी द्वारा ऋण तथा अग्रिम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,04,63,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 1973 के मध्याह्नोत्तर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 7.20 बजे मंगलवार, दिनांक 20 मार्च, 1973 को मध्याह्नोत्तर 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई)।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 564 की सूची)

प्रश्न के भाग 1 से सम्बन्धित सूचना

रात को 10 बजे बस सेवा चालू करने का आदेश प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा दिनांक 20-8-70 को इस मार्ग के लिये लिखित अनुज्ञा-पत्रधारी को दिया गया और यह बस सेवा माह सितम्बर, 1970 से प्रारम्भ की गई।

अनुज्ञा-पत्रधारी :—

1. श्री रूद्रदेव शाह
2. श्री बनवारीलाल
3. श्री श्यामसुन्दर

इससे पूर्व इस मार्ग के लिये तीन अनुज्ञा-पत्र एवं तीन रिटर्न ट्रिप्स स्वीकृत थे और यह चौथी सेवा उपरोक्त तीनों अनुज्ञा-पत्रधारी द्वारा रोटेशन से चलाने के लिये स्वीकृत की गई थी। प्रातःकाल 4 बजे डूंडलोद से मण्डावा के लिये कोई सेवा स्वीकृत नहीं है। इस रूट पर डूंडलोद से चलने वाली बसों की समय-सारणी निम्न प्रकार है :—

डूंडलोद गमन (रवानगी)

1. 12-00 मध्याह्न
2. 3-30 सायं
3. 6-00 सायं
4. 10-00 बजे रात्रि

(166)

[Copy of Reso. No. 7 Item No. 6/15 of RTA, Jaipur Meeting held on 24-9-71]

Item No. 6/15 of/23-9-71
Reso No. 7 of/24-9-71

Grant of S.C. Permit on Mandawa–Doondlod Route

Heard connsel for applicant Nath Mal and Ridhdev heard also counsel for complaints S. N. Sharma and counsel Shri K. C. Sharma r/of Shyamsunder Sirohia, Permit-holder.

On the basis of complaint Bus No. RJP 26, this being more or less out of commission and not having been used for long time, substitute buses under different permits being used in place of this bus manipulation of number plates etc. A notice u/s 60 M. V. Act was issued to Shri Shyamsunder, Sirohia on behalf of the complaintsit has been said that this vehicle R. J. P. 26 is not used and in fact there is no such vehicle with Shri Sirohia at all today. It is further alleged that this vehicle was sold without permission. On the said of the permit-holder, it has been said that there is a regular permit held by him Application for renewal is submitted in time. The vehicle very much with him and is regularly plying on the very route for which it has a permit.

The permit is for Bus No. R. J. P. 26 of 1946 model. This is a very ancient model almost 30 years old and primafacie this could lead to the conclusion that this might not be in a position to move. On this basis alone I think there ~~is sufficient~~ material to justify action u/s 60 of M. V. Act.

Further more it has been again stated by Counsel Shri M. K. Sharma on behalf of Ridhder that the Bus RJP 26 definitely stands sold whatever Registration

Certificate might say and that Shyamsunder,sirohia has declared somewhere in an affidavit that he has sold this Bus R. J. P. 26.

In view of the above the permit for this Bus stands cancelled. His renewal application be filed. The case for grant of permit be put up at the next meeting.

Announced.

[Copy of Reso. No. 52, Item No. 14 of RTA Jaipur Meeting held on 29-10-71]

Item No. 14 of 27-10-71 Reso. No. 52 of 29-10-71

Notice u/s 60 of the M. V. Act to the Operator of Mandawa-Dundlod Rly. Station Bus for nonplying of night service.

The operators of Mandawa-Dundlod Rly. Station Bus namely Shri Ridh Deo Shah, owner of Bus No. R. J. P. 226 is present through Shri M. K. Sharma Advocate and the anothor operator Shri Banwari Lal, owner of Bus No. R. J. P. 206 is present in person. They were heard and the record was persued. These operators have stopped plying of the scheduled night service on the route Mandawa-Dundlod Rly. Station without intimation to this authority. The show cause Notice u/s 60 of R.M.V.Act has been served upon them. They have given no justified reason for breach of the permit Condition. It was therefore considered to comppond the case, it is threfore resolved, that the offence compounded for Rs. 200/- each payable within 15 days failing which the permit will stand automatically cancelled. The permit of Shri Shyamsunder owner of Bus No. R. J. T. 25 has already been cancelled on 24.9.71.

Announced.

Page No 168

(168)

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 571 की सूची)

सारणीयन विषय एवं निर्मित सारणियों की संख्या का विवरण

सारणीयन का विषय 1	सारणियों की संख्या 2
1. अनुसूची 16 (सर्वतोमुखी परिवार सर्वेक्षण) 23वां सत्र (ग्रामीण):—	
(क) परिवार के सदस्यों का जनांकिकीय एवं वर्तमान कार्यकलाप विवरण	24
(ख) पारिवारिक उपभोक्ता व्यय (प्राथमिकता-1)	24
(ग) पारिवारिक उपभोक्ता व्यय (प्राथमिकता-2)	39
(घ) पारिवारिक उद्यम	42
(च) आवास व्यवस्था	24
(छ) भौतिक सम्पत्ति पर व्यय, बचत एवं पशुधन की सूचना	15
योग...	168
2. अनुसूची 16 (सर्वतोमुखी परिवार सर्वेक्षण) 23वां सत्र (नगरीय):—	
(क) परिवार के सदस्यों की जनांकिकीय एवं वर्तमान कार्यकलाप विवरण	24
(ख) पारिवारिक उपभोक्ता व्यय (प्राथमिकता-1)	24
(ग) पारिवारिक उपभोक्ता व्यय (प्राथमिकता-2)	21
(घ) पारिवारिक उद्यम	42
(च) भौतिक सम्पत्ति पर व्यय, बचत एवं पशुधन की सूचना	15
(छ) आवास व्यवस्था	33
योग....	159

1	2
3. अनुसूची 16 (सर्वतोमुखी परिवार सर्वेक्षण) 24वां सत्र (नगरीय):—	
(क) परिवार के सदस्यों का जनांकिकीय एवं वर्त्तमान कार्यकलाप का विवरण	27
(ख) बेरोजगारी पर विशेषज्ञ समिति द्वारा चाही गई विशिष्ट सारणियां	9
(ग) उपभोक्ता व्यय पर मुख्य सारणियां	15
योग....	51
4. अनुसूची 12 (जनसंख्या,-जन्म एवं मृत्यु) 23वां सत्र (नगरीय):—	
(क) श्रम, शक्ति एवं प्रवास	30
(ख) जनसंख्या, जन्म एवं मृत्यु	39
(ग) परिवार नियोजन	30
योग....	99
5. अनुसूची 12 (जनसंख्या–जन्म एवं मृत्यु) 23वां सत्र (ग्रामीण):—	
(क) जनांकिकीय विवरण जन्म एवं मृत्यु	42
(ख) परिवार नियोजन	30
योग....	72
6. अनुसूची 2.4 (अपंजीकृत वितरणीय व्यापार) 24वां सत्र (ग्रामीण एवं नगरीय):—	
(क) व्यापार एवं वस्तु वर्गीकरण	48
(ख) जमा माल एवं सम्पत्ति	24
(ग) क्रय, विक्रय, वाणिज्य मूल्य, सकल आय इत्यादि	12
(घ) रोजगार	18
(च) ऋण एवं अन्य सहायक सूचनायें	24
योग....	126

1	2
7. लघु उद्योग सर्वेक्षण का प्राथमिक सारणियन:—	
(क) पूंजी एवं रोजगार	3
(ख) बकाया ऋण	1
(ग) कच्चा माल, पक्का माल एवं निर्माण मूल्य	3
योग....	7
8. अनुसूची 16.1 (लघु कृषक परिवारों की आर्थिक दशा) 25वां सत्र (ग्रामीण):—	
(क) समय, उपयोगिता एवं आय	16
(ख) उपभोक्ता व्यय	24
(ग) कृषि मय क्षेत्र, भू-स्वामित्व का प्रकार आदि	48
(घ) पारिवारिक आय, राशि प्राप्तियां, सम्पत्ति एवं कर्जदारी	64
(च) समस्याएं एवं उपाय	256
योग....	408
9. अनुसूची 16.2 (अकृषक मजदूरी प्राप्त करने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति) 25वां सत्र (ग्रामीण):—	
(क) समय, उपयोगिता एवं आय	16
(ख) उपभोक्ता व्यय	24
(ग) पारिवारिक आय, राशि, प्राप्तियां, सम्पत्ति एवं कर्जदारी	64
(घ) समस्याएं एवं उपाय	80
योग....	184
10. फसल कटाई एवं प्रयोग:—	
(क) रबी 1971 (फसलवार)	7
(ख) खरीफ 1971 (फसलवार)	7
योग....	14

1	2
11. फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल की सामयिक सूचनाः—	
(क) तहसीलवार सारणियां	201
(ख) जिलेवार सारणियां	26
योग....	227
12. लघु उद्योग सर्वेक्षण का विस्तृत सारणीयनः—	
(क) सामान्य सारणियां	5
(ख) पूंजी एवं रोजगार	5
(ग) कच्चा माल एवं पक्का माल	2
(घ) वेल्यू एडेड	1
(च) सहकारी उद्योगों के लिये विशेष सारणियां	5
योग...	18
13. व्यापारिक संस्थाओं का सारणियनः—	
(क) जिलावार सामान्य सारणियां	52
योग....	52
14. अनुसूची 18.1 (जोत, ऋण एवं विनियोजन सर्वेक्षण) 26वां सत्र (ग्रामीण): –	
(क) स्वामित्व जोत (सामान्य सारणियां)	9
(ख) संक्रियात्मक जोत (सामान्य सारणियां)	6
(ग) पशुधन, कृषि औजार, अकृषि व्यवसाय औजार एवं यातायात के साधन	36
(घ) संलग्न कृषि कार्यकर्ता	3
योग....	54

1	2
15. श्रमिक परिवारों का रहन-सहन सर्वेक्षण:—	
(क) उपभोक्ता व्यय (मूल्य) सारणियां	8
(ख) उपभोक्ता व्यय (मात्रा) सारणियां	8
(ग) श्रमिक एवं उनके परिवारों पर विस्तृत सारणियां	80
(घ) आय सम्बन्धी सारणियां	20
(च) अन्य सामान्य सारणियां	16
योग....	132
कुल निर्मित सारणियों की संख्या....	1771

परिशिष्ट—3

(तारांकित प्रश्न संख्या 573 की सूची)

सूची 'अ'

बख्शीराम पुत्र मूलचन्द मीणा के अतिरिक्त सिक्योरिटी जमा कराने वाले व्यक्ति

क्र० सं०	नाम	दिनांक	राशि
1.	श्री मोहनलाल पुत्र दूलाराम मीणा	30-5-69	75/-
2.	श्री महादेवप्रसाद पुत्र रेवड़राम मीणा	30-5-69	75/-
3.	श्री रामकृपाल पुत्र नन्दराम	9-10-69	180/-
4.	श्री गोपालसिंह पुत्र लालसिंह (न कि पुत्र सादुलसिंह)	20-5-69	75/-
5.	श्री बख्शीराम पुत्र मूलचन्द मीणा	अप्लाई नहीं किया	

सूची 'ब'

कनेक्शन के लिये 5)रु० जमा कराने वाले व्यक्ति

क्र० सं०	नाम	दिनांक
1.	श्री रामनारायण पुत्र ग्यारसा मीणा	6-10-72
2.	श्री नत्या पुत्र नैना मीणा	18-9-71
3.	श्री रघुवरदयाल पुत्र रामप्रसाद शर्मा	18-9-71

(174)

परिशिष्ट—4

(तारांकित प्रश्न संख्या 576 की सूची)

ANNEXURE 'A'

List of Villages sanctioned during 1972-73 in District Bundi

S. N.	Name of Village	Tehsil	Date of sanction	Date of electri-fication	Amount sanc-tioned	Recom-meudation of DAPC
1	2	3	4	5	6	7
					Rs.	
1.	Mehrampura	Bundi	18-5-72	26-7-72	94,285/	Village Karjuna Recomm.
2.	Karjuna	„	18-5-72	30-6-72		
3.	Ramganj	„	4-7-72	15-8-72	37,135/	Yes, in 69-70
4.	Sathoor	„	20-7-72	27-10-72	89,570/	Yes, in 72-73
5.	Papri	Keshorai-Patan	12-10-72	Dec.'72	3 10,400/-	Yes, in 69
6.	Bara Khera	„	„	„		
7.	Jarla	„	„	„		
8.	Laban	„	„	„		
9.	Bheronpura	Talera	1-6-72	12-12-72	56,510/	Yes, in 72-73

सूची 'ब'

जिला कृषि उत्पादन समिति, बून्दी द्वारा वर्ष 1971-72 में विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची

1. डावी
2. अरनेठा
3. कापरेन *
4. सिलोर
5. गम्भीरा
6. गम्भीरी
7. बम्बोरी
8. अरपिया
9. रजलावता
10. देई
11. ठीकरदा *
12. घोबेड़ा
13. बासी *
14. नारायनपुरा
15. तुरकड़ी
16. गुड़ा *
17. रानी की झौंपड़ी

---

* तारांकित ग्रामों का विद्युतिकरण हो चुका है।

सूची 'स'

जिला कृषि उत्पादन समिति, बून्दी द्वारा 1972-73 वर्ष में विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची

पंचायत समिति, तालेड़ा

1. भीलोर※
2. अंयाल
3. देहित
4. मेड़पुर※
5. जावटी कलां
6. आमली
7. जाखामुंड※
8. गुमानपुरा

पंचायत समिति, नैनवा

1. करवर※
2. जरखोदा
3. देई
4. आतरदा
5. तलवास
6. नैनवा※
7. रजलावता

पंचायत समिति, केशोरायपाटन

1. काप्रेन※
2. रोहेड़ा
3. चरडाना
4. आनेठा
5. नैथल
6. सूनगर
7. केशोरायपाटन※
8. लाखेरी स्टेशन
9. लबान※
10. बड़ा खेड़ा※

पंचायत समिति, हिन्डोली

1. उमर
2. चतरंगन
3. देवा का खेड़ा
4. दबलाना
5. धीवड़ा
6. सथूर※

※विद्युतिकृत ग्राम हैं।

परिशिष्ट-5

(तारांकित प्रश्न संख्या 583 की सूची)

राजस्थान का भाखड़ा पानी का हिस्सा व प्राप्ति

अवधि	हरियाणा से			पंजाब से		
	मिला पानी	पानी का हिस्सा	(+) अधिक अथवा (–) कमी	मिला पानी	पानी का हिस्सा	(+) अधिक अथवा (–) कमी
1	2	3	4	5	6	7
21-5-67 से 20-9-67	99351	110927	(–) 11576 (–) 10.4 %	236136	188857	47279 + 25 %
21-9-67 से 20-5-68	156056	155884	(+) 172	343459	280368	(+) 63091 (+) 22.5 %
21-5-68 से 20-9-68	77091	86573	(–) 9482 (–) 11%	221532	156225	(+) 65307 (+) 42 %
21-9-68 से 20-5-69	111222	137785	(–) 26603 (–) 23.8 %	237225	222011	(+) 15224 (+) 6.8 %
21-5-69 से 20-9-69	82987	84662	(–) 1675 (–) 1.9 %	174944	143537	(+) 31407 (+) 21.9 %

1	2	3	4	5	6	7
21-9-69 से 20-5-70	143308	156040	(—)12732 (—) 8.1 %	249329	264241	(—) 14912 (—) 5.64 %
21-9-70 से 20-5-71	211238	123435	(—) 11117 (—) 9 %	212982	200812	(+) 12170 (+) 6 %
21-5-71 से 20-9-71	86636	70818	(+) 15738 (+) 22 %	141546	119593	(+) 21953 (+) 18.3 %
21-9-71 से 20-5-72	147786	166102	(—) 21322 (—) 13.4 %	272314	282583	(—) 0857 (—) 3.5 %
21-5-72 से 20-9-72	79167	88264	(—) 8387 (—) 9.5 %	142606	149595	(+) 6919 (+) 4.6 %

आंकड़े क्यूसेक दिन में हैं।

परिशिष्ट—6

(तारांकित प्रश्न सं० 585 की सूची)

सूची प्रपत्र (अ)

क्र० सं०	नाम आवंटी	आवंटी का पद	ग्राम जहां भूमि अलॉट हुई	क्षेत्रफल बीघों में
1	2	3	4	5
	जिला-चित्तौड़गढ़			
1.	श्री स्वतन्त्र भूषण गर्ग, निवासी कपासन	प्रधान पं० स०, कपासन	ढाढण दुगार	10) 10)
2.	श्री शंकरलाल पारीक, निवासी राशमी	प्रधान, पं० स०, राशमी	ओछड़ी	5)
3.	श्री शांतिलाल जैन, निवासी सैंती	प्रधान, पं० स०, चित्तौड़गढ़	सैंती	5)
4.	श्री गुलाब पिता डूंगा धाकड़, निवासी गोपालपुरा	सरपंच	तोरनिया	6)
5.	श्री मांगीलाल नागौरी, निवासी पारसोली	,,	हाड़ा का खेड़ा	8)
6.	श्री मोड़ीराम धाकड़, निवासी केरपुरा	,,	सारण	10)
7.	श्री मांगीलाल ब्राह्मण, निवासी शादी	,,	दुगार	8)
8.	श्री प्यारचंद कुमावत, निवासी भिचोर	,,	सारण	10)
9.	श्री डूंगरसिंह राजपूत, निवासी रघुनाथपुरा	,,	डुगार	10)
10.	श्री भैरूलाल महाजन, निवासी नेतावलगढ़	,,	सूर [illegible]	8)
11.	श्री रामकुमार नन्दवाना, निवासी चित्तौड़गढ़	विधायक	सैंती	5)

188

1	2	3	4	5
12.	श्री शंकरलाल जाट, निवासी जरखाना	विधायक	सैंती	5)
13.	श्री गणेशीलाल रैगर, निवासी राशमी	,,	ढाढण	6)
14.	श्री प्यारेलाल नाई, निवासी चित्तौड़गढ़	कांग्रेस मन्त्री	सैंती	5)
15.	श्री शिवशंकर व्यास, निवासी चित्तौड़गढ़	सेक्रेटरी, नगर कांग्रेस, चित्तौड़	ओछड़ी	5)
16.	श्री लालचन्द, निवासी चित्तौड़गढ़	सेक्रेटरी, नगर कांग्रेस चित्तौड़गढ़	ओछड़ी	10)
17.	श्री दौलतअली मुसलमान, निवासी चित्तौड़गढ़	सदस्य, नगरपालिका	ढाढण	31)

जिला-भीलवाड़ा

1.	श्री रघनाथसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह राजपूत	सरपंच, धांतड़ा	बामणी	81)1
2.	श्री रघनाथसिंह पुत्र श्री मोतीसिंह राजपूत	,,	आमेसर	5)
3.	श्री देवीलाल पुत्र श्री कजोड़ीमल	भू० पू० सरपंच	कासोरिया	2711)
4.	श्री कल्याणमल पुत्र श्री हनुवतराम	प्रधान पं० स०, बनेड़ा	,,	20)
5.	श्री गणपतलाल वर्मा	भूतपूर्व विधान सभा सदस्य	बरूलखेड़ा देवीसिंहजी का खेड़ा	6) 131)2

जिला-उदयपुर

शून्य

सूची प्रपत्र (ब)

भू-आवंटन निरस्त किये गये व्यक्तियों की सूची

क्र० सं०	नाम आवंटी	आवंटी का पद	भू-आवंटन निरस्त किये गये ग्रामों के नाम	क्षेत्रफल (बीघों में)
		जिला—चित्तौड़गढ़		
1.	श्री शंकरलाल पारीक, निवासी राशमी	प्रधान, पं० स०, राशमी	ओछड़ी	5
2.	श्री मांगीलाल नागौरी, निवासी पारसोली	सरपंच	हाड़ा का खेड़ा	8
3.	श्री प्यारचन्द कुमावत, निवासी भिचोर	,,	सारए	10
4.	श्री मोड़ीराम धाकड़, निवासी केरपुरा	,,	सारए	10
5.	श्री डूंगरसिंह राजपूत, निवासी रघुनाथपुरा	,,	डुगार	10
6.	श्री रामकुमार नंदवाना, निवासी चित्तौड़गढ़	विधायक	सेंती	5
7.	श्री शंकरलाल जाट, निवासी जरखाना	,,	सेंती	5
8.	श्री शिवशंकर व्यास, निवासी चित्तौड़गढ़	सेक्रेटरी, नगर कां०, चित्तौड़गढ़	ओछड़ी	5
9.	श्री लालचन्द, निवासी चित्तौड़गढ़	,,	ओछड़ी	10
10.	श्री दौलतअली, निवासी चित्तौड़गढ़	सदस्य, नगरपालिका, चित्तौड़गढ़	हाडए	3½
		जिला—भीलवाड़ा		
	जांच की जा रही है।			
		जिला—उदयपुर		
	शून्य			

परिशिष्ट—7

(समयाभाव के कारण सदन में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति

586. श्री केदारनाथ (गंगानगर) :

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति लि., गोविन्दगढ़ का पंजीयन किस तिथि को हुआ था ? पंजीयन के समय इस समिति के पदाधिकारी कौन थे और वर्त्तमान में कौन हैं ? सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या उक्त सहकारी समिति के चुनाव वार्षिक होते हैं ? यदि हां, तो वर्त्तमान में जो पदाधिकारी हैं वे कब चुने गये थे और अब चुनाव कब होंगे ?

(3) क्या उक्त समिति का ऑडिट विभागीय चीफ ऑडीटर, सहकारी समितियां, राजस्थान के कार्यालय द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष का ? ऑडिट रिपोर्टों की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखें ।

(4) क्या ऑडिट रिपोर्ट में समिति पर सहकारी स्टाम्प की चोरी, गबन अथवा इसी प्रकार की अन्य अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं ? यदि हां, तो विभाग ने समिति के पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि की, तो क्या ? और नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

भीलवाड़ा जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों की बकाया

587. श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीलवाड़ा जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों का कब तक का पेमेन्ट हो चुका है ?

(2) आज दिन तक किस किस काम का कितना कितना पेमेन्ट किस किस महीने का देना है ?

(3) यह देय पेमेन्ट क्यों नहीं हो रहा है ?

(स्थगित किया गया)

गांव टिटोड़ा को भूमि का मामला

1. 588. श्री केशरीमल (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव टिटोड़ा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा में खेत खसरा नं. 526 की भूमि बीघा 72।।।) व खसरा नं. 3/30 की भूमि बीघा 110) पर सन् 1966 से जिन 76 भूमिहीन काश्तकारों का कब्जा चला आ रहा है उनको एस. डी. ओ. ने सरकारी निर्देशन एफ. 3 (50) के अनुसार पुराने काश्तकारों के नाजायज कब्जे को रेगुलराइज किया था ?

(2) क्या उक्त भूमि अन्य व्यक्तियों को अपनी मनमानी कर अलॉट करदी गई और उक्त भूमि पर काबिज 76 काश्तकारों के विरुद्ध धारा 91 टी. ए. के अदत्त कार्यवाही की गई ?

(3) क्या जिन व्यक्तियों को भूमि अलॉट की है उनको भूमि का कब्जा आज तक नहीं दिया गया ? कृपया नये आवंटियों की सूची पेश करें।

(4) क्या सरकार उन 76 काश्तकारों को मुकदमेबाजी के झंझटों से बचाने के लिये उक्त भूमिहीन काश्तकारों के कब्जे को रेगुलराइज करने की मंशा रखती है ?

(5) क्या खसरा नम्बर 647/1 में रकबा 110/2 बीघा पर इसी तरह के नाजायज कब्जों को मिसल नं. 448 के जरिये रेगुलराइज नहीं किया ? अगर किया गया तो उसके क्या कारण हैं ? क्या उनकी सूची पेश करने की कृपा करेंगे ?

उत्तर

(1) ग्राम टिटोड़ा, तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाड़ा में 73 काश्तकारों द्वारा आराजी खसरा नं. 526 के रकबा 64) बीघा, खसरा नं. 647/1 रकबा 15) एवं खसरा नं. 3/30 रकबा 771) बीघा पर सामूहिक रूप से अतिक्रमण किया गया था। तहसीलदार जहाजपुर ने उपरोक्त आराजियात पर जांच करने पर 32 व्यक्तियों का कब्जा नियमन किया गया (सूची 'अ' संलग्न है)।

(2) उक्त भूमि में से दो ही व्यक्तियों को आवंटन किया गया। उक्त भूमि में 76 काश्तकारान का नाम रेकार्ड में दर्ज नहीं पाया गया इसलिए धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही खारिज की गई।

(3) निम्नलिखित दो व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया गया तथा इन दोनों को कब्जा भी संभला दिया गया :—

1. श्री हजारी पुत्र श्री मीरा मीणा खसरा नं. 526 रकबा 5)
2. श्री संतोषलाल पुत्र श्री भूरदास खसरा नं. 3/30 रकबा 5)

(राजस्व मंत्री)

(4) जिन काश्तकारों का नाजायज कब्जा नियमन योग्य था नियमन किया जा चुका है तथा जिनका नियमन योग्य नहीं था, बेदखल कर दिया गया है। अब कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

(5) खसरा नं. 647/1 के 110/2 बीघा पर मिसल नं. 448 सन् 68 में ये मामले नियमन योग्य पाये गये अतः 22 व्यक्तियों का नियमन किया गया जिनकी सूची 'अ' संलग्न है।

———

Page No 185

(185)

सूची (क)

नियमन दिनांक १७-११-७१ को टिटोड़ा ग्राम में नाजायज कब्जे के नियम सम्बन्धी सूची

क्र. सं.	नाम आसामी		मिसल नम्बर	आराजी नम्बर	रकबा
१.	श्री चन्द्रनाथ पिता श्रीनाथ, निवासी टिटोड़ा		१५१/७१	३/३०	२।।)१
२.	,, मोहनदास पिता गोकलदास	,,	१४१/७१	३/३०	२)२
३.	,, हजारी पिता कल्याण गूजर	,,	१२१/७१	३/३०	२।)
४.	,, उमला पिता रामा बलाई	,,	९९/७१	३/३०	२।।)४
५.	,, भूरा पिता छगना मीणा	,,	१७१/७१	३/३०	५)१
६.	,, सुगमा पिता वागूदा मीणा	,,	१११/७१	३/३०	१)३
७.	,, छोटूदास पिता ऊंकारदास	,,	१००/७१	३/३०	२।)१
८.	,, रामदेवा पिता हरदेवा मीणा	,,	१०४/७१	३/३०	१)२
९.	,, देवा पिता गौरू गूजर	,,	१०५/७१	३/३०	१।।)१
१०.	,, नाथू पिता खाला मीणा	,,	१०८/७१	३/३०	।।।)४
११.	,, श्रीकृष्ण पिता गुलाब मीणा	,,	१०३/७१	३/३०	२)१
१२.	,, मांगू पिता देवा मीणा	,,	१३०/७१	३/३०	१।)३
१३.	,, सोहन पिता अम्बालाल लुहार	,,	१२३/७१	३/३०	१।।)
१४.	,, श्रवण पिता घीसा गूजर	,,	११८/७१	३/३०	१।।।)३
१५.	,, रामेश्वर पिता बालू जाट	,,	११९/७१	३/३०	१।।)१
१६.	,, रामचन्द्र पिता धन्ना धोबी	,,	११२/७१	३/३०	१)३
१७.	,, सुखानाथ पिता रूपनाथ	,,	१०९/७१	३/३०	१।।)१
१८.	,, धन्ना पिता हुक्मा जाट	,,	१४३/७१	३/३०	१।।)२
१९.	,, देवनाथ पिता छोगा जाट	,,	१२६/७१	३/३०	२।।)
२०.	,, नन्दा पिता हीरा दरोगा	,,	७/७१	३/३१	१।)१
२१.	,, नारायण पिता रामा बलाई	,,	१०३/७१	३/३०	१।।।)३
२२.	,, गंभीरा पिता गुदाना जाट	,,	११७/७१	३/३०	३।।।)४
२३.	,, भैरू, काना पिता कालू बलाई	,,	१५७/७१	५२६/१	१४।।)३
२४.	,, सोसर पत्नी प्यारेलाल दर्जी	,,	१४८/७१	५२६/१	९।।)२
२५.	,, लखमा पिता गोकल मीणा	,,	११४/७१	५२६/३	५)२
२६.	,, खमोराम पिता सूरजमल मीणा	,,	११९/७१	५२६	८।)४
२७.	,, देवा पिता घूला रेगर	,,	१४४/७१	५२६	१०)
२८.	,, मांगू पिता लक्ष्मण चमार	,,	१४५/७१	५२६	२।।)४
२९.	,, रघनाथ पिता हरदेव कलाल	,,	१४६/७१	६४७/१	५)
३०.	,, हजारी पिता बीरमा मीणा	,,	१४९/७१	६४७/१	५)
३१.	,, कल्याण पिता बीरमा मीणा	,,	१४७/७१	६४७/	३)
३२.	,, भीमन पिता मादू खाती	,,	१४८/७१	६४७/	२)

कुल योग ...१०५।।।)२

186

सूची (ख)

मिसल नं० ४४८/१८ में नियमन किये गये कब्जों वाले काश्तकारों की सूची

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नं.	रकबा
१.	श्री रामनारायण पिता चन्द्रा जाट	६४६/१ घ	६)
२.	,, जीवण पिता रामसुख महाजन	६४७ ग	४)
३.	,, सुगमा पिता भागीरथ मीणा	६४७ द	५)
४.	,, जगन्नाथ पिता कालू बलाई	६४७ घ	५)
५.	,, सुगनलाल पिता रामसुख महाजन	६४७ ट	४।)२
६.	,, गोकल पिता देवा बलाई	६४७ घ	५)
७.	,, रामनाथ पिता हजारी बलाई	६४७ न	५)
८.	,, रामसुख पिता गुलाब मीणा	६४७ झ	५)
९.	,, नाथूदास पिता भगवानदास बेरागी	६४७/१	५)
१०.	,, रामेश्वर पिता भगवानदास बेरागी	६४७ ठ	३)
११.	,, नाथू पिता भूरा मीणा	६४७ ड	१०)
१२.	,, चन्द्रा पिता जुवारा भील	६४७ क	५)
१३.	,, खूमालाल पिता रूपलाल बाबा	६४७ ख	५)
१४.	,, सुखानाथ पिता रूपनाथ बाबा	६४७ ग	५)
१५.	,, सुखानाथ पिता रूपनाथ बाबा	६४७ द	२
१६.	,, रतनलाल पिता देवीलाल नाई	६४७ व	८)
१७.	,, हीरा पिता छोगा जाट	६४७ प	६)
१८.	,, हजारी पिता छोगा जाट	६४७ फ	५)
१९.	,, विजयसिंह पुत्र उदयसिंह राजपूत	६४७ ब	६)
२०.	,, हजारी पुत्र छोटू भील	६४७ भ	५)
२१.	,, चन्द्रा पिता मांगू भील	६४७ म	३)
२२.	,, बजरंगदास पिता भूरदास बेरागी	६४७ ट	५)
		योग....	११०।)२

एस. डी./–
सब-डिवीजनल अधिकारी,
शाहपुरा।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी शफाखानों पर व्यय

589. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या आयुर्वेदिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में आयुर्वेदिक और यूनानी शफाखाने अलग-अलग दर्जेवार कितने-कितने हैं ? इनमें काम करने वाले वैद्य और हकीमों की दर्जेवार तादाद क्या है और उन पर खर्च का बजट क्या है ?

(2) वैद्य और हकीमों की मुलाजमत में कौनसी डिग्रियां मानी जाती हैं और डिग्रियों के लिहाज से उन्हें क्या-क्या तनख्वाह दी जाती है ?

(3) राजस्थान में सरकारी यूनानी और आयुर्वेदिक कॉलेज कितने-कितने हैं और उनका क्या बजट है ?

(4) राजस्थान में सरकारी यूनानी और आयुर्वेदिक की कितनी फार्मेसियां हैं ? यदि नहीं हैं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि राजस्थान में बी क्लास की छः पोस्टें हकीमों की खाली हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(6) क्या राजपूताना यूनानी तिब्बिया कॉलेज, जयपुर को सरकारी इमदाद दी जाती है ? अगर हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

		अ श्रेणी	ब श्रेणी	स श्रेणी
(1)	1. आयुर्वेद औषधालय	34	146	1613
	2. यूनानी दवाखाने	3	6	33
	3. वैद्य संख्या	34	245	1591
	4. हकीम संख्या	3	6	38

बजट	नोन-प्लान	प्लान
आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय मद	151.38 लाख	21.69 लाख
यूनानी दवाखाने मद	4.14 लाख	—

(2) वैद्य/हकीम पद के लिए योग्यता एवं वेतन शृंखला का विवरण क्रमशः परिशिष्ट क तथा ख पर है।

(3) राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय दो हैं, जिनका वार्षिक बजट नोन-प्लान 151.38 लाख एवं प्लान मद में 1.92 लाख है। यूनानी महाविद्यालय नहीं है।

(4) आयुर्वेद रसायनशालाएं चार हैं। यूनानी औषधियों का निर्माण रसायनशाला अजमेर में हकीम की देखरेख में होता है।

(5) जी हां। भिषगाचार्य तत्सम योग्यता के निर्धारण का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(6) जी नहीं। कॉलेज व्यवस्थित नहीं होने से अनुदान बन्द कर दिया गया।

परिशिष्ट (क)

Degree/Diplomas as equivalent to Bhishgacharya

Name of Institution 1	Name of Degree/Diploma 2	Govt. Order No. and Date 3
1. Ashtang Ayurved Vidyalaya, Calcutta	(M. A. M. S. Bhishgacharya)	F.4 (15) GA/A/Gr. II/59 Dated 29-6-61.
2. Hindu University, Banaras	A. M. S. (A. M. B. S.)	„
3. Bihar Sanskrit Samiti, Patna	Pranacharya.	„
4. Indian Medicine Board, U. P.	B. I. M. S.	„
5. Akhil Bhartiya Ayurved Vidyapeeth, Delhi	Ayurvedacharya (After three years practical experience)	„ „
6. (a) Ayurved and Unani Tibia College, Delhi	Ayurvedacharya Dhanvantri	„

(b)	-do-	Bhishgacharya Dhanvantri (after one year's practical experience)	,,
Unani			
1.	Unani Tibia College, Delhi	Kamil-Ul-Tibbal Zarahat (in Urdu)	,,
2.	-do-	Fazil-Ul-Tibbal Zarahat (in Arabia)	,,
Ayurvedic			
1.	Govt. of Rajasthan	Ayurvedacharya (after one year's experience)	F. 2 (32) GA/A/62 Dated 29-5-63.
2.	Gurukul Kangri Vishwavidyalaya	Ayurvedalankar	F. 9 (7) GA (B)/65 Dated 23-3-65.
3.	निखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ, दिल्ली	वैद्याचार्य (5 वर्ष के प्रायोगिक अनुभव के पश्चात्)	एफ. 9 (7) सा० प्र० (ख)/68 दिनांक 1-3-68

नोट:—यह योग्यता केवल उन वैद्यों के लिए मान्य की गई हैं जो सन् 1966 तक राज्य सेवा में नियुक्त हो चुके हैं ।

परिशिष्ट—(ख)

वैद्य/हकीमों की वेतन-श्रृंखला का विवरण

1.	वैद्य/हकीमों की प्रथम ग्रेड	300 से 800
2.	वैद्य/हकीमों की द्वितीय ग्रेड	225 से 525 राजस्थान विश्वविद्यालय से आयुर्वेदाचार्य योग्यता वालों को 270 रुपया प्रारम्भिक वेतन ।
3.	वैद्य/हकीमों की तृतीय ग्रेड भिषगाचार्य राजस्थान तत्सम	180 से 425
4.	वैद्य/हकीम की तृतीय ग्रेड न्यूनतम योग्यता रखने वाले ।	150 से 330

विनेगा खानों का ठेका

590. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि करौली क्षेत्र की विनेगा खानों का सरकार ने अभी तक किसी ठेकेदार को ठेका नहीं दिया है ? क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर माइनिंग इन्जीनियर तथा माइन्समैन, हिण्डौन तथा उसी जगह के रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने मिलकर विनेगा की खानों को चला रखी हैं ? अगर हां तो ऐसी कितनी जगह खनन कार्य हो रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि दिनांक 30 जनवरी को खनिज विभाग के इन्सपेक्टर ने करौली में मौके पर जाकर खान पर कार्य करने वालों को रोका और उनके खिलाफ पंचनामा बनाया ?

(3) क्या यह सही है कि 31 जनवरी, 73 को इन्सपेक्टर, करौली को जान से मार देने की धमकी दी ? यदि हां, तो उक्त व्यक्तियों के खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) गांव विनेगा का ठेका पूर्व में श्री वल्लभप्रसाद पुत्र रामस्वरूप मारफत श्री कैलाश स्टोन कम्पनी, हिण्डौन के नाम से स्वीकृत था, जो बाद में खण्डित कर दिया गया और क्षेत्र का कब्जा दिनांक 25-11-71 को लिया गया। उसके पश्चात् क्षेत्र को दिनांक 30-5-72 व दिनांक 21-11-72 को नीलामी रखा गया, परन्तु किसी की भी बोली प्राप्त नहीं हुई, जिससे यह अभी तक किसी के नाम स्वीकृत नहीं है और क्षेत्र रिक्त है।

अनाधिकृत कार्य चलने की सूचना पर दिनांक 21-12-72 को सीनियर माइन्स फोरमेन तथा दिनांक 31-1-73 को वरिष्ठ निरीक्षक ने काम करने वाले लोगों के खिलाफ पंचनामे बनाये ।

(2) जी हां ।

(3) यह सही है कि दिनांक 31-1-73 को वरिष्ठ निरीक्षक, करौली को कुख्यात डाकू सोवरणसिंह द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी। वह डाकू अब मर चुका है। फिर भी इस बावत जांच पड़ताल के लिये पुलिस को लिखा जा चुका है और कार्यवाही जारी है।

राज्य में मेडिकल डिस्पेन्सरीज

591. श्री हनुमानसहाय (वैराठ) : क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में पृथक-पृथक श्रेणी की कुल कितनी मेडिकल डिस्पेन्सरीज कहां कहां हैं और इन गांवों की आबादी कितनी-कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि 2000 से कम आबादी वाले स्थानों पर 2 से 4 मील दूरी के अन्दर डिस्पेन्सरीज स्थापित करदी गई हैं और ऐसे स्थानों पर जिनकी आबादी दो से पांच हजार तक की है और जहां पर हायर सैकेण्डरी स्कूल आदि भी हैं वहां 5 से 15 माइल की दूरी तक कोई डिस्पेन्सरी स्थापित नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार ने नवीन मेडिकल डिस्पेंसरीज स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयार करवाई है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार हायर सैकेण्डरी स्कूलों के साथ-साथ उन ग्रामों में मेडिकल डिस्पेन्सरीज स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

गंग नहर क्षेत्र में खालों की मंजूरी

592. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गंगनहर के क्षेत्र में जिन लोगों की भूमि में से खाला गुजरता है, उनको आधे बीघे का पानी काट लिया जाता है ? यदि हां तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इस कारण खालों की मंजूरी में बहुत भारी मुकदमे-बाजी हो रही है ?

(3) क्या सरकार उन खालों का पानी देने के लिये तैयार है ? यदि सरकार खालों का पानी नहीं देना चाहती तो किसानों को उन खालों की कीमत वापस करने को तैयार है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां क्योंकि खालों के अन्दर आई हुई भूमि में जो कि एक मुरब्बे में एक खाल के लिये आधा बीघा होती है, सिंचाई नहीं होती।

(2) जी नहीं।

(3) खालों के अन्दर आई हुई भूमि के लिए पानी देने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता क्योंकि इस भूमि में सिंचाई नहीं होती। इन खालों के अन्दर आई हुई भूमि की कीमत सरकार द्वारा देने का भी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि खालें बनाने का खर्चा सरकार के जिम्मे नहीं होता।

लाइम स्टोन, मारबल एवं डोलोमाइट में अन्तर

593. श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार लाइम स्टोन, मारबल व डोलोमाइट में नियमानुसार इन तीनों में कोई अन्तर मानती है ? यदि हां, तो अन्तर स्पष्ट करें।

(2) उपर्युक्त तीनों मिनरल्स में मेजर मिनरल रूल्स में व माइनर मिनरल रूल्स के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा क्या रॉयल्टी लगाई जाती है ?

उत्तर

(1) जी हां। अन्तर संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

(2) सूची संलग्न है।

अन्तर तालिका

शुद्ध डोलोमाइट में 21.7 प्रतिशत मैगनीशियम ओक्साइड की मात्रा होती है एवं 30.4 प्रतिशत कैल्शियम ओक्साइड की मात्रा होती है। पर चूंकि प्राकृतिक रूप में इतना शुद्ध खनिज का मिलना संभव नहीं है इसलिये 20 प्रतिशत और उसके ऊपर मैगनीशियम ओक्साइड की मात्रा होने से इसको डोलोमाइट माना जाता है।

लाइम स्टोन की श्रेणी—इसमें कैल्शियम. ओक्साइड की मात्रा पर निर्भर करती है जो कि भिन्न-भिन्न उद्योग के लिये भिन्न-भिन्न होती है उदाहरणार्थ सीमेन्ट के उत्पादन के लिये कैल्शियम ओक्साइड की मात्रा कम से कम 42 प्रतिशत होना चाहिये एवं मैगनिशियम ऑक्साइड की मात्रा 3% से अधिक नहीं होनी चाहिये।

मारबल—रसायनिक संगठन में यह खनिज लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट से मिलता हुआ होता है। इसमें उपरोक्त दोनों खनिजों से अन्तर इसके भौतिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। जैसे खनिज के मोटे दाने, इसको स्लेब्स में काटा जा सकता है एवं इस पर पॉलिश हो सकता है।

RATE OF ROYALTY

1. **Limestone as Major Mineral—**

(a) Superior grade with 45% or more of CAO	Rs. 1.25 p. per tonne.
(b) Inferior grade with less than 45%	Re. 0.57 p. per tonne.

2. **Limestone as Minor Mineral—**

I (a) Limestone for lime burning	Re. 0. 20 p. per quintal.
(b) Lime	Re. 0. 30 ,, ,, ,,
(c) Kachra Lime	Re. 0. 10 ,, ,, ,,

II Other purpose coloured Limestone—

(a) Rs. 4.30 per cubiic metre

	(b) Rs. 1.70 per Sq. metre	
	(c) 10% of the sale value at pit's mouth at the option of the lessor.	
3.	**Dolomites as Major Mineral**	Rs. 1.75 per tonne.
4.	**Dolomite as Minor Mineral for Chips and Powder**	Rs. 0.35 per quintal.
5.	**Marble Minerals**	
	1. *Makrana* :	
	(a) Marble used for Lime burning	Re. 0.20 p. per quintal
	(b) Marble dressed, carved and rough	Rs. 2.75 p. per quintal.
	(c) Marble slabs	Rs. 1.40 p. per quintal.
	(d) Marble Chips, Fine Powder, Khanda and Ballast	Re. 0.35 p. per quintal.
	(e) Coarse powder of not more than 20 mesh	Re. 0.16 p. per quintal.
	(f) *Marble Tiles :*	
	(i) Machine made	Re. 0.70 p. per quintal.
	(ii) Hand made.	Re. 37 p. per quintal.
	2. *Other inferior marble* :	
	(a) Marble used for Lime burning	Re. 0.20 p. per quintal.

(b)	Marble dressed, carved and rough	Rs. 1.40 to 2.75 p. per quintal.
(c)	Marble slabs	Rs. 1.40 per quintal
(d)	Marble Chips, Fine Powder, Khandas and Ballast	Re. 0.35 per quintal.
(e)	Coarse powder of not more than plus 20 mesh	Re. 0.16 p. per quintal.
(f)	*Marble Tiles*:	
	(i) Machine made	Re. 0.70 p. per quintal.
	(ii) Hand made	Re. 0.37 p. per quintal.

Note:—Marble is not a Major Mineral, hence no royalty has been prescribed.

मेहन्दीपुर बालाजी

594. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेहन्दीपुर बालाजी का स्थान दो जिले जयपुर व सवाई माधोपुर व दो तहसील सिकराय व टोडाभीम व तीन गांव व तीन पंचायत में बंटा हुआ है ?

(2) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार का इस स्थान को एक गांव, एक तहसील व एक जिले में शामिल करने का विचार है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि मेहन्दीपुर बालाजी का स्थान दो जिले जयपुर, सवाई माधोपुर व दो तहसील सिकराय व टोडाभीम व तीन गांव तथा तीन पंचायतों में बंटा हुआ है।

(2) इस स्थान को एक गांव, एक तहसील व एक जिले में शामिल करने के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

मेडिकल प्रेक्टिशनर्स का रजिस्ट्रेशन

595. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर्स हैं ?

(2) मेडिकल प्रेक्टिशनर्स का रजिस्ट्रेशन किन आधारों पर किया जाता है ?

(3) क्या एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद के प्रेक्टिशनर्स का रजिस्ट्रेशन अलग-अलग होता है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त किसी एक विषय में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद दूसरे विषय की भी प्रेक्टिस कर सकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) 3976 दिनांक 23-2-73 तक ।

(2) एलोपैथिक सिस्टम में डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त तथा किसी भी विश्व-विद्यालय द्वारा पंजीकृत होने पर ।

(3) एक विषय में रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात् दूसरे विषय में प्रेक्टिस नहीं कर सकता है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत कार्य

596. श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत 16वें सत्र से भू-उपयोगिता एवं फसल कटाई सर्वेक्षण कराये गये उनके भरे हुए प्रपत्रों का क्या किया तथा अभी तक उनके प्रतिवेदन प्रकाशित क्यों नहीं हुए ?

(2) निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा हर दो माह में अधीनस्थ कर्मचारियों को नियुक्तियां क्यों की जाती हैं और क्यों नहीं उनके लिये पैनल बनाया जाता है ? ये नियुक्तियां भी तदर्थ आधार पर ही क्यों होती हैं, क्यों नहीं चयन समिति द्वारा ?

उत्तर

(1) राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के अन्तर्गत 16वें सत्र से 24वें सत्र तक किये गये भू-उपयोगिता और फसल कटाई सर्वेक्षण के भरे हुए प्रपत्रों से सारणियां

(सांख्यिकी मंत्री)

बनाई जा चुकी हैं। 25वें सत्र में केवल भू-उपयोगिता सर्वेक्षण किया गया था जिनकी सारणियां भी बना ली गई हैं। 26वें सत्र के भू-उपयोगिता सर्वेक्षण का सारणीयन कार्य जारी है।

भू-उपयोगिता एवम् फसल कटाई सर्वेक्षण कार्य पटवारियों व लैण्ड रेकार्ड इन्सपेक्टर द्वारा भी राजस्व मण्डल के माध्यम से किया जाता है। ये आंकड़े अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं और समय पर मिलते रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत एकत्रित आंकड़े भारत सरकार द्वारा किए गए कार्य की समाप्ति पर ही मिल सकते हैं। साथ ही राजस्व मण्डल के माध्यम से एकत्रित आंकड़े जिलेवार एवम् प्रत्येक बोई गई फसल की सूचना देते हैं जबकि राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त सूचना केवल राज्यस्तर व 6 फसलों तक ही सीमित है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई सर्वेक्षण के सीमित आंकड़ों को अलग से प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(2) यह सही नहीं है। अधीनस्थ सेवा वर्ग के अंतर्गत विभिन्न विभागों से रिक्त पदों की सूचना प्राप्त होने पर ही पदों के लिये विज्ञापन कर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही सम्पन्न की जाती है। जहां तक पेनल बनाने का प्रश्न है जब जब आवश्यकता से अधिक योग्य व्यक्ति उपलब्ध हुए है, पेनल बनाया जाता है।

ये नियुक्तियां अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा के पूर्व से सेवारत कर्मचारियों के एकीकरण व स्थायीकरण किए जाने तक ही तदर्थ आधार पर की जा रही हैं।

अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा नियम, 1971 में चयन समिति का प्रावधान न होते हुए भी निदेशक, जो नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी है, चयन कार्य में स्वयं एक समिति निर्मित करके चयन करते हैं।

नादौती तहसील हैडक्वार्टर का विद्युतिकरण

597. श्री चेतराम (टोडा भीम) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह भी सही है कि सवाई माधोपुर जिले के नादौती तहसील हैडक्वार्टर का अभी तक विद्युतिकरण नहीं किया गया ? यदि हां, तो इसका विद्युतिकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि यह कस्बा स्वतंत्रता की रजत जयन्ती के उपलक्ष्य में आदर्श गांव में रखा गया है फिर भी अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां। अगले वर्ष का कार्यक्रम बनाते समय विचार करेंगे।

(2) जी हां। सर्वे कराने पर स्कीम लाभप्रद नहीं होने से कोई कार्य नहीं किया जा सका।

बून्दी जिले में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

598. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बून्दी, तहसील नैनवा, पाटन, बून्दी, हिन्डोली में अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के जो भूमिहीन हैं जिनका कई वर्षों से वन विभाग की एवं चरागाह की कृषि योग्य भूमि पर कब्जा चला आ रहा है, क्या राज्य सरकार द्वारा उस भूमि को भूमिहीनों को रेगुलराईजेशन किये जाने का आदेश दिया जा चुका है ? यदि हां, तो किस किस किस्म की भूमि का अब तक रेगुलराईजेशन किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर प्रत्येक गांववार रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सत्य है कि जिन अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के भूमिहीनों का चरागाह भूमि घोषित होने से पूर्व कब्जा था उन्हें भी बेदखल किया जा रहा है तथा स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा उस भूमि को चरागाह में लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो कितनी भूमि अब तक भूमिहीन किसानों को दी जा चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) तहसील नैनवा में ग्राम देई में जिन अनुसूचित जाति के लोगों का वन एवं राजस्व भूमि पर कब्जा चला आ रहा है, उनका कब्जा रेगुलराईजेशन करने के आदेश दे दिये गये हैं, जिनकी सूचियां 'अ' 'ब' संलग्न हैं। ऐसी भूमि का चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 1965 एवं अन्य क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 1966 के पहले के कब्जों को रेगुलराईजेशन किये जाने के आदेश हो चुके हैं।

तहसील केशवरायपाटन, बून्दी व हिण्डोली में कोई कब्जा नहीं चला आ रहा है।

(2) इस जिले में ऐसी कोई भूमि चरागाह घोषित नहीं की गई है जिन पर पहले से इन लोगों का कब्जा हो। इसलिए बेदखली एवं ऐसी भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा लिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस जिले में भूमिहीन किसानों को 1955 से अब तक 60334 एकड़ भूमि आवंटित की गई है जिसमें से अनुसूचित जाति के लोगों को 16753 एकड़ एवं जन-जाति के लोगों को 10366 एकड़ भूमि दी गई है।

सूची 'अ'

वन विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जा जिसको कि नियमन किया गया

क्रम सं०	नाम		ग्राम	खसरा नं०	रकबा
1.	ओंकार आत्मज गंगाराम जाति चमार		देई	14	20.1
2.	पांन्या आत्मज सूवा	,,	देई	14	20.1
3.	भुवाना आत्मज कालू	,,	देई	15	20.1
4.	भूरा आत्मज कंवरा	,,	देई	14.15	20.1
5.	छीतर आत्मज धन्ना	,,	देई	15	20.1
6.	धीस्या आत्मज सरूपा	,,	देई	13	20.1
7.	सांवला आत्मज गंगाराम	,,	देई	13	20.1
8.	बजरंग आत्मज शोवक्स	,,	देई	13.14	20.1
9.	कालू आत्मज धन्ना चमार	,,	देई	15	20.1

———

सूची 'ब'

सूची जिन लोगों का राजस्व विभाग की भूमि पर नाजायज कब्जा होने से कब्जा रेगुलराईज किया गया

क्रम सं०	नाम व्यक्ति		खसरा सं०	रकबा बि० बि०
1.	सांवला आत्मज गंगाराम	जाति चमार	सा० देई	
2.	भूरा आत्मज कंवरा	,,	सा० देई	
3.	छीतर आत्मज धन्ना	,,	सा० देई	
4.	घीस्या आत्मज सरूपा	,,	सा० देई	
5.	गोबरीलाल आत्मज प्रताप	,,	सा० देई	
6.	कालू आत्मज धन्ना	,,	सा० देई	
7.	श्रवण आत्मज गेंदा	,,	सा० देई	
8.	कल्याण आत्मज छोगा	,,	सा० देई	
9.	ऊंकार आत्मज गंगाराम	,,	सा० देई	
10.	कल्याण आत्मज प्रताप	,,	सा० देई	
11.	बजरंग आत्मज शोबरूश	,,	सा० देई	
12.	डालू आत्मज जीवन	,,	सा० देई	
13.	सुखदेव आत्मज देवबख्श	,,	सा० देई	
14.	पांचू आत्मज सुखा	,,	सा० देई	

नोटः—उपरोक्त व्यक्तियों का खसरा नं० 1, 3, 4 मि. 14, 15, 16, 4/1 की कुल भूमि 407 बीघा 14 बिस्वा पर सन् 1959 से सहकारी समिति के रूप में कब्जा काश्त था। यह सोसायटी सन् 1970 में लिक्वीडेशन (अवसायन) में सहकारी विभाग द्वारा ले ली गई और भूमि पर वापस राज्य सरकार का कब्जा मानते हुए इनको अतिक्रमी माना गया। इसके पश्चात् भूमि पर लगातार इन्हीं लोगों का कब्जा काश्त में होने से इनके नाम पर ही रेगुलराईज की गई।

सीलिंग कानून और सलाहकारों की नियुक्ति

599. श्री **राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में सीलिंग कानून की पैरवी करने के लिये सलाहकार नियुक्त किये हैं ? यदि हां, तो कहां कहां ? सूची मय नाम के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री राजेन्द्रसिंह)

(2) इन सलाहकारों को क्या मासिक वेतन भत्ता दिया जाता है ?

(3) जब सीलिंग एक्ट इतना साफ है तो इनको नियुक्त करने का क्या औचित्य है ?

(4) क्या सरकार इन पदों को अनावश्यक नहीं समझती जबकि हर जिले में सरकारी पैरोकार नियुक्त हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

202

परिशिष्ट–8

(तारांकित प्रश्न संख्या 569 की सूची)

उक्त खनिज को प्रयोग में लाने के लिये जो कार्यवाहियां की गई हैं उसकी सूची संलग्न है:—

1. इसकी बिक्री का प्रबन्ध किया गया है जिसमें मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड भी सम्मिलित है।

2. यह रोकफोस्फेट मैसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि०, खेतड़ी को भी खाद बनाने हेतु दिये जाने का आश्वासन दिया गया है।

3. रोकफोस्फेट का पाइराइट के भंडार राजस्थान में प्रचुर मात्रा में पाये जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने भारत सरकार से राजस्थान में खाद कारखाने की स्थापना पर जोर दिया जिसके लिए स्थान का चयन विशेषज्ञों की सलाह से भारत सरकार के विचाराधीन है। उस खाद कारखाने के लिये इसकी सप्लाई होगी।

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 253 की सूची)

राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बाड़मेर जिले में खादी व चर्म उद्योग के अन्तर्गत दी गई राशि की सूची

क्रम संख्या	नाम-संस्था/समिति	उद्योग	वितरित आर्थिक सहायता (1971-72 तक)	
			ऋण	सहायता
			(रुपयों में)	
1	2	3	4	5
1.	बाड़मेर चमड़ा रंगाई स. स. लि., बाड़मेर	चर्म उद्योग	36,250-00	17,500-00
2.	चर्म.उ. स. लि., चौहटन	,,	1,187-50	—
3.	चर्म उ. स. लि., वामनोर (भंवरशाह)	,,	1,137-50	1,000-00
4.	चर्म उ. स. लि., गडरा रोड	,,	6,400-00	1,250-00
5.	चर्म उ. स. स. लि., कोरना	,,	1,050-00	800-00
6.	चर्म उ. स. स. लि., खींवसर	,,	1,400-00	—
7.	चर्म उ. स. स. लि., राडासर	,,	962-50	—
8.	चर्म उ. स. स. लि., समदड़ी	,,	12,000-50	2,000-00
9.	चर्म उ. स. स. लि., सुहाड़ा		1,837-50	14,000-00
10.	पंचायत समिति, चौहटन (वापस)	,,	15,750-00	9,470-00
11.	मेघवाल चर्म उ. स. स. लि., भिड़ूजा	,,	3,000-00	800-00
12.	चर्म उ. स. लि., बालोतरा	,,	—	—
13.	चर्म उ. स. लि., नगर बाड़मेर	,,	9,750-00	7,000-00
14.	चर्म उ. स. स. लि., सिंदरी (वापस)	,,	5,500-00	5,500-00
15.	श्रीनगर उ. स. स. लि., सिंदरी	,,	3,187-50	600-00
16.	आदर्श चर्म उ. स. स. लि., बाड़मेर	,,	3,187-50	—
17.	जूता उ. स. स. लि., बाड़मेर	,,	5,000-00	—
18.	चर्म उ. स. स. लि., बैशाखा	,,	3,162-50	500-00
19.	चर्म उ. स. स. लि., पश्चिम कातला	,,	1,850-00	500-00
20.	मेघवाल चर्म उ. स. स. लि., बालोतरा	,,	3,000-00	3,800-00

1	2	3	4	5
21.	जटिया चर्म उ. स. स. लि., बालोतरा	चर्म उद्योग	—	1,600-00
22.	चर्म उ. स. स. लि., घोरीमन्ना	,,	—	1,000-00
23.	चर्म उ. स. स. लि., सिन्धवास लूणवा	,,	—	800-00
24.	आदर्श चर्म उ. स. स. लि., सिवाना	,,	1,875-00	—
25.	चर्म उ. स. स. लि., कर्मावास	,,	—	1,000-00
26.	बाड़मेर फुटवीयर उ. स. स. लि., बाड़मेर	,,	6,350-00	2,350-00
27.	चर्म उ. स. स. लि., वामनोर	,,	7,000-00	2,000-00
		योग चर्म उद्योग....	1,31,025-50	58,370-00
1.	खादी औद्योगिक स. स., बालोतरा	खादी उद्योग	2,14,495-00	16,490-20
2.	जस्ती सर्वोदय जूट उद्योग स. स.	,,	30,762-50	720-00
			1,45,257-50	17,210-20

———

परिशिष्ट—10

(अतारांकित प्रश्न सख्या 262 की सूची)
ग्राम किशन बाग, तहसील जयपुर की विवादग्रस्त भूमि पर अनधिकृत बनाये गये मकानों की सूची

क्र. सं.	नाम निर्माणकर्त्ता	खसरा नं०	निर्माण का विवरण
1.	श्री सीताराम पुत्र जगन्नाथ	113	पुख्ता मकान 88.5′×16′
2.	,, मानसिंह पुत्र आशुसिंह	,,	ईंटों का मकान 15′×10′
3.	,, गोपाल पुत्र काना गूजर	,,	टीन पोश 15′×10′
4.	,, रघुनन्दा पुत्र जयनारायण	,,	मकान 10′×12′
5.	,, गोपालकृष्ण पुत्र जयनारायण	,,	मकान 12′×10′
6.	,, मुरलीधर पुत्र रामसुख	,,	मकान 12′×10′
7.	,, प्रताप पुत्र नानगा गूजर	113/2	पुख्ता मकान 113′×152′, बाड़ा 110′×144′ खाम ढोल 112′×100′
8.	,, पोखर पुत्र लादू गूजर	,,	पुख्ता मकान 11′×11′ छप्पर 34′×9′ खाम मकान 29′×9′
9.	,, भगवानसहाय पुत्र काशीदास	,,	पुख्ता मकान 16′×7′ व 15′×9′
10.	,, शैतान पुत्र मंगलाराम	,,	खाम मकान 10′×8′
11.	,, मोहन पुत्र खांगा राणा	,,	छप्पर 12′×9′
12.	,, मंगला पुत्र भूंथा	,,	खाम मकान 22′×9′ पुख्ता मकान फूटा 9′×8′
13.	,, प्रभू पुत्र अर्जुन राणा	,,	खाम मकान 16′×16′
14.	,, राधेश्याम पुत्र भंवर	,,	टीन पोश 14′×9′
15.	,, हनुमानसिंह पुत्र गीगराज	,,	पुख्ता मकान 48′×48′ खाम 110′×340′
16.	,, हनुमानसिंह पुत्र जीवनराम	,,	मकान पुख्ता 6000 वर्ग-गज
17.	,, तेज बहादुर	,,	पुख्ता मकान 125′×110′
18.	,, विजेन्द्रसिंह	,,	पुख्ता मकान व ढोल 2000 व. ग.
19.	,, रामकंवरसिंह	,,	पक्का मकान 90′×50′
20.	,, भूरा गूजर	,,	520 वर्ग-गज
21.	,, डॉ० गुजराल	,,	पुख्ता मकान 65′×20′
22.	,, फकीराम पुत्र मानमल	,,	पुख्ता मकान 30′×30′
23.	,, श्यामलाल टोडवाल	,,	पुख्ता मकान 20′×11′

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 57 की सूची)

पूरक सूचना

राजस्थान टीनेन्सी (भूमि अधिकतम सीमा निर्धारण) सरकार नियम, 1963 के अन्तर्गत राज्य में कुल 7,26,886 एकड़ भूमि के प्राप्त होने की सम्भावना थी, जिसका जिलेवार विवरण इस प्रकार है:—

नाम जिला	अधिग्रहण योग्य सम्भावित क्षेत्र (एकड़ों में)
1. अजमेर	7338
2. अलवर	3122
3. उदयपुर	14808
4. कोटा	121495
5. गंगानगर	113793
6. चित्तौड़गढ़	7774
7. चूरू	2286
8. जयपुर	20445
9. जालौर	51472
10. जैसलमेर	25481
11. जोधपुर	67710
12. झालावाड़	3936
13. झुंझुनूं	63
14. टोंक	5824
15. डूंगरपुर	21914
16. नागौर	5966
17. पाली	57031
18. बाड़मेर	32018
19. बांसवाड़ा	3427
20. बीकानेर	69108
21. बूंदी	59004
22. भरतपुर	1626
23. भीलवाड़ा	39022
24. सवाई माधोपुर	9323
25. सिरोही	2381
26. सीकर	499
योग	7,26,886

परिशिष्ट—12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 58 की सूची)

सूची (अ)

वर्ष 70-71 व 71-72 में परियोजना कार्यों में रेत के टीबे (सैन्ड ड्यूज) हटाने के लिये एक्स्ट्रा आइटम्स के रूप में ठेकेदारों को किये गये भुगतानों की सूची।

क्र. सं.	नाम सड़क	नाम ठेकेदार	भुगतान की राशि
			रु०
1.	बापनोख-बीकमपुर रोड मील-0/0 से 12/0	मै० सुरेश कन्स्ट्रक्शन	410.00
2.	बापनोल-बीकमपुर रोड मील 20/0 से 28/0	मै० चिरंजीलाल अग्रवाल	840.00
3.	बीकानेर-गंगानगर रोड कि.मी. 122/0 से 166/0	मै० गंगानगर कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, गंगानगर	37,860.00
4.	बीकानेर-गंगानगर रोड कि.मी. 195/0 से 197/0 की.मी.200/0 से 206/0	श्री लीलाधर	22,075.00
5.	जैसलमेर-कुरी-मियाजलार रोड	श्री गुमानेराम अग्रवाल	
	मील 32/0 से 69/0		6,435.00
	मील 69/0 से 96/0		27,628.00
6.	कैरिया से बकासर मील 0/0 से 42/0	श्री भंवरलाल बोहरा एण्ड ब्रदर्स, बाड़मेर	14,730.00

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 159 की सूची)

FINAL BILL

Name of Contractor:—Shri Gumaniram Agrawal

Name of Work:—Constt. of Jaisalmer Kuri-Maijlar Road Mile 69/0 to 96/0.

S. No.	Item	Rate	up-to-date
1	2	3	
1.	E/work in cutting for embankment in ordinary soil with lead up to 25 m (5') including degbelling, breaking clods, laying in 20 cm., lay finishing formatiion & grade surplus soil to be levelled and dressed.	7.00	3044.37
2.	—do—in hard soild—do—.	9.50	9402.15
3.	Removal of blown up sand including making out and disposal of excavated soil with lead up to 1.5 m. (5') including dagbelling, breaking clods, disposal soil to be levelled and dressed.	5.00	25288.48
4.	Add 9 extra leads of water for consolidation of kanker beyond 10 Km. for every 5th Km. in 96 with a lead of 51 Km. from Kuri tubewell.	5.40	2430.00
5.	Add 8 extra lead of—do— in Km 91.92 & 95 with lead of 46, 47 and 50 Km.—do—.	4.80	6460.80

1	2	3	
6.	Add 7 extra leads of water —do— in Km. 6 with lead of 46 Km. —do -.	4.20	1864.80
7.	Add 6 extra lead—do—Km. 81 to 85 with lead of 36 to 35 —do—.	3.60	8056.80
8.	Add. 5 exta leads—do— Km. 76 to 80 with lead of 31 to 35—do—.	3.00	Nil
9.	Add. 4 extra lead—do—71 to 75 with lead of 26 to 30—do—.	2.40	5385.60
10.	Add 16 extra leads—do - in Km. 76, 77, 78, & 79 with lead of 87, 88, 89 and 90 Km. from Dabla tube well.	9.60	16992.00
11.	Add 17 extra leads of water —do—80 Km. with lead of 91 Km.—do—.	1.20	4549.20
12.	Add 18 extra lead—do—in Km. 87, 88, 89 with lead of 98, 99, 100 Km.—do—.	10.80	14385.60
13.	Add 19 extra lead of water do in Km. 90, 93, 94 with lead of 101, 104, & 105 Km. —do—.	11.40	15321.60
14.	Add 3 extra lead of water for metal consolidation beyond 10 Km. and for every 5 Km. in Km. 70 with lead of 25 Km. from Kuri tube well.	1.80	802.80
	Consolidation of stone (Ballast for W. BM. coarse).		

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 1973)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
3	नीचे से 11	अनुज्ञा- त्र	अनुज्ञा-पत्र
24	नीचे से 13	ध्य न	ध्यान
26	ऊपर से 1	प्रद्मनसिंह	प्रद्युम्नसिंह
28	ऊपर से 3	इत्मीमान	इत्मीनान
31	ऊपर से 10	ड इरेक्टर	डाइरेक्टर
33	ऊपर से 1	श्री मूलचन्द्र	श्री मूलचन्द
34	नीचे से 11	आपके	आपने
35	नीचे से 5	विभाम	विभाग
66	नीचे से 10	नरा	धनराशि
82	नीचे से 14	यया	गया
91	नीचे से 12	र जस्थान	राजस्थान
95	ऊपर से 3	बोनों	दोनों
97	नीचे से 8	मत्रीजी	मंत्रीजी
109	नीचे से 15	रुपये	रुपये
119	नीचे से 13	मरकार	सरकार
125	ऊपर से 9	लिथा	लिया
126	नीचे से 7	रसकार	सरकार
131	नीचे से 4	ठोक	ठीक
157	नीचे से 1	वृत्ति	प्रवृत्ति
170	ऊपर से 4	माव	—
171	नीचे से 15	मार्व	मार्च
192	नीचे से 1	10000	100
209	ऊपर से 7	नागर	नगर
218	नीचे से 10	निर्मलासिंह	निर्मलाकुमारी
222	ऊपर से 10	मोध	मौन
275	नीचे से 11	दरु रिस्त	दरख्वास्त
3:0	नीचे से 11	क र्यकर्त्ताओं	कार्यकर्त्ताओं
363	ऊपर से 1	ग्य	गया

————